नक्सलवाद

-ज्योतिराव लढके

नक्सलवाद

" समाज, संस्कृति, और साहित्य को समर्पित पत्रिका ' श्री मिलिंद ' पढ़ी| आदरणीय ज्योतिराव लढके का धारावाहिक, रचनाधर्मिता के धरातल पर अत्यंत सारगर्भित है| रचना के साथ लेखक का ' साधारीकरण ' है| ऐसी रचनाएँ देश और काल की सीमाओं को पार कर ' कालजयी " बन जाती हैं| आशा है कि ' श्री मिलिंद " के माध्यम से यह धारावाहिक उपन्यास पढने को मिलता रहेगाः| "

आपका

डॉ. राजनारायण अवस्थी

C/o सीडीए(रिसर्च ॲंड डेव्हलपमेंट

कंचनबाग हैदराबाद

नवम्बर 2010

भूमिका

वास्तव में निम्न लेखमाला वर्ष 2010 और 2011 में 23 लेखों के रूप में ' श्री मिलिंद हैदराबाद ' इस मासिक में प्रकाशित हुई थी| वही अधिकतम नक्सली गतिविधियों का कार्यकाल था|

अब इसे मेरी वेबसाइट पर डाला जा रहा है तो आवश्यकता अनुसार कुछ बदलाव किये गये हैं| साथ ही नक्सलवाद से संबंधित हाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें, परिशिष्ट के रूप में अन्त में अंतर्भूत की गयीं हैं|

प्रमुख नक्सली हिंसक घटनाएँ भाग एक में समय के क्रम से डाली गयी हैं तो भाग दो में उस - उस प्रान्त के अनुसार| अतः कुछ घटनाओं की पुनरुक्ती हो सकती है|

आशा है यह सामग्री पाठकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी|

अगस्त 2024 लेखक \

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

नक्सलवाद : भाग एक

शीर्षक पृष्ठ

- नेपाल : माओवाद का संदेश 7
- नेपाल में माओवाद : कॉ. प्रचंड 11
- नक्सलवाद : पचास साल : भूमि सुधार 15
- समस्याओं के, संवैधानिक मार्ग से समाधान 21
- नक्सलवाद का भविष्य : दो दृष्टिकोण 25
- 2009 का वैश्विक समाज और लोकतंत्र : संसद में माओवादी 31
- नक्सली पुराधाओं के परवर्ति विचार 35
- नक्सली हिंसा 37
- छापामार युद्ध : चे गुएवारा 48
- जन-न्यायालय 52
- नक्सलियों की शत्रूता 53
- नक्सलियों के सामाजिक सारोकार 54
- नक्सली विचार: हिंसा पर माओवादी दृष्टिकोन : नक्सली रणनीती 56
- महिला नक्सली 59
- नक्सलियों का बजट 60
- नक्सलियों का केंद्रालय 61
- नक्सलियों पर लगाये जानेवाले आरोप 62
- अन्तिम नक्सली लक्ष..... 63
- माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पिपल्स वॉर ग्रुप का विलय 64
- भारत में 2010 की नक्सलवाद की स्थिति : पॉलिट ब्यूरो सदस्य 65
- भारत के पडोस में नक्सलवाद के समविचारी संगठन:नक्सलियों के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क...72
- नक्सल विरोधी निजी सेनाएं 72
- मिडिया द्वारा प्रचारित कुछ बातें..... 73
- सरकारी सांख्यिकी ; केंद्र सरकार की नीति..... 74
- माओवादियों के विरुद्ध सेना का उपयोग 80
- नक्सलियों से वार्ता 82
- राजकीय पक्षों का दृष्टिकोण 85
- कुछ बुद्धिजीवी और नक्सलवाद 92
- आदिवासी समाज और कानून 97
- सूचना का अधिकार : अधिनियम 2005 100
- पुलिस हिरासत में मौतें 101

नक्सलवाद : भाग दो

- प. बंगाल 103
- नक्सलबाड़ी की घटना 103
- कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन 103
- चारू मुजुमदार 104
- हिंसात्मक क्रान्ति का पूर्वेतिहास 105
- कॉ. कनू सन्याल 105
- लालगढ 106
- बंगाल के बुद्धिजीवी 110
- आन्ध्र : आंध्र में नक्सलवाद : तेलंगना आंदोलन 113
- कोंडापल्ली सीतारामय्या : पिपुल्स वॉर ग्रुप : अन्य नेता 114
- बिहार : भूदान आंदोलन : नक्सलवाद का उदय : माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर..... 121
- झारखंडः 126
- छत्तीसगढ में नक्सलवाद : सलवा जुडूम : विनायक सेन 127
- अबुझमाड़ : नक्सली मुख्यालय (बस्तर जिला, भूमकाल बगावत, प्रविरचंद्र भंजदेव)...133
- महाराष्ट्र में नक्सलवाद : गढचिरौली जिला 137
- पेद्दीशंकरम प्रथम नक्सली मौत 137
- अनुराधा शानबाग गांधी 139
- उड़ीसा 152
- केरल में नक्सलवाद 154
- उपसंहार 162
- हिंसा और क्रांति 163
- विकास 163
- हिंसक क्रांति की ग्राह्यता 163
- क्रांतिकारियों के विचार 164
- दुनिया/भारत ने चुना विकल्प 164
- परिशिष्ट : वर्ष 2024 166

  जी.एन.साईबाबा

  एल्गार परिषद्/ भीमा कोरेगांव केस

प्रस्तावना

आज कोई भी समाचार पत्र खोलने के बाद उसमें ' नक्सलवाद ' से संबंधित कोई न कोई समाचार आपको अवश्य मिलेगा| 1967 वर्ष में दार्जिलिंग जिले के सुदूर गांव ' नक्सबलबाड़ी ' में एक घटना होतीं है| उस गाँव के नाम से एक शब्द बनता है ' नक्सलवाद '| बढते-बढते यह एक विचारधारा का प्रतीक बन जाता है| इस नक्सलवाद की यात्रा को चालीस-पचास वर्ष हो गये हैं| इस देश की राज्यसत्ता कहतीं है कि वह इस नक्सलवाद को जड़-मूल से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है| नक्सलवादी संगठनों की शक्ति भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की शक्ति के सामने नगण्य है| फिर भी ' नक्सलवाद ' जिन्दा है| इतना ही नहीं उसने तो भारत के कुछ हिस्सों में शासन की निंद हराम कर रखी है| क्यों?

दूसरी ओर बीसवीं सदी में हुई वामपंथी क्रांतियों को सत्ता तक पहुँचने में इतना अधिक समय नहीं लगा| तब भी ' नक्सलवाद ' का आधार भारतीय समाज में बहुत ही सीमित दायरे में है| हिंसा का दर्शन भारतीय समाज में व्यापक तौर पर मान्य नहीं हो पाया है| तो नक्सलवाद का भविष्य क्या है?

नक्सलवादी समझे जानेवाले, केवल दो गुट सबसे शक्तिशाली और लम्बे समय तक संघर्ष करनेवाले गुट हैं| वे हैं ' पिपल्स वॉर ग्रुप ' और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर '| इन्हीं दो गुटों के विलय से क. पा. ऑफ इंडिया (माओवादी) बनी है| इन दोनों को अलग कर लें तो शुरू में हिंसा की जबरदस्त वकालत करनेवाले नेता बाद में, इसी नतीजे पर पहुँचे कि चारू मुजुमदार का हिंसा का दर्शन गलत है| इस पार्श्व पर भी नक्सलवाद का भविष्य क्या है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी आज अपनी नीति में परिवर्तन किया है| उसपर भी विचार किया जाना आवश्यक है| दुनिया में सबसे बाद में हुई सफल वामपंथी सशस्त्र क्रांति नेपाल की ही है| उसीसे शुरुआत करते हैं|

नक्सलवाद बने रहने के कारण हैं–भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू न करना, खेत मजदूरों तथा आदिवासियों का हो रहा शोषण|

आज अलग-अलग प्रान्तों में नक्सलवादी गुटों की शक्ति क्या है? उनकी कौन सी गतिविधियां चलती हैं? उनके संघर्ष की रणनीति यानी ' छापामार युद्ध ' जैसे विषयों को भी जाना जा सकता है|

यही सबकुछ आपको इस लेखमाला में मिलेगा|

इस लेखमाला में दी गयी जानकारी का आधार भिन्न-भिन्न विश्वसनीय सूत्र है| हो सकता है किसी जानकारी में कुछ फर्क दिखाई दे| चूंकि इन गुटों की गतिविधियां गुप्त रूप से चलती हैं, अतः इनकें विषय में अधिकृत रूप से दी गयीं जानकारी की अनुपलब्धता ही इसका कारण हो सकता है|

.....

नेपाल : माओवाद का संदेश

सबसे निकट भूतकाल में चला वामपंथी सशस्त्र संघर्ष नेपाल का ही है| सशस्त्र संघर्ष के बाद, उसे चलानेवाले संगठन द्वारा ही लोकतंत्र को स्वीकार किया गया| नेपाल, भारत का पडोसी और कुछ हद तक भारतीय समाज और परिस्थितियों से समानता रखनेवाला देश है| लेकिन वहाँ की जनता गरीब और पिछडी है| जब हम भारत के वामपंथी हिंसक आंदोलन के विषय में विचार करेंगे, तो यह आवश्यक हो जाता है कि ' नेपाल के माओवाद ' पर गहराई में चिंतन करें|

नेपाल के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद, माओवादियों के नेता ने भारत के वामपंथी गुरिल्लाओं को हिंसा छोड़ने का संदेश एक टेलिविज़न चैनल को दिये गये साक्षात्कार में दिया| उन्होंने आगे कहा, " नेपाल की घटनाओं से दुनिया को संदेश चला गया है| नेपाल के चुनावों में वामपंथी विद्रोहियों की जीत से गुरिल्लाओं को बंदूक और मतपत्र के बीच का अंतर समझना चाहिए| हमारी नीति, हमारा तरीका अपने आपमें भारत के माओवादियों के लिए संदेश है| हालांकि हम सीधे तौर पर उनको यह संदेश नहीं दे रहे हैं|

उनसें पुछा गया था कि आप भारत के माओवादियों के लिए क्या संदेश देंगे?

जो दुनिया की दृष्टि से, इंटरपोल की दृष्टि से आतंकी था, एक अपराधी था, वह अब मतपत्रों के रास्ते नेपाल का भाग्यविधाता बन गया| बंदूक की नोंक पर नहीं, मतदान के माध्यम से| प्रचंड के अनुसार यह जनादेश शांति और विकास के लिए है| जंगल राज के लिए नहीं|

माओवादियों ने जिस गणराज्य के लिए दस वर्षो तक सशस्त्र संघर्ष किया, 19 दिनों तक जन आंदोलन चलाया, 13000 लोगों की कुर्बानी दी, अंततः वे दुनिया को सशस्त्र हिंसा पर सोचने का संदेश क्यों देना चाहते हैं, इसलिए इस आंदोलन पर गहन दृष्टि डालना आवश्यक है|

आज पुरी दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि साम्यवादी विचारधारा या उसका प्रयोग अब निरर्थक हो चुका है| उसी दौर में लॅटिन अमेरिका के वेनिनझुएला और एशिया में नेपाल, कम्युनिस्ट देशों के तौर पर उभरे हैं और इसमें सशस्त्र संघर्ष और मतपेटियां दोनों का योगदान है|

नेपाल की पहचान दुनिया के एक अकेले हिन्दू राष्ट्र के रूप में थी| जनवरी 2004 में काठमांडू के सार्वजनिक कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद् के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने दुनिया के हिंदुओं का आवाहन किया था कि दुनिया के 90 करोड़ हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि वे दुनिया के इस एकमात्र हिंदू सम्राट की रक्षा करें| हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर ने उन्हें जन्म दिया है| (इंडियन एक्सप्रेस 23 जनवरी 2004)

इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू राजशाही को इतने विशेष अधिकार थे कि संविधान के अनुसार ही किसी भी कारवाई के बारे में नेपाल के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी| राजा की आय और व्यक्तिगत सम्पत्ति किसी भी कर के दायरे में नहीं आती थी| उसे अन्य कोई खरीद नहीं सकता था|

नेपाल की पहचान एक अत्यंत गरीब और पिछड़े देश के तौर पर ही थी|

लेकिन 90 करोड़ हिंदुओं के सोचने के पहले ही नेपाल के 1.76 करोड मतदाताओं ने अपना निर्णय दे दिया|

ऐसी एक किवदंती सुननें में आती है कि 240 साल पहले राजा ज्ञानेद्र के एक पुरखे- पृथ्वी नारायण शाह ने कीर्तिपुर (जहां से प्रचंड चुनें गये) शहर पर आक्रमण किया था| उसकी तबतक घेराबंदी की थी, जबतक वहां की जनता अनाज और पानी को नहीं तरसी| शहर को मजबूरन हार माननी पड़ी| लेकिन शाह ने अपना कारनामा यहीं पर नहीं रोका| बदले के तौर पर शहर के नागरिकों के नाक काट डाले थे| उसी शहर ने राजशाही की मृत्युघंटा बजानेवाले प्रचंड को सिर पर उठाकर अपना बदला चुका लिया|

जनता का स्पष्ट आदेश था–

1) 239 वर्ष पुरानी राजशाही का अन्त|
2) उसे धर्मराज्य नहीं, बल्कि आधुनिक विचारधारा वाला नेपाल चाहिए|
3) यथास्थितिवादी विचारों वाली राजकीय शक्तियों को पूरी तरह नकार दिया गया| नेपाली कॉंफ्रेंस को अनपेक्षित झटका लगा| उसके सर्वोच्च नेताओं के परिवार के सभी सदस्य पराजित हुए| उदाहरण-श्री. गिरजाप्रसाद कोईराला की बेटी सुजाता कोईराला, भतीजे शेखर कोईराला, पार्टी अध्यक्ष सुशील कोईराला| नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) का भी बुरा हश्र हुआ|
   अ) गोरखा निर्वाचन क्षेत्र में, प्रचंड के बाद सबसे प्रमुख माओवादी नेता भट्टराई ने रिकार्ड वोट प्राप्त किये, 46272 | विरोधी (एमाले) को मिले 2083| तो नेपाली कॉंफ्रेंस को 6143|
   आ) सेल्पा में प्रचंड को 34220 | विरोधी को 6029|
   इ) जनयुद्ध के दौरान पाल्मा के राजमहल पर हुए आक्रमण का संचालन करनेवाले कमांडर प्रभाकर को रूकुम निर्वाचन क्षेत्र में 30270 वोट मिले| राजा ज्ञानेन्द्र की चहेती पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली|
4) मतदाताओं ने बता दिया कि केवल सशस्त्र संघर्ष में ही नहीं तो मतपेटियों के संघर्ष में भी वे माओवादियों के साथ हैं| मतदाताओं को माओवादियों के सशस्त्र संघर्ष से न कोई शिकायत है, न उनसे भविष्य में किसी तरह का डर|
5) नेपाल के राजनैतिक क्षेत्र में कार्यरत् कुछ दल नहीं चाहते थे कि नेपाली समाज की आमूल पुनर्रचना हो| उनका समर्थन करनेवाली विदेशी ताकतें भी यही चाहती थीं| इस दृष्टि से उन्होंने पूरी मोर्चेबंदी की थी| यह भी प्रचार किया जा रहा था कि माओवादियों को जो भी समर्थन दिखता है वह उनकी लोकप्रियता के कारण नहीं तो उनकी बंदूकों के डर के कारण है| अतः निष्पक्ष चुनाव में उनकी हार तय है|

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, उनकी पत्नी तथा अन्य 60 लोगों का दल नेपाली चुनाव की निगरानी करने गया था| उनके अनुसार जितना शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से चुनाव

हुआ उतना व्यवस्थित चुनाव विगत कुछ वर्षों में देखने नहीं मिला| चुनाव के नतीजे आने के बाद कार्टर महोदय ने ही मांग की थी कि माओवादियों का नाम आतंकवादियों की सूचि से हटा देना चाहिए|

<u>प्रचंड की ऐतिहासिक भूमिका–</u>

1) उन्होंने राजशाही समाप्त की|
2) नेपाल को गणतंत्र के रूप में स्थापित करने हेतु मूर्त रूप दिया|
3) नेपाल की दबी, पीड़ित, गरीबी से त्रस्त 90% जनता में नयी चेतना जगायी और उसे संघर्ष के लिए तैयार किया| एक धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उन्होंने एक नये नेपाल की कल्पना करने की दृष्टि दी|
4) सशस्त्र संघर्ष भी चलाया|
5) लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की पहल की और हिम्मत भी दिखायी|
6) चुनाव और जनतान्त्रिक प्रक्रिया लागूं करने में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की बात भी मान ली|
7) यह भी विचार व्यक्त किया कि नये संविधान के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा विचारों को शामिल करना देश के लिए हितकर होगा|
एक वास्तविक क्रान्तिकारी दृष्टि–

प्रत्यक्ष में माओवादी संगठन का शिखर नेतृत्व देखने पर ऐसा दिखाई देगा कि–

1) प्रचंड : प्रमुख लेकिन कड़े मार्ग के पुरस्कर्ता|
2) बाबूराम भट्टराई : द्वितीय स्थान, मध्यम मार्गी|
3) हिसीला यामी : भट्टराई की पत्नी|
4) राम बहादुर थापा : युद्ध नीतिकार|
5) सालिकराम जामेर कट्टेल : ट्रेड यूनियन प्रमुख|

अब जो संसद एकत्र हुई है, उसका चेहरा पुरी तरह बदला हुआ है| इसमें स्त्रियों, दलितों, वंचितों का पूरा प्रतिनिधित्व है|

सामन्तशाही के विरुद्ध नेपाल में आंदोलन–

1)नेपाली कॉंग्रेस ने सामन्तशाही व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी नेपाल के निर्माण के लिए लड़ाई की शुरुआत की| नेपाली कॉंग्रेस में, राजशाही के अधीन निर्वाचित सरकार की मांग प्रमुख थी|

2)1990 में जो आंदोलन चला वह सर्वदलीय लोकतंत्र की बहाली के लिए था| उसका नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टियों के हाथों में आ गया था| इन कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी का निर्माण किया| इस एमाले की मॉंग थी, लोकतंत्र की स्थापना| इस पार्टी में तमाम ढंग की वामपंथी धाराएं थीं| शुरू में इसका नेतृत्व भारत के नक्सलवाद के

ढंग पर विकसित क्रांतिकारी कम्युनिस्टों के हाथों में था| लेकिन यह आंदोलन आन्तरिक कारणों से क्षीण होता गया| साथ-साथ राजशाही की पकड़ सशक्त होती गयी|

3)माओवादियों ने संविधान सभा की बुनियादी मांग रखी|

आंदोलन के इस प्रवाह में हर स्तर पर हथियारबंद राजनीति की आवश्यकता हर किसी ने अनुभव की| लेकिन यह भी सत्य है कि सत्ता में पहुँचीं पार्टियों में भ्रष्टाचार अपने शिखर पर पहुँचा|

अब माओवादियों के हाथों में शासन की बागडोर आ गयी| नेपाल के माओवादियों के अजेंडे में शुरू से गणराज्य की स्थापना को प्राथमिकता थी| 1990 में जब राजा विरेन्द्र ने एक जबरदस्त जनआंदोलन के बाद बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना की, उस समय माओवादियों ने जनता से यही कहा था कि बहुदलीय प्रजातंत्र और संवैधानिक राजतंत्र एक धोखा है| लोकतंत्र और राजतन्त्र साथ-साथ नहीं चल सकते| बावजूद इसके वे संसद गए क्योंकि उस समय जनता को लग रहा था कि इस व्यवस्था से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा| संसद में पहुँचकर उन्होंने अपने तर्क की वास्तविकता जनता को दिखा दी| जनता की चेतना को उन्नत करने के बाद 13 फरवरी 1996 को उन्होंने जनयुद्ध की घोषणा की| जनता की चेतना जब वास्तव में जागी तो वह सशस्त्र संघर्ष में भी माओवादियों के साथ रही और जनतांत्रिक चुनाव में भी|

28 मई 2008 को संविधान सभा की बैठक में गणराज्य संबंधी प्रस्ताव पारित होते ही राजशाही सदा के लिए समाप्त हो गयी| आज उन्हें नेपाल की सामाजिक और आर्थिक संरचना में आमूल परिवर्तन करना है| नयी निर्वाचित सरकार एक नया नेपाल बनाना चाहती है| रास्ते दो ही हैं| पूंजीवाद या समाजवाद| माओवादियों का लक्ष्य मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है| लेकिन श्री प्रचंड को इस बात का भी एहसास है कि आज समाजवादी व्यवस्था का निर्माण इतना आसान नहीं रहा है|

माओवादी, जनता को, सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण करने, उन्हें नियंत्रित करने, आवश्यकतानुसार उनमें हस्तक्षेप करने, इतना ही नहीं अपने अकार्यकुशल प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार सौपने के पक्षधर है| उन्होंने अपने पार्टी के अन्दर इस बात की व्यवस्था की है कि यदि पार्टी अपनी सर्वहारा क्रांति की राह से भटकती है, तो क्रांति को जारी रखने के लिए शोषित सर्वहारा, पार्टी से विद्रोह कर एक नयी पार्टी गठित कर सकता है| वे एक अधिकतम जनाभिमुख व्यवस्था का निर्माण करना चाहते है| बहुदलीय प्रणाली में क्रांति विरोधी को अपनी चालें चलने के मौके मिल जाते हैं| दुनिया की कई क्रांतियां अपनी कमजोरियों का शिकार हो गयीं| उन्हें किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण द्वारा पराजित नहीं किया था|, लेकिन अब देखना यह है कि माओवादी भविष्य को कैसे संवारते हैं? यहाँ तक पहुँचने की इस पार्टी की यात्रा कैसी रही यह देखना भी आवश्यक है|

नेपाल में माओवाद-

सन् 1974 का सितम्बर महीना, नेपाल के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था| कम्युनिस्ट पार्टी का चौथा अधिवेशन नेपाल की जगह भारत में संपन्न हुआ था| यह अधिवेशन कॉ. मोहन विक्रम सिंह के नेतृत्व में हुआ था| इसी अधिवेशन के दरम्यान एक जमीनी कार्यकर्ता कॉ. पुष्पकमल दहाल ने पार्टी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने का संकल्प लिया था| सन् 1974 में ही पूर्वी कोसी क्षेत्रीय समिति की ज्ञापा जिला समिति ने विद्रोह कर दिया था और सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया था| इसपर निश्चित ही चीन की सांस्कृतिक क्रांति और भारत में कुछ ही पहले हुए नक्सलवादी आंदोलन का प्रभाव था| लेकिन वही हुआ जो भारत में नक्सलवादी आंदोलन के साथ हुआ| नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चार सालों में ही यानी 1978 आने तक लगभग एक दर्जन टुकड़ों में बंट गयी|

कॉ. पुष्पंकमल दहाल ऊर्फ़ कॉ. प्रचंड

आज चौपन(2010) साल के कॉ. प्रचंड नेपाल माओवादियों के निर्विवाद नेता है| गरीब किसान मुक्तिरास दहाल और आभा भवानी दहाल के दो बेटे और छह पुत्रियों में सबसे बड़े पुष्पकमल है| अर्थात् परिवार का बोझ उनपर ही आ पड़ा| जन्मस्थल था कासकी जिले का गांव ' ढिकट '| लेकिन बाद में चितवन जिले के ' शिवनगर ' में आकर बस गए| बी.एस. सी. के बाद कुछ दिन अध्यापकी की| सन 1970 में उनकी शादी सीता पौढयाल से हुई| उनके चार बच्चे हैं| पूरा परिवार आंदोलन से जुड़ा है| लेकिन आगे उन्होंने अपने आपको कम्युनिस्ट आंदोलन में पूरी तरह झोंक दिया| सन् 1980 में` विद्यार्थि मोर्चे के प्रभारी बनाएं गये| आगे उन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की | वे युवक संगठन के महासचिव बने और पार्टी के केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो के सदस्य| अब वे भूमिगत होकर काम करने लगे थे| युवक संगठन में उन्होंने, निर्मल लामा के दक्षिण पंथी विचारों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व अपने हाथों में लिया| सन 1986 में फिर कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो गयी| एक गुट ' मसाल ' के रूप में जाना जाने लगा तो दूसरा ' मशाल '| इस दूसरे ग्रुप में प्रचंड को पॉलिट ब्युरो के सदस्य के साथ-साथ सैनिक आयोग के सदस्य के तौर पर चुना गया| सैनिक मामलों में वे विशेषज्ञ और कुशल नेता समझे जाते है| सन 1990 में वे मशाल के महामंत्री बने| आगे के, राजशाही विरुद्ध, लोकतंत्र आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की|

सन् 1991 में क्रांतिकारी शक्तियों के एकीकरण की आशा में उन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केंद्र) की स्थापना की| यह नया प्रयास सैनिक लाईन पर आधारित था| तीन वर्षों के अंदर ही पार्टी का नया नामकरण हुआ ' कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी)'| 13 फरवरी 1996 को ऐतिहासिक जनयुद्ध की घोषणा हो गयी|

राज्यसत्ता के विरुद्ध सफल संघर्ष–

नेपाल में अभी कुछ दिन पूर्व तक कठोर राजतंत्र था| लेकिन जनसंघर्ष ने उसे समाप्त कर दिया| इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है| 22 नवम्बर 2005 को सात पार्टियों के गठबंधन और माओवादियों के बीच एक बारह सूत्री समझौता हुआ था| उसके अनुसार-

1)राजशाही के विरुद्ध आंदोलनकारी ताकतों के राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से एक अंतरिम सरकार का गठन कर, उसके मातहत संविधान सभा का चुनाव कराकर, जनता की सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की जायेगी| मुख्य बिंदु, इसी संविधान सभा का चुनाव है| इसे माओवादियों ने ही अपने विद्रोह के दौरान उठाया था|

2)राजशाही खात्मे के बाद संविधान सभा का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शाही सेना (अब नेपाल सेना) और माओवादियों की सेना के हथियारों का किसी विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा|

आंदोलन के दौरान ही माओवादियों को इतनी लोकप्रियता मिली कि उपरोक्त शर्त मानने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई|

अ) दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, इस रूप में नेपाल की जो पहचान थी उसे समाप्त कर दिया गया है|
आ) राजा के लगभग सभी अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं|
इ) बारह सूत्री करार को अंमली जामा पहनाने के लिए आगे काम होता रहा| श्री गिरजाप्रसाद कोईराला के प्रधानमन्त्रीत्व में अस्थायी सरकार बनी|

माओवादियों की लेकप्रियता का अंदाजा, उसकी 2 जून 2006 को काठमांडू में हुई रैली से लगाया जा सकता है| उस रॅली में दो लाख लोगों ने हिस्सा लिया था| यह बड़ी आशंका थी कि कल तक सशस्त्र संघर्ष में रत माओवादियों के काठमांडू में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र होने से, न जाने क्या स्थिति उत्पन्न होगी? चूंकि नेपाल की सेना और पुलिस में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वह इतनी बड़ी रॅली को नियंत्रित कर सके| लेकिन दुनिया ने देखा कि रैली के दौरान कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी माओवादियों की जनमुक्ति सेना के छापामारों ने संभाल ली थी| यह बात दर्शाती है कि नेपाल के माओवादियों की जनमुक्ति सेना में न केवल क्षमता ही नहीं बल्कि सृजनात्मक ऊर्जा का स्तर भी किस मर्यादा तक है|

अब माओवादियों ने तय कर लिया है, वे सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे| सशस्त्र लड़ाई के माध्यम से उन्हें जो प्राप्त करना था वह उद्देश्य हासिल हो चुका है| अगर उनकी जनमुक्ति सेना काठमांडू की कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेकर सफलतापूर्वक संभाल सकती है, तो अब वे संघर्ष किससे करेंगे? माओवादियों की चिंतनधारा को देखा जाए तो उसका चित्र स्पष्ट था| ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सत्ता पूरी तरह स्थापित करने के बाद राजधानी और जिला मुख्यालयों में बसे मध्यम वर्गीयों के बीच जनाधार

उत्पन्न किया जाए| सशस्त्र संघर्ष और जनांदोलन को इस स्तर पर एकाकार किया जाना था और वर्तमान व्यवस्था को बदल देना था| आज एक तरह से वे अपने अजंडे को लागू करने में सफल हुए हैं| यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि इससे पूर्व माओवादियों ने नेपाल के 80% ग्रामीण भूभाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था| ऐसा अनुमान है कि माओवादियों द्वारा चलायें गये संघर्ष में 13000 लोग मारे गये| वे भूमि सुधार और अन्य ग्रामीण सशक्तिकरण संबंधी नीतियों की वकालत करते हैं| नेपाल में पांच प्रतिशत लोगों के पास 37% जमीन है| 70% नेपाली बुरी तरह से गरीब हैं|

8 नवम्बर 2006 को माओवादियों और सात पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई मैराथन बैठक के बाद यह तय हुआ कि -(यह आठ सूत्रीय समझौता है)

अ) माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल होंगे|
आ) देश का नया संविधान तैयार करने के लिए विधान सभा का गठन किया जाएगा|
इ) जून 2007 तक उसके लिए चुनाव किये जाएंगे|
ई) नेपाली सेना अपनी छावनी, और माओवादी जनमुक्ति सेना अपने-अपने शिविरों में रहेगीं| संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के निगरानी में छापामारों के शस्त्र जमा रहेंगे, लेकिन उनपर अधिकार माओवादियों का ही रहेगा| बाद में वे छापामार, नेपाली सेना का अंग बन जाऐंगे|

25 सालों मे अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के दरम्यान श्री प्रचंड ने कहा कि -

" हमारे अनुभवों ने यह दिखाया है कि हम केवल सशस्त्र क्रांति के दम पर अपना लक्ष हासिल नहीं कर सकते|"

श्री. प्रचंड, डेमोक्रेसी सॉलिडेरिटी कमेटी के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने नयी देहली आएं थें| 19-11-2006 को एक कार्यक्रम के दरम्यान श्री प्रचंड ने एक प्रश्न के जबाब में कहा कि हम भारत के प्रजातांत्रिक मॉडल का अक्षरशः अनुपालन नहीं करेंगे|, क्योंकि यहाँ इतने दिनों तक प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम रहने के बावजूद शोषित वर्गों का उत्पिडन कम नहीं हुआ है और समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पायी है| हम नेपाल के लिए एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का खाका तैयार करने में जुटे हैं, जहाँ शोषण और उत्पिडन के लिए कोई जगह नहीं होगी|

समारोह को संबोधित करते हुए नेपाली माओवादियों के एक और अग्रणी नेता डॉ. बाबूराम भट्टराई ने कहा कि हम आगामी चुनावों के बाद सत्ता पर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश नहीं करेंगे|.....देश में व्यापक भूमि सुधार करेंगे|

' भारत में नक्सलवाद ' पर विचार करते समय नेपाली माओवादियों के इन अनुभवों की हम अनदेखी नहीं कर सकते| इसी कारण ' नेपाल के माओवाद ' की चर्चा अत्यावश्यक हो जाती है|

श्री. प्रचंड के अनुसार–

1) नेपाल से आंध्रप्रदेश तक किसी लाल गलियारे की योजना में उनकी रुचि है, यह जो प्रचार किया जाता है, वह सरासर गलत है| उनका कहना है कि यह दुष्प्रचार उन तत्वों का है, जो पशुपतिनाथ से तिरुपति तक कट्टर धार्मिक गलियांरा बनाना चाहते हैं|
2) नेपाल के माओवादियों ने अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना संघर्ष विकसित किया हैं| इसमें भारत या चीन के माओवादियों का कोई योगदान नहीं है|
3) हमारे भारत के माओवादियों के साथ कोई भी कार्यात्मक संबंध नहीं हैं| भारत के माओवादी अपना रास्ता खुद तय करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की परिस्थितियां अलग हैं| जहाँतक चिंतन का संबंध है, हॉ हम मिलते रहते हैं| हमारे बीच चर्चाएँ होती रहती हैं| हमारे बीच संबंध है, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट दर्शन को माननेवाले हैं| और यह बात भारत के अधिकारिक सूत्र भी मानते हैं|

किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एशिया के इस छोटे और पिछड़े देश में ऐसा भी प्रयोग हो सकता है| वर्तमान प्रतिनिधि सभा का पुनर्गठन कर, उसमें 73 माओवादी प्रतिनिधियों को लिया जायेगा| 23 में से पांच मत्री माओवादी होंगे| यह समझौता 21 नवम्बर 2006 को हुआ|

बाद में हुई कुछ घटनाओं के संदर्भ में श्री. प्रचंड ने प्रधानमन्त्रि पद से त्यागपत्र दे दिया| इस विषय के अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे| लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वैचारिक चिंतन के पार्श्व में श्री. प्रचंड ने जो बातें व्यक्त की थीं, नेपाल के माओवादी आज भी उसी अनुशासन में हैं| भले ही आज किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो, लेकिन श्री. प्रचंड की माओवादी पार्टी ने दोबारा शस्त्र नहीं उठाये हैं| यह इसी बात का प्रमाण है कि उनके प्रयत्न से विकसित जनता की राजकीय समझ पर उन्हें भरोसा है|

नक्सलवाद : 50 साल

सन 1967 में उदय हुए नक्सलवाद को अब 50 साल पूरे हो गये हैं| 50 साल का समय निश्चित ही हमें इस आंदोलन के औचित्य के विषय में सोचने के लिए सामग्री प्रदान करता है| यहाँ दो द्वंद्वात्मक बातों पर विचार किया जा सकता है|

1) 50 साल बितने के बाद भी इस देश की सत्ता को नक्सलवाद को जड़ से मिटाने में सफलता क्यों नहीं मिली? जन समर्थन तथा साधन सामग्री की उपलब्धता के विषय में भारत की सरकारें तथा नक्सलवादी, इनमें तुलना ही नहीं हो सकती|
2) 50 सालों में नक्सलवाद की उपलब्धियॉं क्या हैं? इस आधार पर उसके भविष्य के विषय में अनुमान करना कठिन नहीं|

शुरू में हम पहले प्रश्न पर ही विचार करेंगे–

नक्सलवाद को आजतक मिटाया क्यों नहीं जा सका?

सन् 1982 में नक्सलपंथी गतिविधियों पर रपट देने के लिए केंद्रीय सरकार के उच्चाधिकारियों का एक अध्ययन दल बिहार भेजा गया था| डॉ, मनमोहन सिंह दल के प्रमुख थे| इस दल में योजना आयोग, केंद्रीय गुप्तचर संगठन तथा गृह मंत्रालय के उच्चाधिकारी थे| इस दल ने मईः1982 में बिहार का दौरा किया| इसी रपट से–

1)मध्य बिहार के छह जिलों के (जिन जिलों पर अध्ययन दल ने ध्यान केंद्रित किया था) 196 गांवों के लगभग 65 हज़ार व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नक्सलपंथी संगठनों के प्रभाव में आ गये हैं| जबकि केवल तीन साल पहले इनकी संख्या मात्र ढाई हज़ार थी| (छह जिले हैं–पटना, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, नालंदा और रोहतास)

2) इस अध्ययन दल की रपट के अनुसार विकास योजनाओं के लाभ से गांव के गरीब वंचित हैं| अतः वे बड़ी संख्या में, रोजी की तलाश में, शहरों की ओर भाग रहे हैं, या फिर नक्सलियों के प्रभाव में आ रहे हैं|

3) प्रभाव बढ़ने के कारण गिनाये गये हैं : भारी प्रशासनिक भ्रष्टाचार, विकास योजनाओं की राशि की लूट, पिछडों और गरीबों की हर कदम पर उपेक्षा, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप और बेरोजगारी में वृद्धि|

4) यदि सरकार ने गावों के गरीबों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कर दी होती तो वे नक्सलियों के प्रभाव में नहीं आते| जिन भूमिहीनों को भूमि के पर्चे दिये गये, वास्तव में उनको जमीन मिली ही नहीं|

5) इस दल ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 20 सूत्री विकास कार्यक्रम युद्ध स्तर पर लागू करने की शिफारिश की थी| (नवभारत टाइम्स 5 / 5 / 83 बिहार के नक्सली क्षेत्र :सुरेन्द्र कुमार)

उस समय बिहार के नक्सली प्रभावित अन्य सात जिले थे–मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पुर्णिया और सिंहभूम(बिहार में उग्रपंथी गतिविधियों पर गोपनीय नोट, पृष्ठ संख्या 12, बिहार सरकार प्रकाशन) लेकिन सन् 1986 आते-आते नक्सलवादी आंदोलन बिहार के 17 जिलों में फैल चुका था|

उपरोक्त रपट में नक्सली प्रभाव बढने के जो कारण बताये गये हैं, आज 40 साल बाद भी क्या उनमें कोई फर्क आया? डॉ. मनमोहन जी भारत के प्रधानमन्त्री बने| उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी के प्रति कोई शंका करने का प्रश्न ही नहीं| लेकिन जबतक पूरा तंत्र उन कारणों के प्रति संवेदनशील नहीं होता तबतक किसी बदलाव की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यहाँ उल्लेख किये बिना भी हममें से हर कोई जानता है कि उस दिशा में हमारी प्रशासनिक मशीनरी, समाज कितना ईमानदार है| संसाधनों की मर्यादित उपलब्धता को मान्य करने पर भी प्रशासनिक दावे कितने ठोस हैं? तो फिर नक्सलवाद के जडों का मूल से उच्चाटन की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

फर्जी मुठभेडें

21 जून 2006 को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, जो गृहमंत्री भी है माननीय श्री. आर. आर. पाटील ने कहा कि -

" महाराष्ट्र में अब ' फर्जी मुठभेड़ें ' और ' मुठभेड़ हत्याएं ' नहीं होगीं| " उनके अनुसार राज्य में, पहले ऐसा धड़ल्ले से हो रहा था|, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा| 22 जून 2006 के लोकमत समाचार ने अपने संपादकीय में कहा है, " श्री. पाटील का कथन रेखांकित करने लायक है| इतनीं स्पष्ट स्विकारोक्ति शायद ही, विधि व्यवस्था के लिये जिम्मेदार कोई व्यक्ति करें| महाराष्ट्र में कई पुलिसकर्मी इस कारण चर्चित हुए कि उन्होंने मुठभेड़ हत्याएं कीं| इस कारण कई पुलिसकर्मी नायक बन गये| उनमें से कइयों की हालत बाद में दया करने लायक हो गयी|

जिनपर समाज में शांति बनाएं रखने का, न्यायाधिष्ठित समाज बनायें रखने का दायित्व है, वे ही अगर हिंसा संस्कृति के पोषक हैं तो शोषित आमजन में हिंसा के अंकुर पल्लवित नहीं होगे ऐसी अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? इसे ही हम नक्सलवाद कहते हैं न?

फर्जी मुठभेडों में बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों को, तथाकथित नक्सलियों को समाप्त कर दिया गया| इसमें पकड़े गये व्यक्ति को जंगल में ले जाते थे| उसे हथकड़ी आदि से मुक्त कर दिया जाता है तथा भाग जाने के लिये कहा जाता था| वह जब भागने लगता है तो पीछे से उसकी पीठ में गोली मार दी जाती| घोषित किया जाता कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में ....को मार गिराया गया|

भूमि सुधार

जून 2006 में ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री. रघुवंशप्रसाद सिंह ने एक जगह कहा कि उनके मंत्रालय ने भूमि सुधारों को इतना महत्व दिया है कि हाल ही में राज्यों और केंद्रशाषित प्रदेशों के राजस्व सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।.....वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने भूमि सुधार प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर देने का फैसला किया है। प. बंगाल, केरल, त्रिपुरा (तीनों में वामपंथी सरकारें रही हैं) जैसे राज्यों से प्रेरणा लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना तैयार की है।

यह वक्तव्य स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग साठ साल बाद आ रहा है। इन साठ सालों में क्या होता रहा? उपरोक्त वक्तव्य से यह भी स्पष्ट होता रहा है कि प. बंगाल, केरल, त्रिपुरा में भूमि सुधार अच्छे ढंग से लागू किये गये हैं। यहाँ वामपंथी सरकारें सत्ता में आती रही हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने लायक बात है कि इन्हीं राज्यों में वामपंथ सशक्त होकर भी नक्सलवाद की समस्या उतनी उग्र नहीं है। पहले ही उल्लेख किया गया है कि नक्सलवाद की जड़ में भूमि सुधारों का ईमानदारी से लागू न होना एक महत्वपूर्ण कारण है।

दूसरी बात यानी नक्सलवाद का मुख्य पोषक आंध्र, बस्तर, झारखण्ड का आदिवासी और बिहार का भूमिहीन खेती मजदूर ही है। तो ऐसी स्थिति में नक्सलवाद क्यों न बना रहेगा? आदिवासियों का पीढ़ियों से शोषण होता रहा है। एक तो भूस्वामियों द्वारा उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर। दूसरा वन कर्मचारियों द्वारा। कभी लकड़ी जमा करने के नाम पर तो कभी कुछ और कारण। आदिवासियों को कानूनी मामलों में फंसा दिया जाता है। उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाता है। साहूकार उन्हें अलग ढंग से लूटते हैं। हमारी पुलिस का गरिबो के प्रति जो व्यवहार है, उस विषय के बारे में कहना ही क्या? इन लोगों की ईमानदारी से सुध लेनेवाली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। सभी पार्टियों के नेता भूस्वामियों या उच्च वर्ग से ही आते हैं। ऐसी स्थिति में नक्सलियों ने उनमें अपनी पैठ बनायी तो क्या आश्चर्य?

भारतीय वन कानून, उन्नीस वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश सत्ताधारी शासकों द्वारा बनाया गया था। इसके अनुसार वनों का वैध मालिक सन् 1865 में स्थापित वन विभाग है। लेकिन यह भी वास्तवता है कि भारत के करोड़ों लोग और विशेषतः आदिवासी(भारत में जिनकी आबादी 8.4 करोड़ है)अपने जीवनयापन के लिए पारंपरिक ढंग से तथा सदियों से जंगल पर निर्भर है। उपरोक्त कानून के अनुसार वे अनधिकृत घुसपैठिये हो गये हैं। मई 2002 में दिये गये एक उच्चतम न्यायालय के ,निर्णय के अनुसार भी ऐसे सभी लोगों से वनों/ जंगलों को मुक्त कराना है। अर्थात् वहाँ से उनको उजाड़ना है। ऐसे लोगों की संख्या पूरे भारत में एक करोड़ तक पहुँच सकतीं है। इतने विस्थापितों के पुनर्वास की बात तो कल्पना से परे है और उनके जीवनयापन के पर्यायी स्त्रोतो के विषय में किसनें सोचा है?

ऐसी स्थिति में, आदिवासी, नक्सलियों को अपना शुभचिंतक मानते हैं, शोषणमुक्ति दिलानेवाले मानते हैं। इसी कारण पुलिस को उनके विषय में सुचना नहीं मिलती। उलटा आदिवासी अपनी

परेशानियों के लिये सरकारी न्यायतंत्र की जगह नक्सल प्रभावित हिस्सों में, उनसे हि संपर्क स्थापित करते हैं|

साम्यवादी दलों का मानना है कि भारत में इस समय पुंजीवाद का युग शुरू हो चुका है| अतः उनका जोर मजदूर यूनियनों की क्रियाकलापों पर ज्यादा है| जबकि नक्सलियों के चिंतन में, इसपर अधिक जोर है कि हम अभी सामंतवाद से मुक्त नहीं हुए हैं| इस बहस का महत्व इस दृष्टि से है कि संघर्ष का स्वरूप क्या हो? संघर्ष किससे किया जाए? यह वस्तुस्थिति है कि भारतीय समाज में बड़ी संख्या में भूमिहिन मजदूर हैं और उनके जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता अभी भी भूस्वामियों में है| यानि भारत अभी भी सामंतवादी मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है| कम्युनिस्ट दर्शन के अनुसार सामंतवाद की समाप्ती पूंजीवाद करता हैं| लेकिन यहाँ तो दोनों का सहअस्तित्व है| तो सामंतवादी मनोवृत्ति से लडने का काम भी पुरोगामी शक्तियों को ही करना होगा| इस दिशा में, नक्सलवादी भूसंघर्षों को महत्व देते हैं| वे अभी भी विदमान भूस्वामियों से लडते हैं| उनसे भूमि मुक्त कराकर भूमिहीन मजदूरों का स्वामित्व स्थापित करने की वकालत करते हैं|

यह देखना मनोरंजक होगा कि जहाँ साम्यवादी दलों की शक्ति क्षीण हुई, वहीं नक्सलवाद उभरा| उदाहरण है बिहार| इससे उलट जहाँ साम्यवादी दल मजबूत बने रहें वहाँ नक्सलवाद लम्बे समय तक और बड़े भूभाग में उभर नहीं सका| दूसरी बात यानी शुरू में नक्सलियों का सामना साम्यवादी पार्टियों से हुआ| ऐसा अनुमान हैं कि जमीन सीलिंग के दायरे में पूरे देश में, जितनी जमीन का वितरण् भूमिहीनों में हुआ उसका आधा वितरण अकेले प. बंगाल में हुआ| (हितवाद : 06/07/06: Learning from the left parties by डॉ. भारत झुनझुनवाला)

जून 2006 में गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षतावाली सुरक्षा मामलों की मत्रीमंडलीय समिति के लिए एक नोट तैयार किया था, ताकि नक्सलियों के उन्मुलन के लिए हेलिकॉप्टरों का उपयोग किया जाए| इसी में आगे-‘ नक्सलवाद की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए अधिकारी ने कहा कि ये अतिवादी गुट प्रशासन और राजनीतिक निकायों की गैर- मौजूदगी के कारण उत्पन्न शून्य की स्थिति में पैदा होते हैं और काम करते हैं तथा इन्हें बुनियादी सुविधाओं की मांग करनेवाले स्थानीय शोषित लोगों का समर्थन मिलता है|

अब इस वक्तव्य से यही ध्वनित होता है कि प्रशासन के कारण उत्पन्न शून्य दोशी नहीं तो स्वत्रंतता के इतने वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनों द्वारा बुनियादी सुविधाओं की मांग करना तथा उन जनों के लिए काम करना अपराध है| (लोकमत समाचार : दैनिक :11/06/06)

फिर एक आयोग / समिति

फिर 2006 में नक्सली मामलों पर विचार करने के लिए योजना आयोग ने एक समिति बनायी| इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी डॉ. बंदोपाध्याय थे| समिति के अन्य सदस्य थे–

1) उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह
2) सतर्कता ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री अजित डोबाल
3) सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्री.बी.डी. शर्मा
4) विश्वविद्यालय अनूदान आयोग के अध्यक्ष श्री. सुखदेव थोरात
5) मानव अधिकार अधिवक्ता श्री. के.बालगोपाल

समिति के रपट में (जो अप्रैल 2008 को सरकार को सौपी गयी) नक्सलवाद के उभरने के कारण गिनाए गये–

अ) भूमि हस्तांतरण से संबंधित असंतोष (हजारों एकड़ भूमि अभी भी व्यर्थ पड़ी है)|

आ) आदिवासियों और दलितों में व्याप्त गरीबी|

इ) मूल वन उत्पादों तक उनकी पहुंच न होना|

' आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए चुनौतियां ' नामक शीर्षक की रिपोर्ट है| इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विद्यमान नीति की आलोचना है| (पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कानून 1996 तथा वन (संरक्षण) कानून 1980 जैसे शासकीय प्रावधानों के असफलताओं की ओर निर्देश है| रपट के अनुसार भूमि अर्जन कानून में 'सार्वजनिक प्रयोजन' का तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनहित मामलों तक सीमित होना चाहिए न कि कंपनियों, सहकारी संस्थाओं के लिए भूमि अर्जन| वह भूमि अर्जन(संशोधन) विधेयक 2007 के संशोधनों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है|

रपट के अनुसार नक्सलवाद योजनाकारों की अदूरदर्शिता का परिणाम है| लगातार विस्थापन, वह भी पुनर्वास हेतु किसी गंभीर प्रयत्न या दृष्टि के बिना, ने लोगों को हथियार उठाने को मजबूर कर दिया है|

एक ओर, तो मई 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज़ में स्पष्ट कहा गया है कि नक्सलियों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए तो दूसरी ओर समिति के सदस्यों का मानना है की अगर उल्फा और कश्मिरी उग्रवादियों से सरकार बातचीत कर सकती है, तो नक्सलियों से क्यों नहीं? बातचीत होनी चाहिए|

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में, ग्यारहवीं परियोजना पर बोलते हुए प्रधानमंत्री जी कहते है कि उग्रवादी समूहों में ज्यादातर वे लोग शामिल होते हैं, जो कि पिछड़े या हाशिये पर खड़े होते हैं| उनमें ऐसे क्षेत्र के लोग भी होते हैं जो दूसरे क्षेत्रों की तर्ज पर विकास नहीं कर पाते| मंत्री जी इस बात पर भी जोर देते है कि नक्सली, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है|

चाहे माननीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षतावाली 1982 में गठित समिति की रपट हो या उनका उपरोक्त भाषण या फिर दर्जनों अन्य समितियों की रपटें, नक्सली उभार के कारण वे ही हैं|

हॉ, 50 साल बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है| वही कारण बार-बार दोहराएं जाते हैं| और अब तो भूमंडलीकरण, निजीकरण आदि के कारण नये असंतोष उभर रहे हैं| हॉ, इन असंतोषों के कारण उभरे आंदोलनों को, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताकर, शासन अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेती है| अपनी नीति को ही परम सत्य मानकर उसके विरोध में उभरे स्वरों को, बल प्रयोग द्वारा दबाने के, वैचारिक आधार को भी तैयार कर लिया जाता है| परिणामतः सामान्य जन भी असहिष्णुता को अपना लेता है|

बंदोपाध्याय समिति के अनुसार नक्सलवाद एक राजनीतिक आंदोलन है| भारी शोषण ही इसका आधार है| योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन अर्थात् लाभार्थी तक इच्छित लाभ पहुँच सके, इसका निदान है| नक्सलियों को गरीब, किसान और आदिवासियों का भरपूर समर्थन मिलता है और यही उसके बढनें का मुख्य कारण भी है| बिना स्थानीय सहयोग और सहायता के, नक्सली इतना आगे नहीं बढ़ सकते| जहाँ एस.सी.; एस.टी. आबादी अधिक है, वहाँ इसके पनपने की संभावना अधिक है|

सलवा जुडुम(छत्तीसगढ़) आंदोलन बंद करने की शिफारिश समिति ने की थी| कहा था कि इससे राजनीतिक अपराधीकरण को प्रोत्साहन मिला है|

अन्य सदस्य आय. बी. के पूर्व निदेशक श्री. अजित डोबाल की माने तो पिछले पांच सालों की प्रवृत्ति को देखते हुए, हम वर्ष 2010, सुरक्षा परिदृश्य का मॉडल बना सकते हैं| उस समय 260 से अधिक जिले अर्थात् तकरीबन आधा भारत नक्सल प्रभावित होगा|

समस्याओं के, संवैधानिक मार्ग से समाधान

समस्याओं को संवैधानिक मार्ग से उठाने का, अन्याय को सामने लाने का प्रयत्न जो करते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था की पाशविकताओं के सामने झुकने से इन्कार करते हैं, उनका हस्त्र क्या होता है, इसके भी उदाहरण हमारे सामने कम नहीं हैं|

<u>बिहार</u> : बिहार की ही बात लें तो एक नाम सामने आता है, स्व. सतेंद्र दुबे| आय. आय. टी. कानपुर से इंजीनियरिंग का स्नातक बना सतेंद्र, शहापुर गांव के एक गरीब घर से यहाँ तक पहुँचा था| परिवहन मंत्रालय में सहायक अभियंता के तौर पर काम कर रहा सत्येंद्र जब स्थानान्तरण होकर कोडरमा आया तो 60 कि. मी. लम्बाई का रास्ता बनाने का तथा उस काम पर निगरानी रखने का काम उसे सौपा गया| योजना का अनुमानित खर्च था रुपये 450 करोड़| भ्रष्टाचार के आगे न झुकते हुए उसने विस्तार से इसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी| यह भी विनंती की थी कि उसका नाम गुप्त रखा जाये, अन्यथा उसकी जान को खतरा हो सकता है| लेकिन कवि हृदय वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का कार्यालय इतना संवेदनशील नहीं था| उसने क्या किया? उसका नाम गुप्त रहने की जगह सीधा उनके पास पहुँच गया जिनके विरुद्ध शिकायत थी| 27-नवम्बर, 2003 को सत्येंद्र की हत्या हो गयी| सत्येंद्र की हत्या का गवाह रिक्षावाला, जिसकी रिक्षा में हत्या हुई थी, पुछताछ के बहाने दिल्ली लाया गया| लेकिन वह वहाँ लापता हो गया, ऐसा बाद में बताया गया| मुकेंद्र पासवांन और शिवनाथ सहा इन दोनों को सी.बी. आय. ने पुछताछ के लिए अपने अधिकार में लिया था| लेकिन बाद में दोनों की विषबाधा होने से मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है| ये किसी उपन्यास के पात्र नहीं हैं| ये सारी घटनाएँ जनवरी- 2004 की हैं| अब कैसा सबूत? कैसा न्याय? (सत्याचे प्रयोग भाग-एक : एक मराठी वृत्त पत्र से) (हम इन शहीदों के प्रति संवेदना प्रकट करने क्या करें? रोएं, निःशब्द होकर् बैठें, या मुठ्ठी तानकर खड़े हो जाएं ?)

बिहार के ही शबदो गाँव में रचनात्मक कार्यों में लगे सामाजिक कार्यकर्ता सरिता और महेश की भी हत्या कर दी गयी थी| बिहार के सिवान में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या हो गयी थी|

<u>छत्तीसगढ़</u> : छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जुझारू मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या किसी उद्योगपति घराने द्वारा करवाई गयी थी, ऐसा दृढ़ विश्वास है| नियोगी ने शोषित और पिछड़े छत्तीसगढ़ के श्रमिकों में अद्भुत चेतना का संचार कर दिया था| लेकिन सभी संशयित संभ्रांत, बाइज्ज़त रिहा हो गये| 3 जून,1977 को छत्तीसगढ़ के भिलाई सयंत्र की लोह अयस्क खदान ' दल्ली राजहरा ' के खदान मजदूर, शंकर गुहा के नेतृत्व में अपने हकों के लिए सड़क पर उतरे थे| नियोगी के नेतृत्व में खड़े श्रमिक आंदोलन की यह शुरुआत थी| लेकिन शुरू में ही पुलिस फायरिंग में ग्यारह लोगों को शहादत देनी पड़ी| अपनी हत्या से 18 दिन पहले शंकर गुहा 400 मजदूरों के साथ दिल्ली आकर तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री. वेंकटरमण से मिले थे| तब भी उन्होंने अपनी हत्या की संभावना व्यक्त की थी| सी.बी.आय. की जांच के आधार पर निचली अदालत ने एक को फांसी और पांच को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी थी| जबलपुर उच्च न्यायालय ने सबको निर्दोष करार दिया| इसके

विरोध में सी.बी.आय. और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की याचिका सात साल तक सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी| सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री. के.जी. बालकृष्णन और ए. आर. लक्ष्मण की खंडपीठ ने, सुपारी लेकर चंद रुपयों के लिए हत्या करनेवाले सायकिल मिस्त्री पलटन मल्लाह को तो आजीवन कारावास की सजा सुनाईं लेकिन सिंम्पलेक्स ग्रुप तथा केडिया ग्रुप के पांच अरबपतियों (सुपारी देनेवाले) को निर्दोष घोषित किया| शहीद की पत्नी आशा गुहा नियोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख, फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की| लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया| सन् 2006 में उनके शहादत का चौदहवां साल था| पलटन मल्लाह ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण या डाका डालने के उद्देश्य से शंकर गुहा की हत्या की होगीं ऐसा तो कोई भी मान नहीं सकता| तो इस व्यवस्था में गरीब को न्याय कहा मिलेगा?

फिर भी भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान प्रदर्शिल करते हुए और जो अन्य थोड़े निर्णय हुए हैं, उनमें आशा की किरण ढूंढते हुए भी उपरोक्त और ऐसे ही अन्य शहिदों का स्मरण किये बिना नहीं रहा जाता| इनमें कोई भी नक्सली नहीं था|

देहली की जेसिका लाल की हत्या सैकडों लोगों के सामने होटल में हुई थी| लेकिन संशयित खूनी बाइज्जत रिहा हुआ और हाइकोर्ट में उसका बचाव करने, जिन्होंने वकिली पेशे से कब का सन्यास लिया था, ऐसे श्री. राम जेठमलानी पहुँच गये थे|

यह है तस्वीर, रक्तपात से घृणा करनेवाले हमारे समाज मे न्याय की| हम जी रहे हैं एक विलक्षण जहरीली हवा में| तो इसमें हिंसा के बुलबुले बिलकुल ही नहीं उठेंगे, ऐसी अपेक्षा कैसे संभव है|

‘ सवाल विकास में भागीदारी का ‘-नंदकिशोर आचार्य(लो.समाचार,नागपुर16/01/2006)

इसमें एक सवाल खड़ा किया गया है-

‘ विकास की कुछ कीमत भी देनी होती है ‘| तब मुख्य सवाल यह हो जाता है, कि विकास किसका हो रहा है और उसकी कीमत कौन दे रहा है या किससे दिलवाई जा रही है? क्या कीमत वह समूह चुका रहा है, जो इससे लाभान्वित होने जा रहा है?

समाज को एक इकाई मान लेने पर, कोई विकास पूरे समाज को लाभान्वित करेगा, यह तो ठीक है| लेकिन इस स्थिति में, इस इकाई के अलग-अलग अंग एकदूसरे के प्रति संवेदनशील होने चाहिए| विशेषतः वह जो लाभान्वित हो रहा है, उसके प्रति जिसकी कीमत पर वह लाभान्वित हो रहा है| यह सोच की हमें किसीके सीने पर पांव रखकर आगे बढने का अधिकार है और जो दबे जा रहें हैं, उनकी तो वह नियति ही है, एक संतुलित समाज निर्मित नहीं कर सकती| हमारा समाज आजतक शायद इतना संवेदनशील नहीं बन सका| परिणाम है किसीपर अन्याय, किसीका शोषण| जो जितना कमजोर होगा वह उतना ही शोषित होने के लिए संवेदनशील होगा|

14 जून 2006 के उसी समाचार पत्र में पृष्ठ चार पर निम्न शीर्षक से श्री. स्वतंत्र मिश्र का लेख है, ‘ क्या कोई अन्य विकल्प रह जाता है?’

‘ सरकार या उसकी मशीनरियों के तौर-तरीकों से, बढती बेरोजगारी की समस्या से, हिंसा की घटनाएँ बढेगी| दूसरे मायने में, लोकतंत्र को स्थापित करने में जिस बड़ी गरीब आबादी का हाथ रहा है, वे गरीब भला सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मतलब यह कि लोकतंत्र और अपनी भूख को बचाने के लिए वे हथियार उठाते हैं, तॉ इसपर किसी को गुरेज़ नहीं होना चाहिए| “

यह किसी उग्रवादी की अपने दर्शन को उचित ठहराने के लिए दी गयी दलील या इश्तिहार नहीं है|

जेरीमी सी. ब्रुक की पुस्तक से ऊर्दू टाइम्स ने एक जगह कुछ बातें उद्ऋत की हैं -‘ दुनिया में केवल तीन लोगों, बिल गेट्स (अमेरिका), ब्रुनेई के सुल्तान और वॉल मार्ट (अमेरिका) के परिवारों के पास 150 अरब डॉलर की सम्पत्ति जमा है| बाकी अमीरों की बात छोड़ दो| ‘

ऊर्दू टाइम्स ने आगे संयुक्त राष्ट्र की मईः 2006 में जारी रिपोर्ट से कुछ बातें प्रस्तुत की हैं-

1) दुनिया की पुरी आबादी को पीने के साफ और ताज़े पानी की आपूर्ति का अतिरिक्त खर्च मात्र नौ अरब डॉलर होगा|
2) अगर 13 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च किये जाए तो दुनिया के नंगों, भूखों को ये चीजें उपलब्ध करायी जा सकती हैं|
3) दुनिया से अशिक्षा मिटाने का खर्च तो महज़ 6 अरब डॉलर होगा|

इस तरह 28 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च से दुनिया की पीड़ा के बुनियादी कारणों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है| जबकि अमेरिका का सालाना जंगी बजट ही खरबों डॉलर का है| इराक पर अपना कब्जा जमाने के लिए पिछले तीन सालों में वह 270 अरब डॉलर फूंक चुका है| अर्थात् दुनिया में दीन-दुखियों का कारण संसाधनों की अनुपलब्धता नहीं तो उनका असमान वितरण और गलत कामों के लिए उपयोग किया जाना है| मनुष्य जाति का शोषण है, दुनिया का वैश्विकरण, चाहे उसे कितने ही आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाए| लेकिन जब तक उपरोक्त बातोँ के प्रति संवेदना और दुनिया के लोगों में जागृति नहीं बढेगी, दुनियावासियों को, जबरदस्ती से थोपी गयी पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी| दुनिया अगर इतनी विषम है तो वह हिंसात्मक प्रतिरोधों के बीजों से मुक्त रहेगी, यह सोच हकीकत नहीं हो सकती|

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह

भारत के प्रधानमंत्री रहें, माननीय व्हि. पी. सिंह ने जब अपनी आयु के 75 वर्ष पूरे किये, तब अपने जन्मदिन पर आयोजित समारोह मे उन्होंने, गरीब और कुचले हुए लोगों को, राजनीतिक ताकत बनने के लिए सीख देते हुए कहा, ‘ यदि बार-बार अपील, आवेदन और याचिका देने बावजूद, व्यवस्था से उनको अगर अधिकार न मीले, तो उसे छीन ले.....कई बार मुझे लगता है कि मैं सिस्टम से लड़ने के लिए हथियार उठा लूं| लेकिन हथियार उठाने की मेरी उम्र नहीं रही| (लो.समाचार : 06/07/06)

संपादकीय आगे कहता है-

देश का प्रधानमन्त्रि रह चुका और गांधीवादी विचारधारा को माननेवाला व्यक्ति इतना असंतुलित बयान कैसे दे सकता है?.... यह ठीक है कि आजादी के 56-57 साल बीत जाने पर भी, देश का बडा वर्ग, दलित, पिछड़े और आदिवासी, सामाजिक न्याय पाने से वंचित हैं| लेकिन यह भी एक बडा सच है कि आजादी के बाद इस वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए, देश की यही लोकतांत्रिक व्यवस्था सतत प्रयत्नशील है| .....यह व्यवस्था समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने न्यायपूर्ण अधिकार दिलाने मे सक्षम है|.....लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है|'

श्री. व्ही. पी. सिंह के ये शब्द शायद यही भावना व्यक्त करते हैं कि आर्थिक-सामाजिक न्याय इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से मिले| लेकिन वह उनका धैर्य समाप्त होने के पहले मिले| इसके लिए हम सबकी भी शुभकामनाएं हैं| न कि इसके लिए कि हथियार लेकर हत्याओं का दौर शुरू हो| लेकिन इसके लिए व्यवस्था को अपनी सक्षमता की अनुभूति तो दिलानी होगी| उपरोक्त शब्द शायद उस पीड़ा को व्यक्त करते हैं जो इस सिस्टम के बार-बार असफल होने के कारण उठती है|

नक्सलवाद का भविष्य

दुनिया में भीषण विषमता है, शोषण है, अत्याचार है| मनुष्य ही शोषण मुक्त और समानता पर आधारित समाज के निर्माण का स्वप्न देखता है| शायद ही कोई मनुष्य यह इच्छा रखे कि समाज में रोज हजारों लोग जीवन-संघर्ष में हारकर आत्महत्याओं के लिए प्रवृत हों| मनुष्य की वेदनाओं का बहुत बडा, नहीं सबसे बड़ा कारण संसाधनों का विषम वितरण ही है| मनुष्य स्वभाव की अपनी कमजोरियॉं हैं| वह जानकर भी अपने निहित स्वार्थों को तिलांजलि देने तैयार नहीं होता| परिणाम है शोषणयुक्त समाज| इसलिए कुछ लोगों को आगे आकर उसके विरुद्ध अपना सबकुछ दांव पर लगा देना पड़ता है| उस ध्येयप्राप्ति के मार्गों के विषय में सैकड़ों विचार हैं| ऐसा ही एक विचार नक्सली रखते हैं| लेकिन उनके इस विश्वास का भविष्य क्या है? इसपर सोचा जा सकता है|

1) इस आंदोलन को वैचारिक पृष्ठभूमि कॉ. चारू मुजुमदार ने प्रदान की थी| चारु के विचारों को कट्टरता के साथ अपनानेवाले तथा शुरू में उनके निकट सहयोगी रहें कई नक्सली नेताओं की ओर देखा जायें तो हमें क्या दिखेगा -

अ) कई नेता संघर्ष के दौरान मारे गये| आज भी नक्सली, पुलिस और प्रशासन के साथ संघर्ष में मारे जा रहे हैं| इन 50 वर्षों में कोई विशेष अंतर नहीं आया| इसका कारण यही है कि क्रांति के लिए परिपक्व वातावरण बनाने की तैयारी और प्रत्यक्ष क्रांति की शुरुआत इनमें वे फर्क नहीं कर सके और एक तरह से आत्महत्या की ओर प्रवृत हुए|

आ) कई नेता एक तरह की निवृत्ति की ओर अग्रसर हुए|

इ) बाद में बड़े-बड़े नेताओं ने चारू के मूल रास्ते की खांमियों को दिखाना शुरू किया| जो शुरू से आखरी तक उस दिशा से विचलित नहीं हुए उनमें महत्वपूर्ण दो ही नाम बताये जा सकते हैं| एक, आंध्र के कॉ. के.के.सीतारामय्या और केरल के कॉ.के.के.वेणु| जहॉं तक कार्यरत गुटों का संबंध है, सीतारामय्या का पीपुल्स वॉर ग्रुप तथा बिहार में कार्यरत माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर|

एकदम शुरू में नक्लसवादी गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप देनेवाले कॉ. कनु सन्याल से लेकर तो जिन्होंने सीतारामैया के कारावास के दरम्यान पीपुल्स वॉर ग्रुप का नेतृत्व किया था वे कॉ. के.जी. सत्यमूर्ति तक, कॉ. असीम चॅटर्जी, सन्तोष राणा, चंद्रपुल्ला रेड्डी, सत्यनारायण सिंह, महादेव मुखर्जी, विनोद मिश्रा और ऐसे कई नाम गिनाये जा सकते हैं| ये तो अपने सिद्धान्तों के लिए जान हथेली पर लेकर निकले लोग थे| लेकिन उन्हें अंततः उन्हीं सिद्धान्तों में खामियां दिखाई देने लगीं| तो इसका संबंध किसी अन्य वास्तविकता से होना चाहिए| इनमें से कइयों ने तो अंततः चुनाव का समर्थन करना भी शुरू किया था|

2) नक्सलवादी आंदोलन गुटों में बॅटता ही चला गया| गुटों की गिनती करना भी कठिन काम है| 2006 के शुरू के अनुमान के अनुसार देश में 39 गुट कार्यरत थे| यह सब क्यों? कोई भी इस आंदोलन से यह प्रश्न पूछेगा कि जो स्वयं इकठ्ठे नहीं रह सकते या सके वे समाज को नईं दिशा क्या देंगे? आपके पास क्या उत्तर है?

कारण है व्यक्तियों के अहं की टकराट या सिद्धान्तों के प्रति पोंगा पण्डिताई और शब्दच्छल| दोनों भी तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटका ही देंगे|

3) यह आंदोलन शुरू हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं| यानी आज की गति के हिसाब से दो पीढियॉं बीत चुकी हैं| बीसवी सदी में हुई किसी भी वामपंथी क्रांति को सत्ता तक पहुँचने या कहे तो उद्देश्य तक पहुँचने, इतना समय नहीं लगा| लेकिन नक्सलवादी आंदोलन इतने लम्बे समय में, न भौगोलिक दृष्टि से अपना यथोचित फैलाव करने में, न भारतीय जनता में उसी पैमाने पर क्रियात्मक न सही, वैचारिक सहानुभूति तक को उत्पन्न करने में सफल हुआ है| जान हथेली पर लेकर निकले युवकों का क्षितिज विस्तारित होना चाहिए| उन्हें तो पुरे समाज को पुरोगामी दिशा में ले जाना है| न कि एक छोटे से दायरे में अपने को बंद कर कें हप्ता वसुलनेवाले एक गुट का रूप देने में| लेकिन--

यह तभी संभव है जब तुम अपने को आसेतु हिमालय फैले समाज में मिला दोगे| इसे ही ' समाज के प्रमुख प्रवाह में शामिल होना ' कहा जाता है| ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नक्सलियों के साथ शांति वार्ताएं विफल हो चुकी हैं| वे सफल हो ही नहीं सकतीं| जबतक नक्सलवादी ही नहीं चाहेंगे कि उनका आतंक समाप्त हो | यदि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता कर लिया तो एक बड़े भूभाग पर उनकी समानांतर सत्ता समाप्त हो जायेगी|

लेकिन मैं नहीं समझता की ऐसी तंग दृष्टि रखकर कोई क्रांति की जा सकती है| अगर यही दृष्टि है तो समाज बदलाव की दृष्टि से वह कोई क्रांतिकारी परिणाम नहीं दे सकती| वह एक हफ्ता वसूली करनेवाला गुट बनकर ही रह जाएगा| समाज क्रांति की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं| उसपर सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है| यहाँ, हाल में नेपाल के माओवादी नेता कॉ. प्रचंड की दूरदृष्टि और गहरी सोच की ओर देखना ही होगा| दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई क्रांतिकारी पार्टी जिसने दस साल तक सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक अत्यंत पिछड़ी समाज व्यवस्था से सामन्तवाद की जड़ें काट डालीं और बाद में शहर की ओर रूख किया तथा अब अपनी जनमुक्ति सेना को भंग किए बिना एक ऐसी व्यवस्था में शामिल होने जा रही है, जिसमें संसदीय पार्टियॉं भी शामिल हैं और सब मिलकर आनेवाले दिनो में नेपाल के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है| क्या यह इक्कीसवीं सदी में क्रांति को नया अर्थ देने की कवायद नहीं है? इसी का परिणाम है कि जो व्यक्ति कल तक यह मानता था कि नेपाल की राजशाही और सांसदीय पार्टियों का ' माओवादी आतंकवाद ' को मुकाबला करना चाहिए| आज उनके विचारों में कितना परिवर्तन हुआ है|

19 नवम्बर 2006 को प्रचंड के सम्मान में, जनता दल (यू) के नेता श्री. शरद् यादव के निवास पर आयोजित दोपहर के भोजन के अवसर पर भारत के दो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रियों द्वारा व्यक्त विचार सुनिए-

' सरकारें तो बदलती रहती हैं, पर आपने इतिहास बदल दिया'- श्री. व्हि.पी. सिंह

' मैंने क्रांतियों का इतिहास और क्रांतियों के बारे में काफी पढ़ा है, लेकिन क्रांति को देखने का मौका कभी नहीं मिला| आपने हमें वह मौका दिया–श्री.इन्द्रकुमार गुजराल

4) नक्सलवादी आंदोलन का जो आधार है वह भूमि सुधार है| यह सच है कि भारत में भूमि सुधार पर ईमानदारी से अंमल नहीं हुआ| लेकिन यह भी सत्य है कि आज भारत में सामन्तवाद का स्वरूप बहुत ही सिमट गया| आज देश के बहुत बड़े भूभाग पर सामन्तों का कब्जा नहीं है| प्रमुख समस्या सामन्तवाद के उन्मूलन की नहीं है| समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समय-समय पर जो योजनायें बनायी जाती हैं, उनके प्रति प्रशासन की उदासीनता तथा भ्रष्टाचार की| सीमित दायरे में हिंसा का सहारा लेकर इन समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता| आज इस ढंग से आप प्रयत्न करोगे तो दस लोग एकत्रित होगे| लेकिन दरम्यान इन दस लोगों को प्रशासन धीरे-धीरे, अपने बल के सहारे नामशेष कर देगा| तुम्हारा प्रयत्न भी अधुरा रहेगा और स्थिति भी पूर्ववत हो जाएगी| तुम्हारे उद्देश्य को भी बदनाम किया जाएगा| आवश्यकता है पूरे समाज में इन बुराइयों के प्रति जागृति उत्पन्न करने की| आज निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का अकाल है| नक्सलवादियों को व्यक्तिगत स्वार्थ के प्रति समर्पित गुट नहीं कहा जा सकता| अतः उपरोक्त मिशन के लिए वे पूरी तरह अपने आपको समर्पित कर सकते हैं, अगर उनमें इस दिशा में सोच उत्पन्न हो तो| सशस्त्र संघर्ष अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका|

5) आज जो दूसरी समस्या है वह है ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष कृषि उत्पादकता बढ़ाने की तथा वहाँ औद्योगीकरण करने की| लेकिन वैचारिक दृष्टि से नक्सली चाहते हैं कि जमीनें छीनकर, उसके छोटे टुकड़े कर, उन्हें भूमिहीनों में बांट दिये जायें| नक्सलियों का विचार तथा उनकी गतिविधियां दोनों ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से विरोधी सिद्ध हो रही हैं| जबतक ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादकता नहीं बढेगी, सुखमय ग्रामीण अंचलों की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? अतः नक्सलवादी सोच भी वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाती| इस कारण व्यापक तौर पर ग्रामीण तबका उनके साथ जुड नहीं पाता|

6) आधुनिक समाज में, हिंसा का तर्क, आम जनता को आकर्षित करने में असफल रहा है|

7) आपका संगठन आधुनिक सत्ता शक्ति के सामनें बिलकुल ही बौना है| आज तो आपकी जैसी गतिविधियों के विरोध को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो चुका है|

8) नेपाल में माओवाद के विषय में बहुत कुछ पहले ही कहा जा चुका है| भारत में नक्सलियों की 49 (उस समय) सालों की उपलब्धियॉ तो नेपाल के माओवादियों की 10 साल की उपलब्धी के सामनें नगण्य हैं| फिर नक्सलवादी, भारत में अपने लक्ष्य तक कब पहुचेंगें?

वैसे नक्सलवाद के उभार के शुरू में ही माओ के चीन ने नक्सलियों को नसीहत दी थी कि यहाँ की स्थितियॉ, चीन की स्थितियों से अलग हैं| अतः चीन का अध्यक्ष, यहाँ की जनता का अध्यक्ष नहीं हो सकता| यहाँ का आंदोलन, यहाँ की जमीन से जुड़ा होना चाहिए| जिस तरह हर जमीन की स्थितियॉं, आवश्यकताएं अलग होतीं हैं, उसी तरह समय के साथ भी स्थितियों में फर्क हो सकता है| जनता का आंदोलन न सिर्फ जमीन के साथ, बल्कि समय के साथ भी जुड़ा होना चाहिए|

9) यहाँ क्यूबा क्रांति के एक महानायक चे ग्वेवारा का एक कथन उधृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा- ‘ मनुष्य को जबतक अपनी समस्याओं का कोई भी शांतिपूर्ण उपाय सूझता है, तब तक वह रक्तपात पर उतारू नहीं होता और यही कारण है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में आजतक रक्तिम क्रांति

नहीं हो पायी| रक्तिम क्रांतियों का इतिहास तानाशाही शासकों के साथ जुड़ा रहा है| इसी कारण भोले-भाले मासूम लोग एक आतंक से मुक्ति पाने के चक्कर में, दूसरे आतंक के चंगुल मे फंसते रहे हैं| '

चे भी क्रांति के अंतिम लक्ष के रूप में मनुष्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखना चाहता था और रक्तपात को ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग नहीं मानता था|

भारत की जनता की मानसिकता में प्रजातंत्र और लोकशाही के प्रति लगाव है, यह पिछले साठ सालों में घटीं कई घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है| अतः यहाँ रक्तिम क्रांति की बात सोचना कोई मायने नहीं रखता|

नक्सली नौजवानों के अनुसार, अन्याय का प्रतिकार करने का दूसरा कोई रास्ता न रहने के कारण मजबूरन उन्हें यह मार्ग अपनाना पड़ा| इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि नक्सली नौजवान ऐसे देशभक्त हैं, जिन्होंने उच्च आदर्शों के लिए गलत रास्ता अपना लिया है| लेकिन इन नौजवानों को भविष्य के लिए जरूर सोचना होगा|

नक्सली समस्या : दो दृष्टिकोण

प्रत्यक्ष प्रशासन और सरकार में भी इस समस्या के प्रति दो दृष्टिकोण हैं|

1) यह शुद्ध कानून और व्यवस्था की समस्या है| पुलिस बलों की तैनाती से इसका समाधान हो सकता है| इसी कारण यह दृष्टिकोण अपनानेवालों का नक्सलियों के साथ किसी भी ढंग की नरमी बरतने या संवाद स्थापित करने को विरोध है| पुलिस तथा प्रशासनिक महकमे में ऐसी दृष्टि रखनेवालों की संख्या अधिक है| ऐसे लोगों के दबाव के कारण हीं शायद प्रशासन तथा नक्सलियों के बीच, किसी समय शुरू हुई वार्ता, टूट गयी थी|

पहले नक्सलवाद को व्यवस्था परिवर्तन के लिए हिंसा समर्थक वाद तथा उग्रवाद कहा जाता था| आज ' आतंकवाद ' शब्द जिन क्रियाकलापों से जुड़ा है, उस अर्थ में नक्सलवाद को ' आतंकवाद ' के साथ नहीं जोड़ा जाता| इसका एक कारण यह भी था कि आतंकवाद के निशाने पर प्रमुखता से निरपराध जनता ही है, वैसा नक्सलियों के साथ नहीं था| लेकिन श्री. अटलबिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में बनी राजग की सरकार की कालावधि में यह प्रयास बड़े जोर-शोर से किया गया| उस सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानना शुरू कर दिया| उससे जुड़े अन्य वास्तव कारणों, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि को पूर्णतः नकार देना शुरू हो गया| पूरे वामपंथ को अपना प्रमुख शत्रु माननेवाले दर्शन से ओत-प्रोत सत्ता का यह प्रयत्न स्वाभाविक ही है|

5 सितम्बर 2006 को केंद्र सरकार ने ' आतंकवाद और नक्सलवाद ' की समस्या को लेकर मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की| ऐसा बताया जाता है कि इस बैठक में किसी मुख्यमंत्री द्वारा जोरदार तरीके से यह पुछा गया कि नक्सलवाद और आतंकवाद को एकसाथ जोड़े जाने का क्या उद्देश्य है? कैसे नक्सलवाद और आतंकवाद एक हो गये? जबकि सरकार स्वयं ही इन्कार करती है कि नक्सलवाद को कोई बाहरी मदद है|

(देखिए यह वक्तव्य-16 एप्रिल 2006)

केंद्र ने आज कहा कि देश में सक्रिय नक्सलियों के विदेशी ताकतों के साथ संबंधों के कोई प्रमाण नहीं हैं इसलिए उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता| केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री. प्रकाश जयसवाल ने दूरदर्शन के साथ ' शांति और युद्ध ' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नक्सलवादी राष्ट्र विरोधी नहीं है| (लो. समाचार 17-4-2006)

2) दूसरी दृष्टि है सामाजिक, आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन के सिवाय इसका समाधान असंभव है|

जहां नक्सलवाद शक्तिशाली है, वहाँ–

अ) वे हिस्से विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं|

आ) वहां शोषित कृषि मजदूरों के रूप में अनुसूचित जातियां या फिर पिछड़ी जनजातियों बहुतायत में हैं| आदिवासी अपनी जमीनों से तथा संस्कृति से वंचित होते जा रहे हैं|

और इन बातों के लिए उत्तरदायी है--

1) भ्रष्ट प्रशासन

2) मानवीय संवेदनाओं से हीन विकास संबंधी दृष्टिकोण|

ऐसा भी कहा जाता है कि नक्सलियों को सशस्त्र संघर्ष का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ वार्ता शुरू करनी चाहिए तथा राजनीति के प्रमुख प्रवाह में मिलकर लोकतंत्र को अपनाना चाहिए|

आज समाज जिस अवस्था में है, उसका भविष्य क्या होगा, इसपर दोनों दृष्टिकोण रखनेवालों को आज नहीं तो कल चिंतन करना ही होगा| हिंसा का समर्थन करनेवालों को भी, क्योंकि आज के माहौल में यह रास्ता, एक अंधा कुआं ही है| उन्हें भी, जो इस रास्ते के प्रति नाक-भौंहें सिकोड़ते हैं| शोषण, शोषित, पीड़ित इनके प्रति जिनमें संवेदना हो, ऐसी अपेक्षा की जाती हैं उन्हें भी| कहीं ऐसा न हो कि समाज के किसी हिस्से को हिंसा के रास्ते पर इतना आगे निकल जाना पडे कि उसका मूल्य पूरे समाज को चुकाना पडे|

नक्सलवाद प्रभावित हिस्सों के विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए कई अध्ययन गुट बनाएं गएं, लेकिन फिर भी 2006 के एक समाचार से ऐसा लगता है कि पिछले तीन वर्षों में, 9 राज्यों के 55 जिलों के लिए 2239 करोड़ रुपये उपलब्ध करायें गये थे| लेकिन उनमें से केवल 990 करोड़ ही खर्च हो पाये|

इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते?

एक प्रश्न यह उठ सकता है कि इतने सालों की नक्सली गतिविधियों के परिणाम स्वरूप आदिवासी और शोषितों को न्याय मिलने के प्रति जो सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, यदि नक्सलियों ने अपनी गतिविधियां समाप्त कर दीं तो उन परिणामों को भी तो कहीं खो नहीं देना पड़ेगा?

क्या शोषित, पूर्व स्थिति में तो नहीं पहुँच जाएंगे? लेकिन आज स्थिति ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी है कि अन्य सामाजिक शक्तियों के साथ मिलकर, उपरोक्त संभावना को रोका जा सकता है|

देखें भविष्य कहा ले जाता है?

2009 का वैश्विक समाज और लोकतंत्र

इस वर्ष अर्थात् 2009 में, इतिहास की सर्वाधिक जनतांत्रिक गतिविधियां होने जा रही हैं| अर्थात् चुनाव में सामान्य जनों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी| आईए, इन पर हम एक नज़र डालें–

1) दुनिया के लगभग 250 करोड़ लोग, उन पर शासन करनेवाली सत्ताओं का चुनाव करेंगे|
2) इसमें अकेले भारत के लगभग 72 करोड़ मतदाता हैं|
3) ये प्रत्यक्ष चुनाव 64 देशों में होने जा रहे हैं|
4) इसके अतिरिक्त पांच देशों में चुनाव का स्वरूप अप्रत्यक्ष होगा| उदा. जर्मनी आदि में|
5) 14 देशों में, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर, आम जनता अपनी राय, मतों के माध्यम से व्यक्त करेगी| इसमें स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क तथा इराक होगे| इराक में, जनता अपनी राय उस संधि के विषय में व्यक्त करेगी जो इराकी सरकार और अमेरिका के बीच हुईं है| इस संधि के अंतर्गत ही अमेरिकी सेना वहाँ है|
6) लिचटेंस्टीन जैसे केवल 37000 आबादी वाले देश से लेकर, भारत जैसे विशाल देश चुनाव प्रक्रिया से गुजरनेवाले हैं| अन्य छोटे द्धीप जैसे देश हैं- ॲंडोरा, इसकी आबादी 83,000 है| कोमोरस, फ्रेंच पोलिनेशिया|
7) सोमालिलैंड यह कभी सोमालिया का एक प्रान्त हुआ करता था| लेकिन 1991 में उसने अपने आपको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया| दुनिया के किसी भी राष्ट्र ने उसे मान्यता नहीं दी है| फिर भी हर पांच साल बाद वह अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराता है|
8) अफ्रीका के कई अत्यंत पिछड़े देश हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक खूनी युद्धों की त्रासदी झेली है| जैसे कि सुदान, जहाँ के डारफर प्रदेश में युद्ध ने पिछले दशक में 4 लाख लोगों की बलि ली है| साथ में सुखा तो है ही| पडोस के ही ' चाड ' देश में 200, 000 डारफन, शरणार्थी बनकर रह रहे हैं| कच्चे माल के लिए प्रसिद्ध, रिपब्लिक ऑफ़ कांगो है| ये सारे देश चुनाव की ओर मुड़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि लम्बे संघर्ष से मुक्ति मिले|
9) इस्त्राइल (फरवरी 2010) और एल. सल्वाडोर में तो वर्ष के शुरू-शुरू में चुनाव हो चुके हैं|

   अन्य देश हैं इरान, अफगानिस्तान, जापान, पॅलेस्टाईन, मेक्सिको जहाँ चुनाव हो रहे हैं|

10) भौगोलिक दृष्टि से देखने पर, चुनाव की शरण में जानेवाले देशों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले कांगो और आयवरी कोस्ट से लेकर, तो अति शीत प्रदेश ग्रीनलैंड तक के, अपने विशिष्ट समुद्र किनारों वाले न्यू कॅलिडोनिया से लेकर आर्जेन्टीना तक 64 देश चुनाव के लिए तैयार हैं|

11) यूरोपीयन यूनियन पार्लियामेंट, जो 27 देशों के लगभग 50 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, के लिए भी चुनाव होने हैं|

12) दक्षिण अमेरिका के आर्जेन्टीना और चिली, पूर्व यूरोप में बल्गेरिया, माल्दोवा, रुमानिया, स्लोवाकिया तथा मेसेडोनिया भी, इसी वर्ष चुनाव प्रक्रिया से गुजरेंगे|

13) भारत में, आम चुनावों मे हमेशा लगभग 60% सामान्य जन हिस्सा लेते हैं|

भारत में लोकसभा चुनाव 2009 --

नक्सलियों ने अपने प्रभाववाले क्षेत्र में इस चुनाव दरम्यान बाधा पहुचाने की कोशिश की| मतदान न करने के लिए लोगों को आगाह किया| माओवादियों ने इस दरम्यान सुरक्षा बलों को निशाना बनाया| प्रथम दौर के मतदान के पूर्व या दरम्यान 30 सुरक्षा कर्मी और 25 नक्सली मारे गये| पांच मतदान कर्मचारी भी मारे गये| मध्यप्रदेश में राजनांदगाँव जिले के फुलेवाडा गांव के पास चुनाव कार्य में तैनात अधिकारी ए. के. आचार्य की जीप को बारुदी सुरंग से उड़ा दिया| मतदान के पहले दिन अर्थात् 16 अप्रैल 2009 को 20 जगह गोलाबारी और 12 जगह विस्फोट किये| उस दिन 19 लोग मारे गये| फिर भी इस क्षेत्र के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया| यहाँ के मतदान प्रतिशत में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में विशेष कमी नहीं आयी|

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2009 : गढचिरौली जिला

इस दरम्यान माओवादियों ने कई जगह चुनाव कर्मी, सुरक्षा कर्मी, एटापल्ली तहसील का कोटमी मतदान केंद्र, कोरची तहसील का मरकेकसा मतदान केंद्र आदि पर गोलाबारी की| फिर भी जिले में मतदान का प्रतिशत 70 रहा|

संसद में माओवादी---

2009 के सांसदीय चुनावों में झारखंड के पलामू से चुने गये सांसद है कामेश्वर बैठा| उन्होंने यह चुनाव रोहतास जेल में बंद रहते हुए जीता है| वे सांसद बनने से पहले उग्रवादी थे| वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनकर आये|

विद्यमान उग्रवादी आंदोलन के विषय में, शुरुआती दौर के नक्सली नेता असीम चॅटर्जी उर्फ काका कहते है, " माओवादी आम जनता को अपने साथ लेने के लिए हथियारों का सहारा ले रहे हैं| यह कोई जन आंदोलन नहीं है| मैं उनके संघर्ष से सहमत नहीं हूं|.....किसी पार्टी के लिए उग्रवाद, क्रांति का आधार नहीं बन सकता| "

यह माना जा सकता है कि यह चुनाव प्रक्रिया निर्दोष नहीं है| कईं जगह केवल खानापूर्ति ही है| फिर भी गरीबी से अभिशप्त देशों तक में सामान्य जन इसमें हिस्सा लेते हैं तो वे उसकी ओर एक अच्छे भविष्य निर्माण के माध्यम के रूप में ही देखते हैं| आज लोग उसकी खामियों से अनभिज्ञ हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता| फिर भी वे, कल की दुनिया के लिये एक अटल विकल्प के रूप में इसे मान्य कर रहे हैं| हर प्रक्रिया, उत्क्रांती के रूप में परिष्कृत होते-होते ही अपने उत्तम रूप तक पहुचती है|

समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी होगा| समाधान तक पहुचनेवाले रास्ते भी होगें| हिंसक छिना-झपटी उनमें से एक हो सकता है| लेकिन केवल वही एक अकेला रास्ता नहीं हो सकता| समय और वर्तमान स्थिति के अनुरूप रास्ते का चयन करना आवश्यक है|

समाज के आम सदस्यों की रुचि विद्यमान व्यवस्था भंग करने में नहीं होती| उन्हें केवल विकास चाहिए| उन्हें अपना जीवन, गुजरे कल की तुलना में, आज अधिक सहनीय चाहिए| यह अगर शांति के रास्ते संभव होगा तो वे शांति का मार्ग ही चुनेंगे| क्रांति का स्वरूप राजकीय ही हो सकता है अर्थात् सत्ता हस्तांतरण| लेकिन उस क्रांति के माध्यम से आपको जो व्यवस्था बदलनी है वह एकाएक नहीं बदलती| उसका अन्तरण उत्क्रांति के मार्ग से ही होगा| इसलिए महान क्रातियों को भी अपना रास्ता उस समय विद्यमान व्यवस्था के सहारे ही तय करना पड़ा| नयी व्यवस्था को आकार न देकर या उसे आकार प्राप्त होने से पहले विद्यमान व्यवस्था का भंजन, क्या परिणाम देता है, यह सोवियत यूनियन के विघटन से स्पष्ट है| भारत जैसे बड़े देश और समाज के लिए भविष्य की व्यवस्था का विस्तृत कार्यक्रम माओवादियों ने पिछले 50 वर्षो में प्रस्तुत नहीं किया| माओवादी चिंतकों द्वारा समय-समय पर प्रकट किये गये विचार क्या भविष्य की योजना की स्पष्ट रुपरेखा के लिए काफी है ? क्रांति के आगे बढ़ने के साथ-साथ नयी व्यवस्था अपने आप आकार ग्रहण करती रहेगी, ऐसी सोच भी हो सकती है| लेकिन यह केवल भ्रम है| और भ्रम के आधार पर विकास नहीं होता| माओवादियों ने मुक्त क्षेत्र घोषित किये हैं| हो सकता है उसमे उन्होंने कुछ विकास कार्यक्रम चलाये हों| लेकिन क्या वे, आज देश जिस गति से और जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, उससॅे बराबरी कर सकते हैं? फिर क्यों, जिनके हितैषी होने का दावा किया जाता है, उनका खासा विकास होने की स्थिति आज अगर उत्पन्न हो सकती है, तो उसे रोका जाएं| उन्हें विकास की संभाव्य गति का लाभ क्यों न मिलने दिया जाये? क्यों न उसपर विद्यमान सत्ता के साथ बातचीत हो? क्यों उनका विकास अनिश्चित और असंभवनीय भविष्य के सुपुर्द किया जाएँ?

मानवी हकों के लिए, प्रगतिशील आंदोलन को आदर्श होना चाहिए| लेकिन हिंसा तो उनका माखौल उडाती है| केवल शंका के आधार पर, मुखबिर है इसलिए अगर हत्याएं होती हैं और बाद में लगभग आधे से अधिक व्यक्ति निरपराध पाये जाते हैं, तो मारे गये व्यक्ति के लिए तुम्हारी क्रांति का क्या महत्व है? क्रांति के लिए पायी जानेवाली अंधश्रद्धा के कारण, बलि किसी और की ली जा रही है|

नक्सलवादी आंदोलन को जहां भी समर्थन मिला वह उनके द्वारा किए हुए लोकाभिमुख और शोषित जनों के लिए किए गये कामों के कारण|, न कि उनके हिंसक क्रांति के सिद्धांत के कारण| लेकिन पिछले दिनों की गतिविधियां देखने से ऐसा लगता है, सकारात्मक कामों का स्थान अधिकाधिक हिंसा लेती जा रही है| ऐसा लग रहा है, आज माओवादी नेतृत्व हिंसा के माध्यम से समाज का ध्यान अपनी ओर खींचने में लिप्त है| सशस्त्र संघर्ष में, घात-प्रतिघातों की कड़ियों में मूल उद्देश्य गौण होकर, हिंसा, अधिक उग्र हिंसा केंद्र में आ रही है| ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में उनकी समस्याएं माओवादियों की तरह, इतनी लगन से किसी और राजनीतिक दल या संगठन ने नहीं उठायीं| इसी कारण वे वहाँ शुरू में लोकप्रिय हुए| एकदम दूरदराज की पिछडी असहाय जनता में एकता और जागृति उत्पन्न करना यह माओवादियों का उस समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है| लेकिन आज अस्पष्ट राजकीय कार्यक्रम और केवल हिंसात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना यह उनकी बड़ी कमजोरी बन गयी है|

नक्सलवादियों ने, उनके विरुद्ध शुरू किए जा रहे केंद्रीय अभियान के विरोध में, 12-13 अक्तुबर को प. बंगाल, बिहार, झारखंड में बंद का आवाहन किया था| उसमें अन्य हिंसक गतिविधियों के साथ यह भी हुआ| झारखंड के पानेम कोल कंपनी के कार्यकारी निदेशक दीनानाथ शरण और एक नीजी कंपनी के खनन प्रबंधक शीतलप्रसाद की सुबह साढ़े पांच बजे गोलियों से हत्या कर दी गयी| उस समय वे सुबह की सैर पर निकले थे| मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्तियों की हत्या से क्रांति को क्या प्राप्त होना है? निर्दोषों की हत्याएं अततः आंदोलन को कमजोर करती हैं इसका स्पष्ट उदाहरण है, सिख उग्रवादियों का संघर्ष| हिंसा का दौर कईं सालों तक चलाया लेकिन निरपराधियों की हत्याओं ने अंततः सामान्य जनों को भी उसके विरुद्ध खड़ा होने को मजबूर किया और परिणामतः आंदोलन मृत हो गया|

लिट्टे का पतन

लम्बे समय तक केवल और केवल हिंसा का समर्थन और पोषण, अंत में आत्मघाती ही होता है, इसका दूसरा और स्पष्ट उदाहरण है लिट्टे का संघर्ष| तीस साल लिट्टे ने दुर्दांत तरीके से हत्याओं का दौर चलाया| संघर्ष शुरू हुआ सिंहली नस्लवाद के विरुद्ध| अगर लिट्टे ने नॉर्वे की मध्यस्थता का यथोचित लाभ उठाया होता तो वह तमिलों के लिए काफी कुछ प्राप्त कर सकता था| 24 हज़ार सैनिक, 22 हज़ार गुरिल्ले, 25 हज़ार नागरिक इस संघर्ष के बलि चढ़े| लगभग 29 हज़ार सैनिक जख्मी हुए| गुरिल्ले और नागरिकों का हिसाब किसने रखा? 18 मई 2009 को लिट्टे की अंतिम रक्षा पंक्ति ढह गयी और तमिल छापामार संगठन का प्रमुख व्हि. प्रभाकरन मार दिया गया| 30 सालों का गृहयुद्ध और लिट्टे समाप्त हो गया| लेकिन संघर्ष का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ| स्पष्ट उद्देश्य था ही कौनसा? तमिलों के हिस्से में परेशानियॉं और केवल परेशानियॉं ही आयीँ| नॉर्वे की मध्यस्थता का लाभ उठाकर, न्यायोचित मांगें मनवाकर लिट्टे को देश की मुख्य धारा में आ जाना चाहिए था| लेकिन शायद एक बार लगा हिंसा का चस्का ऐसा नहीं होने देता|

2009 नवम्बर का, झारखंड विधानसभा चुनाव और नक्सलवादी

इस चुनाव में एक समय दुर्दान्त समझे जानेवाले ये नक्सली खड़े थे–

1) सतीश कुमार : डाल्टनगंज से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर|
2) शोभा पाल : विश्रामपुर से इसी दल से| (पलामू जेल में बंद नक्सली युगल पाल की पत्नी)
3) रंजन यादव : पांकी से आर. जे. डी. के टिकट पर|
4) कुलदीप गंझू सीमरिया से (ऑल झारखंड छात्र यूनियन)
5) मसीहा चरण : पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया; जे.एम.एम.उम्मिदवार
6) पोलस सरीनं : टोरपा से पी.एल.फआय. : जे.एम.एम.टिकट

सी.पी.आय. (माओवादी) के वैचारिक सेल के सदस्य रहे सतीश चंद्रवंशी का कहना है," मुख्य धारा में जुड़े बिना, गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती| बंदूक हर समस्या का समाधान नहीं है| बंदूक से लोगों की हत्या हो सकती है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता |"

कईं मानने लगे हैं कि केवल बंदूक के भरोसे गरीबो का भला नहीं हो सकता|

नक्सली पुरोधाओं के परवर्ती विचार

नक्सलबाडी आंदोलन की त्रिमूर्ति थी चारु मुजुमदार, जंगल संथाल और कनु सन्याल| नक्सलबाडी से किसान विद्रोह संगठित कर, सशस्त्र संघर्ष से, सामन्ती, पूंजीवादी व्यवस्था को पलटकर जनवादी क्रांति करने का सपना था उनका, हिंसात्मक क्रांति का|

1977 में जब कनू सान्याल जेल से बाहर आये तो बहुत कुछ बदल चुका था| चारू मुजुमदार और जंगल संथाल की मृत्यु हो चुकी थी| आंदोलन बिखर गया था| उन्होंने पांच गुटों को एकत्र कर ' ऑर्गनायझिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिव्होल्यूशनरी ' का गठन किया| इसमें प. बंगाल और उत्तर प्रदेश के गुट शामिल थे| बाद में इसका ' कम्युनिस्ट ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट ' में विलय कर दिया| इसके बाद छोटे-छोटे नक्सली समुहों से भाकपा (एम.एल.) पुनर्गठित की जिसके वे मृत्यु पर्यन्तं सचिव रहे| इसमें उमाधर सिंह का गुट, लिबरेशन फ्रंट का एक घडा, आय.सी.पी. का कृष्णप्पा गुट, सीपीआयएमएल कैमुररेंज गुट आदि उनके साथ थे| यह पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय था|

सान्याल को लग रहा था कि आज के माओवादी अपनी गतिविधियों से कहीँ न कहीँ उसी आदिवासी और गरीबों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिन्हें शोषण मुक्त करने के लिए उन्होंने हथियार उठाये थे| ये लोग, इन गतिविधियों के कारण, शोषण मुक्त होने के स्थान पर आज दो पाटों के बीच पीसे जा रहे हैं| उन्होंने अन्ततक इस बदले से माओवादी आंदोलन का विरोध किया| अपने आप को उससे अलग कर लिया| ऐसा लगता है कि क्रांतिकारी दृष्टि को न त्यागते हुए भी सांसदीय पद्धति के विषय में उनका विरोध उतना उग्र नहीं रहा| लेकिन इस दिशा में वे ज्यादा सक्रिय भी न हो सके|

वे सिलिगुड़ी से दूर सेफतुलजोत गांव में अकेलेपन का अविवाहित जीवन जी रहे थे| वे नक्सलियों को कुछ बताना चाहते थे," हमारा प्रयत्न व्यर्थ गया| आज के नक्सली हमारे अनुभवों से कुछ सीखें| " लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो रहे थे| आज की नक्सली गतिविधियां, उनकी कल्पना की क्रांति नहीं थी|

कनू सान्याल के 60-70 के दशक के साथी अजीनुल हक़, आंध्र के मशहुर नक्सली नेता और कवि गदर जैसे लोग भी कहते हैं कि कई क्रांतिकारियों के प्रेरणास्त्रोत रहे कनू सान्याल अंततः उसी आंदोलन से अलग क्यों हुए, जिसको उन्होंने स्वयं ही जन्म दिया था| वे इस आयु में भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुए थे| सिंगुर और नंदीग्राम के जमीन अधिग्रहण में उनके द्वारा किया गया विरोध, इसका प्रमाण है| और क्या इन विफलताओं और नैराश्य ने उन्हें जीवन का अंतिम कदम उठाने को प्रेरित किया|

उनके लिए भोजन बनानेवाली शांति मुंडा के अनुसार उन्होंने करीब 12 बजे भोजन किया और उसके आधे घंटे बाद उनका शव उनके कमरे में फांसी पर झुलता हुआ नज़र आया| एक क्रांतिकारी

जीवन का अति दुखदायी अन्त| तारीख थी 23 मार्च 2010| अजीब संयोग है, यही दिन शहिदी दिवस हैं भगतसिंह और साथियों का|

खोकन मुजुमदार : ये शुरुआती दौर के एक बड़े नक्सली नेता थे| 1967 में चीन गये थे, गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लेने| आज (2010 में) उनकी आयु 80 साल है और वे पॅरॅलेटिक मरीज है| उन्होंने आंध्र में भी आंदोलन को आगे बढाया था| आज उनका कहना है, " हमने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, लेकिन कुछ हासिल न हो सका| भूमिहीन किसानों, मजदूरों को भूमि दिलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, वे ही किसान आज अपनी जमीनें बेच रहे हैं|"

असीम चॅटर्जी उर्फ काका -

1970 में सीपीआयएमएल के सेंट्रल कमेटी के सबसे युवा सदस्य रहे असीम ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में की गयी 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या पर दी अपनी प्रतिक्रिया,

' निरर्थक रक्तपात ' इन शब्दों से दी है| आज इस व्यक्ति की आयु 66(2010) वर्ष है| वे चारू मुजुमदार के अत्यंत विश्वसनीय अनुयायी थे| असीम ने प. बंगाल के देबरा और गोपीबल्लभपुर आंचल में मार्च 1971 में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्त्व किया था| लेकिन आंदोलन असफल हुआ और नवम्बर 71 में असीम गिरफ्तार हो गये|

उनके अनुसार इतिहास साक्षी है कि जहाँ भी सांसदीय प्रणाली, मुक्त चुनाव प्रणाली का अस्तित्व है, वहाँ कहीं भी रक्तरंजित क्रांति यशस्वी नहीं हुई| इस पार्श्व में आज के भारत में नक्सलियों का रक्तपात व्यर्थ है| इस आंदोलन को वर्ग संघर्ष का स्पर्श भी नहीं है| जो क्रांतिकारी आंदोलन का आधार बनती है उस परिस्थिति का भारत में अभाव है| वह वर्गसंघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न विद्यमान नक्सलवादी नेतृत्व ने किया ही नहीं|

" व्यक्तिगत हिंसा का हमारा दर्शन गलत था| "

नक्सली हिंसा---

आये दिन नक्सलियों द्वारा की जा रही हिंसक वारदातों के समाचार प्रकाशित होते ही रहते हैं| इनमें मुखबिरी के संदेह में व्यक्तिगत हत्याएं, पुलिस स्टेशनों पर हमले कर शस्त्रों की लूट, विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों के सामान को जला डालना, सरकारी या सार्वजनिक भवनों को आग लगा देना या विस्फोट से उड़ा देना, दूरसंचार के टॉवरों को उडा देना, रेल पटरियों को उड़ा देना जैसी वारदातें शामिल हैं|

लेकिन इसके अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण हिंसक घटनाओं को नक्सलियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, इनमें–

1) कारागृहों पर हमले कर अपने साथियों और अन्य कैदियों को छुड़ा लेना| उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जेलों पर हमले किये हैं-
   अ) दंतेवाड़ा जेल से 304 कैदी छुडा लिये|
   आ) 13 नवम्बर 2005 को जेहानाबाद जेल पर बड़ा हमला हुआ|
   इ) मार्च 2006 में उड़ीसा के उदयगिरि जेल पर हमला किया|
   बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, स्पेशल एरिया मिलिटरी कमिशन के सचिव राकेश के अनुसार जेल-ब्रेक नक्सलियों के कामकाज नीति का हिस्सा है| ऐसी घटनाएँ होती रहेगीं|
2) रेलों को रोककर कुछ समय के लिए अपने कब्जे में रखना|
   अ) झारखंड की घटना, गाडी में 300 यात्री सवार थे| ऐसे रेल को रात के समय अपने कब्जे में रखा|
   आ) प. बंगाल के लालगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस को रोकें रखने की घटना|
   3) सुरक्षा बलों को घेर कर, उनकी बड़ी संख्या में हत्यायें|

हिंसा की सांख्यिकी

केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2008-2009 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2004-2008 इन पांच वर्षों में, देश के नक्सल प्रभावित दस राज्यों में---

(छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, प. बंगाल, मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश, कर्नाटक) 3800 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे| (बी.बी.सी के अनुसार यह संख्या 6000 हैं|) इसी कालावधि में में नक्सली हिंसा की 7,806 घटनाएँ हुईं|

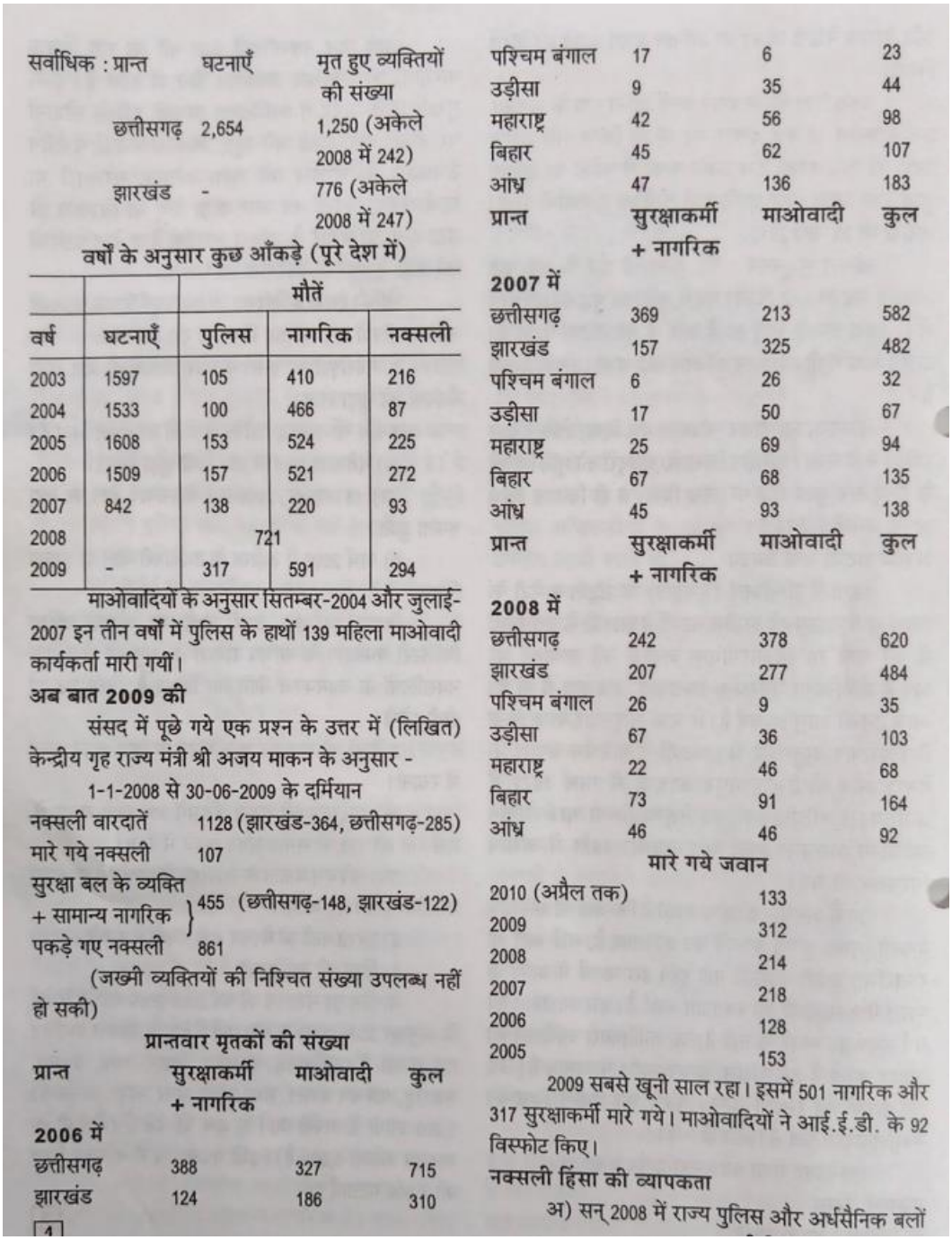

सर्वाधिक : प्रान्त	घटनाएँ	मृत हुए व्यक्तियों की संख्या
छत्तीसगढ़	2,654	1,250 (अकेले 2008 में 242)
झारखंड	-	776 (अकेले 2008 में 247)

वर्षों के अनुसार कुछ आँकड़े (पूरे देश में)

		मौतें		
वर्ष	घटनाएँ	पुलिस	नागरिक	नक्सली
2003	1597	105	410	216
2004	1533	100	466	87
2005	1608	153	524	225
2006	1509	157	521	272
2007	842	138	220	93
2008		721		
2009	-	317	591	294

माओवादियों के अनुसार सितम्बर-2004 और जुलाई-2007 इन तीन वर्षों में पुलिस के हाथों 139 महिला माओवादी कार्यकर्ता मारी गयीं।

अब बात 2009 की

संसद में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में (लिखित) केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन के अनुसार -

1-1-2008 से 30-06-2009 के दर्मियान

नक्सली वारदातें	1128	(झारखंड-364, छत्तीसगढ़-285)
मारे गये नक्सली	107	
सुरक्षा बल के व्यक्ति + सामान्य नागरिक	455	(छत्तीसगढ़-148, झारखंड-122)
पकड़े गए नक्सली	861	

(जख्मी व्यक्तियों की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी)

प्रान्तवार मृतकों की संख्या

प्रान्त	सुरक्षाकर्मी + नागरिक	माओवादी	कुल
2006 में			
छत्तीसगढ़	388	327	715
झारखंड	124	186	310
पश्चिम बंगाल	17	6	23
उड़ीसा	9	35	44
महाराष्ट्र	42	56	98
बिहार	45	62	107
आंध्र	47	136	183
प्रान्त	सुरक्षाकर्मी + नागरिक	माओवादी	कुल
2007 में			
छत्तीसगढ़	369	213	582
झारखंड	157	325	482
पश्चिम बंगाल	6	26	32
उड़ीसा	17	50	67
महाराष्ट्र	25	69	94
बिहार	67	68	135
आंध्र	45	93	138
प्रान्त	सुरक्षाकर्मी + नागरिक	माओवादी	कुल
2008 में			
छत्तीसगढ़	242	378	620
झारखंड	207	277	484
पश्चिम बंगाल	26	9	35
उड़ीसा	67	36	103
महाराष्ट्र	22	46	68
बिहार	73	91	164
आंध्र	46	46	92

मारे गये जवान

2010 (अप्रैल तक)	133
2009	312
2008	214
2007	218
2006	128
2005	153

2009 सबसे खूनी साल रहा। इसमें 501 नागरिक और 317 सुरक्षाकर्मी मारे गये। माओवादियों ने आई.ई.डी. के 92 विस्फोट किए।

नक्सली हिंसा की व्यापकता

अ) सन् 2008 में राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों

नक्सली हिंसा की व्यापकता-

वर्ष 2008 में राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मिलाकर 250 जवानों की मौतें नक्सली क्षेत्र में हईं| जबकि पूर्वोत्तर प्रान्तों तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों को मिलाकर सुरक्षा बलों के जवानों की कुल मौतें 120 ही थीं|

सन् 2009 में 21 जून तक नक्सलियों के हाथों 170 सुरक्षा कर्मी मारे गये| पूर्वोत्तर प्रान्त और जम्मू-कश्मीर के लिए यह संख्या 67 थी| (2008-2009 में देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु 833 जवान शहीद हुए)

चलित युद्ध नीति

कभी 15-20 के गुट में विचरण करने वाले नक्सली अब हमला करते समय सैकड़ों में एकत्रित होते हैं| उनके एकक एक जगह वारदात को अंजाम देने के बाद अन्य जगह चले जाते हैं, जहाँ अगली वारदात करनी होती है| ये गुरिल्ले नयी जगह व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग पहुँचते हैं| इस कारण पुलिस तक को भनक नहीं लगती|

फियादीन हमलों से परहेज

एलटीटीई या इस्लामिक आतंकवादियों के विपरीत माओवादियों ने जनता पर अभी तक फियादीन हमले नहीं किये हैं| लेकिन हिंसक और विध्वंसक वारदातों में दिनोंदिन निश्चित वृद्धि होती जा रही है|

नक्सली हिंसक वारदातें 2010-

26-6-2010-छत्तीसगढ़-नारायणपुर : सीआरपीएफ के 27 जवानो की हत्या|

28-5-2010-अभी तक रेल पर किये गये सबसे बड़े नक्सली हमले में मुंबई की ओर जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को विस्फोट से उड़ा दिया गया| यह घटना प. बंगाल के झारग्राम में हुई| 148 यात्रियों की मौत हुईं, जबकि 200 घायल हुये|

17-5-2010 (छत्तीसगढ़)

नक्सलियों ने बारुदी सुरंग विस्फोट से सुकमा से दंतेवाड़ा जा रही निजी बस को विस्फोट से उड़ा दिया| वारदात दंतेवाड़ा से 60 कि.मी. दूर शाम के 4.45 बजे हुई| एक महीने में हुई यह दूसरी सबसे बड़ी वारदात थी| बस में छत्तीसगढ़ पुलिस से सम्बद्ध 20 विशेष पुलिस अधिकारी और 30 सामान्य नागरिक थे| मृतकों में 12 एसपीओ और 24 नागरिक थे| बाकी गंभीर रूप से घायल हुये| हादसा चिंगावरम गांव के पास हुआ| पुलिस प्रमुख के अनुसार 15 मई को लगभग 100 एसपीओ नक्सल विरोधी अभियान के लिए गये थे| उनमें से कुछ बस से लौट रहे थे| इस घटना में मानक नियमों के उल्लंघन की बात भी सामने आयी| मानकों के अनुसार पुलिसकर्मियों और एसपीओ के लिए असैन्य वाहन में यात्रा करना प्रतिबंधित है|

यहाँ उन्नत विस्फोटक उपकरण (आय.ई.डी.)का उपयोग किया गया| ऐसा दिखाई दिया कि सड़क के किनारे पर नीचे से सड़क की कठोर परत तक सुरंग खोदी गयी| इस तरह उन्होंने सड़क को कोई क्षति नहीं पहुचायी ताकि आशंका न हो| सड़क के किनारे पर खोदने के निशान आसानी से हटा लिए गये| इससें लगता है कि नक्सली आईईडी का प्रयोग करने में माहिर हो गये हैं| शीर्ष पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक लिट्टे द्वारा उपयोग में लायी जाती थी|

उपरोक्त घटनाओं से लगता है कि नक्सलियों ने आम आदमी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है|

6-4-2010–(छत्तीसगढ़)- सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला-----

6 अप्रैल को सुबह छह बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अबतक का सबसे बड़ा हमला किया और 76 सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया| हमला चिंतलनार और ताडमेटला इन गांवों के बीच, ताडमेटला जंगल तलाशी से लौट रहे जवानों पर घात लगाकर किया गया| ताडमेटला गांव माडिया बहुल है और उसकी आबादी 1364 है| यहाँ भी आयईईडी विस्फोटक का उपयोग किया गया था| हमला बड़ा योजनाबदध था| इस वारदात को अंजाम देने के पीछे तीन माओवादी नेताओं की योजना होने की आशंका व्यक्त की गयी है| रामन्ना, पापाराव और हिडमा| प्रथम दो तो मूलतः आंध्र से हैं| हिडमा जागरबंधु एरिया कमेटी का सैनिक सलाहकार है| पुलिस द्वारा उपलब्ध की गयी जानकारी के अनुसार शुरू में नक्सलियों की संख्या एक हज़ार बतायी गयी थी| लेकिन बाद में उसमें सुधार करके 300 बतायी गई| शुरू में कोई माओवादी मारे जाने की खबर नहीं थी| लेकिन बाद में आठ माओवादी मार दिये जाने की बात पता चली| यह भी ज्ञात हुआ है कि नक्सली ब्लॅक कमांडो ड्रेस पहने थे| इस वारदात में मृत जवानों में से हर जवान के परिवार को विभिन्न संघटनाओं और स्त्रोतों से कुल 38 लाख रुपये मिलेंगें|

उधर माओवादियों ने उपरोक्त घटना में मारे गये जवानों के परिवारों से सहानुभूति जताते हुए कहा है कि वे उन्हें मुआवजा देने के लिए तैयार हैं| लोग भी उन्हें सहायता करने आगे आयें| लेकिन साथ ही 11 एप्रिल 2010 को सीपीआई (माओवादी) ने धमकी भी दे डाली कि यदि केंद्र सरकार नक्सलियों के विरुद्ध शुरू किया अभियान नहीं रोकती तो ऐसे और भी हमले किये जाएंगे|

इसके पीछे-पीछे यह भी समाचार आया कि वारदात के बाद लगभग 200 जवान सिदुखाडा नाम के गांव पहुंचे और बिना पुछताछ के, ग्रामिणों के साथ मारपीट शुरू कर दी| बाद मे नक्सल समर्थक बताकर एक दर्जन से अधिक आदिवासियों को उठा लिया| जवान जब उन्हें ले जाने लगे तो महिलाओं ने प्रतिरोध किया| जवानों ने महिलाओं की पीटाई शुरू कर दी| इसमें 26 महिलाएं घायल हो गयीं| फिर जवान किसी को गिरफ्तार किये बिना वहाँ से चले गये|

अगर यह समाचार सत्य है तो इस ढंग से क्या नक्सलवाद को नष्ट किया जा सकेगा?

24 मई को पुलिस ने एक नक्सली कमांडर बारखे लखमा सहित 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया| पुलिस के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया है कि वे एप्रिल की वारदात में शामिल थे|

4 एप्रिल 2010 : उड़ीसा---

उड़ीसा के कोरापुट जिले में बारुदी सुरंग से विस्फोट कर एसओजी के 11 जवानों को मार डाला|

15 फरवरी 2010 : प. बंगाल के मिदनापुर जिले में माओवादियों ने सीआरपीएफ के सिद्ध कॅंप पर हमला करके 24 जवानों की हत्या कर दी|

29 अगस्त 2010 : बिहार

इस दिन बिहार के लखीसराय जिले के केरा थाना क्षेत्र के, एक मुठभेड़ में सात पुलिसकर्मियों की हत्या की गयी थी और चार पुलिसकर्मियों को अपहृत किया गया| उनके रिहाई के बदले बिहार की विभिन्न जेलों में बंद आठ नक्सलियों की रिहाई की मांग की गयी थी| बिहार सरकार की अनिर्णय की स्थिति के कारण और उसके विरोध में नक्सलियों ने एक कर्मी लुकस टेटें की हत्या कर दी|

सर्वदलीय बैठक मे बंधकों की बिना शर्त रिहाई की अपील की गयी| मुख्यमंत्री श्री. नितीशकुमार द्वारा माओवादियों से बातचीत के लिए, सुरक्षित आने-जाने की पेशकश की गयी| घटना की चरम परिणति इसमें हुई कि माओवादियों ने अन्य तीन बंधक, अवर निरीक्षक रूपेश कुमार और अभय यादव, हवालदार एहतशाम खान को, बातचीत की पेशकश ठुकराते हुए अपनी ओर से बिना शर्त 5 सितम्बर को रिहा कर दिया|

इन कर्मियों के अनुसार उनसे माओवादियों ने ठीक व्यवहार किया और उन्हें बताया कि उनकी रिहाई, उनके परिवार के अनुरोध पर की जा रही है| माओवादियों ने सरकार के साथ बातचीत में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि अपहृतों के परिवारों के साथ सीधा संपर्क किया| कोई इसे जनता के दबाव का परिणाम बताता है तो सरकारी पक्ष इसे माओवादी नेतृत्व में आपसी मतभेदों का परिणाम मानता है| लेकिन इससे एक बात साफ झलकती है, वह है सरकारी पक्ष की कड़े निर्णय लेने की अक्षमता|

नक्सली हिंसक वारदातें : 2009–

1) 20 नवम्बर 2009 (झारखंड) : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा कस्बे के 18 ग्रामीणों को बंधक बना लिया और लातेहार में मुखबिरी के संदेह में एक राशन दुकानदार को मार डाला|
2) 19-11-2009 : (उड़ीसा-झारखंड सीमा पर) मनहरपुर-पोसोइना के बीच : टाटानगर-बिलासपुर पॅसेंजर को निशाना बनाकर विस्फोट से पटरी उड़ा दी| इंजन और आठ डिब्बे पटरी से उतरे, पांच लोग मारे गये, 55 से अधिक घायल हुए|
3) 27-10-2009 :प. बंगाल : बासताला, लालगढ़ के पास 300-400 आदिवासियों ने भुवनेश्वर-देहली राजधानी एक्सप्रेस को लगभग पांच घंटों तक रोक लिया| तीन नक्सली नेताओं को छोड़ने की मांग की|
4) 8-10-2009 : गढचिरौली महाराष्ट्र : 17 पुलिसकर्मियों को मार डाला| 200 नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था|
5) 6-10-2009 : झारखंड: पुलिस के खुफिया विभाग में कार्यरत इन्सपेक्टर फ्रांसिस इंदुवार की सरकटी लाश मिलीं| इस व्यक्ति का 30 सितम्बर को हेम्ब्रम बाजार से अपहरण किया गया था|
6) 26-09-2009 : छत्तीसगढ़ :बालाघाट के सांसद श्री.बलिराम कश्यप के बेटे को पैरागुडा कस्बे में (जगदलपुर जिला) मार डाला|
7) 4 सितंबर : बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ : आदेद गाँव के जंगल में 4 लोगों की हत्या|

8) 27-07 : दांतेवाडा, छत्तीसगढ़ : लॅंड माइन विस्फोट में छह लोगों की मौत|
9) 23-06 : (लखीसराय, बिहार) मोटर साइकिल पर सवार नक्सलियों का एक गुट, जिला न्यायालय के आहाते से, गोलाबारी करते हुए अपने चार साथियों को छुडाकर ले गया|
10) 16-06 : पलामू जिला,झारखंड : बहराखंड में बारुदी सुरंग का विस्फोट और बाद में सशस्त्र हमला : 11 पुलिसकर्मियों की हत्या| एक अन्य घटना में और चार पुलिसकर्मियों की हत्या|
11) 13-06 : झारखंड : बोकारो के पास बारुदी सुरंग और बम विस्फोट में 10 पुलिसकर्मियों की मौत|
12) 10-06 : झारखंड : सरंदा के जंगलों में नियमित गस्त लगा रहे नौ पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला|
13) 22-05 : गढचिरौली महाराष्ट्र : 16 पुलिसकर्मियों की हत्या|
14) 22-04 : नक्सलियों ने एक रेलगाड़ी का अपहरण कर लिया| इसमें कम से कम 300 यात्री सवार थे| भागने से पहले, ड्राइवर को ट्रेन लातेहार ले जाने के लिए बाध्य किया गया|
15) 16-04 : लोकसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान, पांच राज्यों में नक्सली हमले हुए|
16) 15-04 : रोहतास जिला : सुरक्षा बलों ने नक्सली हमले को नाकाम किया और 11 माओवादियों को मार गिराया|
17) 15-04 : बिडानिया घाटी लातेहार जिला : झड़प में दो सीआरपीएफ कर्मी, दो नागरिक और पांच नक्सली मारे गये|
18) 14-04: गया और औरंगाबाद जिला, बिहार : स्कूल, मतदान केंद्र और मत प्रचार करने वाली गाड़ी जला दी|
19) 13-04 : उड़ीसा : कोरापुट जिले में 200 माओवादियों द्वारा नाल्को की बॉक्साइट खदान पर कि गये हमलें के दौरान अर्धसैनिक बल के 10 जवान मारे गये|
20) 11-04 : (खूंटी,झारखंड) ; पांच सीआरपीएफ जवान मारे गये|
21) 10-04 : (दांतेवाडा) : लोकसभा चुनाव पूर्व हिंसा : 9 सीआरपीएफ जवान मारे गये|
22) 09-04 : मलकाजगिरी उड़ीसा : एक विधानसभा उम्मीदवार की हत्या|
23) 08-04 : गरहवा : 50 माओवादियों द्वारा सीआरपीएफ के अस्थायी केंप पर हमला|
24) 09-02 : नवाडा झारखंड सीमा : हमले में 08 पुलिसकर्मी मारे गये|
25) 01-02 : गढचिरौली जिला : मारके गाँव में 15 पुलिसकर्मी मारे गये|
26) 15-01 : माओवादियों ने जमुई जिले में रेल पटरी विस्फोट से उड़ा दी| बाजु के ही मूंगेर जिले में रतनपुर स्टेशन जला डाला| माओवादियों ने बंद का आवाहन किया था|

2008

1) 16-07-2008 : मलकांजगिरी जिला : उड़ीसा : बारुदी सुरंग फटने से पुलिस वाहन उड़ गया| 21 पुलिसकर्मी मारे गये|
2) 29-06 : (बालिमेला उड़ीसा) : ग्रे हाउंड नक्सल विरोधी कर्मियों को ले जा रही नांव डुबो देने से 38 कमांडों मारे गये|
3) 04-05(गया-बिहार) : डूमरिया प्रंखडों से सत्तारूढ गठबंधन के 37 कार्यकर्ताओं का अपहरण| इस्तीफे दिलाने का दबाव/धमकी| परिणामतः भाजपा, जदयु के 65 कार्यकर्ताओं ने पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिये|
4) 15-02 : उड़ीसा : सैकड़ों माओवादी ट्रकों और बसों भरकर आयें और नयागढ़ शहर को घेर लिया| इसमें 14 पुलिसकर्मी मारे गये| एक नागरिक की भी मौत हो गयी| पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को आग लगा दी|

2007

1) 16-12-2007 : दांतेवाडा,छत्तीसगढ़ : दांतेवाडा जेल पर हमला| 305 कैदियों को मुक्त किया| उनमें 105 नक्सली थे|
2) 26-10 : गिरिडीह जिले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी के पुत्र और 17 व्यक्तियों की हत्या कर दी|
3) 7-09 : (नेल्लूर,आंध्रप्रदेश) : आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एन. जनार्दन रेड्डी और उन पत्नी एन.राजलक्ष्मी बाल-बाल बच गये, जब नक्सलियों ने हमला किया था लेकिन तीन कॉंग्रेस कार्यकर्ता मारे गये|
4) 19-07 : छत्तीसगढ़ : घने जंगल में एक पुलिस गश्ती दल पर माओवादियों ने बम और लाइट मशीनगन से किये हमलें में 24 पुलिसकर्मी मारे गये|
5) 01-07 : रोहतास जिला, सासाराम के पास : पुलिस स्टेशन पर हमला किया और शस्त्र लूटें| 5 पुलिसकर्मी और 4 अन्य मारे गये|
6) 28-04 : काकेर जिला, छत्तीसगढ़ : मीचगांव (रायपुर से 175 कि.मी.) बारूदी सुरंग के विस्फोट से 5 सुरक्षाकर्मों मारे गये|
7) 16-03 : छत्तीसगढ़ : 500 से अधिक माओवादियों ने छत्तीसगढ़ की रानी बोदली गांव में पुलिस चौकी पर हमला किया| 55 पुलिसकर्मी मारे गये|
8) 05-03 : नक्सलियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सुनील महेता, उनके दो सुरक्षाकर्मी और एक पार्टी सहयोगी की हत्या कर दी| ये लोग जमशेदपुर के पास एक फुटबॉल मॅच देख रहे थे|

2006

1) 17-07-2006 : छत्तीसगढ़ : करीब 800 सशस्त्र नक्सलियों ने एक अस्थायी राहत शिबिर एराबोर पर हमला किया| इसमें कम से कम 25 लोग मारे गये, 80 घायल हुये और 20 लापता हुए| बहुधा उनका अपहरण कर लिया गया|

2) 19-04 ; गढचिरोली : बारूदी सुरंग के कारण यात्रियों को ले जा रहा वाहन क्षतिग्रस्त। 2 पुलिस मरे।
3) 25-03 : उड़ीसा ; 500 से अधिक माओवादियों ने गजपति जिले के आर. उदयगिरि में ओएसएपी शिबिर पर हमला किया। तीन पुलिस मरे। शस्त्र लूट ले गये। 40 कैदी छुडाकर ले गये।
4) 13-03 : पंधेरी पुलिस स्टेशन गढचिरोली : दो सुरंग रोधी गाड़ियों में यात्रा कर रहे पुलिस दल पर 50 नक्सलियों ने हमला किया। 13 पुलिसकर्मी घायल हो गये।
5) 28-02-; दरभागुज, छत्तीसगढ़ : सलवा जुडूम ट्रकों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। एक ट्रक सुरंग से उड गया। 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी। 08 को नक्सलियों ने मार डाला। 4 की मौत बाद में हो गयी। कुल मौतें 28।
6) 09-02 : बिलाडिला, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़ : नॅशनल मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के गोदाम पर नक्सलियों ने हमला किया। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आठ जवान मारे गये। अन्य आठ घायल हुए। माओवादी विस्फोटक लूटकर ले गये।

2005

1) 13-11-2005 : जहानाबाद,बिहार : नक्सलियों ने जहानाबाद जेल को घेर, 375 कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें 130 नक्सली थे। यह वारदात 07 घंटे चली। इसमें कईं पुलिसकर्मी मारे गये। शस्त्रों को लुटकर नक्सली चले गये।
2) 01-03 : आंध्र : वन विभाग का एक विश्रामगृह उड़ा दिया। आठ ग्रामीणों की हत्या।

2004

1) 20-11-2004 : चंदौली उ.प्र. : सुरंग विस्फोट से पीएसी का एक ट्रक उड़ा दिया। 15 पुलिसकर्मी मारे गये।

2) 6-02- : उड़ीसा : 1000 से अधिक माओवादियों ने उड़ीसा के कोरापुट जिला मुख्यालय पर हमला किया। विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठानों से आधुनिक शस्त्रों की लूट की।

2003

01-10-2003 : आंध्र : तिरुपति जा रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर नक्सली हमला। बारुदी सुरंग से कुछ वाहन क्षतिग्रस्त और कुछ पुलिसकर्मी हताहत।

1999

15-16 दिसम्बर बालाघाट, म.प्रदेश : म. प्र. के तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री लिखिराम कावरे की उनके पैतृक गाँव सोनपुर में हत्या।

1993

01-04 (गोंदिया जिला: महाराष्ट्र:) यह इस जिले में प्रथम बड़ी हिंसक घटना थी| देवरी गांव के पास सुरंग विस्फोट में 09 पुलिस तथा 07 नागरिक मारे गये|

रेल की सम्पत्ति को नुकसान–

2009–10 में नक्सलियों ने रेल अधिष्ठान, ट्रेनें, रेल पटरियों पर 60 हमले किये|

स्कूलों को नुकसान -

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की रिपोर्ट के अनुसार 2006-2009, इन चार वर्षों में नक्सलियों ने लगभग 300 स्कूलों को विस्फोटों से उड़ा दिया|

शुरू में नक्सलियों द्वारा उपयोग में लाये जानेवाले शस्त्र-----

1) तमांचा : यह छोटी नली वाली बंदूक है| इसकी लम्बाई एक से डेढ़ फीट होती है| इसे हाथ में लेकर घूमा जा सकता है| इसे कपड़े की थैली या समाचार पत्र में लपेटकर छुपाया जा सकता है| यह आमतौर पर मोटर के स्टियरिंग व्हिल के रॉड से बनाया जाता है| इसका मारक क्षेत्र 15-20 गज होता है| इसमें दो ट्रिगर होते हैं| एक बॅरल को खोलने के लिए और दूसरा गोली दागने के लिए| इससे एक समय एक ही गोली दागी जा सकती है| इसमें सुरक्षा खटका भी होता है| दलम के हर सदस्य के पास यह शस्त्र होता ही है|
2) लम्बी नली वाली बंदूक : यह 12 बोअर की होती है| मारक क्षेत्र 20 से 25 यार्ड| इसे भी स्थानीय स्तर पर बनाया जा सकता है|
3) पिस्तौल : स्थानीय स्तर पर तैयार किये हुए|
4) 0.303 बंदूक : इन्हें पुलिस वालों से छीना जाता है|
5) स्टेन गन| : ये भी पुलिसकर्मियों से छीनी जाती हैं|
6) देसी बनावट के ग्रेनेडस् : इसके गोले में कांच और लोहे के टुकड़े भरे होते हैं| ये सख्त सतह के, जोर से संपर्क में आते ही फट पडते हैं| या फिर सेफ्टी पीन हटाते ही लिव्हर तंत्र कार्यरत होता है, जो परिणामतः विस्फोटक को कार्यरत कर देता है और विस्फोट होता है| इन्हें भी स्तानीय स्तर पर बनाया जा सकता है|

लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बदलती गयी| एक समय ऐसा आया कि नक्सली, पुलिस के पास उपलब्ध शस्त्रों से भी आधुनिक और परिष्कृत शस्त्र प्राप्त कर लेने लगे| 2006 के शुरू में प्रकाशम जिले मे हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस के हाथ वायरलेस सेट लगे| उनसे ऐसा अनुमान लगाया गया कि नक्सलियों ने ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली है कि वायरलेस सेट का दूर संवेदी नियंत्रक के तौर पर उपयोग कर 05 कि.मी. दूर के लक्ष्य को विस्फोटक से उड़ा दे | अमेरिकन बनावट के वायरलेस सेट्स पकड़े गये थे|

01 अक्टूबर 2003 को अतिवादियों ने आंध्रप्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू पर तिरुपति पहाड़ियों की तलहटी में निशाना साधा था| ऐसा बताया जाता है कि उसमें कॅमेरा फ्लॅश

का उपयोग कर 150 मीटर दूरी से बारुदी सुरंग का विस्फोट किया गया था, जिसमें कुछ पुलिस हताहत हुए थे|

मार्च 2000 में भी हैदराबाद के बाहरी हिस्से में आंध्र के तेलुगु देसम पार्टी के मंत्री ए. माधव रेड्डी की बारुदी सुरंग से गाडी के नीचे विस्फोट कर हत्या कर दी थी|

आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा 2006 सितम्बर में 87 रॉकेट की खोलें और लॉंचर जब्त किये गये थे| इस सिलसिले में ' टैंक मधु ' या श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी पत्नी शोभारानी के साथ 4 नवम्बर को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था| वरंगल जिला पुलिस अधिक्षक श्री. सौम्य के संवाददाता सम्मेलन में दिये गये वक्तव्य के अनुसार 1991 में नक्सली आंदोलन में शामिल हुआ मधु वरंगल जिले का ही मूल निवासी है| आज(2010) उसकी आयु 34 वर्ष है| मधु ने चेन्नई से इंजीनियरिंग डिप्लोमा पूरा किया था| नक्सलियों ने वर्ष 2002 में रॉकेट और रॉकेट लॉंचर डिझाइन के लिए एक तकनीकी दल गठित किया था और वह कार्य मधु को सौपा गया था| मधु ने दो परियोजनाएं बनाईं थीं| जिसमें पहली थी रॉकेट-लॉंचर-1| यह रॉकेट निर्माण के लिए डिझाईन बनाने की एक पायलट परियोजना थी| दूसरी थी रॉकेट-लॉंचर-2| इसमें कंधे पर रखकर चलाये जाने वाले रॉकेट तथा लॉंचर विकसित करना था| मधु ने 1600 रॉकेट और 40 लॉंचरों का निर्माण किया था|

हाल में बिहार से मिली सूचना के अनुसार, इन दिनों माओवादी, विस्फोटक बनाने के लिए यूरिया का उपयोग कर रहे हैं| यह तकनीक नेपाली माओवादियों ने बिहार-झारखंड में सक्रिय माओवादियों को सिखायी है| यूरिया और सल्फर के मिश्रण से बने विस्फोटक दूसरे विस्फोटकों के मुकाबले सस्ते और शक्तिशाली होते हैं| ऐसे में बारुदी सुरंग, विस्फोटक बनाने के लिए माओवादी बड़े पैमाने पर यूरिया खरीद रहे हैं|

अपने शुरुआती दौर में तीर-कमान और कुल्हाड़ियों को शस्त्रों के रूप उपयोग में लाने वाला नक्सली आंदोलन अब अत्याधुनिक और उन्नत तकनीक का उपयोग करने लगा है| अधिकारिक शासकीय जानकारी के अनुसार नक्सली, विदेश निर्मित हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से चीनी और अमेरिकी हथियारों का| बिहार, झारखंड और आंध्र में छोटे विदेशी हथियार तो उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा प. बंगाल जैसे हिस्सों में देशी हथियार उपयोग में लाये जाते हैं| अबुझमाड़ में वे अपनी खुद की बंदूकें तैयार करते हैं| स्वचालित बंदूकों, कंधे से टिकाकर उपयोग में लाये जाने वाले रॉकेट-लॉंचरों, बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों से वे लैस हैं| यहाँ तक की वे बुलेटप्रूफ जॅकेट भी जुटा रहे हैं|

माओवादी चिंतन ग्रुप के पकड़े गये एक सदस्य श्री. मानदेव साह उर्फ राजू के अनुसार माओवादियों ने अंधेरे में और रात के समय अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए अपने आपको लेसर लाईट जैसे उपकरणों से सज्जित कर लिया है|

पुलिस ने जब श्री. कोबाड गांधी को गिरफ्तार किया तो उनके लॅपटॉप को भी अपने अधिकार में ले लिया| लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार लॅपटॉप का उपयोग बिना हार्ड डिस्क के किया जा रहा था| इस कारण उससे कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी| पुलिस का कहना है कि वे संभवतः हार्ड-

डिस्क के स्थान पर पेन ड्राइव का उपयोग कर रहे होगे| पेन-ड्राइव जिसमें हार्ड-डिस्क लोड होता हैं| इससे जाहिर होता है कि वे उपलब्ध तकनीक का उपयोग करने में कितने माहिर है| जबकि मालेगांव बम विस्फोट में गिरफ्तार साध्वी और उसके सहयोगी के पास से मिले लॅपटॉप से काफी जानकारी मिली थी|

नवम्बर- दिसंबर 2009 में बिहार में पकड़ा गया शस्त्रों का जखीरा---

1) बिहार के रोहतास जिले के अमरातलाब-खरबंदा गाँव में: छोटु नकाल दुबे के घर से पचास हजार से अधिक डिटोनेटर, 5600 कि.ग्राम अमोनियम नायट्रेट, बारुदी सुरंग विस्फोट में उपयोग होने वाला 16000 मीटर फ्यूज वायर तथा अन्य सामग्री मिली थी|
2) 07/08-11-09 की रात्रि में पटना पुलिस ने एक टाटा गाड़ी से 340 Kg विस्फोटक पावडर तथा तरल विस्फोटक पकड़ा था|
3) 10-11-09 को बोकारो के सेक्टर 12 से 315 बोर के 32000 कारतूस और भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया था|
4) 12-11-09 को गया जिले से 49 क्विंटल विस्फोटक हाथ लगा था|
5) डेल्हा थाना के अंतर्गत के निवासी हरि यादव के मकान से 70 बोरे विस्फोटक|
6) गया जिला : कौलक्षणी गांव से 29 बोरे विस्फोटक|

गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कोई जानकारी नहीं है कि माओवादी किसी दूसरे देश से हथियार खरीद रहे हैं| जम्मू-कश्मीर के बागी अपने एके-47 सीमा पार से लाते हैं| नागा और मिझो उग्रवादी अपने हथियारों को म्यांमार और चीन के बजारों से खरीदते हैं| लेकिन माओवादियों के पास का जखीरा सुरक्षा बलों पर किये गये हमलों दरम्यान की गयी लूट का है| हथियारों की सबसे बड़ी लूट, उड़ीसा के कोरापुट में जिला पुलिस शस्त्रागारों से हुई थी| 500 रायफलें, कई हजार राउंड गोला-बारूद आदि| बिहार के गिरडीह में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र से भी 185 रायफलें, 25000 राउंड गोलियां लूटी गयी थी|

तो दूसरी एक खबर के अनुसार एजेंसियों के हाथ लगे नक्सली दस्तावेजों पर विश्वास करें तो वर्ष 2007 में ही भाकपा(माओवादी) ने 175 करोड़ के विदेशी बनावटी के हथियार खरीदे थे| इसमें 200 एके रायफलें तथा अन्य शस्त्र थे| विशेष प्रकार के टायरों से सम्पन्न मोटर साइकिलों की भी बड़ी संख्या में खरीदी हुई है| ये घने जंगलों मे बडे काम की सिद्ध होगीं| खरीदी एक आस्ट्रेलियाई हथियार विक्रेता के मार्फत हुई है| सेटेलाइट फोन भी उनके पास होने चाहिए|

बारूदी सुरंगरोधी वाहन आम तौर पर 14 किलो विस्फोटक को झेल लेते हैं| लेकिन एक नक्सली वारदात में 80 Kg विस्फोटक लगाया गया था, जिसने 8 टन वजनी वाहन को हवा में 35 फीट उछाल दिया था| सुरक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का अर्थ है कि माओवादी टी-72 टॅंक को भी तबाह कर सकते हैं|

छापामार युद्ध

नक्सलवादी संघर्ष पूरी तरह' छापमार युद्ध ' के तकनीक पर आधारित है। इस युद्ध की विशेषताएं दी जा सकती हैं–

1) इतिहास में इस ढंग के युद्ध का उल्लेख चीन के संदर्भ में मिलता है, जो 2000 वर्ष पुराना है।
2) छापामार या गुरिल्ला युद्ध के नाम से संगठित होने वाला पहला समूह स्पेनी लोगों का था, जो नेपोलियन के विरुद्ध संगठित हुए थें।
3) आधुनिक काल में इस युद्ध के सिद्धान्तों का सर्वप्रथम उल्लेख अंग्रेज़ विद्वान टी.ई.लॉरेंस ने अपनी पुस्तक, ' Seven Pillars of Wisdom ' में किया है।
4) इतिहास मे इस युद्ध शैली का उपयोग कई योद्धाओं ने किया। जैसा दक्षिण में मुगलों के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज ने।
5) फिर इस युद्ध के गुर माओ ने समझाये।
6) जहाँ तक गुरिल्ला युद्ध नीति का सवाल है, उसकी कुछ मुख्य बातें–
    अ) जनता को विद्यमान सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध जागृत करने के लिए कुछ गुरिल्ला जन-सामान्य के बीच घुलमिल जाते हैं।
    आ) जब दुश्मन आगे बढता है तो गुरिल्ला सैनिक पीछे हट जाते हैं। जब शत्रु पडाव डालता है तो गुरिल्ला सैनिक, उसे हैरान करने की हर संभव कोशिश करते हैं। जब शत्रु थक जाता है, तो अचानक उस पर हमला कर दिया जाता है। अचानक हमले के कारण जब दुश्मन पीछे हटने लगता है, तो छापामार उसका पीछा करते हैं।
    इ) योजना के बिना गुरिल्ला युद्ध में सफलता असंभव है।
    ई) केद्रिंत कमान की शैली से गुरिल्ला युद्ध नहीं लडा जा सकता।
    उ) छापामार लड़ाई के लिए उपयुक्त क्षेत्र होते हैं- पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाकों में- जंगल तथा बीहड़, कम आबादी वाले छोटे-छोटे सुदूर के(Isolated) टापू।
    ऊ) भौगोलिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक होता है।
    ऋ) उतना ही आवश्यक होता है आम जनता का सहयोग। यही मुख्य शक्ति होती है। जनता को इतना विश्वास होना चाहिए, गुरिल्ले जो युद्ध लड रहे हैं, वे हमारे लिए लड रहे हैं।। जो जान की बाजी लगा रहे हैं, वह हमारे लिए।
    ऌ) कभी-कभी शत्रु की सैनिक-पंक्तियों के पीछे लड़ाई करने की आवश्यकता होती है। या फिर गुरिल्ला दल शत्रुओं से घिर जाता है। ऐसी स्थिति में आधार क्षेत्रों से संबंध टूट जाता है। लेकिन आधार क्षेत्रों के बिना लड़ी जाने वाली लड़ाई लम्बे समय तक नहीं चल सकती।

युं तो सभी तरह की सैनिक कारवाइयों का आधारभूत सिद्धांत यही माना जाता है कि जहाँ तक संभव हो अपनी शक्ति को सुरक्क्षित रखने की कोशिश की जायें और दुश्मन की ताकत का सफाया किया जाए। लेकिन उपरोक्त परिस्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है। छापामार युद्ध में स्थिति देखकर पीछे हटने को बुरा नहीं समझा जाता।

ऋ) पहल करके हमला करने और हमला करके जितना हो सके उतना शत्रु को नुकसान पहुँचाकर तुरन्त संघर्ष समेट लेने में महारत हासिल कर लेना आवश्यक होता है| छोटी-छोटी लड़ाइयॉं संघर्ष को लम्बा खींचतीं हैं| यह भी गुरिल्ला युद्ध की एक तकनीक ही है कि युद्ध को लम्बा खींचा जायें ताकि शत्रु हमेशा तनाव की स्थिति में रहे और थक जाये, जबकि तुम्हें शक्ति संचय के लिए समय मिले|

ऍ) गुरिल्ले का पहला लक्ष हर प्रकार की तोडफोड और यथासंभव विनाश होता है, ताकि शत्रु में भय और आतंक का माहौल बना रहे| मुख्य उद्देश्य शत्रु का मनोबल तोड़ना होता है|

औ) एक प्रश्न उभर सकता है कि गुरिल्ला युद्ध में आत्म-बलिदान का बड़ा महत्व समझा जाता है| तो क्या आत्म-बलिदान और आत्म-सुरक्षा एकदूसरे की विरोधी बातें नहीं हैं? लेकिन गुरिल्ला रणनीति में ये बातें द्वंद्वात्मक हैं| जहाँ वे एकदूसरे के विपरीत हैं, वही एकदूसरे की पुरक भी| कारण यह कि इस प्रकार का आत्म-बलिदान न सिर्फ दुश्मन के विनाश के लिए आवश्यक है, वही सामूहिक आत्मरक्षा के लिए भी आवश्यक है| आंशिक या अस्थाई ' असुरक्षा ' (बलिदान देना या कीमत चुकाना) स्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक है|

गुरिल्ला युद्ध और वामपंथी संघर्ष---

गुरिल्ला युद्धतंत्र का चीन के अतिरिक्त भी, वामपंथी संघर्ष में बडे पैमाने पर उपयोग किया गया| उसमें सफल रहे विएतनाम में कॉ. हो-चि-मिन्ह(मूल नाम-वेन सिन्ह कूंग) तथा उस समय के युगोस्लाविया में मार्शल टिटो(मूल नाम-योसिप ब्रोज)| विएतनाम से तो फ्रांस और अमेरिका को भागना पड़ा था|

क्यूबा और चे गुएवारा–

युवाजनों के नेता अर्नेस्टो चे गुएवारा (पेशे से डॉक्टर), फिदेल कॅस्ट्रो, उनके छोटे भाई राउल कॅस्ट्रो, अबेल सान्तमारिया (संघर्ष के दौरान शहीद), पेड्रोमिरेत और जेस माटानो इनके नेतृत्व में कुल 126 युवाओं ने 26 जुलाई 1953 को शुरू की क्रांति ने अंततः क्यूबा की अत्याचारी बातिस्मा सरकार को उखाड़ फेका|

चे गुएवारा की दृष्टि में वास्तविक अंतर्विरोध पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच नहीं था| बल्कि विकसित और अर्धविकसित देशों के बीच था| इसी कारण उसने एशिया, अफ्रीका और लॅटिन अमेरिका के देशों को ' तीसरी दुनिया ' का नाम दिया था चूंकि इन तीनों महाद्वीपों के अधिकांश देश अर्धविकसित हैं|

अर्जेन्टीना में जन्मे ' चे ' इसी तीसरी दुनिया के गुरिल्ला योद्धा थे| क्यूबा के मुक्ति संघर्ष की एक विशेष बात याने वहाँ के क्रांतिकारियों ने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता के बिना ही मुक्ति युद्ध जीत लिया था| उन्होंने बाद में कम्युनिस्ट सिद्धांत अपनाये|

गुरिल्ला युद्ध पर चे की लिखी हुई किताब में उधृत सिद्धान्त पारंपारिक कम्युनिस्ट पार्टियों के सिद्धांतों से हटकर हैं| इस किताब में तीन आधारभूत सिद्धान्त हैं–

1) लोकप्रिय दस्ते बड़ी-बड़ी फौजों का सफाया कर सकते हैं|
2) क्रांतिकारी बिंदु का विस्तार करके ही महाक्रांति को जन्म दिया जा सकता है|
3) क्रांति की सफलता गांवों के रास्ते ही सफल हो सकती है| माओ के सिद्धान्तों से इसकी विलक्षण समानता है|
   क्यूबा क्रांति की सफलता का और इस क्रांति के दरम्यान आये अनुभवों का उनके पीछे ठोस आधार था|

क्यूबा और चीन के संघर्षों में समानताएं–

1) शुरू में शहरों में आरंभ किया संघर्ष असफल रहा|
2) ग्रामीण क्षेत्र की ओर संघर्ष का रुख़ मोड़ने पर क्रांति सफलता तक पहुँची|

बाद में चे क्यूबा का उद्योगमंत्री बना| लेकिन ईमानदारी से आत्मालोचना करने वाला होने से क्यूबा की आरंभिक, आर्थिक नीतियों की विफलता का उत्तरदायित्व उसीने स्वीकारा| रूम और पूर्व युरोपीय कम्युनिस्ट देशों ने जिन शर्तों पर क्यूबा को आर्थिक सहायता देना मंजूर किया था, चे को वे शर्तें मंजूर नहीं थीं|

चे को माँ का अंतिम पत्र-----
यह पत्र भी कम प्रेरणदायी नहीं है|

" अगर क्यूबा में तुम्हारे लिए सारी राहें बंद हो गयी हैं, तो तुम अल्जीरिया चले जाओ| वहाँ बेनबेला को तुम्हारी सम्मति और सहायता की आवश्यकता हो सकती है| या फिर घाना चले जाओ| वहाँ शायद अन्क्रुमा को तुम्हारी आवश्यकता हो| जो भी हो, मुझे लगता है, तुम सदा परदेसी ही रहोगे, भटकते ही रहोगे| यही तुम्हारी नियति है|"

अकतूबर 1966 में वह बोलिविया चला गया| लेकिन वहाँ वह किसी भी किसान को गुरिल्ला दस्ते में शामिल न कर पाया और सरकारी दस्ते के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है| असल में 8 अक्टूबर 1967 को बोलिविया सेना उसे अपने कब्जे में लेती है और 24 घंटे के अंदर सीआयए के इशारे पर अन्य दो छापमारों के साथ कत्ल कर देती है| उस समय उसकी आयु थी 39 वर्ष| ग्वाटेमाला, क्यूबा, कांगो के क्रांतिकारी संघर्षों से होते हुए अंततः वह बोलिविया में शहीद होता है|

एक ही व्यक्ति जब, उसी दरम्यान एक जगह यशस्वी क्रांति का नेतृत्व करता है, लेकिन दूसरे स्थान पर उसी सिद्धान्त के सहारे वही सफलता नहीं दोहरा सकता तो फिर क्रांति पूर्व का चीन और आज का भारत इनमें तो लगभग 80 सालों का अंतराल है| फ्रेम में जड़ी व्याख्याएं इतने अंतराल के बाद शायद ही काम आये|

नक्सलवादी क्या करते हैं?

1) **सदस्यों के प्रति** : प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं| इसमें निम्न बातों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है–

क) शस्त्रों के विषय में : स्थानीय स्वरूप के शस्त्र बनाना और चलाना|

ख) गुरिल्ला युद्ध करना|

ग) पुलिस से बचना|

घ) नक्सलवाद तथा अपनी चिंतन रेखा के प्रचार संबंधी प्रशिक्षण|

2) ग्रामीणों के प्रति--

अ) जब भी ये किसी गांव पहुँचते हैं तो दल के एक-दो सदस्य सामान्य परिधान में गाँव में जाकर पुलिस और सरकारी अफसरों की उपस्थिति का पता लगाते हैं|

आ)उनकी अनुपस्थिति निश्चित होने पर वे गाँव के मुखिया को ग्रामीणों की बैठक बुलाने के लिए कहते हैं|

इ) इसके बाद ये लोग गाँव के बाहर छुपे अपने साथियों को ले आते हैं| ये साथी सामान्यतः मिलिट्री युनिफॉर्म में होते है|

ई) फिर वे, ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं और संघर्ष करने, उनका साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं|

ए) फिर वे ग्रामीणों/आदिवासियों से उनकी समस्याएं पुछते हैं और उनका हल अपने ढंग से बताते हैं|

ऐ) बाद में ग्रामीणों से खाना मांगकर, सामूहिक ढंग से उनके साथ क्रांति-गीत आदि गाकर सांस्कृतिक गतिविधियां चलाते हैं|

ओ) प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम चलाते हैं|

औ) रूढ़ियों के विरुद्ध अभियान चलाते हैं| विशेषतः बाल-विवाह के विरुद्ध|

ऑ) न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य करते हैं|

अं) ठेकेदारों आदि से पैसे वसुलते हैं|

जन न्यायालय

नक्सलियों द्वारा त्वरित न्याय दिलाने की शैली का उपयोग किया जाता है| इसमें दहशत कायम करने की नीति अधिक होती है| सरकारी न्याय व्यवस्था को शोषण युक्त बताते हुए उसकी ओर न जाने की नसिहत देते हैं|

अ) किसी स्थनीय अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार या किसी और स्थानापन्न व्यक्ति से शिकायत हो तो उसे ' जन-अदालत ' में बुलाया जाता है| उसे निर्देश दिये जाते हैं या दंडित किया जाता है|

आ) पुलिस मुखबिरी के लिए, दंड के तौर पर या तो उसकी उंगलियां, हाथ-पाव काट डाले जाते हैं या प्रत्यक्ष हत्या भी की जाती है|

इ) बिहार में माओवादियों द्वारा ' जन-अदालत ' के माध्यम से ' आदमी को छह इंच छोटा कर दो ' न्याय अंमल में लाया जाता है| अर्थात् कुल्हाड़ी से उसका सिर कलम कर दिया जाता है| इस दंड को अंमली जामा पहनाते समय, उसे देखने भारी संख्या में, ग्रामीणों को उपस्थित रहने को कहा जाता है ताकि दहशत बनी रहे|

ई) जो नक्सली आंदोलन छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें भी अधिकतर यही सजा दी जाती है| ऐसी अदालतें मुक्त किये गये भूभाग में या घने जंगलों में आयोजित की जाती हैं| एम.सी.सी. और पी.डब्लू.जी. ऐसे मृत्युदंड के लिये विशेष कुख्यात हैं|

उपलब्ध रेकोर्ड के अनुसार, 1991 से अबतक अकेले जहानाबाद जिले में 18 लोगों को ऐसी मौत की सजा दी गयी| 37 लोगों के अंग-भंग किये गये| 127 लोगों के घर, दंड के तौर पर ध्वस्त किये गये|

नक्सलियों की शत्रुता----

1) सरकारी कर्मचारी विशेषतः वन विभाग के कर्मचारी|
2) पुलिस|
3) व्यापारी, ठेकेदार आदि, जो आदिवासियों के शोषणकर्ता समझे जाते हैं| तेंदू पत्ते के ठेकेदारों से नक्सली हप्ता वसूल करते हैं| इन पैसों से इनकी आर्थिक गतिविधियां चलती हैं|

पुलिस विरुद्ध नक्सलवादी---

यह तो मानना पडेगा कि नक्सली नौजवान विशिष्ट ध्येय के लिए, जान हथेली पर लिये, कार्य करते हैं| विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता उनकी शक्ति का स्त्रोत है| इसी कारण वे जंगल-जंगल, आदिवासियों में हंसते हुए विचरते हैं|

इससें उलट, सर्वसाधारण पुलिस अपनी रोजी-रोटी के लिए पुलिस में भर्ती होता है| उसमें किसी ध्येय के लिये जान देने की मानसिकता नहीं होती| उसी तरह वह ' जंगल युद्ध ' या ' छापामार युद्ध ' के लिए प्रशिक्षित किया हुआ जवान नहीं होता| नक्सली क्षेत्र में तैनाती को दंड के रूप में लिया जाता है| लेकिन अभी स्थिति बदल रही है|

उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में पुलिस को काफी अधिकार दे दिये जाते हैं| जिनके फलस्वरूप जनता का उत्पिडन बढ जाता है| इस कारण आम जनता को भी पुलिस शत्रु, तो नक्सली मित्र लगने लगते हैं|

कभी-कभी नक्सलियों के पास पुलिस से बेहतर शस्त्र होते हैं|

नक्सलियों के सामाजिक सरोकार–

बिहार से प्राप्त एक समाचार की ओर नक्सलियों की सामाजिक सुधार की दृष्टि से की जा रही गतिविधियों के तौर पर देखा जा सकता है| (11 जून 2006 का समाचार)–" अब दहेज प्रथा के विरुद्ध बिहार में नक्सलियों ने कारगर पहल आरंभ की है| मा.क.पा. (माओवादी) ने इस अभियान के लिए अपने मातहत संगठन-नारी मुक्ति संगठन एवं सांस्कृतिक बाल टीम को लगाया है| वे गाँव-गाँव में शिविर लगाकर जनवादी तरीके से विवाह सम्पन्न करा रहे हैं| विवाह का सारा खर्च संगठन द्वारा ही उठाया जाता है| ऐसे समारोहों का आयोजन दूर-दराज के हिस्से में किया जाता है| ऐसा एक शिविर अभी-अभी चाल्हों पहाड़ की तलहटी में लगाया गया था| औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के सोनारचक गाँव में| '

माओवादियों को जनों में अपनी विश्वसनीयता बचाने की चिंता सताने लगी है| और शायद इसी कारण उन्होंने दहेज विरोधी शादियों का आयोजन कर, ग्रामीणों के बीच अपनी लोकप्रियता बचाए रखने की इस तरकीब को ढूंढ निकाला है|(यह समाचार पर की गयी लेखक की टिप्पणी है|)

समाजिक गतिविधियों की दृष्टि से मई 2005 में बनाये गये रिव्होलुशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट को विस्तार देकर अब पिपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बना दिया गया है|

नक्सलियों की अन्य नीतियां–

1) माओवादी विशेष आर्थिक झोन के विरुद्ध हैं| वे किसी परियोजना के लिए अपनी भूमि न देने के ग्रामीणों के फैसले का जोरदार समर्थन करते हैं|
2) वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण जैसे नव-उदार नीतियों के विरुद्ध जनता के युद्ध को देश भर में फैलाने और एक जन आंदोलन चलाने का संकल्प लेते हैं|

3)माओवादी, LTTE के साथ-साथ कश्मीर और उत्तर-पूर्व में चल रहे अलगाववादी अभियानों का समर्थन करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं|

3) वे नशाखोरी के विरुद्ध हैं|
4) नक्सली आंदोलनकारियों में शादी को प्रोत्साहित नहीं करते| लेकिन किसीने शादी की तो बच्चे पैदा करने मनाही है| इससे गतिविधियों की तेजी में बाधा पैदा होती है, ऐसा माना जाता है|
5) वे अपने सदस्यों को, जख्मों पर टांके लगाना, सलाईन देना, मामूली शस्त्रक्रिया करना आदि का भी प्रशिक्षण देते हैं ताकि उन्हें इन बातों के लिए अन्यों पर निर्भर न रहना पड़े|
6) माओवादी जब किसी हिंसक घटना को अंजाम देते हैं तो उसका उत्तरदायित्व भी लेते हैं|
7) क.पा.ऑफ इंडिया (माओवादी) के नौवें एकता अधिवेशन में हुए पार्टी निर्णय के अनुसार-

अ) कारागृहों का उपयोग राजनीतिक विश्वविद्यालयों के रूप में किया जाये|

आ) पकड़े गये नक्सलियों को छोड़ने का दबाव बनाने के लिए कारागृह से बाहर कानूनी तथा मानव अधिकार संरक्षण सेल्स बनाये जाएँ|

9) नागरी क्षेत्र में श्रमिकों का सशक्त संगठन बनाना और ग्रामीण हिस्से में फैले सशस्त्र भूमिगत आंदोलन के लिए पूरक वातावरण तैयार करना| (लेकिन आज की स्थिति में क्या यह संभव होगा कि इस आधार पर क्रांति यशस्वी हो?)

10) अब वे अपने छुपने के स्थान और गतिविधियां चलाने के लिए स्थान का चयन घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में करने लगे हैं| अब आवश्यक नहीं कि वे जंगल में ही छुपते रहें|

नक्सली विचार :

नक्सलियों की सोच यह है कि सन् 1947 में भारत को मिली आजादी झूठी है| यह गरीबों, वंचितों को लूटने वाले और किसी भी मार्ग से सत्ता को अपने अधिकार में कर लेने वाले सत्ताधिशों की सत्ता को बनाये रखने वाली है| हमारा संघर्ष सर्वहारा समाज, मजदूरों, किसानों और दूसरे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए है|

जहाँ माओवादी सशक्त होते गये उन हिस्सों को देखने से पता चलता है कि उनमें–

प.बंगाल में–वाम मोर्चा सरकार, उड़ीसा में बिजू जनता की सरकार, झारखंड में राष्ट्रपति शासन, आंध्रप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में कॉंग्रेस गठबंधन सरकार, बिहार में भाजपाई संयुक्त मोर्चा सरकार है|

इनमें समानता है| नक्सल प्रभावित हिस्से आदिवासी बहुल, अति पिछड़े और गरीब क्षेत्र हैं अर्थात् माओवादी संघर्ष किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं, वह तो पूरे शासन तंत्र के विरुद्ध है|

सीपीआई (माओवादी) के गठन के बाद जारी दस्तावेज़ के अनुसार–(As per CPI(Maoist) Party Programme Published in Hindi, by the Central Committee(Provisional) on 21 September,2004)

भारत में क्रांति होने के बाद और जनतान्त्रिक राज्यव्यवस्था अस्तित्व में आने के बाद निम्न बातें करनी हैं–‘ खेती में काम करने वाले की जमीन ‘ इस घोषणा के अनुसार, जमीन का पुनर्वितरण भूमिहीन, गरीब किसान, कृषि श्रमिक इनमें किया जायेगा| जमीन के स्वामित्व में स्त्रियों को भी बराबर का हक होगा| कृषि विकास के लिए सभी सुविधाएं, कृषि उत्पादन के लिए उचित मुआवजा दिया जायेगा| सहकारी कृषि संस्थाओं को अधिकतम प्रोत्साहन दिया जायेगा|

आठ घंटे का श्रमदिवस, कंट्राटी और बंधुआ श्रमिक पद्धति बंद करना, बाल श्रमिक पद्धति का पूरी तरह सफाया, सामाजिक सुरक्षा, काम के स्थान पर आवश्यक सुरक्षा, समान कामों के लिए समान वेतन(बिना किसी लिंग भेद के) इन बातों का, उनके अजेंडे में अंतर्भाव है| उसी तरह रोजगार का हक, मूलभूत हकों की सूची में हो, ताकि बेरोजगारी कम हो| अन्यथा बेरोजगार भत्ते का प्रावधान हो|

इन सारी बातों पर लगभग सभी राजनीतिक दल सहमत हैं| प्रश्न है, उनके ईमानदारी से क्रियान्वयन का|

हिंसा पर माओवादी दृष्टिकोण–

साधना(मराठी) 15-08-2009. माओवाद की चुनौती विशेषांक : माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष प्रवक्ता श्री.आजाद ने पार्टी का सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट किया है-

वास्तव में किसी भी सच्चे कम्युनिस्ट को हिंसा मंजूर नहीं| हमें अपेक्षा है, समानता और न्याय पर अधिष्ठित समाज व्यवस्था की| लेकिन कम्युनिस्ट जब ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए क्रियाशील

होते हैं तब उन्हें क्रुर हमलों का सामना करना पड़ता है| कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरू से यही अनुभव है| उनकी सरेआम हत्याएं, पॅरिस कम्यून के दिनों से ही हो रही हैं|

वर्ग और वर्णभेद को प्रश्रय देनेवाले इस देश में हिंसा यह सारी व्यवस्था की नींव है| शोषित जनता हर क्षण कई रूपों मे हिंसा का सामना करती है|

आज हमारे आंदोलनों को मसलने के लिए हमारे चारों ओर भेदिये और मुखबिरों का जाल है| संगठन के बाहर ही नहीं, यह अंदर भी हो सकता है| उनको पहचानना इतना आसान नहीं| ऐसे लोगों का अस्तित्व, इतिहास में कई असामान्य कर्तृत्व के क्रांतिकारियों की मृत्यु का कारण बना है| उनके अमानवीय यंत्रणा का कारण भी बना है| अतः संगठन को ऐसे लोगों से सतर्क रहने के सिवाय और को चारा नहीं| उनको समाप्त करना ही संगठन को बचाने का एकमात्र मार्ग है|

नक्सली रणनीति–

1) नक्सली हिंसा की घटनाएँ अब आम हो चुकी हैं| सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों, मुखबिर होने के संदेह पर नागरिकों की हत्याएं, खासकर गला रेतकर, सुरक्षा बलों और पुलिस को घेरकर या बारुदी सुरंग से उनके वाहनों को उडाकर हत्याएं, यह आम बातें हो गयी हैं|
2) शासकीय सम्पत्ति, नक्सलियों का मुख्य निशाना रही है| बिहार में रेल सम्पत्ति उनका आसान सा लक्ष्य है| रेल पटरियां और छोटे स्टेशनों को उड़ा देना आम बात है| इसका उद्देश्य दहशत फैलाना ही हो सकता है|
3) चुनाव बहिष्कार का फरमान| इसकी अवमानना करने वालों को अपनी उंगली कटवाने का खतरा रहता है|
4) एक समय ऐसा माना जाता था कि नक्सली कई गुटों मे बंटे हुए हैं और उनमें वैमनस्य के हद तक मतभेद हैं| लेकिन प. बंगाल और देहली में पकड़े गये नक्सली नेताओं की रिहाई के लिए झारखंड से एक पुलिस निरीक्षक को अगवा किया जाता है और बाद में उसकी हत्या की जाती है| संभवतः इसी कारण महाराष्ट्र के गढचिरोली में पुलिसकर्मियों की हत्याएं होती हैं| यह दर्शाता है कि वे अब अच्छी तरह एकजुट हैं| इन्सपेक्टर फ्रांसिस इंदीवर की जान के बदले कॉ, कोबाड गांधी, छत्रधर महतो और चन्द्रधर यादव इन तीन माओवादी नेताओं की रिहाई की मांग की गयी थी |
5) पहले 15-20 की टोलियों में घूमने वाले नक्सली अब एकसाथ सैकड़ों की संख्या में विचरण करने लगे हैं| इन दिनों मोबाइल वॉर के तहत कईं जगहों के नक्सली मिलकर किसी एक स्थान पर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं| 500-700 तक नक्सली चुपचाप एक जगह एकत्रित हो जाते हैं| कंपनी कमांडर के नेतृत्व में 120 जनों की सैन्य इकाई(कंपनी) माओवादियों की मुख्य लडाकू इकाई होती है| इसमें मुख्यालय के 12 ट्रुपर्स, पहली प्लॅटून के 21, दूसरी प्लॅटून के 12, तीसरी के12, विस्फोटक विभाग के 12 ट्रुपर्स आदि होते हैं|
6) वैसे तो केन्द्रीय गृह खाते से जारी की हुई प्रतिबंधित संगठनों की सूची में सीपीआई-माओवादी का क्रमांक सत्ताइसवॉ है| लेकिन यह भी बार-बार दोहराया गया है कि स्थानीय लोगों के

समर्थन के सिवाय उनका इतना बड़ा विस्तार संभव नहीं था| कभी-कभी तो पुलिस का खुफिया तंत्र जितनी जानकारी एकत्र नहीं कर सकता उससे अधिक जानकारी, नक्सलियों के कान और आंखें, उनतक पहुंचा देती हैं| कभी-कभी तो केवल उच्च स्तर पर ज्ञात जानकारी भी उन तक पहुँच जाती है|

7) नक्सलियों द्वारा, बड़े सोच-समझकर हमले किये जाते हैं, ताकि नक्सलियों का होने वाला नुकसान कम से कम और सरकारी मशीनरी और आदमियों का अधिक से अधिक हो| यह बात स्पष्ट करती है कि वे युद्ध कला में अति प्रशिक्षित हैं| 20 मई 2009 को रोहतास जिले के देहरी ओन सोन में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा पकड़े गये माओवादी चिंतन गुट के सदस्य मानदेव साह उर्फ राजू ने पुलिस को दी जानकारी के अनुसार हर ऑपरेशन के बाद नक्सली, उस ऑपरेशन की बनायी सीडी का अवलोकन करते हैं, ताकि इस ऑपरेशन के दरम्यान हुई गलतियां अगले ऑपरेशन में दोहराई न जाये|
8) नक्सली सशस्त्र कॅडर बेहद जुनूनी है|
9) वे लम्बी दूरी पर बारुदी सुरंगों का विस्फोट करने में पारंगत हैं|
10) छापामार लड़ाई में उन्हें महारत हासिल है|
11) उग्रवादियों को जंगलों के चप्पे-चप्पे की जानकारी होती है और उन्हें जंगलों में सुरक्षा बलों को घेरने की रणनीति में महारत हासिल है|
12) नक्सलवादियों ने अभी तक आत्मघाती पथकों का उपयोग नहीं किया हैं|

महिला नक्सली---

नक्सली आंदोलन में शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी रही है| लेकिन वे लडाकू दस्ते में शामिल नहीं होती थीं| अब तो स्थिति पूरी तरह बदल गयी है| कईं एककों की कमांडर अब महिलाएं हैं| इतना ही नहीं, कईं एककों में तो उनका प्रतिशत 60 तक भी है| उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2004 से लेकर तो जुलाई 2007 के बीच सशस्त्र बलों के साथ हुईं मुठभेड़ों में 130 महिला नक्सली मारीं गयीं| एक आरोप यह लगाया जाता है कि नक्सली कॅडर में भी महिलाओं का यौन शोषण होता है| लेकिन इस संगठन में जितने बड़े पैमाने पर महिलाओं का सहभाग है, इतना ही नहीं वे कईं दलम की कमांडर हैं, ऐसी स्थिति में इस आरोप की सत्यता संदिग्ध है|

नक्सली बजट---

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा हाल ही में(2009) घोषित की गयी सांख्यिकी के अनुसार नक्सलियों का वार्षिक बजट 1500 करोड़ रुपयों का है| यह पूर्वोत्तर के छह राज्यों (असम छोडकर) मेघालय, अरुणाचल, नागालैण्ड, मणिपुर, मिझोरम और त्रिपुरा के कुल बजट से अधिक है|

यह निश्चित है कि वे अपने भर्ती किये गये नये रिक्रुटों को हजारों में(3000) मासिक भुगतान करते हैं| तथा मारे गये नक्सलियों के परिवारों को भी बड़ी सहायता राशि दी जाती है| शस्त्रों की खरीद आदि पर भी बड़ी राशि खर्च होती है|

नक्सलियों का केन्द्रीय मुख्यालय---

छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ माओवादियों का केन्द्रीय अड्डा और सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है| यहाँ उनके प्रमुख नेताओं का वास्तव्य है| प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र तथा भंडारण यहीं है| ऐसा कहा जाता है कि नक्सल मुख्यालय के चारों बाजू का लगभग 4000 वर्ग किमी क्षेत्र अभेद्य किले जैसा है| समन्वित नक्सल विरोधी अभियान में भारी दिक्कत इस कारण आ रही है कि राज्य सरकार के पास इस क्षेत्र का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं है, चूंकि आजादी के बाद इस क्षेत्र का कभी सर्वेक्षण ही नहीं हुआ| इसे ' ब्लॅक होल ' के समानांतर संज्ञा दी गयी है| कहते हैं वर्षों से प्रशासन संबंधित किसी व्यक्ति ने यहाँ प्रवेश नहीं किया है| कॅंप के चारों ओर बारुदी सुरंगों का घेरा होता है|

गढचिरोली, भंडारा, बालाघाट, राजनांदगांव, अखंड बस्तर और मलकानगिरी का समावेश वाले इलाके के लिए माओवादियों की खास दंडकारण्य प्रादेशिक समिति है| इस भूभाग का बड़ा हिस्सा नक्सली नियंत्रण में है| कहा जाता है कि इसकी लोकसंख्या 60 लाख के करीब है| यहाँ दो बड़े संगठन हैं- दण्डकारण्य क्रांतिकारी किसान-मजदूर संगठन और क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन| और भी छोटे-छोटे संगठन हैं, जिन्हें ' संघम ' कहा जाता है| सन् 1993 के बाद गुरिल्ला सैनिकों के विशेष दस्तें बने और 2000 में बनी पिपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी| नक्सली प्रचार साहित्य में किये गये दावों के अनुसार इस क्षेत्र में कईं विकास योजनाएं अंमल में लायी जा रही हैं|

नक्सली इन बातों का लाभ उठाते हैं–

1) बिहार का जातीय संघर्ष|
2) आंध्र में बड़े जमींदारों के प्रति विद्यमान असंतोष|
3) वन कानून के प्रति आदिवासियों का पीढीगत रोष|
4) ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी|
5) घने जंगलों में आधार शिविर|
6) राजकीय पार्टियों के प्रति बढता अविश्वास|
7) सदियों से शोषित हो रहै जनसमुदाय का आज की सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष|

<u>नक्सलियों पर लगाये जाने वाले आरोप</u>–

विध्वंस और हत्याओं के अतिरिक्त, निम्न प्रकार के आरोप माओवादियों पर लगाये जाते हैं|

1) वे नेपाली माओवादियों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत् राष्ट्रद्रोही समूहों से सहयोग करते हैं|
2) उनकी गतिविधियों के कारण बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन होता है|
3) आज वे अपहरण, फिरौती और काली कमाई में लिप्त हो चुके हैं|
4) उनके प्रभाव के इलाकों में अत्यंत पिछड़े जन, विकास के लाभों से वंचित हैं| उनकी अगली पीढ़ी शिक्षा आदि से भी वंचित हो रही है, भले ही वे गरीबों के लिए काम करने का दावा करते हो| ह्यूमन राईट वॉच के 10 दिसम्बर को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार केवल नवम्बर 2009 में माओवादियों ने झारखंड में 14 और बिहार में दो स्कूल उड़ा दिये| एक तरफ माओवादियों की दहशत तो दूसरी ओर पुलिसी अत्याचार इन दोनों के बीच गरीब आदिवासी फंसा है|
5) जिन धनवानों को शुरू में उन्होंने जनता का शत्रु घोषित किया था, उन्हीं से वे बाद में हप्ता वसूल करने लगे और उनके हितों की रक्षा करने लगे| प्रत्यक्ष महाराष्ट्र के विधिमंडल में यह आरोप लगाया गया था कि चंद्रपुर जिले में स्थित एक बड़ा उद्योग समूह इस आंदोलन को सालाना करोड़ों की आर्थिक सहायता करता है और ऐवज में इस समूह को कच्चे माल की आपूर्ति अबाधित रूप से होती रहती है|

अंतिम नक्सली लक्ष्य–

लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमिज्म इन इंडिया ' इस विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हए केन्द्रीय गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिलै ने कहा कि माओवादी किसी भी देश की सेना की तरह अच्छे ढंग से प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध हैं| पकड़े गये नक्सली साहित्य और टिप्पणियों से लगता है उनका लक्ष्य पूरे भारत की सत्ता पर 2050 या 2060 तक नियंत्रण करना है| वे अपने आप को मजबूत करते हुए धीमी नीति पर चल रहे हैं| हो सकता है कुछ भूतपूर्व सैनिक उनकी सहायता कर रहे हो|

इसपर नक्सली नेता किसनजी ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि हम अपना लक्ष्य 2050 से काफ़ी पहले प्राप्त कर लेंगे चूंकि आज के भारत की स्थिति उसके अनुकुल हैं| अब रही बात सैनिकों से सहायता प्राप्त करने की तथा प्रशिक्षण देने की| किसनजी के अनुसार जो युद्ध हम लड रहे हैं, उसका तीस वर्षों का अनुभव हमारे पास है, वह किसी सैनिक के पास नहीं| हमें किसी सैनिकी सलाह की आवश्यकता भी नहीं|

माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर और पिपुल्स वॉर ग्रुप का विलय

भारत में जो नक्सलवादी गुट हैं, उनमें सबसे बड़े और सबसे सक्रिय यही दो गुट थे| दोनों में कुछ समानताएं भी हैं|

1) दोनों का हिंसात्मक क्रांति में विश्वास है|
2) दोनों ने सीपीआई एमएल में विलीन होने के स्थान पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएं रखी थी|

भारत में नक्सलवाद के नाम पर हुई हत्याओं में 85 % हिस्सा इन्हीं दो गुटों का है| बिहार में हुई 2500 के करीब हिंसक वारदातों में 2500 लोगों ने जान गंवाई| आंध्र में पिपुल्स वॉर ग्रुप ही प्रमुख था| लेकिन बिहार और झारखंड में उपरोक्त दोनों एकदूसरे के प्रतिस्पर्धी थे| वास्तव में वहाँ एमसीसी काफी पुराना और मजबूत गुट था| लेकिन 2004 में इनका एकदूसरे में विलय हुआ| विलय के बाद बनीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)| ऐसा कहा जाता है कि इनको नजदीक लाने में नेपाल के माओवादियों की विशेष भूमिका रही| इस विलय के कारण माओवादियों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई, और गतिविधियों में भी| उदा.13 नवम्बर 2005 का जहानाबाद अभियान| ऐसा समझा जाता है कि इसमें हिस्सा लेने वाले 600-700 सदस्य मूलतः एमसीसी से संबन्धित होने चाहिए| पिडब्लूजी के सदस्यों को इस तरह के अभियान का अनुभव नहीं था| दूसरी बात, आंध्र में इस तरह का हमला संभव नहीं. चूंकि आंध्र की पुलिस बिहार की तुलना में, अच्छी तरह गठित है| इस घटना की समानता, नेपाल के माओवादियों की कारवाइयों से हैं|

ऐसी ही एक घटना 09-02-2006 को बैलाडिला में हुई| लगभग 700 छापामारों ने नॅशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के विस्फोटक गोदाम पर हमला किया| सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स के आठ जवानों को मार डाला| अन्य आठ घायल हुए, जिनमें पांच की हालत नाजुक थी| छापामार 50 टन विस्फोटक और 17 रायफल्स लेकर भागे|

पहले ये छापामार पुलिस के साथ आमने-सामने की मुठभेड टालते थे और भाग जाने का प्रयत् करते थे| मुठभेड़ तभी होती थी, जब अचानक पुलिस से सामना होता था, पुलिस द्वारा पीछा किया जाता था या पुलिस द्वारा घेर लिया जाता था|

ऐसा माना जाता है कि विलय के बाद सीपीआई(माओवादी) के छापमारों की संख्या 4000-6000 के बीच होनी चाहिए| आंध्र में ‘ दलम ‘ नामक एककों का व्यवस्थित गठन किया गया|

लेकिन इस विलय को स्विकार न करने वाले कुछ तत्व, पुराने गुट चलाते रहे|

क.पा.ऑफ इंडिया (माओवादी) : 2008 के शुरू की स्थिति

इसकी गतिविधियां नियंत्रित करने वाली एक सर्वोच्च कमिटी अर्थात् पॉलिट ब्यूरों है| इसके 14 स्थायी सदस्य हैं तथा इसमें 6 पर्यायी सदस्यों की भी व्यवस्था की गयी है| इन चौदहों में सात आंध्र से हैं| चार तो एक ही करीमनगर जिले से हैं| इसकी एक केंद्रीय कमेटी भी है, जिसमें 37 सदस्य हैं|

<u>पॉलिट ब्यूरों के सदस्य---</u>

1) मुप्पल्ला लक्ष्मण राव (उर्फ गणपति, रामन्ना, श्रीनिवास, मल्लन्ना) यह पार्टी प्रमुख है| 2010 के दरम्यान इसकी आयु 60 वर्ष थी| यह करीमनगर से है तथा विज्ञान-स्नातक है| 25 वर्षों से भूमिगत है| गणपति नाम से प्रसिद्ध है| सितारामय्या के बाद पी.वॉ.ग्रुप का महासचिव बना| यह कम्मा जाति से है, जिसका झुकाव शुरू से ही कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर रहा|
2) प्रशांत बोस(उर्फ निर्भय, महेश, काजल आदि)| दूसरे क्रमांक का नेता है| यह प.बंगाल से है| अंतर्राष्ट्रीय और अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ होनेवाली बैठकों में अपनी पार्टी का नेतृत्व यही करता है|
3) चेरीकूरी राजकुमार (उर्फ उदय, परिमल, आझाद)| अभी (2010-11) इसकी आयु 57 वर्ष थी| आंध के कृष्णा जिले से है| यह वरंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से एम.टेक. तक उच्च शिक्षा प्राप्त नेता था| यह पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता भी था| यह तीसरे क्रमांक का नेता था| लेकिन 02-07-2010 को आदिलाबाद जिले के जोगापुरं के घने जंगलों में पुलिस मुठभेड़ में एक अन्य नक्सली नेता के साथ मारा गया| इसपर 12 लाख का इनाम था| ऐसा आरोप भी लगाया गया है कि वास्तव में उसे नागपुर स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था और उपरोक्त नकली मुठभेड़ में मार डाला गया|
4) मालोजुला कोटेश्वर राव(उर्फ प्रल्हाद, रामजी, कृष्णाजी)| 2010 में आयु 48 वर्ष| एमसीसी और पीडब्लूजी के विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाला व्यक्ति था| आंध्र के करीमनगर जिले से | फिलहाल प.बंगाल की व्यवस्था देखता है|
5) नम्बाला केशव राव(उर्फ गंगन्ना, बसवराज)| 2010-11 में आयु 55 वर्ष| आंध्र के श्रीकाकुलम जिले से|
6) कोबाड गांधी(उर्फ सलीम, राजन, किशोर)| पार्टी के प्रचारतंत्र को देखता था| आजकल जेल में है|
7) प्रमोद मिश्रा(उर्फ बनबिहारी, जनार्दन) औरंगाबाद(बिहार) से है| देहली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर का प्रभारी|
8) सुमानंद सिंह(उर्फ सुजित तत्कालीन आयु 55 वर्ष)| सशस्त्र गतिविधियां आयोजित करने में तज्ञ| फिलहाल प.बंगाल की सशस्त्र गतिविधियों का नियंता| मूलतः बिहार से|
9) मल्ला राजी रेड्डी(उर्फ मिसालन्ना. सायन्ना, सथेन्ना)| तत्कालीन आयु 57 वर्ष| आंध के करीमनगर जिले से|
10) मलाजुला वेणुगोपाल(उर्फ भूपति, सोनू)| करीमनगर जिले से|

11) कटकम सुदर्शन(उर्फ आनंद, बिरेन्दर, मोहन : 2010-11 में आयु 50 वर्ष)| आदिलाबाद जिले से|
12) अखिलेश यादव(उर्फ रमणाजी, प्रबोध, भूपेश : तत्कालीन आयु 67 वर्ष| भूतपूर्व स्कूल शिक्षक| सबसे अधिक आयु का पोलित ब्यूरो सदस्य| मूल गांव गया| बेटा भी माओवादी है|
13) बलराज (उर्फ बी.आर.) : तत्कालीन आयु 50 वर्ष | उत्तर बिहार का प्रभारी| प्रकाशन विभाग भी देखता है|
14) आशुतोष(उर्फ बिपुल, अशोक) तत्कालीन आयु 45 वर्ष| मूलतः झारखंड से| पॉलित ब्यूरो सदस्य मिसीर बेसरा की,(वर्ष 2008 के शुरू में) झारखंड में गिरफ्तारी के बाद, इसे सदस्य बनाया गया|

रिपोर्ट के अनुसार अभीतक ये अन्य छह पॉलित ब्यूरो सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं–कोबाड गांधी, अमित बागची, बलराज, प्रमोद मिश्रा, सुशील राय, नारायण सन्याल| केंद्रीय समिति के भी पांच सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं|

<u>किसनजी (मालोजुला कोटेश्वर राव)-----</u>

एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला और कॉंग्रेसी स्वातंत्र्य सैनिक का यह बेटा है| मूलतः करीमनगर जिले से है| माओवादी पार्टी का एक अन्य पॉलित ब्यूरो सदस्य भूपति और किसनजी भाई-भाई हैं| इसकी आयु अभी (2010-11) 58 वर्ष है और किसनजी के नाम से ही प्रसिद्ध है| मिडिया के साथ, मोबाईल के माध्यम से संपर्क स्थापित करने में माहिर है| यह व्यक्ति आपातकाल के एक वर्ष बाद ही भूमिगत हो गया था| 1980 में यह नक्सलवाद के संपर्क मे आया| इसी साल उसने पिपुल्स वॉर ग्रुप की स्थापना में सह संस्थापक की भूमिका अदा की| फिर पॉलित ब्यूरो सदस्य और आंदोलन प्रसार का तेलंगना और दण्डकारण्य विभाग, जो तेलंगाना से बस्तर तक फैला है, का प्रभारी बना| सन् 1990 में वह बिहार पहुँचा जहाँ उस समय माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का दबदवा था| एमसीसी पर किसनजी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया| काफी मतभेदों के बावज़ूद वर्ष 2004 में पीडब्लूजी और एमसीसी का विलय करवाने में किसनजी को सफलता मिली| इस विलय के लिए मुख्यतः किसनजी ही जिम्मेदार है, ऐसा माना जाता है| जब सीपीआई(माओवादी) पार्टी अस्तित्व में आयी तो नई पार्टी के नेतृत्व पर भी विचार हुआ| पीडब्ल्यूजी पर गणपति का प्रभुत्व था तो एमसीसी पर किसनजी का| गणपति सर्वसम्मति से नयी पार्टी का नेता माना गया और वह सेक्रेटरी बन गया|, बाद में माओवादियों का सुप्रीम कमांडर| जहाँ तक इन दो ग्रुपों का सवाल है एमसीसी अधिक हिंसक है| आज निर्विवाद ढंग से किसनजी सीपीआई (माओवादी) के दूसरे क्रमांक के नेता है| विलय के बाद यह व्यक्ति बंगाल के आदिवासी भाग के संपर्क में आया| उसनें कई बंगाली नेताओं के ऊपर अपने आप को स्थापित किया|

लेकिन आज की स्थिति में आंध्र, जहाँ किसी समय पीडब्ल्यूजी सशक्त थी, नक्सली आंदोलन बहुत ही क्षीण हो गया है| जबकि किसी समय एमसीसी के प्रभुत्व वाला रहा भाग झारखंड, बिहार

आदि में वह अधिक शक्तिशाली हुआ है| ऐसी स्थिति में कहा जाता है गणपति और किसनजी में सर्वोच्च नेतृत्व के लिए खींचातानी शुरू हो गयी हैं|

ऐसी अफवाह फैली थी कि 25 मार्च 2010 को पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में या तो किसनजी मारा गया या घायल हुआ| यह मुठभेड़ प.बंगाल के हाथिलोट जंगल में हुई थी| इस घटना के बाद कईं दिनों तक किसनजी के विषय में कोई समाचार मिडिया तक नहीं पहुँचा था| पुलिस ने कईं दवाखाने तथा अन्य स्थान छान मारे लेकिन कोई सूचना प्राप्त न कर सकी| लेकिन विश्लेषकों के मतानुसार किसनजी की मृत्यु की संभावना न के बराबर थी| एक सामान्य नीति के अनुसार नक्सली अपने किसी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार छुपाते नहीं, उलट उसे शहीद के रूप में प्रसारित और गौरवान्वित करने का प्रयत्न करते हैं| बाद में लालगढ़ से गिरफ्तार एक चिकित्सक जवाहरलाल महतो ने दावा किया था कि किसनजी के बायें पैर की पिंडली में गोली लगी थी, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है|

किसनजी ने अपने जीवन के 34 वर्ष भूमिगत अवस्था में गुजारे है| प. बंगाल के मुख्यमंत्री के अनुसार भले ही किसनजी मोबाइल के माध्यम से पत्रकारों और मिडिया वालों से लगातार बात करता हो, लेकिन लगातार स्थान बदलते रहने के कारण उसे ढुंढ निकालना आसान नहीं| कुछ समाचार पत्रों में तस्वीरें भी छपी हैं, जिसमें किसनजी जंगल में पत्रकारों से आमने-सामने बात कर रहा है| लेकिन कॅमेरे की तरफ पीठ है और मुंह कपड़े से ढंका हुआ है| हां, चौबीसों घंटे इस व्यक्ति के कंधे से एके 56 रायफल लटकती रहती है| टाइम्स ऑफ इंडिया को दिये साक्षात्कार में उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अब तक 93 व्यक्तियों की हत्याओं के लिए वह या उसके आदेश उत्तरदायी हैं|

10-10-2010 इस तारिख को प्राप्त एक समाचार के अनुसार, किसनजी ने अपना ठिकाना छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कर दिया है| उसी तरह किसनजी की पत्नी सुजाता उर्फ सुजाताक्का को दण्डकारण्य झोन कमेटी में लाया गया है| पहले वह नारायणपुर झोन का काम देखती थी| विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, राजनांदगांव में हुई जिस मुठभेड़ में राजनांदगांव के पुलिस सुपरिंटेंडेंट व्हि.के. चौबे की मौत हुई थी, उसका नेतृत्व सुजाताक्का ने ही किया था| हो सकता है उपरोक्त संघटनात्मक बदलाव के पीछे कुछ विशेष उद्देश्य हो| दण्डकारण्य झोन कमेटी का कमांडर रामन्ना नाम का व्यक्ति था लेकिन–

12-11-2010 को सुरक्षा बलों को कोलकाता में मिले पोस्टरों में किसनजी की शहादत का हवाला दिया गया है| इसके बाद यह अटकलें तेज हो गयीं कि क्या इस विद्रोही नेता की मौत हो गयी है? पुलिस का भी कहना है कि इस नेता को पिछले आठ महिनों में(अप्रैल 2010 से) सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया| उपरोक्त तीन पोस्टर्स, अब तक अज्ञात संगठन ट्राइबल प्लाटून भाकपा(माओवादी) के हैं| ये पुन्नपानी और लक्ष्मणपुर के बीच के इलाके से प्राप्त हुए| एक पोस्टर में मंशाराम(विकास) नाम के व्यक्ति को गद्दार भी घोषित किया गया| इन पोस्टरों के उपस्थिति की पुष्टि पश्चिम मिदनापुर के पुलिस अधिक्षक मनोजकुमार ने भी की है|

लेकिन 5 दिसम्बर 2010 कोलकाता के उपनगर में पकडे गये उच्च स्तर के माओवादी नेता कांचन उर्फ सुदीप चोगदार और अन्य चार माओवादियों के अनुसार किसनजी के शहीद होने का समाचार गलत है और वे अभी भी प.बंगाल में पार्टी का नेतृत्व कर रहे है| कांचन पार्टी के केंद्रीय कमेटी का सदस्य है तथा 2008 में लालगढ़ में हुए आंदोलन को आयोजित करने वालों में से एक है तथा किसनजी का दाहिना हाथ माना जाता है| कांचन के साथ राज्य कमेटी सदस्य अनीलं घोष उर्फ अजय, बरुन सूर उर्फ विद्युत तथा बिमल मलिक उर्फ शंकर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गये| वे झारखंड की ओर जाने वाली बस में चढने ही वाले थे कि धर दबोचे गये|

साथ ही राज्य कमेटी की महिला सदस्य कल्पना मैती उर्फ अनु हावड़ा स्टेशन से पकडी गयी| लेकिन अनु का पति आकाश पुलिस के हाथ नहीं आया|

कोबाड गांधी

देहली पुलिस की विशेष शाखा ने दक्षिण देहली में भिकाजी कामा हाउस से 21-09-2009 को कोबाड गांधी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया| माओवादियों का कहना है कि उन्हें 17 सितम्बर को ही पुलिस ने कब्जें में ले लिया था| कोबाड गांधी प्रोस्टेट कॅंसर से पीड़ित है तथा उन्हें हृदय से संबंधित समस्या भी है| इनके इलाज के लिए वे देहली में रह रहे थे| आजकल वे जेल क्र. 03 तिहाड़ में बंद है| उनकी मंशा वहाँ रहकर पत्नी अनुराधा पर किताब लिखने की है| उनके अनुसार उनके साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति ने ही उनके उपस्थिति की सूचना पुलिस तक पहुँचायी है|

59 वर्षीय (2010 में) कोबाड भाकपा(माओवादी) के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य है| यह व्यक्ति पार्टी का एक प्रमुख बुद्धिवादी माना जाता है| वह पार्टी के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सूत्र था| उसी तरह शहरी इलाकों में पार्टी विस्तार और प्रकाशन विभाग का प्रभारी भी था|

एक धनाढ्य पारसी परिवार का बेटा, दून स्कूल तथा मुंबई के प्रसिद्ध सेंट जेवियर कॉलेज का छात्र, लंदन में चार्टड अकाउन्ट्सी की शिक्षा लिया हुआ व्यक्ति है कोबाड गांधी| जन्म और लालन-पालन मुंबई में ही हुआ| उसके पिता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लॅक्सो में प्रबंध निदेशक थे| उनका घर वरली जैसे पॉश बस्ती में था| उनका पांचगणी में एक बंगला तथा महाबलेश्वर में एक होटल भी था| कोबाड के भाई की एक आइसक्रीम फॅक्टरी थी| कोबाड भी उसमें हाथ बंटाता था| वह किसी बड़े कंपनी में, बड़े पद पर कार्यरत रह सकता था| लेकिन उसनें एक अलग ही मार्ग चुना|

आपातकाल के बाद के दिनों में मुंबई में शुरू हुये वामपंथी आंदोलन के नेताओं में एक था कोबाड| आंध्र के कोंडापल्ली सीतारामय्या से प्रेरणा लेकर वह पीडब्ल्यूजी में शामिल हो गया| लेकिन आंदोलन विस्तार के लिए चुनें जाने वाले इलाकों की बात पर उनमें मतभेद हो गये| कोबाड की प्राथमिकता शुरू से ही शहरी इलाकों की थी| 80 के दशक में उसका रुझान टी. नागी रेड्डी की यूसीसीजीजी-सीपीएमएल के ओर हो गया| भाकपा-माले और पिपुल्स वॉर ग्रुप जैसे संगठनों को एकत्रित कर कोबाड ने ऑल इंडिया पिपुल्स रेझिस्टन्स फोरम की स्थापना की| इस तरह कोबाड नक्सली आंदोलन से जुड गया, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा|(इंग्लैंड में पढाई के दरम्यान ही वामपंथी विचारों और गतिविधियों के कारण उसे भारत वापस भेज दिया गया था|)

जहां तक उसके स्वभाव का प्रश्न है, उसके पुराने परिचितों के अनुसार वह एक शान्त बुद्धिजीवी है| निःस्वार्थ स्वभाव उसकी विशेषता थी|

मुंबई लौटने के बाद उसनें वहाँ की गंदी बस्तियों की समस्याएं समझने और उन्हें सुलझाने में रुचि लेना शुरू किया| इसी दरम्यान वह अनुराधा शानबाग के संपर्क में आया| और सन 1983 में उन्होंने शादी कर ली| दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जैसी थी| अनुराधा के परिवार की कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन में हिस्सेदारी थी| लेकिन अनुराधा भी वामपंथी आंदोलन से जुड गयी| शादी के बाद उन्होंने प्रण किया कि हमारे बच्चे नहीं होगे, ताकि पूरा जीवन आंदोलन के प्रति समर्पित रहे|

बाद में उन्होने मुंबई छोड़ दी| आगे नागपुर के असंगठित मजदूरों, दलित बस्तियों में, गढचिरोली, चंद्रपुर के आदिवासियों तथा तेंदू पत्तों से जुड़े श्रमिकों में, धुलिया और नंदुरबार के वन्य जातियों में रहकर उन्होने उनके शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया| अनुराधा गांधी के विषय में अन्यत्र विस्तार से लिखा गया है| वे भी भाकपा(माओवादी) के पॉलिट ब्यूरो की सदस्य थी| उन्होंने नागपुर में कामठी रोड पर स्थित पीडब्ल्यूएस कॉलेज में समाजशास्त्र के लेक्चरर के रूप में लम्बे समय तक कार्य भी किया| उन्होंने 1989-1996 के बीच विद्यार्थी प्रगति संगठन, नवजवान भारत सभा, महाराष्ट्र कामगार यूनियन जैसे संगठनों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई| ये नक्सली आंदोलन से जुड़े संगठन समझे जाते हैं|

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कोबाड गांधी के कई नकली नाम हैं| इनमें दिलीप पटेल, नरसी, राजन, अरविन्द, कतिफ अन्सारी, सलीम, कमल आदि शामिल हैं| पुलिस दावे के अनुसार कोबाड ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर चीन, नेपाल, बेल्जियम आदि देशों की यात्रा भी की है| एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, " वह पार्टी के विचारकों में से एक है और बेहद चतुर है| उससे जानकारी उगलवाना इतना आसान नहीं है|" इस कारण पुलिस ने गांधी के नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी थी| निचली अदालत ने अनुमति दे दी थी| लेकिन 03-10-2009 को उपरोक्त अनुमति पर दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश इंदुमती कौर ने रोक लगा दी थी| गांधी के वकील रिबैका एम. जॉन का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने अबतक' नार्को टेस्ट ' की संवैधानिक वैधता पर अपना निर्णय नहीं दिया है|

लेकिन देहली की मुख्य मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने गांधी की उस याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें उसने पुलिस द्वारा पुछताछ के दौरान उसके वकील की उपस्थिति की मंजूरी मांगी थी| गांधी के वकील विशाल गोसाईं थे|

माओवादियों द्वारा अगवा किये गये झारखंड के पुलिस इन्सपेक्टर फ्रांसिस इंदवार की रिहाई के बदले गांधी को मुक्त करने की कथित मांग की गयी थी| इंदवार की बाद में हत्या कर दी गयी थी| इस हत्या में माओवादियों की झारखंड क्षेत्रीय का प्रमुख ' पहान ' का हाथ होने का पुलिस को शक है|

भारत में नक्सलवादी आंदोलन की वर्तमान(2010) स्थिति

1) वर्ष 2006 के शुरू में भारत में नक्सलवादी गुटों की संख्या अनुमानतः 39 थी| सन्1983 में यह केवल 12 थी|
2) सभी गुटों को मिलाकर, छापामारों की संख्या 20,000 तक हो सकती है| एक अनुमान के अनुसार महिला छापामार 4000 तक हैं|
3) जो छापामार नहीं हैं, ऐसे सदस्य 50,000 तक होने चाहिए|
4) नक्सलवादियों के जो अन्य रूपों में संगठन हैं, उनके सदस्यों की संख्या, एक लाख तक होने का अंदाजा है|
5) भारत के जंगल व्याप्त भूभाग में से 19 % पर नक्सलियों का कब्जा है|
6) भारत के 20 राज्यों के 223 जिलों में (कुल जिलों की संख्या 602) नक्सलवादी गतिविधियां हैं| अधिक विस्तार से कहें तो मुख्य क्षेत्र निम्न हैं| (सन 1983 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केवल 40 थीं|

अ) आंध्र : खम्मम, वरंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, नलगोंडा, मेदक, अनंतपुर, गुंटूर, विशाखापत्तनम, विजयनगरम्, श्रीकाकुलम|

आ) महाराष्ट्र : गढचिरोली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा|

इ) उड़ीसा : मलकंजगिरी, रायगुडा, नवरंगपुर, मयुरभंज, कोरापुट, देवगढ, गजपति, संबलपुर|

ई) झारखंड : पलामू, गरवाह, गुमला, लोहरदग्गा, छतरा, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिम सिंघभूम, पूर्व सिंघभूम, लाटेहार, बोकारो|

उ) छत्तीसगढ़ : जगदलपुर, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कवर्धा, जसपुर, नारायणपुर|

ऊ) मध्यप्रदेश : बालाघाट, मंडला, धिंडोली|

ऋ) बिहार ; पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बांका, खगरिया, जमुरिया, बस्तर, सहरसा, अरवल|

ऌ) उत्तर प्रदेश : सोनभद्र|

ऍ) प. बंगाल : मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, नादिया, सिलीगुड़ी|

ये 83 जिले अति संवेदनशील माने जाते हैं| जिनपर नक्सलियों का पूरा नियंत्रण है| अन्य जिलों में फैलने के लिए वे क्रियाशील हैं| आंध, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मिलाकर 325 कि.मी. लम्बी जमीनी पट्टी तैयार होती है, जिसमें नक्सलवादी सशक्त हैं| आज (तत्कालीन) सबसे अधिक छापामार छत्तीसगढ़ और झारखंड में होने का अनुमान है|

नक्सली विरोधी निजी सेनाएं---

नक्सलियों के विरोध में निजी सेनाएं भी गठित की गयी हैं|

1) सबसे बड़ा अभियान है, सलवा जुडूम (छत्तीसगढ़)
2) अन्य सेनाएं हैं - ग्रीन टायगर्स, पलानाडू टायगर्सम, नल्लामल्ला टायगर्स, नरसा कोबराज्, निम गिरोह (सभी आंध्र)

3) नागरिक सुरक्षा समिति सिंहभूम, ग्राम सुरक्षा समिति झारखंड, संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा, शांति सेना (सभी झारखंड)
4) गण सुरक्षा समिति (प. बंगाल)
5) रणवीर सेना (बिहार)

भारत के पडोस में नक्सलवाद के समविचारी संगठन---

1) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी)
2) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बंगला देश (एम.एल.)
3) प्रोजेटरियन पार्टी ऑफ ईस्ट बंगाल
4) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका
5) बंगला देश संवादी पार्टी|

दक्षिण एशिया के माओवादी पार्टियों की समन्वय समिति भी बनायी गयी है| यह रिवल्यूशनरी इंटरनेशनल मूवमेंट (आरआयएम) लंदन में स्थित है|

अब नक्सलवादी, दण्डकारण्य में मजबूत आधार स्थापित कर नेपाल से आंध्र तक लाल गलियारा स्थापित करना चाहते हैं|

नक्सलियों का अंतर्राष्ट्रीय संपर्क

ऐसा कहा जाता है कि सन् 1996 में ही नक्सलियों (पीडब्लूजी) ने वर्कर्स पार्टी ऑफ बेल्जियम द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था| इसमें चालीस देशों के साठ संगठनों ने भाग लिया था| तभी वे फिलीपींस की सीपीपी, पेरू की पीसीपी, टर्की की टीकेपी(एमएल), नॉर्वे की एकेपी, जर्मनी की एमएलपीडी आदि संगठनों के संपर्क में आये थे|

मीडिया द्वारा प्रचारित कुछ बातें ---

1) नक्सली उनके प्रभाव वाले प्रदेश में ट्रकों के आवागमन के लिए प्रति ट्रक, प्रति माह 10,000 वसूल करते हैं|
2) वे मजदूरों से भी पार्टी फंड के तौर पर प्रति दिन एक रुपया वसूलते हैं|
3) अब वे पैसा इकट्ठा करने के लिए मादक द्रव्य की तस्करी तथा शेअर बाज़ार में पूंजी लगाने जैसे कामों में लिप्त हैं| आर्थिक संचय सोने के रूप में कर रहे हैं|

सरकारी सांख्यिकी

16 सितम्बर 2009 को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा, श्री. वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता वाली सांसदीय समिति को दी गयी अधीकृत जानकारी के अनुसार-

1) लगभग 40,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पूरी तरह नक्सलियों के नियंत्रण में है| वहाँ किसी भी शासकीय तंत्र की पहुँच नहीं है|

   केन्द्रीय गृहमंत्री जी के कथन अनुसार नक्सली गतिविधियों का विस्तार इस तरह है| (11-10-2009)–

   राज्य -20 (कुल राज्य 29)

   जिले --223 (भारत में कुल जिले 626), इनमें 70 जिले अधिक प्रभावित हैं| इनमें से 40 जिले अति संवेदनशील हैं|

2) पुलिस स्टेशन 2000 (देश में कुल पुलिस स्टेशन 12,476)

   2008 में इनमें से 609 क्षेत्रों में नक्सली वारदातें हुईं| देश का वह हिस्सा जो प्रत्यक्षतः नक्सलियों के कब्जे में है, जहाँ उनकी आसानी से पहुँच है, या जिसें नक्सली बेल्ट कहते हैं, देश के भूभाग का 40 % माना जा सकता है| वहाँ की आबादी 25 लाख है|

केंद्र सरकार की नीति

प्रधान मंत्री जी के विचार–

1) माननीय प्रधान मंत्री जी बार-बार यह कहते आये है कि नक्सली हिंसा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है|
2) लेकिन 11 अक्तूबर 2009 को उनके द्वारा मुंबई में दिये गये वक्तव्य के अनुसार–

   अ) उन्होंने नक्सलियों को आतंकवादी मानने से इन्कार किया|

   आ) उनके विरुद्ध सेना का उपयोग नहीं किया जायेगा| इसके लिए अर्धसैनिक दल और पुलिस ही पर्याप्त है|

   इ) नक्सली संगठन प्रतिबंधित संगठन है और वे गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के दायरे में आते हैं|

3) 4-11-2009 को वन्य अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नई देहली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि,

" आदिवासियों को आर्थिक व्यवस्था में स्थान देने में व्यवस्थागत असफलता रही है, जिसके नतीजे अब खतरनाक मोड ले रहे हैं| आदिवासियों के शोषण को अब और बर्दाश्त नहीं किया जायेगा|

आदिवासियों के हितों के प्रति संवेदना की कमी रही है और वनों पर उनके परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने के बजाय उनपर सैकड़ों मुकदमे ठोंककर उन्हें परेशान किया गया है| आदिवासी जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे बहुत पेचीदा हैं तथा उन्हें सहानुभूति और पूरी संवेदना के साथ समझने की आवश्यकता है| सभी राज्यों ने वन अधिकार कानून कारगर ढंग से लागू करने एवं आदिवासियों को उनकी जमीन का मालिकाना हक, समय सीमा के अंदर दिलाया जाना बहुत आवश्यक है| इस संबंध में एक नयी शुरुआत करने की आवश्यकता है| "

इस वक्तव्य में विषय से संबन्धित सारा निचोड़ आ गया है| झारखंड सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए, आदिवासियों के विरुद्ध चल रहे एक लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है| जंगल में घूमने, वहाँ लगे फल तोड़ने, जंगल में चरने के लिए पशुओं को घुसाने, लकड़ी तोड़ने जैसी मामूली बातों के लिए अनपढ़ आदिवासियों को वनकर्मी तथा पुलिस मुकदमों में फंसाने से बाज नहीं आती थी| मुकदमों की इतनी अधिक संख्या क्या दर्शाती है? परेशान आदिवासी कहां जायेगा?

लेकिन प्रधान मंत्री जी ने आगे कहा कि आदिवासी इलाके में, बंदूक के साये में कोई विकास कार्य नहीं हो सकता| अतः हिंसा बर्दाश्त नहीं की जायेगी|

माननीय गृहमंत्री जी–

1) भूतपूर्व गृहमंत्री श्री. शिवराज जी पाटील कहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा नहीं है चूंकि देश का केवल 3% हिस्सा ही नक्सल प्रभावित है| नक्सल समस्या 6.5 लाख देहातों की तुलना में 2% देहातों में अर्थात् 14,000 देहातों में ही है| देश के 14,000 पुलिस स्टेशनों में से केवल 300 पुलिस स्टेशन बाधित हैं| कुल दहशतगर्दी की घटनाओं में से केवल 1.1% घटनाएँ ही नक्सलियों से संबंधित हैं|
2) विद्यमान गृहमंत्री माननीय श्री.चिदंबरम के अनुसार–

अ) नक्सलियों की वास्तविक शक्ति का आकलन करने में प्रशासन चुक गया|

आ) माओवादियों को सशस्त्र राजनीतिक दल माना जाना चाहिए| इनके साथ कश्मीर के आतंकवादियों और पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों की तरह पेश आने की जरूरत नहीं है|(सैन्य कमांडरों के अधिवेशन में दिये गये वक्तव्य से)| आतंकवादी और उग्रवादी मूलतः अलगाववादी हैं| वे विशेष क्षेत्र को भारत से अलग करने की बात करते हैं| नक्सलियों की ऐसी कोई योजना नहीं है|

इ) वे कई बार नक्सलियों से बातचीत के लिए आगे आने के लिए कह चुके है ताकि वे जिन बातों के लिए अपना संघर्ष चला रहे हैं, उन बातों को दूर करने की योजनाएं क्रियान्वित की जा सके|

ई) गृहमंत्री जी की बातों से यह ध्वनित होता है कि उन्हें आशा है कि देर-सबेर माओवादी बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे|

ए) लेकिन वे यह भी अहसास दिलाते है कि हिंसक गतिविधियों के संदर्भ में वे कोई रियायत नहीं देंगे|

ऐ) बातचीत के लिए उनका आग्रह यह है कि भले ही माओवादी शस्त्रों का तुरन्त त्याग न करें लेकिन उन्हें हिंसक गतिविधियों को रोकना होगा और उसका क्रियात्मक सबूत देना होगा| उनकी दृष्टि में यही व्यावहारिक बात होगी| अगर वे ऐसा करते हैं तो 72 घंटों के अंदर उनको गृहमंत्री जी की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा| वे आगे कहते है कि वे जानते है, वे हथियार नहीं डालेंगे| उन्हें केवल हिंसा रोकनी है| हत्याएं, विध्वंसक गतिविधियां, अपहरण और हप्ता वसूली रोकनी है|

ओ) विदेशों से माओवादियों के लिए धन के किसी प्रवाह की कोई साक्ष नहीं है| या चीन से संबंध होने के भी कोई प्रमाण नहीं हैं| लेकिन म्यांमार, बंगला देश, नेपाल के रास्ते विदेशी हथियारों की तस्करी के निश्चित रूप से सबूत हैं| (चीनी बनावट के शस्त्र उनमें हो सकते हैं)| पाकिस्तान में निर्मित शस्त्र नहीं मिले|

औ) सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उनके द्वारा पकड़े गये दस्तावेजों से पता चलता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र को मिलाकर माओवादियों द्वारा उद्योगपतियों से, कंपनियों से, ठेकेदारों से, तथा अन्य लोगों से अंदाज़न 1500 करोड़ सालाना वसूली की जाती है| मना करने पर हर्जाना अलग ढंग से चुकाना पड़ता है| आम तौर पर वसूली मासिक या सालाना की जाती है| उसका प्रतिशत पांच से दस होता है| लेकिन बढ़ते हुए खर्च के कारण उन्होंने लेव्ही का प्रतिशत दो से बढ़ा दिया है|

अं) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को विकास के मुद्दे पर तथा अन्य विषयों पर नक्सलियों से वार्ता करने में सहायता करेंगी|

अः) गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की संख्या 175 है| भाकपा(माओवादी) का क्रमांक इस सूची में 27 है| केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन आतंकवादी है|

नक्सलियों के विरुद्ध बहुस्तरीय समन्वित अभियान

1) हांलाकि केंद्र सरकार कहती रही है कि नक्सलियों से निपटने का दायित्व राज्यों का है|
2) लेकिन नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र की अगुवाई में राज्यों की कईं बार संयुक्त बैठकें हुईं| सबने मिलकर इस समस्या से निपटने का संकल्प भी किया| नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों को, केंद्र से हरसंभव मदद देने पर भी सहमति बनी|
3) 12-02-2008 को केंद्र सरकार ने केबिनेट सेक्रेटरी के तहत एक टास्कफोर्स भी गठित किया|, ताकि नक्सल विरोधी गतिविधियों में तालमेल रह सके|

   एक अक्टूबर 2009 को स्पष्ट हुई स्थिति के अनुसार---

   1) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 33 बटालियन्स(लगभग 33,000 जवान) माओवादियों के विरुद्ध उपयोग में लाने के लिए दी हैं| ये पांच राज्यों में तैनात हैं|
   2) अब ' ऑपरेशन ग्रीन हंट ' नामक अभियान चलाया जायेगा, जिसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित राज्यों को, उस राज्य के पुलिस बलों को, केन्द्र सरकार के और 40 हज़ार अर्धसैनिक बलों के जवानों का समर्थन मिलेगा| गृहमंत्री जी ने ' ऑपरेशन ग्रीन हंट ' इस नाम के विषय में कहा कि दस्तावेज़ों में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है| यह मीडिया की कल्पना है| लेकिन इसी नाम को हम जारी रखेंगे, भले ही वह किसी के भी दिमाग की उपज हो|
   3) गृह मंत्रालय के आकलन के अनुसार यह अभियान पूरी तरह सफल होने में 12 से 30 महीने लग सकते हैं|
   4) दैनिक ' हितवाद नागपुर ' की जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बल एक तरफ गढचिरोली की ओर से तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कांकेर की ओर से ' अबुझमाड़ ' की ओर बढेंगे| अबुझमाड़ यह भाकपा(माओवादी) का आधारभूत स्थल है, केन्द्रीय अड्डा है या कहो राजधानी है| वहाँ उनके प्रशिक्षण केंद्र हैं| शस्त्रों तथा अन्य सामग्री का भंडारण है| माओवादियों के सर्वोच्च नेता वहीं बसते हैं| इस तरह इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के गढचिरोली से होगी| उसी तरह दांतेवाडा, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर की ओर से भी अबुझमाड़ को घेरा जायेगा| अभी तो अबुझमाड़ शासन के लिए, उसकी पुलिस सह पहुँच के बाहर है|
   5) इसका विस्तार ' ऑपरेशन गोदावरी ' के रूप में, किया जायेगा| इसमें छत्तीसगढ़-झारखंड की सीमा से लगे 11 जिलों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा| साथ ही छत्तीसगढ़ से लगे हुए और तीन नक्सल प्रभावित राज्य प. बंगाल, बिहार और झारखंड इसमें अंतर्भूत होंगे|

चूंकि गढचिरोली जिले की बड़ी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है और यहाँ से बड़ी आसानी से आंध्र में प्रवेश किया जा सकता है, नक्सली ' लाल गलियारे ' की कल्पना में भी इस भूभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| इस तरह ऑपरेशन गोदावरी का विस्तार प. बंगाल के पश्चिम मिदनापुर से लेकर आंध्र के खम्मम तक होगा| केन्द्रीय कमाण्ड, सभी राज्यों के बल और केन्द्रीय सुरक्षा बलों में समन्वय स्थापित करेंगी| यह कमांड केन्द्रीय रिझर्व पुलिस बल के अंतर्गत होगी और इसका संचालन ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल स्तर के अधिकारी करेंगे| इस पद पर श्री विजय रमण की नियुक्ति हो चुकी है|

तैनाती योजना के अनुसार इनमें से दो बटालियन झारखंड में, तीन छत्तीसगढ़ में, दो उ. प्रदेश में, एक प्रत्येकी उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र में तैनात होगी| नक्सल विरोधी बल की अपनी खुफ़िया शाखा भी होगी| इस बल के जवानों का विशेष तौर पर चयन किया गया है|

6) इन दलोँ को भारतीय वायुसेना के एमआई-17 जाति के छह हेलीकाप्टर, नक्सलियों को ढूंढने में मदद करेंगे| वे राहत कार्य में भी सहयोग करेंगे| उसी तरह उपग्रहों की सहायता भी ली जा सकती है|
7) इस अभियान में केन्द्रीय राखीव पुलिस दल, सीमा सुरक्षा दल, स्पेशल टास्कफोर्स(छत्तीसगढ़), ग्रे हाउंड, कोब्रा बटालियन(उड़ीसा) आदि के जवान हिस्सा लेंगे|

अ) 11 मई 2008 के प्रस्ताव के अनुसार भारत का गृह मंत्रालय 10,000 जवानों का विशेष कार्यबल गठित कर रहा है, जो नक्सलियों से लोहा लेगा| इसपर लगभग 1390 करोड़ रु. लागत आयेगी| COBRA(Commando Battalian of Resolute Action) की दो बटालियनें (लगभग 2000 जवान) पहले से ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तैनात हैं| इन कमांडों को तमिलनाडु के कोइंबत्तूर तथा असम के सिल्वर में स्थित जंगल वॉरफेअर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षित किया गया है| इनके पास आधुनिक दस प्रकार के शस्त्र रहेंगे| कोब्रा के गठन को अगस्त 2007 में ही केन्द्र ने 1400 करोड़ की लागत के अनुमान के साथ मंजूरी दे दी थी|

आ) ग्रे हाउंड: नक्सलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए आंध में गठित विशेष कार्यदल है|

इ) महाराष्ट्र में नागपुर के पास भी 11 एकड क्षेत्र में, महाराष्ट्र राज्य का प्रथम गैर-पारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया है| इसे ' अल्फा हॉक्स 'नाम दिया गया है| इसमें गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जायेगा| यहाँ आवासीय सुविधाएं भी होगीं| यहाँ 30 दिवसीय मूलभूत और 45 दिवसीय आधुनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा| इसपर 35 करोड़ रु. खर्च होंगे|

8) निरंतर बढती हिंसा के बीच, भारत में तीन ऐसे बख्तरबंद वाहनों का विकास किया गया है, जिनपर एके-47 की गोलियों, बारूदी सुरंगों का कोई असर नहीं होगा|

इन वाहनों की दिवारें और तलें विस्फोट रोधी धातुओं से बनी हैं| इन्हें नाम दिये गये हैं ध्रुव, द्रोण और वाइपर| इनके माध्यम से सुरक्षा बल बिना किसी क्षति के तैनाती के स्थान पर पहुँच सकेंगे| इन्हें नई देहली की 2009 इंडसैक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया|

विश्वस्त सूत्रों की माने तो लम्बी बारूदी सुरंगों में नक्सलियों की विशेषज्ञता देखते हुए, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने, विस्फोटकों का विशेष अनुभव रखनेवाले ब्रिगेडियर श्री. डी.एस. डडवाल की सेवाएँ भी ली जा रही हैं| उसी तरह कुछ ऐसे फौजी सलाहकार भी होंगे, जिन्हें कश्मीर में आतंकवादियों से दो-दो हाथ करने का अच्छा खासा अनुभव है|

9)अ) सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अर्धसैनिक बलों की 17 कंपनियॉ प. बंगाल में तैनात रहेगी| वास्तव में यह प्रस्ताव प. बंगाल सरकार का ही था|

आ) इस अभियान के अंतर्गत अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सीआरपीएफ के विशेष प्रशिक्षित 1800 जवान गढचिरोली में तो 3000 जवान छत्तीसगढ़ में भेजे गये हैं| प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इनका वास्तव्य सुदूर पुलिस चौकियों में अगले तीन सालों के लिये रहेगा|

सरकारी दावे के अनुसार छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और प.बंगाल में पिछले कई वर्षों से नक्सलियों ने 40,000 वर्ग कि. मी. इलाका अपने कब्जें में ले रखा था| इसमें से 10,000 वर्ग कि. मी., नक्सल विरोधी समन्वित अभियान के तहत सितंम्बर 2010 तक मुक्त कर लिया गया है|

आर्थिक पॅकेज–

नक्सलियों से मुक्त हुए प्रदेशों के लिए सरकार ने 7,300 करोड़ का पॅकेज घोषित किया है| पहले नक्सली भूभाग को उनसे मुक्त किया जायेगा और वहाँ विकास काम तुरंत शुरू किये जायेंगे| उपरोक्त रकम तीन वर्षों के लिए होगी| प्रथम वर्ष के लिए 1000 करोड़| इसके लिए महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के छह जिले चुने गये हैं| (उधर महाराष्ट्र ने भी घोषणा की है कि राज्य के नक्सल बाधित छह जिलों में अगले तीन वर्षों में 1386 करोड़ विकास योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे|)

लेकिन इस अभियान में इसपर ध्यान देना होगा कि इससे वे ही शक्तियां और सशक्त, क्रुर और असंवेदी न हो जाएं, जिनके किये दमन के कारण ही नक्सलवाद उत्पन्न हुआ| अगर ऐसा हुआ तो कहीं इस अभियान की स्थिति वह न हो जाएं जो ‘ सलवा जुडूम ‘ की हो गयी|

माओवादियों के विरुद्ध सेना का उपयोग–

लालगढ़ की कारवाई के बाद माओवादियों के विरुद्ध, सेना को उतारने का एक विचार भी सामने आया लेकिन---

1) सेना का ही एक वर्ग इस विचार के अनुकूल नहीं है| उसका मानना है कि चूंकि यह एक सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा है, इस लिए उससें उसी तरीके से निपटा जाना चाहिए| लेकिन दूसरा वर्ग मानता है कि, आज भले ही न हो, लेकिन निकट भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है|
2) रक्षामंत्री श्री. ए.के. एंथोनी ने कहा था कि नक्सलियों के विरुद्ध सेना का उपयोग नहीं किया जायेगा|, क्योंकि यह राज्यों का मामला है| राज्यों की पुलिस ही इससे निपटेगी| (लेकिन फरवरी 2008 में उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित नयागढ़ जिला मुख्यालय पर सशस्त्र नक्सली कारवाई के बाद वायुसेना नक्सल विरोधी अभियान में उत्तर गयी| इतिहास में यह प्रथम बार हुआ| फुलबनी जिले के कुपारी पहाड़ी पर दोनों आमने-सामने आ गये थे|)
3) गृहमंत्री के अनुसार भी नक्सली नेता और उनका कैडर भारतीय नागरिक हैं| कोई भी सुसंस्कृत सरकार अपने ही नागरिकों के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगी| इसलिए माओवादियों पर समाज की ओर से दबाव लाना जरूरी है कि वे हिंसा त्यागे और लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल हो|

वायुसेना की भूमिका

2009 के लोकसभा चुनावों के दरम्यान छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टर, मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक पहुचाने का काम कर रहे थे| इस दरम्यान माओवादियों द्वारा दागी गयीं गोलियों से वायुसेना का एक इंजीनियर मारा गया| इस घटना को देखते हुए वायुसेना ने ऑपरेशन के दरम्यान आत्मरक्षा में, माओवादी और उनके समर्थकों पर हमले की इजाजत मांगी| केन्द्रीय गृहमंत्री के अनुसार अपने हेलीकॉप्टरों और पायलटों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कारवाई करने वायुसेना स्वतंत्र है| अपने लोगों पर गोली चलाने के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक मंजूरी ले| इसपर सुरक्षा से संबंधित मंत्री स्तरीय समिति निर्णय लेगी| वायुसेना प्रमुख श्री. नायक के अनुसार वायुसेना अपने विशेष कमांडो दस्ते, गरुड को नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजने पर विचार कर सकती है| उनसे पुछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध वायुसेना का उपयोग करने के पक्ष में वायुसेना नहीं है| माओवादी हमारे ही नागरिक हैं| इस कारण सामान्य नागरिक और हिंसक गतिविधि में लिप्त व्यक्ति में फर्क करना मुश्किल है| किसी भी सेना के जवान प्राणघातक हमलों के लिए ही प्रशिक्षित किये जाते हैं| अतः उनका उपयोग देशांतर्गत करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है| वायुसेना के हमले से भारी तबाही भी मच सकती है| जहां तक सेना का सवाल है, देश में फैले नक्सली इलाकों को देखते हुए, अगर ऐसा हुआ, तो युद्ध लम्बा खींच सकता है|

बुद्धिजीवियों द्वारा सैन्य अभियान का विरोध

भारत के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों ने प्रधानमन्त्री जी को लिखे पत्र में आग्रह किया है कि केन्द्र सरकार नक्सलियों के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू न करें| इससे माओवाद से प्रभावित इलाकों में रहनेवाले आदिवासियों का जीवन प्रभावित होगा| उसी प्रकार इससे गृहयुद्ध छिड सकता है, जिसका शिकार सबसे गरीब तबका और आदिवासी हो सकता है| पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों में लेखिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता अरूंधती राय, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, इकॉनामिक ॲण्ड पोलिटिकल विकली के असोसिएट एडिटर बर्नार्ड डी. मेलो, भाकपा(माले) के महासचिव दिपांकर भट्टाचार्य और फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन हैं|

सेना के उपयोग से उभरने वाली संभावना

देश के अंतर्गत असंतोष को समाप्त करने, सेना का उपयोग करने से उभरनेवाली एक संभावना की तरफ स्तंभ लेखक श्री. अनिल चामडिया ने अपने ' सेना पर बढती निर्भरता ' में टिप्पणी की है-

श्रीलंका में लिट्टे का सफाया करनेवाली सेना के प्रमुख श्री सारथ फोन्सेका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वे अप्रैल में राष्ट्रपति पद के लिये होने जा रहे चुनाव में अपनी उम्मीदवारी निश्चित करने में लगे हुए है| विद्यमान राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे ने यह सोचा था कि लिट्टे पर जीत दर्ज करने का दावा कर, अगले चुनाव में वे अपनी जीत पक्की कर चुके है| लेकिन अब लंका में सेना एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित हो चुकी है|

भारत में जिस किसी भी इलाके में कथित अशांति का दावा किया जाता है, वहाँ शांति तो वापस नहीं आयी, लेकिन वहाँ संवैधानिक प्रमुख के रूप में सैनिक पृष्ठभूमि के लोग स्थायी रूप से काबिज हो गये|

26 जनवरी 2010 को होनेवाले लंकाई अध्यक्षीय चुनाव में श्री फोन्सेका विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे|

दूसरा उदाहरण नेपाल का है| वहाँ चुनाव के माध्यम से सशस्त्र विद्रोह करनेवाले सत्ता में आये| लेकिन सेना की हठधर्मिता और हस्तक्षेप के कारण उस सरकार को जाना पड़ा| देश फिर एक बार अस्थिरता और अनिश्चितता की ओर बढ चला|

प. बंगाल के लालगढ़ क्षेत्र में जो सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं, उनके लिये स्कूलों में अस्थायी शिबिर बनाये गये हैं| पश्चिम मिदनापुर भूमि कल्याण समिति द्वारा दायर की गयी एक पीआयएल याचिका पर सुनवायी करते समय प.बंगाल उच्च न्यायालय ने ता. 24-11-2009 को निर्णय दिया कि सुरक्षा बलों को 30 दिसम्बर से पूर्व स्कूलों से हटा लिया जाय| यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश श्री. भास्कर भट्टाचार्य की अध्यक्षतावाली दो न्यायाधीशों की बेंच ने दिया| आगे कोर्ट कहता है कि तुरन्त स्कूल की दैनंदिन गतिविधियां शुरू की जाय| बेंच ने स्कूलों के ऐसे उपयोग के लिए सरकार की आलोचना की और रिपोर्ट मांगी कि ऐसे कितने स्कूल हैं और वे कबसे बंद हैं|

नक्सलियों से वार्ता :

वार्ता के लिए बुद्धिजीवियों की अपील

' दी सिटीजन्स इनिशिएटिव फॉर पीस ' यह पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री. रवि राय के नेतृत्व में कार्यरत् अशासकीय संस्था है| देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की कई बड़ी हस्तियॉं इससे जुड़ी हैं| संस्था की ओर से 16-11-2009 को एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें इन खबरों का स्वागत किया गया, जिससे यह आशा बंधती है कि माओवादी और सरकार के बीच वार्ता की संभावना है| आए दिन हो रहीं हिंसक घटनाएँ, माओवादियों के विरुद्ध शुरू होने जा रहा अर्धसैनिक अभियान और संसद के दिसम्बर अधिवेशन में इस विषय पर होनेवाली व्यापक चर्चा इनको देखते हुए, यह अपील की गयी हैं कि दोनों पक्ष अपना-अपना अभियान रोके और वार्ता के लिए एकत्र आये| इस समस्या से उभरने का यही एक मार्ग है| नक्सली आश्वासन दे कि वे हत्याएं और विध्वंसक गतिविधियां रोक रहे हैं| वार्ता तबतक जारी रहे जबतक कोई समाधान नहीं निकल आता|

इस प्रेसनोट पर सर्वश्री राजेन्द्र सच्चर, महेश भट्ट, महाश्वेता देवी, मुचकुंद दुबे, रजनी कोठारी, सुरेन्द्र मोहन, अजित भट्टाचार्यजी, कुलदीप नैय्यर, एस.आर. शंकरन, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, तपन बोस, एडमिरल(सेवानिवृत्त) आर. रामदास, तीस्ता सेटलवाड, शबनम हाशमी, बी.डी. शर्मा, सुहास बोरकर आदि के हस्ताक्षर हैं|

बातचीत में पेंच

1) नक्सलवादी विशिष्ट मांग के लिए आंदोलन करनेवाला गुट नहीं है कि सरकार की अपील पर चट् से शस्त्र रखकर् बातचीत के लिए तैयार होगा|
2) समाज और समाज के प्रतिनिधि के रूप में सरकार का भी यह कर्तव्य होता है कि निरपराध लोगों की हिंसा रोके| इसलिए भले ही वह अन्य प्रतिकात्मक और प्रतिरोधात्मक उपाय करें लेकिन जिन्होंने हिंसा को अपना लिया हैं, उनसे हिंसा छोड़ने की अपील करते रहना और उनसे बातचीत के लिए तैयार रहना, इस पर्याय का वह कभी त्याग नहीं कर सकती| अन्यथा दुराग्रह हिंसा में वृद्धि ही करेगा|
3) नक्सलियों के दर्शन में ही यह बात है कि सत्ता बंदूक की नली से आती है और उसे बनाये रखने के लिए भी उसी का सहारा लेना होता है| उनकी हिंसा न आत्मरक्षा के लिए, न मजबूरी में है (किसी घटना आदि की प्रतिक्रिया स्वरूप)| वे अपने दर्शन में अंतर्भूत बात को छिपाते नहीं| बाकायदा अपने अनुयायियों को हिंसा का प्रशिक्षण देते हैं| उनके अनुसार नया शोषणमुक्त समाज बनाने के लिए सत्ता पर कब्जा जमाना आवश्यक है| इन्हें सरकार से कुछ सुविधाएं प्राप्त करना या अपनी मांगें मनवाना नहीं है| उन्होंने वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध छेडा है| अर्थात् हिंसा का त्याग माओवादियों की दृष्टि से आत्मघात ही होगा| इसलिए जबतक उनके दृष्टिकोण में बदल नहीं होता, तबतक केवल सरकार की अपील पर वे शस्त्र त्याग देंगे यह संभव नहीं|

4) उनके साथ बहस हो सकती है, इसी बात पर कि आज बिना हिंसा के भी समाज में शोषण कम किया जा सकता है, शोषितों का उत्थान संभव है| उनको इसका भरोसा दिलाना होगा| इसके लिए वैचारिक मंथन आवश्यक है| इसकी पहल बुद्धिजीवियों को करनी होगी| आज बुद्धिजिवी एक तरह से समाज के निष्क्रिय घटक बने हुए हैं| अन्यथा आज जो वैचारिक शून्यता की स्थिति बनी हुई है, वह न बनती| इस घटक को यह स्थिति बदलनी होगी|
5) यह तो मानना ही होगा कि नक्सलवाद का क्रमशः बढता प्रभाव विद्यमान व्यवस्था की असफलता का ही परिणाम है| नक्सलियों से वार्ता का एक ही रास्ता है कि इस असफलता को सफलता में बदल दे| लेकिन आज जो स्थिति है, उसमे यह कहा तक संभव है?
6) सरकार कहती है कि इन क्षेत्रों के विकास में अडंगा, नक्सली गतिविधियां ही हैं| लेकिन जहाँ नक्सली नहीं हैं वहाँ, शासन, विकास मॉडल के साथ आदर्श ग्राम का निर्माण कर, आदर्श क्यों प्रस्तुत नहीं करता?

बातचीत के लिए नक्सली प्रतिसाद

माओवादी नेता किसनजी कभी कहते है कि हथियार त्यागने का सवाल ही नहीं, तो कभी कहते है, पहले सरकार अपना हिंसा अभियान रोके तो नक्सली हिंसा रोकेंगे और बातचीत के लिए तैयार होंगे| उन्होंने एक बार यह धमकी भी दी थी कि सरकार माओवादियों के विरुद्ध हिंसा रोके वरना हम सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे|

प. बंगाल के एक पुलिस अफसर अतिंद्रनाथ दत्ता का अपहरण करने के बाद उन्होंने ' घोषित किया था कि उसके साथ ' युदबंदी ' जैसा व्यवहार किया जाएगा| इसका अर्थ यह हुआ कि माओवादी विद्यमान सत्ता के साथ युद्ध की स्थिति में हैं| शासन के कर्मी उनके कब्जे में आने के बाद युद्ध बंदी हो जायेंगे

गृह सचिव की, हिंसा त्यागते हुए वार्ता की पेशकश के जबाब में 10-11-2009 को किसनजी ने कहा," हिंसा छोड़ना हमारे अजंडे में नहीं है| हम सशस्त्र संघर्ष मे यकीन करते हैं| लेकिन सरकार अगर पहल करती है, तो माओवादी संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं|"

केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम जी की वार्ता की पेशकश के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष विराम किया जाए तो नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात अर्धसैनिक बलों को हटा लिया जाएं, तो विद्रोही बातचीत के लिए तैयार हैं| आगे उनका कहना था कि आदिवासियों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक निपटाना होगा|

सशस्त्र संघर्ष विराम : नक्सली शांति पेशकश (प.बंगाल)

वार्ता के लिए किशनजी की शर्तें–

1) नक्सली विरोधी अभियान रोकना और सशस्त्र बलों को हटाना|
2) 25 फरवरी से 07 मईः, 2010 तक अर्थात् 72 दिन फायरबंदी|

3) वार्ता के लिए मध्यस्थ हो| किसनजी के अनुसार (निजी न्यूज चॅनल से बातचीत के दौरान) सरकार अगर अरुंधती राय, कबीर सुमन, पूर्व आइएएस अफसर वि.डी. शर्मा जैसों को शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ बनाती है, तो हम हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हैं|
4) इन सारी बातों की जाहिर घोषणा प्रधानमन्त्रि स्वयं करें| वे श्री. चिदंबरम के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कि अगर माओवादी 72 घंटे के लिए हिंसा रोक दे, तो सरकार उनके साथ वार्ता के लिए तैयार है|

लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार यह उनकी रणनीति हो सकती है, ताकि अपनी शक्ति को पुनर्गठित करने के लिए समय मिले | फरवरी, मार्च, एप्रिल आदि में पतझड के कारण जंगल कम घने होते हैं| छुपने की जगहों की कमी होती हैं अतः वे इस दरम्यान आमने-सामने की मुठभेड़ टालना चाहते हैं| आंध्र में भी वार्ता का एक प्रयोग हो चुका है| वहाँ उन्होंने वार्ता के समय का उपयोग अपने आपको अधिक संगठित करने के लिए किया था|

यह तो सामान्य रणनीति है कि जबतक अंतिम समझौता नहीं हो जाता तबतक युद्ध भले ही रुका हो लेकिन वार्ता के दरम्यान हर कोई अपने आपको सुदृढ़ बनाने में ही जुटा रहता है| इसमें असामान्य कुछ नहीं है|

उस दरम्यान वार्ता की बेल भले ही मंडवे न चढी हो लेकिन दोनों पक्षों ने, मीडिया के मार्फत, कई मोबाइल फोन नंबरों का, संपर्क की दृष्टि से, आदान- प्रदान जरूर कर लिया था|

इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है| इस सारे मंथन में हमने देखा कि वस्तुतः एक नक्सली सत्ता केन्द्र भी दशकों से अस्तित्व में आ चुका है| जिसके इशारे पर अनुमान के अनुसार 20,000 व्यक्ति अपनी जानें देने को तैयार हैं| जिनके हाथों में सालाना 1500 करोड़ रु. खेलते हो, ऐसी सत्ता को क्या वे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? वैसा सोचना मानवीय मानसशास्त्र की अनदेखी करना ही होगा| ये सत्ताधीश भी अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए अंतिम सांस तक लडते रहेंगे| भले ही उन्हें उसके लिए अपने हज़ारों अनुयायियों की बलि क्यों न देना पड़े|

तो क्या बातचीत तभी संभव हो सकती है जब वर्तमान नक्सली नेतृत्व किसी भी रूप में पडदे के पीछे चला जाए?

राजकीय पक्षों का दृष्टिकोण :

नक्सलवाद पर माननीय अडवाणी जी

वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणी ने पुणे में (जनवरी 2011) कहा कि देश में नक्सलवाद विदेशी नहीं, घरेलू समस्या है और नक्सलियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए|

तेलंगाना राज्य समिति के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव–

श्री. राव ने 03 जनवरी 2011 को हैदराबाद में कहा कि तेलंगाना का अलग राज्य बनने पर उनकी पार्टी एक दलित नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनायेगी और एक मुस्लिम को उपमुख्यमंत्री| पार्टी गरीबों को अन्न और सिर पर छत्र प्रदान करने के ' नक्सली एजेंडे ' को अंमल में लायेगी| मैंने पहले भी कहा है कि नक्सली आम जनता को अन्न और सिर पर छत्र तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए ही लड़ रहे हैं| वे माओवादी नेता श्री. साम्बाशिवुडू द्वारा आत्मसमर्पण के बाद तेरास में शामिल होने के उपरांत पार्टी के कार्यालय के सामने एकत्र समुदाय को संबोधित कर रहे थे|

सत्ता और माओवादी : वार्ता में प्रगति

ऐसा माना जाता है कि स्वामी अग्निवेश, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री. चिदम्बरम की सहमती से, नक्सलवादियों को शांति वार्ता के लिए सहमत कराने, कार्यरत थे| ऐसा आरोप है कि इस प्रक्रिया में माओवादियों की तरफ से हिस्सा ले रहे आजाद को नागपुर में (स्टेशन या सीताबर्डी भाग में) गिरफ्तार कर आंध्र के आदिलाबाद के जंगलों मे ले जाकर मुठभेड़ के नाम पर मार डाला गया| मुठभेड़ फर्जी थी| साथ में इस घटना के चश्मदीद गवाह पिठोरागढ उत्तराखंड के युवा पत्रकार हेम पांडे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा|

स्वामी अग्निवेश जी के अनुसार, माओवादी, सरकार के 72 घंटे के युद्धविराम के प्रस्ताव पर राजी हो गये थे और बातचीत के लिए तैयार थे| बातचीत के तौर-तरीकों पर भी सहमती बन गयी थी| बातचीत का समय तय करना बाकी था| स्वामी जी ने इस बात पर बहुत दुख जताया कि इसी बीच आजाद की हत्या हो जाने से बातचीत का मामला खटाई में पड़ गया| आजाद की हत्या एक साजिश के तहत की गयी ऐसा आरोप स्वामी जी ने लगाया ताकि सरकार और माओवादियों के बीच वार्ता ही न हो| उन्होंने आगे कहा कि आजाद की हत्या के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ दगा हुआ है| (कोलकाता 12 अगस्त)| उन्होंने मांग की कि इस हत्या की गभीरता से जांच होनी चाहिए|

09-08-2010 की लालगढ़ की अपनी रॅली में सुश्री ममता जी ने एक ढंग से इसकी पुष्टि की|

देश भर के गांधीवादी 14-15 जुलाई को भोपाल में एकत्र हुए थे| वे माओवादी समस्या के लिए अहिंसक गांधीवादी रास्ते की तलाश कर रहे थे| दो दिनो की बैठक के बाद उन्होंने एक 15 सूत्रों

का चार्टर तैयार किया| जिसका नाम रखा गया ' भोपाल घोषणा '| उस चार्टर को प्रधानमन्त्री जी के पास भेज दिया गया| इस सम्मेलन का आयोजन ' भारत प्रतिष्ठान ' ने किया था| प्रतिष्ठान ने नक्सल समस्या पर बातचीत के लिए प्रधानमन्त्रि जी से समय भी मांगा था| जिन लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया उनमें स्वामी अग्निवेश भी थे|

नई दिल्ली में 03 जुलाई, 2010 को हितवाद (अंग्रेज़ी) समाचार पत्र से बात करते हुए गांधी पीस फाउंडेशन प्रमुख राधा भट के अनुसार स्वामी अग्निवेश जी की मध्यस्थता से मिला गृहमंत्री जी का उत्तर श्री आजाद तक पहुँचाना था| लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले ही आजाद की हत्या हो गयी| सुश्री भट उस बुद्धिजीवियों के गुट की सदस्या है जो ' शांति और न्याय के लिए अभियान ' इस नाम से जाना जाता है| इसी गुट के नेतृत्व में रायपुर से दांतेवाडा तक शांति मार्च आयोजित किया गया था और शांति चर्चा की पहल हुई थी| अब इस गुट ने सरकार से अपील की है कि वह शांति वार्ता पर अपनी स्पष्ट नीति घोषित करें| इस अपील पर सर्वश्री बनवारीलाल शर्मा, मेधा पाटकर, राधा भट, अजित झा, नीरज जैन, डॉ.व्ही. एन. शर्मा और संजीव लोचन सिंह के हस्ताक्षर है| (हितवाद जुलाई 05 |

बुद्धिजीवियों ने आजाद से संबंधित घटना के सत्यापन के लिए एक समिति गठित की है| जिसका नेतृत्व मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच. सुरेश करेंगे|

ऐसा दिखता है, सुरक्षा एजंसियॉं शीर्ष माओवादी नेतृत्व को निशाना बना रही हैं| क्योंकि ऐसा करने से माओवादी आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाएगा| नया नेतृत्व उभरने पर भी वह अनुभवहीन होगा| आकलन के अनुसार आज नेतृत्व की औसत आयु 60 वर्ष है, जबकि प्रत्यक्ष लड़नेवाले गुरिल्लाओं की औसत आयु 20 से 30 वर्ष है|

घटना प. बंगाल, झारखंड सीमा, जहाँ लालगढ़ स्थित है, की है| पिछले दिनों एक फोटो प्रकाशित हुई| इसमें पुलिस दल के सशस्त्र जवान, मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों के शव डंडे से लटका कर, कुछ इस तरह ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम अक्सर चित्रों में शिकारियों या राजा-महाराजाओं द्वारा मारे गये जंगली जानवरों को लाते हुए देखते हैं| इन मृत व्यक्तियों, जिनमें महिलाएं भी थीं, के हाथ-पैर बंधे हुए थे और उनके बीच से डंडा निकाल कर सिपाही उन्हें कंधे पर लादे ले जा रहे थे|.....एक स्तंभकार की इसपर टिप्पणी है कि -"'माओवादियों को जानवरों की तरह कंधे पर टांग कर लाने से भारतीय गणतन्त्र की प्रतिष्ठा को जबरदस्त आघात पहुँचा है| (श्री. चिन्मय मित्र).....और हमारी महान संस्कृति को?

कुछ तत्व यही बात मानते हैं कि नक्सलवाद से केवल बंदूक से ही निपटा जा सकता है| उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री. रमण सिंह|

दांतेवाडा के वरिष्ठ अधिक्षक एस.आर.पी. श्री कुल्लारी ने मिडिया को जारी अपने अहस्ताक्षरित वक्तव्य में यह आरोप लगाया कि सुश्री मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, नंदिनी सुंदर और हिमांशु कुमार की, स्थानीय कांग्रेसी नेता श्री अवधेश गौतम के घर पर हुए हमले, जिसमें दो व्यक्ति मारे गये थे, के

मुख्य आरोपी माओवादी नेता लिंगराम कोडोपी से निकटता है| हम राज्य विरोधी ऑपरेशन में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोडेंगे|

मेधा पाटकर, अरुंधती रॉय, नंदिनी सुंदर (दिल्ली में प्रोफेसर), हिमांशु कुमार इनमें से कोई भी आजतक सशस्त्र कार्यकर्ता के रूप में नहीं जाने जाते थे| आज ये सारे एकाएक माओवादी हो गये| शायद अब व्याख्याएं बदल गयी हैं| शस्त्रों का पुरस्कार करनेवाले शस्त्रों को छोड़े, ऐसा प्रयत्न करनेवाले भी अब हिंसावादी माने जायेंगें| इस व्याख्या के अनुसार आचार्य विनोबा जी, लोकनायक जयप्रकाश जी आदि का क्या परिचय देना होगा?

माओवादियों के संपर्क में रहने वाले बौद्धिकों को गैरकानूनी गतिविधि निवारक कानून के दायरें में लाने का भी सत्ता में भागीदारी करनेवाले किसी हिस्से का आग्रह है| गैरकानूनी गतिविधि निवारक कानून 1967 में बना| दिसम्बर 2008 में इसमें संशोधन हुआ| इस कानून की धारा 39 के अनुसार दस साल की सजा, जुर्माना, बिना वॉरंट की गिरफ्तारी और वह भी बिना जमानत के, संभव है| यह अनिश्चित समय के लिए भी हो सकती है| इस कानून का उपयोग आतंकवादियों और खूंखार अपराधियों के विरुद्ध किया जाता है|

एक आकलन के अनुसार अगले दस सालों में लगभग 112 अरब डॉलर्स का विदेशी निवेश भिन्न-भिन्न योजनाओं में ऐसे भूभाग में होना है, जिस पर नक्सलियों का नियंत्रण है| इसे ‘ Red Corridor ‘ या ‘ Compact Revolutionary Zone ‘ नाम दिया गया है|

अपनी नौवीं कॉंग्रेस में सीपीआई (माओवादी) ने सब आदिवासियों और जंगल से सम्बद्ध जनों का आवाहन किया कि वे लुटेरों से उनकी जमीन बचाने, बड़े पैमाने पर होनेवाला उनका विस्थापन रोकने, भूमि अधिग्रहण के किसी भी गतिविधि का जी-जान से विरोध करें|

केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने हाल में एक ब्रिटिश दैनिक को दिये साक्षात्कार में कहा कि सरकार सभी निजी कंपनियों के साथ हुए एमओयू को तबतक स्थगित रखने के लिए तैयार है, जबतक माओवादियों से बातचीत नहीं होगी| लेकिन उद्यमियों का भी रुख़ सकारात्मक होना चाहिए| उन्हें अपने सामाजिक दायित्वों को मान्य करना ही होगा| खास तौर पर इस भूभाग के वासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित बातों को लेकर| (Corporate social responsibility initiative)

ता. 12-08-2010 को कोलकाता में दिये एक इंटरव्यू के अनुसार माओवादी, सरकार के साथ, इस शर्त कॅ साथ वार्ता के लिए तैयार है कि आंध्र प्रदेश में पिछले माह एक पुलिस मुठभेड़ में उनके शीर्श नेता चुरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद की मौत की न्यायिक जांच कराईं जाएं|

उधर आउटलुक पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि -‘ माओवादी नेता आजाद की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की कॉपी उन्होंने प्राप्त कर ली है| यह कापी किसकी है, यह बात गुप्त रखते हुए, उसे उन्होंने तीन भिन्न-भिन्न शहरों के तीन नामी फोरेंसिक विशेषज्ञों के पास भेजी और उनकी राय मांगी| तीनों इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृतक को 7.5 से. मी या उससे भी कम दूरी से शूट किया गया| रिपोर्ट के अनुसार आजाद के सीने की बायीं ओर गोली घूसने का अंडाकार घाव मिला है| यहाँ

से गोली घूसकर, दिल को छेदती हुई पीछे से निकल गयी| ऐसा लगता है हैंडगन से बहुत ही करीबी से गोली मारी गयी|

उमाकांत महतो की मौत पर ममता जी

ज्ञानेश्वरी हादसे का तथाकथित मास्टर माइंड माना जाने वाले उमाकांत महतो को झारग्राम से 18 कि.मी. दूर नड्डा जंगल में मार गिराया गया| उसके सिर पर सीबीआई का एक लाख का इनाम घोषित था|

28-08-2010 को कोलकाता की तृणमूल कॉंग्रेस छात्र परिषद् के स्थापना दिवस रॅली में उपरोक्त नाम का उल्लेख न करते हुए ममता जी ने कहा कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से आरोपी को मिटा दिया गया| ताज़ा घटनाओं में प. बंगाल पुलिस का दावा है कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के मुख्य अभियुक्त माओवादी नेता उमाकांत महतो की एक मुठभेड़ में मौत हो गयी| सुरक्षा एजेंसियों के सारे दावों के बीच यह मुठभेड़ भी सवालों के घेरे में है|

आजाद की मौत की जांच और वार्ता

नक्सलियों के साथ वार्ता के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे स्वामी अग्निवेश ने 23 -11-2010 को नागपुर में स्पष्ट किया कि अब नक्सली, केंद्र सरकार से तभी बात करेंगे जब वह माओवादी नेता आजाद की मौत की जांच का आदेश देगी| उन्होंने आगे कहा कि 01-07-2010 को आजाद देहली से नागपुर पहुँचा था| उसके साथ हेमचन्द्र पांडे नाम का एक पत्रकार भी था| आंध्रप्रदेश पुलिस दोनों को वहाँ से उठाकर आदिलाबाद के जंगल में ले गयी| वहां दोनों की हत्या कर उसे एन्काउंटर का नाम दिया गया| उन्होंने आगे कहा कि इन हत्याओं के बाद 10,15, और 20 जुलाई को सरकार ने बातचीत की पेशकश की थी| लेकिन अब नक्सली इस हत्या की जांच के बिना वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं| उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नक्सली समस्या के हल और इस वार्ता के प्रति गंभीर नहीं है| उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार एक सप्ताह के अंदर जांच का आदेश नहीं देती तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे|

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, प. बंगाल में पश्चिम मिदनापुर जिले के मोतेरा जंगल में सुरक्षा बलों द्वारा 26 जुलाई की रात भर चलीं मुठभेड़ में माओवादी नेता तथा सिंधु-कान्हु-गाना मिलीशियी के प्रमुख और पीसीपीई के सचिव नसीधु सोरेन, एक महिला माओवादी और अन्य पांच नक्सली मार गिराये गये| अब पीसीपीए का संयोजक सानोज महतों को बनाया जा रहा है (अगस्त 2010)

<u>नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का भारतीय माओवादियों को पहली बार खुला समर्थन</u>

लेकिन इन घटनाओं के बाद, अपने को तटस्थ बतानेवाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पॉलिट ब्यूरों ने 26 जून को हुई अपनी बैठक में पहली बार, भारत के हिंसा में लिप्त माओवादियों का खुले आम समर्थन किया है| इस विषय में आगे कहा गया है कि भारत में जो

दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं और जन आकांक्षाओं के विरुद्ध बल प्रयोग किया जा रहा है, उसके विरुद्ध वहाँ चल रहे माओवादियों के संघर्ष को हम समर्थन देते हैं|

ममता जी मध्यस्थ के रूप में

18-08-2010 को कोलकाता में ममता जी ने किसनजी के संघर्ष विराम प्रस्ताव का स्वागत करते हुए संकेत दिया कि वे मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है| दोनों पक्षों के बीच तीन महीने के लिए संघर्ष विराम करने और ममता जी के मध्यस्थता करने के किसनजी के बयान पर रेल मंत्रीजी ने कहा कि इस बयान की जानकारी उन्हें केवल मिडिया से मिली है| लेकिन इस पर निर्णय केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि इसके लिए अलग मंत्रालय है|

पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद माओवादी जब शक के घेरे में आएं तो उन्होंने तुरन्त सफाई दी कि समाज के निर्दोष नागरिकों की जानें लेनेवाली इस दुर्घटना में उनका हाथ नहीं है| इसके पीछे जो लोग हैं, उन्हें, अपने स्तर पर दंडित करने की बात भी उन्होंने की|

दांतेवाडा में, बस धमाके में विशेष अधिकारियों के साथ बीस आम लोगों की मौत पर भी उन्होंने खेद जताया| चिंतलनार में 76 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने की पेशकश की थी और जनता से भी मदद करने का अनुरोध किया था|

क्या ये सारी बातें, इस आंदोलन का नेतृत्व करनेवालों की सोच में हो रहे बदलाव की सूचक है? क्या यह आज की स्थिति के पार्श्व में उभरा सुप्त अपराधबोध है? या कि निरपराधों की हत्या से आम जनों में, उनके प्रति भी आक्रामक रोष उभर सकता है और उनका हश्र भी लिट्टे या पंजाब के खाडकुओं जैसा हो सकता है, यह चिंता है? जो कुछ भी हो, लेकिन स्थिति अगर सकारात्मक परिणाम दे सकती है, तो उसका स्वागत होना चाहिए|

राजकीय पक्षों का दृष्टिकोण---

श्री. दिग्विजय सिंह : कॉंग्रेस जनरल सेक्रेटरी, " माओवादियों की गतिविधियां निश्चित ही गुनहगारी स्वरूप की हैं, अग्राह्य हैं और उन पर लगाम लगाना ही होगा| लेकिन वे जिन मुद्दों को सामने रखते हैं, उन मुद्दों की वास्तविकता की ओर हम आंखें नहीं मुंद सकते| न उन्हें आतंकवादी कहा जा सकता है, न देशद्रोही| हम इन्हें सैनिक शक्ति से पराभूत नहीं कर सकते (CNN-IBN's Devil Advocate Programme)

अप्रैल 2010 के अंत में एक प्रमुख माओवादी नेता तुषारकांत भट्टाचार्य ने खुलासा किया था कि पिछले वर्ष अगस्त में श्री दिग्विजय सिंह ने हैदराबाद के एक कॉंग्रेसी नेता के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और गुप्त रूप से वार्ता का प्रयत्न किया था|(हालांकि श्री.सिंह ने ऐसे किसी संपर्क के विषय में इन्कार किया है|) उस समय भट्टाचार्य सन 1976 में हुई छतलपुर छापेमारी के मामले में वरंगल जेल में बंद थे| उनकी हैदराबाद के एक अस्पताल में श्री दिग्विजय जी से मुलाकात होनी थी| लेकिन आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजशेखर रेड्डी की दुर्घटना में मृत्यु हो जााने से बात जहाँ की वहीं रही| गत नवम्बर में श्री. भट्टाचार्य को जेल से रिहा किया गया, लेकिन जनवरी 2010 दोबारा गिरफ्तार कर लियाा गया| (ओपन द मैगजीन डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार)

भारतीय जनता पार्टी–

वह नक्सलियों के उच्चाटन के लिए, केन्द्र सरकार का समर्थन तो करती है, लेकिन सरकार की वर्तमान नीति को ढुलमुल बताते हुए कड़ी से कड़ी कारवाई की मांग करती है|

राज्य स्तरीय पार्टियां–

झारखंड में तो माओवादी कई पार्टियों के टिकट पर चुनाव लडे हैं| बिहार में चुनाव होने थे| वहाँ के नेता भी फूंक-फूंक कर वक्तव्य दे रहे थे|

आंतरिक सुरक्षा पर बैठक

आंतरिक सुरक्षा पर केन्द्र द्वारा बुलाई गयी बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार में शामिल सहयोगी तृणमूल कॉंग्रेस की अध्यक्षा शामिल ही नहीं हुई| कई राज्य सरकारों की तथा केन्द्र सरकार की नीतियों में एकवाक्यता नहीं है| एकदूसरे पर दोषारोपण करने में ही उन्हें समस्या का समाधान नज़र आता है| बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए| जो शामिल हुए उनमें से कुछ सो गये थे| मिडिया में उनकी सोईं हुई तस्वीरें छपी थीं|

गृहमंत्रालय द्वारा सांसदों की बैठक---

गृहमंत्रालय ने नक्सल प्रभावित 33 जिलों के सांसदों की बैठक बुलाई है| प्रान्त निहाय जिले इस प्रकार हैं| सभी बहुत ही अविकसित हैं|--झारखंड-12 जिले, आंध्रप्रदेश-01 जिला, उ.प्रदेश-01 जिला, म.प्रदेश 01 जिला, छत्तीसगढ़-07, बिहार–06, उड़ीसा–05, महाराष्ट्र-0

नक्सलियों से लड़ने की केन्द्र सरकार की योजना : अगस्त 2010

14 जुलाई 2010 को केन्द्र द्वारा बुलाई गयी बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और प. बंगाल ने अपने यहाँ एकीकृत कमान बनाने के केन्द्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया| लेकिन किसी भी राज्य ने सेना तैनाती की मांग नहीं की| गृहमंत्री जी ने बताया कि, "कुल 34 इंडियन रिझर्व बटालियनें बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 21 बन चुकी हैं और अन्य 13 बनने की प्रक्रिया में हैं| वैसे इस समय सीआरपीएफ के करीब 47,000 जवान अलग-अलग राज्यों में नक्सलवाद से लोहा ले रहे हैं| इनमें से सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में हैं| "

09-08-2010 के समाचार के अनुसार योजना आयोग ने नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए 13,742 करोड़ के पॅकेज को मंजूरी दी थी|

"सरकार के अनुसार नक्सली समस्या से निपटने में सालों या कम से कम 03 से 07 साल तो लग ही सकते हैं|"

ग्रीन हंट अभियान शुरू होने के बाद

1) स्वयं गृहसचिव भी मानते है कि अब तक जो ऑपरेशन चला है, उसमें कट्टर उग्रवादियों के 5% को भी निशाना नहीं बनाया जा सका| ऐसा दिखता नहीं कि इस ऑपरेशन से नक्सली डर गये हैं| उलट उन्होंने अपनी गतिविधियों को उग्रता प्रदान की है|
2) एक थाने में औसतन आठ पुलिसकर्मी होते हैं| गृह सचिव श्री.जी.के. पिलै कहते है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हर थाने में कम से कम 100 पुलिसकर्मी होने चाहिए| (नक्सल प्रभावित छह राज्यों में 1.3 लाख पुलिस पद खाली पडे थे)

कुछ बुद्धिजीवीं और नक्सलवाद

अरुंधती रॉय–

देश के मानवाधिकार संगठन की नेता तथा प्रसिद्ध लेखिका ने, कोलकाता में छात्रों और बुद्धिजीवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, " दशकों तक आदिवासियों की कोई सुध नहीं ली गयी| जब उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध अपना विरोध जताना और निषेध व्यक्त करना शुरू किया तो सत्ता ने उनके विरुद्ध युद्ध घोषित किया| मैं दांतेवाडा की जनता को सलाम करती हूं, जो शक्तिशाली सत्ता के विरुद्ध खड़ी हुई है| बड़े और शक्तिशाली औद्योगिक घराने, वहाँ के जंगल और खनिज सम्पति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं और सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है, मानो वह उनकी एजेंट हो|" (14-04-2010)

उनके अनुसार समाधान केवल वार्ता से ही संभव है|

अरुंधति रॉय ने मार्च-अप्रैल 2010 में बस्तर की यात्रा की| बाद में एक पत्रिका में 32 पृष्ठों का एक लेख भी लिया| उनके विरुद्ध रायपुर के तेलीबांधा पुलिस स्टेशन में नक्सली समर्थक होने के सिलसिले में एक केस भी दाखिल किया गया है|

महाश्वेतादेवी :

नक्सलियों के पक्ष में बात करनेवाले सभ्य समाज के प्रतिनिधियों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत कारवाई करने की केन्द्र की चेतावनी पर प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी ने 07-05-2010 को कोलकाता में केन्द्रीय गृहमंत्री जी को चुनौती दी कि वे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दे|

श्री. रवि शंकर जी :

आर्ट ऑफ लिव्हिंग के संस्थापक महोदय ने सरकार और नक्सलियों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी|

स्वामी अग्निवेश :

स्वामी जी ने 60 शांतिदूतों के साथ पांच से दस मई 2010 के बीच रायपुर से दांतेवाडा तक ' गोली से नहीं बोली से ' नारा देते हुए शांति मार्च निकाला था| उन्होंने माओवादियों से अपील की कि वे चर्चा प्रस्ताव को स्वीकार करें| आश्चर्य की बात है कि दांतेवाडा जिले में यात्रा पहुँची तो सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष कॉंग्रेस, दोनों के कार्यकर्ताओं ने शांति यात्रियों को परेशान किया| यह बात स्वामी जी ने ता. 27 मई को नागपुर में बताई| उन्होंने बस की हवा निकाली और मार्च के विरुद्ध नारेबाज़ी की| पुलिस सुरक्षा में ही दांतेवाड़ा पहुँचा जा सका| स्वामी अग्निवेश जी ने बताया कि सलवा जुडुम फोर्स ने जबरदस्ती 600 गांवों को खाली करवा लिया है, जिससे दो लाख आदिवासी विस्थापित होकर शिविरों में रह रहे हैं| इन सारे गांवों के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में

खनिज संपदा है, जिसपर बड़े औद्योगिक घरानों की नजर है| सरकार ने माओवादियों का डर बताकर इन गांवों को खाली करवाया है| लेकिन ऐसा लगता है कि उलट अधिकांश नागरिकों ने माओवादियों की शरण ले रखी है|

माओवादियों की आर्थिक वसूली (2010के अंततक की स्थिति)

14-12-2010 के हितवाद समाचार पत्र के अनुसार, सीबीआई की एक रिपोर्ट, नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के गृह विभागों को भेजी गयी है| उसके अनुसार इस दशक के अंत तक नक्सलियों द्वारा वसूली जा रही सालाना रकम 2500 करोड़ तक पहुँच गयी है| राज्य निहाय आंकड़े इस प्रकार हो सकते हैं–

झारखंड-1000 करोड़,

प. बंगाल-550 करोड़,

छत्तीसगढ़-500 करोड़,

बिहार-200 करोड,

आंध्रप्रदेश-100 कर्क्रोड,

महाराष्ट्र-78 करोड़,

उड़ीसा-37 करोड़,

तमिलनाडु-35 करोड| 80% हिस्सा झारखंड, छत्तीसगढ़, प.बंगाल से आता है|

स्वामी अग्निवेश क्या कहते है?

स्वामी जी, सरकार और माओवादी इनमें वार्ता करवाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे| यह बात आज सारी दुनिया जानती है| अतः उनपर दोनों को विश्वास है, दोनों के लिए उनकी सलाह का महत्व है| इस विषय पर उनका चिंतन भी गहरा है| अतः उनके विचारों का महत्व है| यह तार्किक निष्कर्ष की बातें हैं|

माओवादियों से संघर्ष की सरकार की अद्ययावत योजनाएं----

13 जनवरी 2011, को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक पॅकेज के अनुसार गृहमंत्रालय ने गैर-योजनागत सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत नक्सल प्रभावित 09 राज्यों के लिए 580 करोड़ रु, आबंटित किये हैं| पूर्व घोषित 35 नक्सल प्रभावित जिलों का दायरा बढाकर सरकार अब ऐसे 60 जिलोँ पर ध्यान देने जा रही है| सरकार 12000 अतिरिक्त एएसपीओ की भर्ती करने के साथ ही उनके वेतन में 15000 रु. प्रति माह की वृद्धि कर रही है| नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर घने जंगलों में निगरानी के लिए इसरो के उपग्रहों की मदद ली जा रही है| निरीक्षण कक्ष में बड़े आकार के कईं एलसीडी स्क्रिन लगाए गये हैं|

एक तरफ यह समाचार है तो दूसरी तरफ दिसम्बर 2010 के अन्त में, माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी मानतें है कि केंद्र तथा सरकारों के सभी प्रयत्नों के बावज़ूद नक्सली मजबूत हुए हैं| यह बात उन्होंने महाराष्ट्र के नक्सलग्रस्त जिले गढचिरोली जिले की अपनी प्रथम भेंट के दरम्यान कही|

अब स्वामी जी कहते है–(आज स्वामी अग्निवेश जी जीवित नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि के साथ)

"यह सारी कवायद इस बिना पर होने जा रही है कि इन जिलों को माओवाद से मुक्त कराना है| यह पैसे खर्च करने की घोषणा चिढाने वाली है| आंदोलनकारियों यानी माओवादियों को लगता हैं जैसे सररकार धमकी दे रही हो कि पैसे के बल पर हम तुम्हें समाप्त कर देंगे| जबकि वास्तवता यह है कि इससे पहले कईं गुना अधिक पैसे वे खर्च कर चुके हैं| विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, लेकिन यह पैसा आजतक वहाँ पहुचा ही नहीं ताकि लगे कि वंचितों का कुछ विकास हुआ है|

दरअसल माओवाद से निपटना है तो पहले सरकारों को यह समझना होगा कि वास्तव में मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि इन्होंने यानी सरकारों ने (चाहे वह केन्द्र की हो या राज्यों की) इन इलाकों के लोगों के जो मूलभूत अधिकार छीने हैं, पिछले साठ सालों में जिस तरह उन्हें विपन्न बनाया है, (विशेषकर जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को छिनकर) सरकारों को सबसे पहले, इन लोगों को ये अधिकार बहाल करने चाहिए| आदिवासियों को सरकार सिर्फ ये मूल अधिकार वापस लौटा दे, बस कोई पैसा झोंकने की जरूरत नहीं है| वहाँ शांति आ जाएगी| आदिवासी विद्रोह का रास्ता छोड़ देंगे| आप सिर्फ आदिवासियों के इलाकों से सरकार हटा दिजिये| सरकार यानी पुलिस महकमा, आबकारी विभाग और फॉरेस्ट रेंजर्स| सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी| क्योंकि इन विभागों ने ही आदिवासियों का जबरदस्त शोषण किया है| उससे समस्या और उग्र हुई है| जब कभी उपरोक्त महकमे वहां तैनात नहीं थे तब भी वहां समाज का अस्तित्व था ही|

दोनों ही कह रहे है कि वे जनता के हितैषी हैं और जनता की भलाई के लिए ही खूनखराबा कर रहे हैं| हो सकता है अंतिम लक्ष्य में ये दोनों सही हों| यह भी हो सकता है कि अंतिम लक्ष्य दोनों का एक ही हो और वह जनता की बेहतरी या भलाई ही हो| लेकिन माओवादियों ने हथियार उठा रखें हैं, जबकि सरकार उन्हें कुचलने के लिए कई गुना ज्यादा ताकत से लैस है| ऐसे में क्या होगा?

मैं शुरू से ही दोनों से कह रहा हूं कि इस तरह से यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी| न माओवादी खत्म होगे, न सरकार कमजोर पडेगी| कमजोर तो देश होगा| माओवादियों से मैंने साफ़ कहा कि तुम्हारा शस्त्रों के आधार पर आजादी लाने का रास्ता आज की दुनिया में सही नहीं है| यही बात मैंने सरकार से भी कहीं है| ताकत के बल पर माओवादियों को दबाने का रास्ता ठीक नहीं है| ऑपरेशन ग्रीन हंट को सरकार बंद करें| बंदूक और बारुदी सुरंगों की राजनीति माओवादी बंद करें| जनशक्ति को लेकर माओवादी सामने आयें| साथ ही देश में जो तमाम दूसरे आंदोलन प्रजातांत्रिक ढंग से चल रहे हैं, वे भी एकजुट हो| इसके बाद जनतांत्रिक तरीके से यानी चुनावी राजनीति के जरिए, माओवादी बन सकते हैं तो परिवर्तन के वाहक बने|

माओवादी अपनी मौजूदा राजनीति को चलाते दिल्ली तक नहीं पहुँच सकते| सरकार, नागरिक दमन के और अधिक सख्त कानून लागू कर सकती है| इस सबसे आम आदमी और अधिक कमजोर होगा| उसकी लोकतान्त्रिक सत्ता कमजोर होगी| अंततः देश कमजोर होगा| लेकिन माओवादी इसे समझ नहीं रहे| वे अपनी भ्रम की दुनिया में जी रहें हैं और सरकार उनके इस भ्रम को बनाएं रखना चाहती है| सरकार सिर्फ उन्हें ही झांसे में नहीं रख रही बल्कि देश की आम जनता को भी झांसे में रखें हुए है| तभी वह माओवादियों के आतंक को बढाचढाकर बताती है| उनकी शक्ति को कईं गुना अधिक बताती है ताकि सरकार को उनके दमन का मजबूत बहाना मिल जााए| याद रखिए, अगर सरकार को किसी के भी दमन का बहाना मिलता है, तो वह किसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए यह खतरनाक है|(अपनी-अपनी जिद पर सत्ता और माओवादी : स्वामी अग्निवेश : लो.समाचार : 16-01-2011)

राजकुमार की हत्या पर स्वामी जी–

" माओवादी आजाद का मारा जाना एक विश्वासघाती कदम था| ऐसा नहीं कि यह नासमझी में उठा लिया कोई कदम हो| जानबूझकर ऐसा किया गया| सरकार ने वार्ता के नाम पर एक शिगूफ़ा छोड़ा| इससे वह बाहर निकला और सरकार ने उसे खत्म कर दिया| जब मेरी दूसरी चिट्ठी जा रही थी तो, जो उसे लेकर जा रहा था, उसे भी सरकारी मशीनरी घेर कर मार डालना चाहती थी| मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बचकर निकल गया| कहने का मतलब यह है कि सरकार में बैठे लोग शांति के प्रति कतई ईमानदार नहीं हैं| आजाद को जिस तरह विश्वासघात से मारा गया, मुझे नहीं लगता कि उसकी जानकारी पहले से ही केन्द्र सरकार या गृह मंत्रालय को न हो क्योंकि मैंने जब इस संबंध में गृहमंत्री से पुछा तो पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें कोई जानकारी थी| लेकिन जब मैंने दूसरा प्रश्न किया कि बगैर जाने यह कांड कैसे हो गया? इससे शांति वार्ता में बाधा आयी है| ऐसा है तो आप इसकी न्यायिक जांच करवायिएं| इससे गृहमंत्री पीछे हट गये| गृहमंत्री ने 08-07-2010 को न्यायिक जांच से साफ़ इन्कार कर दिया| लेकिन 20 जुलाई को प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि हां, जांच होनी चाहिए| मैं करवाउंगा| आप मुझे चार-पांच दिन का समय दिजीए| मगर पांच दिन की जगह छह महीने हो गये| मैं जयराम रमेश, राहुल गांधी(28 -11-2010), सलमान खुर्शीद से भी मिला| लेकिन सरकार की जीद्द है जांच न करवाने की|" (वही उपरोक्त लेख)

अंततः स्वामी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल कर दिया| इसपर उच्चतम न्यायालय ने, गणराज्य द्वारा अपने ही बच्चों को मारे जाने पर नाराजगी जताते हुए माओवादी नेता चेरूकुरी राजकुमार तथा पत्रकार हेमचन्द्र पांडे की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग करनेवाली एक याचिका पर केन्द्र और आंध्र सरकार को नोटिस जारी की|

आदिवासी समाज और कानून : अधिनियम 2005

27-08-2009 को नागपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त बाबासाहेब कंगाले ने अपनी मर्जी से सेवानिवृत्ति ली| पद्भार छोड़ने के बाद वार्ताहरों से बात करते समय उन्होंने कहा कि वे अब आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे| सरकारी योजनाएं आदिवासी समाज तक नहीं पहुँचीं| पुलिस विभाग के लिए आनेवाले दिन खराब हैं| श्री. कंगााले जी ने पुलिस पर निरर्भ रहने के बजाय नागरिकों से स्वयं ही अपनी रक्षा करने का आवाहन किया| वे 2001 से अपराध शाखा के प्रथम अतिरिक्त आयुक्त तथा सन 2007 से नागपुर में पुलिस सह-आयुक्त थे| वे जिस विभाग में और जिस पद पर थे उसे देखते हुए उनकी बातों पर और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं|

2007 की स्थिति के अनुसार, देश में 7.837 करोड़ हेक्टर भूमि पर जंगल है| यह देश के कुल भूभाग का 23.84% है| इसमें 25% जंगल पूर्वोत्तर राज्यों में ही है| यह जानकारी एक सरकार रिपोर्ट से ही ली गयी है|

1991 की जनगणना के अनुसार आदिवासी आबादी का प्रतिशत इस प्रकार है--- मध्यप्रदेश+छत्तीसगढ़–23.3%, उड़ीसा–22.2%, बिहार+झारखंड---9.3%, आंध -6.3%, प.बंगाल–5.6%| यही वे क्षेत्र हैं, जहां नक्सलवाद फलाफुला|

कुछ कानून जो आदिवासी जीवन को प्रभावित करते हैं–

कानून जनता को न्याय दिलाने के लिए होते हैं| लेकिन कुछ कानून आदिवासियों के शोषण का माध्यम बने हुए हैं| उनमें मुख्य ये हैं-----

1) इडिंयन फॉरेस्ट एक्ट 1927 : इसके माध्यम से ब्रिटिशों ने यहाँ की वन संपदा का अपना लाभ और उसको उपभोग करने का अपना अधिकार, स्वयं ही ले लिया| कानून बनाने वाले भी वे और लाभ लुटने वाले भी वे ही| लेकिन जो आदिवासी सदियों से वनाधिकार का उपयोग कर रहे थे, वे उस अधिकार से वंचित हो गये| तीस के दशक में गोंडवाना में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला ' जंगल सत्याग्रह ' आंदोलन, इस स्थिति से उपजे असंतोष का ही परिणाम था| उसमें पुलिस की गोलियों से सैकडों आदिवासी शहीद हुएं| हम स्वतंत्र हुए लेकिन फिर भी जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाये|
2) खान तथा खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम

   यह बना था खनिज संपदा के आसान दोहन के लिए| लेकिन इसका उपयोग साधन सम्पन्न तबके को शुद्ध और महत्तम लाभ पहुँचाने के लिए हुआ| उन जगहों पर पीढ़ियों से बसी जनता की चिंता किसीने नहीं की|

इस संदर्भ में लोकमत समाचार, नागपुर के ता. 29-10-2009 के संपादकीय की ये पंक्तियाँ ध्यान देने लायक हैं,

" यह सही है कि नक्सली न केवल बर्बरता और निरंकुशता का प्रदर्शन करते हैं, अनेक इलाकों में समांतर सरकार चला रहे हैं| वे देश के अनेक स्वर्ण, पेट्रोलियम आदि खनिज भांडारों पर भी कब्जा जमाये हुए हैं| यह भी याद रहें कि देश के ढेरों प्राकृतिक संसाधन, जंगल आदि नक्सलियों के इसी कठोर कब्जे के कारण आज बचे हुए हैं, जोकि अन्य स्थिति में निजी व्यापारिक संस्थाओं, राजनेताओं एवं विदेशी कंपनियों द्वारा मिल-बांटकर खा लिये होते| "

3) भूमि अर्जन अधिनियम 1884 : इसपर पिछले दिनों काफी कुछ चर्चा हो चुकी है| यह, जमीन पर पीढ़ियों से बसे-बसाए लोगों को वहाँ से हटाकर, जमीन कब्जे में लेने का अधिकार सरकार को प्रदान करता है| आज तक लाखों हेक्टर जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया गया लेकिन वहाँ से विस्थापितों के प्रति शासन का जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया|

अकेले छत्तीसगढ़ में 02 लाख आदिवासी विस्थापित हुए हैं| (पत्रकार कुलदीप नैय्यर: लो.स. : 17-03-2010)

आदिवासी जमीन के मामले निपटाने के लिए, वन अधिकार कानून 2006 और पुनर्वास नीति में सुधार की दृष्टि से 11-10-2007 की नयी पुनर्वास नीति बनायी गयी है| इसके लिए 08 अदालतें भी गठित की गयी हैं| लेकिन उनमें से दो में ही न्यायाधीश हैं| 40,000 मामले लंबित हैं|

25-11-2009 के मुंबई से एक समाचार के अनुसार आदिवासी विभाग के प्रधान सचिव श्री. पी.एस. मीणा ने बताया कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति और वन्य अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक साल में केवल 4,500 मामले ही निपटाये जा सके| राज्य को अधिनियम के तहत 2.77 लाख दावे मिले हैं| सरकार ने अभीतक 3,500 हेक्टर भूमि को नामित किया है, जबकि 03 लाख हेक्टर भूमि पर आदिवासियों को अधिकार दिया जाना है| यह सारा काम पूरा करने में कितनी पीढ़ियों को प्रतीक्षा करनी होगी, यही तो मुख्य प्रश्न है| श्री. अर्जुन सेनगुप्ता भी अपने 'विकास से नक्सल उन्मूलन ' इस लेख में नक्सलवाद को बढ़ावा मिलने का कारण यही बता रहे है|

जनजाति कल्याण कोष का पूरा उपयोग न करने के लिए सांसदीय पॅनेल ने केन्द्र सरकार की अच्छी खींचाई की है| खर्च न की गयी और लौटाई गयी राशियां इस प्रकार है|

वर्ष 2004–2005	95.1177 करोड़ रुपये
2005–2006	109. 6237 " "
2006–2007	45.9144 " "
2007–2008	216.5097 " "
2008–2009	318. 3766 " "

और यह राशि बढती ही जा रही है|

_ नक्सलवाद की चुनौती

नक्सलवाद की चुनौती यह केवल कानून और व्यवस्था के लिए नहीं है| इस चुनौती का विस्तार काफी विस्तृत है|

अ) सर्वप्रथम यह चुनौती है, हमारी न्याय व्यवस्था को सुधारने की| भारत में न्याय क्षेत्र की स्थिति क्या है? न्यायालयों में लंबित मामले कितने हैं? -----

निचली अदालतें : 2.78 करोड़, उच्च अदालतें 40 लाख, उच्चतम न्यायालय : 53 हजार| ऐसी स्थिति में न्याय का निपटारा कब होगा?

हरियाणा के ज्यूनियर बेसिक टिचर्स भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई के दरम्यान ("नवम्बर 2009 की शुरुआत) सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू की यह टिप्पणी न्याय व्यवस्था का अपने आप एक मूल्यांकन है|

" हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता| मेरा वहम था कि मैं भ्रष्ट लोगों को ठीक कर सकता हूं| पर अब समझ गया हूं कि भ्रष्ट लोगों को ठीक करने का कोई चारा नहीं है| "

भारत के एक भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश, कोलकाता हायकोर्ट के एक जज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश आदि की करतुतें समय-समय पर जाहिर होती रही हैं| गाझियाबाद का पी.एफ. घोटाला तो प्रसिद्धी पा ही चुका है| कहते हैं इसके प्रमुख् आरोपी आशुतोष अस्थाना ने उसकी जेल मे हुई संदिग्ध मौत के पहले, 36 जजों की ओर उंगली उठायी थी| सन 1991 में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किये थे कि मुख्य न्यायाधीश की इजाजत के बिना किसी भी जज के विरुद्ध एफआरआई दर्ज नहीं की जा सकती| इस तरह न्यायपालिका ने किसी भी आपराधिक मामले के विरुद्ध संभावित कारवाई से अपने आपको स्वयं ही मुक्त कर लिया| कुछ जजों पर बेहद गंभीर आरोप होने के बावज़ूद प्रधान न्यायाधीश की ओर से कभी कोई इजाजत नहीं मिलीं| माननीय प्रधान न्यायाधीश का यह भी कहना है कि कोई भी स्वाभिमानी जज अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने राजी नहीं होगा| अर्थात् जो बात चुनाव में खड़े राजनेताओं और नौकरशाहो के लिए इस लोकतंत्र में आवश्यक कर दी गयी है, उससे न्यापालिका अपने आपको मुक्त रखना चाहती है| क्या जिनके लिए यह अनिवार्यता है, वे स्वाभिमानी नहीं हैं| आरटीआई का बंधन न्यायपालिका पर हो या न हो यह भी एक विवादास्पद विषय है| यह सब क्या तार्किक न्याय की कल्पना के विरुद्ध नहीं है? आज भी भारत की जनता का यहाँ की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है| वह बना रहे, यही दिल से इच्छा है, लेकिन इसीलिए न्याय व्यवस्था को भी पारदर्शी होना पडेगा|

सूचना का अधिकार : 2005

मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाना है| यह भारत के नागरिकों को मिला हुआ बड़ा मौलिक अधिकार है| सूचना आयुक्त को, चुनाव आयुक्त के इतने ही अधिकार हैं| नागरिकों की शिकायतों में सत्यता पायी जाने पर इस कानून के तहत सूचना आयुक्त को, दोषी अधिकारी को सजा देने, विभागीय कारवाई की शिफारिश करने का अधिकार है| उनका आदेश सरकार के लिए भी बंधनकारक है|

मॅगेसेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री. अरविन्द केजरीवाल का एक गैरसरकारी संगठन है ' Public Cause Research Foundation ' | इस संस्था से यह स्पष्ट हुआ है कि सूचना आयोगों को अपील करनेवाले महज़ 27% लोगों को ही अन्त में सूचना मिल पाती है| देश में 28 राज्य सूचना आयोग और एक केन्द्रीय सूचना आयोग है| इस संदर्भ में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर्नाटक का है| यहाँ का प्रतिशत 55 है| सबसे खराब प. बंगाल का (6%) है| लेकिन कम से कम इस प्रान्तों ने जानकारी भेजने का कष्ट उठाया| उ.प्रदेश ने तो यह कष्ट उठाना भी मुनासीब नहीं समझा|(लो.स. 22-10 2009)

यह एक ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर सामान्य जन के मन में लोकतंत्र के प्रति आशा बनी रह सकती है| व्यवस्था को कुछ तो करना होगा कि यह आशा बनी रहे

पुलिस हिरासत में मौतें (Custodial Deaths in India btwn 01-04-2001 to 31-03-2009)

यह संख्या है 1184 | यह संख्या सूचना अधिकार के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर है| यह जिस रिपोर्ट से ली गयी है, वह रिपोर्ट है : Torture in India : 2009 | मानवाधिकार आशियन केन्द्र की ओर से 25-06-2009 को जारी की गयी| अधिकतर मौतें पुलिस की मारपीट के कारण और हिरासत में लेने के 48 घंटे के अंदर ही हुई हैं|

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार भारत में पिछले तीन सालों में औसतन हर तीसरे दिन, एक व्यक्ति की पुलिस के साथ कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत होती है| (लो.स. पृष्ठ 05 11-11-2009) पिछले एक साल में ऐसे 130 लोग मारे गये| इसमें उ. प्रदेश के 51 मामले हैं| तो बहुत ही छोटे राज्य मणिपुर से 21 मामले हैं| इसी साल मणिपुर पुलिस को 74 शौर्य पदक मिले और अधिकतर मुठभेड़ों के लिए| बाकी पूरे देश के लिए शौर्य पदकों की संख्या 138 थी|

उपरोक्त सारी बातों में, कतार के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का अस्तित्व ही कहा है? अपना अस्तित्व खोया अंतिम छोर वाला वह व्यक्ति आखिर कब तक प्रतीक्षा करेगा? आखिर वह कहां जायेगा?

क्य यह चुनौती नहीं है पूरी व्यवस्था को बदलने की? क्या यह चुनौती नहीं है कि सत्ता और सत्ता में लिप्त व्यक्ति अपने स्वरूप को बदले? होश में आकर स्थिति पर सोचे? भ्रष्टाचार की कोई तो मर्यादा हो?

एक तरफ हम शांति और सहिष्णुता पर बहस तो करते हैं लेकिन हमारे संगठन थोड़े सशक्त बने नहीं कि फर्मान जारी करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए या करना चाहिए अन्यथा हम ' अपने तरीके ' से हमारा आदेश न माननेवाले को निपट लेंगे और निपटा भी जाता है| इतनी बड़ी व्यवस्था उनके सामने असहाय हो जाती है| तथाकथित खाप पंचायतें आज कानून को अपने हाथ में लेकर घूम रही हैं| हत्याएं हो रही हैं| इनके फरमानों में और नक्सली फरमानों में अंतर है तो कहां?

इस सारे माहौल में जनसमूह भी आज एकदम असहिष्णु हो गया है कि छोटी-छोटी चीजों के लिए हिंसा, लूटपाट और आगजनी पर उतर आता है| उसके हाथ में बंदूक नहीं होती, पत्थर होते हैं, इतना ही| मानसिकता वही है| नक्सलवाद की ओर उंगली उठाते समय क्या हमें, हमारी ही इन खामियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है?

जो सत्ता तक पहुंचते हैं, उन्हें यह तो ध्यान में लेना होगा कि जो सबसे नीचे हैं, ऐसे मनुष्य का शोषण उस हद तक न करों कि उसकी सहनशीलता का बंध टूट जाए और वह आपके सामने रखी थाली का कौर आपके मुंह तक पहुँचने न दे|

हमने एक शौषण रहित और समन्यायी समाज के निर्माण का संकल्प लिया है| इसे साध्य करने का माध्यम भी हमनें चुन लिया है| इसमें हिंसा के लिए कहीं स्थान नहीं है| इस चुनाव में उनकी भी हामी है जो सिरे के वंचितों का प्रतिनिधित्व करते हैं| लेकिन इस मार्ग की सार्थकता हमें ही स्थापित करनी होगी|

नक्सलवादी आंदोलन के पीछे एक राजकीय विचारधारा है| भले ही वह हिंसा की हो| वह अगर हमें स्वीकार न हो, तो हमें पर्यायी चुनौती स्वीकार करनी होगी| चुनौती केवल कानून, व्यवस्था की पुनर्स्थापना की नहीं| चुनौती होगी अच्छा प्रशासन कायम करने की, भ्रष्टाचार निर्मूलन की और शोषण स्तर न्यूनतम करने की| चुनौती यह नहीं कि भारत में खरबपतियों की संख्या बढने की गति क्या हो?

कहा जाता है, आरएसएस ने और उससे जुड़े संगठनों ने 1952 से वनवासी कल्याण आश्रमों के माध्यम से आदिवासियों के बीच कुछ 14,000 प्रोजेक्ट चलायें| अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपने ढंग से प्रयत्न किए| लेकिन नक्सलवाद को लगाम नहीं लग सका| इसका कारण यही हों सकता है कि समस्या का स्वरूप इन प्रयत्नों की तुलना में कई गुना विस्तृत है तो चुनौती है उस स्तर पर ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत और क्रियान्वित करने की| जिससे समाज का हर व्यक्ति अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ बिता सके| इस चुनौती को इस रूप में स्वीकार करने कौन आगे आयेगा?

नक्सलवाद- भाग दो

पश्चिम बंगाल

नक्सलबाड़ी की घटना (दार्जिलिंग जिला)

बिल केसन इस आदिवासी भूमिहीन किसान को न्यायालयीन आदेशानुसार जमीन का कब्जा दिलाने के लिए किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने पहल की| यह बात 02 मार्च 1967 की है| जमींदारों के गुंडों के साथ झड़प हुई| गांव में पुलिस आयीं| किसानों ने प्रतिरोध किया| गोली चली| संघर्ष में 09 ग्रामीण औरतें और बच्चे मारे गये| सोनम वाग्दि नाम का दरोगा भी धनुष बाण के गले में छेदने से मारा गया| यहीं से नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई| इस आंदोलन में मारी गईं प्रथम महिला क्रांतिकारी का नाम था धनेश्वरी देवी|

यह घटना बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आने के तुरन्त बाद हुई थी| मोर्चा सरकार ने इसे शक्ति से दबाने के स्थान पर राजकीय ढंग से सुलझाने का निर्णय लिया| इसके लिए कमान सौपी गयी सीपीएम के हरेकृष्ण कोणार और सीपीआई के विश्वनाथ मुखर्जी के हाथों| दोनों नक्सलबाड़ी के दूरदराज के इलाकों में पहुँचे| उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करनेवाले कॉ. सोरेन बोस, कनु सन्याल और जंगल संथाल इनके साथ दीर्घ चर्चा की ताकि हिंसात्मक घटना की पुनरावृत्ति न हो| लेकिन वे उपरोक्त गुट की रणनीति बदलने में विफल रहें| जोतदारों की हत्याओं का दौर शुरू हुआ| नामनजोत नाम का एक गांव है| इस गांव का जमीनदार था नागराय चौधरी| वह वास्तव में एक वृद्ध और नाम के लिए ही जमीनदार था| लेकिन जमीनदारों के इस संघर्ष में पहली आहूति इसी व्यक्ति की दी गयी|

जहाँ तक पुलिस हत्या का प्रश्न है, प्रथम हत्या 25 मई, 1967 को फणशीदेवा पुलिस स्टेशन के इन्चार्ज अमरेन्द्रनाथ पाईन(Pyne) की हुई| फिर इन घटनाओं के साथ कठोरता से निपटने का निर्णय लिया गया| लेकिन हिंसात्मक गतिविधियां चलती रहीं| फरवरी-1968 में बंगला कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी ने त्यागपत्र दे दिया| प. बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया| राज्यपाल थे श्री. धर्मवीर| उन्होंने इन वामपंथी हिंसात्मक गतिविधियों के साथ कठोरता से निपटा| दरम्यान अति वामपंथी चिंतन और उनके क्रियाकलापों को, आंदोलन को ' नक्सलवाद ' यह नाम मिल चुका था| 1967 के नक्सलियों के शस्त्र धनुष्य-बाण और कुल्हाड़ी ही थे|

मूल संघर्ष 52 दिन चला था|

कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में प्रथम विभाजन 1964 में ही हो चुका था| भारत की, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार के साथ संबंधों के साथ-साथ, विभाजन के लिए कारण एक और मुद्दा था| वह था अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट बिरादरी में सोवियत नेतृत्व और चीनी नेतृत्व के बीच उभरे सैद्धान्तिक मतभेद| आधे से बड़ा एक गुट पार्टी से अलग हुआ| उसने अपने आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) नाम दिया| सीपीएम का झुकाव चीनी कम्युनिस्टों की ओर था|

1967 में प.बंगाल में सीपीएम ने अन्य वामपंथी और वामपंथ की ओर झुकाव रखनेवाले पक्षों का एक संयुक्त मोर्चा बनाया और कॉंग्रेस को सत्ता से हटा दिया| इस मोर्चे के मुख्यमंत्री थे बंगला कॉंग्रेस के श्री. अजय मुखर्जी तथा उपमुख्यमंत्री थे सीपीएम के श्री.ज्योति बसु| स्वयं सीपीएम में उग्रपंथीयों का एक गुट था| इस गुट का नेतृत्व कर रहे थें कॉ. चारु मुजुमदार| इसी गुट के लोगों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन का नेतृत्व किया था| शुरू में इस गुट का प्रभाव उत्तरी बंगाल में अधिक था| सैद्धान्तिक दृष्टि से इस गुट के अनुसार संवैधानिक मार्ग से यानी चुनाव आदि के रास्ते सत्ता प्राप्त करना, यह कम्युनिस्ट दर्शन के साथ गद्दारी है|

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी-लेनिनवादी का उदय

प.बंगाल के सीपीएम में सबसे अधिक प्रभावी नेतृत्व श्री. प्रमोद दासगुप्ता का था| चारु मुजुमदार द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी के प्रति विरोध, पार्टी में बगावत के स्तर तक पहुँचा| उनके प्रमोद दासगुप्ता के साथ संबंध बिगड़े| संयुक्त मोर्चा की प्रथम सरकार सत्ता से दूर होने के बाद सीपीएम ने पूरें भारत के अतिवादी गुटों की बैठक बरद्वान में बुलायी| अन्त में इन सभी गुटों को पार्टी से निकाल दिया गया| पुलिस के दबाव के कारण कई नेता भूमिगत हो गये| लेकिन कनु सन्याल पकड़ लिये गये|

1969 में मध्यावधि चुनाव हुए| फिर संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया| श्री. अजय मुखर्जी फिर मुख्यमंत्री बने| पुरानी नीति के अनुसार फिर इस समस्या को राजकीय ढंग से निपटाने का निर्णय हुआ| नक्सलियों को जेल से रिहा किया गया|

आगे 22-04-1969 को नये पार्टी की स्थापना की गयी| चारु मुजुमदार के नेतृत्व में, एक मई 1969 को कलकत्ता में शहीद मीनार के पास एक बहुत बड़ी रॅली हुई और इसमें नयी पार्टी की औपचारिक घोषणा की गयी| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी-लेनिनवादी| इस पार्टी का विश्वास माओ के दर्शन में था| यहाँ माओ का प्रसिद्ध कथन उधृत किया जा सकता है," सत्ता बंदूक की नली से आती है|"

अर्थात् इस पार्टी का विश्वास रक्तरंजीत क्रांति में था| 16 मई 1969 के दिन एक केन्द्रीय कमेटी बनी|

चारु मुजुमदार

कॉ. चारु मुजुमदार ने १९४६ में हुए उत्तर बंगाल के किसान आंदोलन में हिस्सा लिया था| यह अगला आंदोलन मानो उसीकी अगली कड़ी थी| दरम्यान चारु को देसी शराब की जबरदस्त लत लग गयी थी| वे जीवन-यापन के लिए अपनी पत्नी श्रीमती लीला पर पूरी तरह निर्भर हो गये थे| उनकी पत्नी बीमा एजंट का काम करती थी|

चारु को 16-07-1972 को पुलिस ने पकड़ लिया और केवल 12 दिन बाद 28-07-1972 को कोलकाता के लाल बझार कारागार में उनका देहांत हुआ| ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु दमे की बिमारी के कारण हुई| लेकिन इसी कारण नक्सली प्रति वर्ष, 28 जुलाई से शहीद सप्ताह का आयोजन करते हैं|

नये पक्ष की स्थापना के दरम्यान उनके अति करीबी सहकारी थे–1) कनु सन्याल 2) कॉ. असीम चॅटर्जी 3) कॉ. संतोष राणा 4) कॉ. चंद्रपुल्ला रेड्डी 5) कॉ. सुशीतलराय चौधरी 6) सुनीतिकुमार घोष आदि|

कॉ. चारु का चिंतन-

1) आर्थिक रूपान्तरण का मार्ग सशस्त्र ढंग से सत्ता का ग्रहण ही हो सकता है| सशस्त्र संघर्ष अपरिहार्य है|
2) जहाँ तक शस्त्रों का प्रश्न है, चारु बाबू हल्के और सरल शस्त्रों की ही वकालत करते थे| छापा मार योद्धा आमतौर पर देसी बनावट की पिस्तौलें और पाईपगन का उपयोग करते हैं| चारु के अनुसार ज्यादा परिष्कृत हथियार छापामार युद्ध में अधिक सहायक सिद्ध नहीं होते| माओ के विचार के अनुसार भी छापामार युद्ध में आम जनता की हिस्सेदारी छोटे शस्त्रों के सहारे ही संभव है| इसी बात को आगे विएतनाम युद्ध में, छापामार युद्ध की कला के रूप में विकसित किया गया|
3) वर्ग शत्रुओं का निर्दालन करने से क्रांति आगे बढेगी| ग्रामीण भाग में निश्चित ही वर्ग शत्रु जोतदार है| उनकी व्यक्तिगत हत्याएं करनी चाहिए|
4) चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए|

<u>हिंसात्मक क्रांति का पूर्व इतिहास</u>

इससे पहले भारत में ' तेलंगाना आंदोलन ' के नाम से विख्यात वामपंथी सशस्त्र संघर्ष पांचवे दशक में हो चुका था| कॉ. सुंदरय्या तथा कॉ. राजेश्वर राव इन्होंने भूमिगत संघर्ष की रूपरेखा खींचकर रखी हुई थी ही| यह सशस्त्र मार्ग से क्रांति का प्रयत्न था|

बंगाल में पूर्वेतिहास

पांचवे दशक के दरम्यान ही कॉ. तपन रॉय और कॉ. परिमल बोस, इन्होंने इसी तरह का भूमिगत कार्य बंगाल और दक्षिण उड़ीसा में किया था|

बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन–

प. बंगाल में इसी दर्शन के आधार पर ग्रामीण इलाकों में जोतदारों की हत्याएं तथा उनकी भूमि छिनने की घटनाएँ सीपीएम्एल की स्थापना के बाद शुरू हुई| ग्रामीण क्षेत्र में इसका विरोध सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने किया| ये वारदातें प्रमुखता से कॉ. कनु सन्याल की प्रेरणा से तथा उनके नेतृत्व में हो रही थीं|

कॉ. कनु सन्याल(कृष्णचंद्र सन्याल) नक्सलबाड़ी की घटना के मुख्य नियामक थे, जहाँ से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी| नक्सलबाड़ी के बारे में उन्होंने कहा था-"1) यह सशस्त्र संघर्ष जमीन के लिए नहीं, राज्यसत्ता के लिए है| 2) चीन का रास्ता, हमारा रास्ता है| और 3) चीन का चैअरमन , हमारा चैअरमन है|" लेकिन उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी जमीनदारों में से एक-एक का गला काटने से| कनु, भाकपामाले के मुख्य सिद्धान्तवेत्ता थे| आज उस मूल पार्टी का अस्तित्व नहीं है| उसके दर्जनों टुकड़े हो चुके हैं|

ऐसा कहा जाता है कि स्वयं माओ और उनके साथियों ने इस मण्डली को समझाया था कि चीन का रास्ता उनका रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की स्थितियां अलग हैं| चीन के चैअरमन को वे अपना चैअरमन भी न कहें, क्योंकि चैअरमन, संघर्ष करने वालों के बीच का ही आदमी होना चाहिए| तीसरी बात नक्सलबाड़ी का संघर्ष जमीन के लिए नहीं, राज्यसत्ता के लिये है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं| वह दोनों के लिए होना चाहिए| क्योंकि जमीन के बिना राज्यसत्ता टिक नहीं सकती|

लेकिन 1983 में उन्होंने, हिंदुस्तान समाचार को दिये एक साक्षात्कार में, मान्य किया था कि, " "हमने बड़ी भूलें की हैं| वर्ग शत्रुओं को चुनचुनकर मारना गलत था| जनता में गहरी पैठ के बिना चुनावों का बहिष्कार करना सर्वथा मूर्खतापूर्ण बात थी| हम सांसदीय प्रणाली को अस्विकार करते हैं, लेकिन अभी क्रांति के लिए स्थिति परिपक्व नहीं है| अतः जनता को संगठित करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में हिस्सा लिया जाये|"

कॉ.कनु सन्याल

कॉ.कनु का जन्म मई 1932 में कुर्सियांग में हुआ था| उनके संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दरम्यान ही हुई थी| तब उन्होंने एक सार्वजनिक स्थान पर एक पुलिस के मुंह पर थूंक दिया था| उनकी विद्यार्थी दशा के दरम्यान जलपाईगुड़ी के कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री श्री.बी.सी.रॉय के विरोधी एक हिंसक मोर्चे में हिस्सा लिया था| 1950 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा तब वे भूमिगत हो गये, लेकिन पकड़े गये| जेल में ही उनकी मुलाक़ात चारु मुजुमदार से हुई| जेल से छुटने के बाद वे नक्सलबाड़ी क्षेत्र में, आदिवासियों के बीच कार्य करते रहे| 1964 में सीपीआई टूटी तो वे सीपीएम में थे| बाद में 22-04-1969 को(लेनिन का जन्मदिन 22 एप्रिल) उन्होंने सीपीआई(मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन किया और एक मईः1969 के दिन कोलकाता की रॅली में उसकी औपचारिक घोषणा की|

वे अविवाहित रहे| कनु सन्याल कितनी बार जेल गये इसका हिसाब उन्होंने स्वयं भी नहीं रखा| लेकिन उन्हें जेल में, श्रेणी प्रदान करने की दृष्टि से, कभी राजकीय कैदी नहीं माना गया| अपराधियों की श्रेणी ही मिली| 11-08-1970 को जब वे 29 साथियों सहित पकड़े गये तब उनके पास 01 पिस्तौल, 01 बंदूक, कुछ गोलियां, कुछ तेजाब की बोतलें, बम बनाने का सामान और माओवाद समर्थक कुछ पर्चे और पोस्टर मिले| 30-08-1976

को ' पार्वतीपुरम् ' मामले में उन्हें और उनके 15 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी| इन सभी पर 35 हत्याएं, 76 डकैतियां, पुलिसकर्मियों पर 99 हमले और 66 षड्यंत्रों का आरोप था| 502 लोगों की गवाहियाँ हुईं| मामला निर्णय तक पहुँचने दो साल लगे| लेकिन इसी दरम्यान, जब श्री. चरणसिंग गृहमंत्री थे, ज्योति बाबू के प्रयत्नों से 28-07-1977 को उन्हें रिहा कर दिया गया| रिहा होनेवालों में सर्वश्री जंगल संथाल, सोरेन बोस, अजिजुल हक़, असीम चॅटर्जी, महादेव मुखर्जी, नितीश भट्टाचार्य आदि थे| बाद में 27-04-1979 को आंध्र उच्च न्यायालय ने उन्हें पार्वतीपुरम मामले में निर्दोष घोषित किया|

कॉ. चारु पकड़े जाने के बाद उनके वारिस के तौर पर महादेव मुखर्जी पार्टी की बागडोर संभालने लगे| लेकिन आगे उन्हें भी लगने लगा कि चारु का दर्शन अति हिंसात्मक है| उस समय इस गुट को चारु-लिन समर्थक गुट कहा जाता था| बाद में उन्होंने पार्टी का नेतृत्व कॉ. नितीश भट्टाचार्य और अझिझुल हक़ इन्हें सौपा| 1981-82 में इस गुट ने बंगाल में हत्याओं का दौर चलाया| उत्तर बंगाल, माल्दा, पश्चिम मिदनापुर, नादिया आदि हिस्सों में इनके क्रियाकलापों ने अच्छी खासी दहशत पैदा कर रखी थी| लेकिन नेताओं के पकड़े जाने से धीरे-धीरे यह गुट लगभग समाप्त हो गया|

बाद में असीम चॅटर्जी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक समन्वय समिति बनायी|

डॉ. अनंत सिंह ने भी एक गुट बनाया जिसने कुछ बॅंक डकैतियॉं भी की|

आगे सुश्री मेरी टेलर नाम की एक अंग्रेज़ लड़की नक्सलवादी गुट की सदस्या के रूप में पकडी गयी| इसने भारत की जेलों के अनुभवों पर एक किताब लिखी| इस किताब को अच्छी प्रसिद्धी मिली|

नक्सलवादियों ने कलकत्ता शहर में भी अपनी आतंक फैलाने वाली वारदातें जारी रखीं|

लेकिन बढती हुई हिंसा के कारण मार्च 1970 में फिर एक बार संयुक्त मोर्चा सरकार बरखास्त की गयी| उस समय माननीय राज्यपाल थे श्री. धवन|

फिर बंगाल में श्री. सिद्धार्थशंकर राय के नेतृत्व में कॉंग्रेस की सरकार बनी| इसी सरकार ने बंगाल से नक्सलवाद को जडमूल से उखाड़ फेका और बंगाल में यह लगभग समाप्त हो गया|

उसी दरम्यान कलकत्ता के प्रेसिडेंन्सी कॉलेज में छापा मारा गया तो 150 नक्सली पकड़े गये| उनमें पुलिस कमिशनर पी.के.सेन का बेटा, मुख्य न्यायाधीश सुरजीत लाहिड़ी का बेटा, बंगाल सीपीएम के सर्वोच्च नेता कॉ. प्रमोद दासगुप्ता का भतीजा जैसे नौजवान थे|

पश्चिम बंगाल में बाद में पकड़े गये बड़े नेता : 1) पतीतपावन हलदर 2) सुशील रॉय 3) अशोक सरकार उर्फ चण्डी माणिक 4) सोमेन उर्फ बच्चु उर्फ बिधान|(यह 2006 से बंगाल कमेटी का सचिव था| इसकी आयु 55 वर्ष है(2010)| इसे उत्तर 24 परगना जिले में एक रेल्वे स्टेशन पर पकड़ा गया| इसका मूल नाम हिमाद्री सेन रॉय है| यह शादीशुदा है और उसका एक लडका भी है|)

वास्तव में 1977 में वाम दल सत्ता में आने के बाद उन्होंने भूमि सुधार के लिए ' ऑपरेशन बरगा ' का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया| यह भी कारण था कि नक्सलवादी आंदोलन लम्बे समय के लिए पार्श्व में चला गया|

लालगड---

नवम्बर 2008 में प. बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यजी पर लालगढ इलाके में बारुदी सुरंग से नक्सली हमला हुआ| सब जगह जो होता है, वहीं यहाँ भी हुआ| नक्सलियों को ढूंढने के नाम पर इलाके के आदिवासियों पर पुलिस का दमनचक्र चला| पश्चिमी मिदनापुर जिले का यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है| (भारत के महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म मिदनापुर में ही हुआ था|) पुलिसी अत्याचार और दमन के विरुद्ध वहाँ ' पुलिस संत्रास विरोधी जन-साधारणेर कमिटी ' का गठन किया गया| कमिटी के नेता थे छक्रधर महतो|

छक्रधर महतो

इस व्यक्ति का जन्म 1964 में हुआ| इसका संबंध ' अमलिया ' नाम के छोटे से कस्बे से है| इसने लालगढ के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से हायर सेकंडरी की| बाद में मिदनापुर रे कॉलेज में प्रवेश लिया| सुश्री ममता बॅनर्जी से प्रेरणा लेकर वह जल्द ही कॉंग्रेस छात्र परिषद् प्रकोष्ठ का सक्रिय सदस्य बन गया| जब ममता जी ने कॉंग्रेस से अलग होकर तृणमूल कॉंग्रेस का गठन किया तो महतो उसका सदस्य बन गया| वर्ष 2001 में प. मिदनापुर में प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छेडा तो हिरासत में लिया गया| तीन महीने जेल में बिताये| तृणमूल छोड़ दी| बाहर आने के बाद, ऐसा माना जाता है कि, वह भाकपा(माओवादी) गुटों से जा मिला| यह तीन भाइयों में सबसे बड़ा है| इसका एक भाई शशधर भूमिगत है और उसे सलबोनी में मुख्यमंत्री पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है| इस हमलें में छक्रधर का भी हाथ होने की पुलिस को आशंका है| 2008 के हमले के बाद उसने लालगढ और सलबोनी में चले पुलिस अभियान के विरोध में, उपरोक्त जन संघर्ष समिति का गठन किया और व्यापक आंदोलन छेड़ दिया जो 09 महीनों तक सुर्खियों में रहा|

कहते हैं, उसे आदिवासियों का समर्थन यूंही नहीं मिला| महतो ने, बिना कोई सरकारी मदद लिये, लालगढ़ और उसके दूरवर्ती इलाकों में कई प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाये| इनमें नदी पर तटबंध बनाना, आदिवासियों को सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जैसे काम भी हैं| उसने प. मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा जिले के आदिवासियों को संगठित किया| यहीं से एक ओर तो कोलकाता के बुद्धिजीवियों से तो दूसरी तरफ नक्सलियों से संपर्क स्थापित किया| जब उसकी गिरफ्तारी का वॉरंट जारी हुआ तो वह भूमिगत हो गया| अंततः ऑपरेशन लालगढ़(जो 15 जून,2009 जून को शुरू हुआ था) के तीन महीने बाद अर्थात् 29 सितम्बर को लालगढ़ प्रखंड के मुख्यालय के निकट बिरका में, पत्रकार बनकर आये दों सीआयडी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया| उसे गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत पकड़ा गया| उसे कोलकाता के प्रेसिडेन्सी जेल में रखा गया| उसके विरुद्ध 22 मामले दर्ज किये गये| उसके विरुद्ध एक माकपा नेता प्रबीर महतो की हत्या का मामला भी है|

ऐसे आरोप लगाये जाते हैं कि महतो का संपर्क ममता जी है| लेकिन इसपर ममता जी का कहना है कि पहले महतों उनके संपर्क में था, लेकिन अब नहीं है| प. बंगाल के गृहसचिव अर्धेन्दु सेन के अनुसार इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि छक्रधर माओवादी है या लालगढ़ भाग में माओवादी हिंसा के दरम्यान जो 70 हत्याएं हुईं, उनमें महतो का हाथ है|

जेल में बंद छक्रधर महतो ने झारग्राम से अपक्ष के तौर पर चुनाव लडा था| छक्रधर के प्रचार के दौरान एक अन्य माओवादी नेता मनोज महतो पुलिस के गिरफ्त में आ गया था| छत्रधर की पत्नी नियोती, उसके प्रचार में जोरशोर से लगी थी|

लालगढ़ का आंदोलन–

-प. बंगाल के प. मिदनापुर, बांकुरा, पूर्णिमा जिले में नक्सली प्रभाव सर्वाधिक था|

1) पुलिस संत्रास विरोधी जन-साधारण कमेटी आज भी प्रतिबंधित संठगन नहीं है|
2) आंदोलन के दरम्यान, पडोसी राज्य उड़ीसा से माओवादी कोटेश्वर राव का आगमन हुआ और उसने इस आंदोलन को समर्थन दिया| इसीलिए पुलिस द्वारा संत्रास विरोधी कमेटी को माओवादियों का मुखौटा कहा गया| कॉ. कोटेश्वर राव उर्फ किसनजी ने पीटीआई को फोन पर बताया कि हम लालगढ के आदिवासियों के नीतिगत, तकनीकी तथा शस्त्रगत समर्थन देते रहेंगे| उन्होंने यह भी कहा कि 20-10-2009 को संकरेल पुलिस स्टेशन से लूटे गये शस्त्र, ग्रामीणों में वितरित किये जायेंगे| लालगढ़ को माओवादियों ने मुक्त क्षेत्र घोषित किया था तो सरकार के लिए यह अशांत क्षेत्र था| उस समय सीपीआई(माओवादी) प. बंगाल में प्रतिबंधित संगठन नहीं था|

3) इस आंदोलन के दरम्यान,1100 गांव माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में थे| इनकी आबादी 2.5 लाख थी| इलाके पर आदिवासियों ने कब्जा कर लिया| प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया| अन्त में राज्य शासन ने, केन्द्रीय बलों की सहायता से इस क्षेत्र को फिर नियंत्रण में लिया|

ममता बॅनर्जी लालगढ़ में केन्द्रीय बल भेजने के लिए अनुकूल नहीं थी| उन्होंने कहा कि आदिवासियों के आंदोलन को समर्थन देने का अर्थ, माओवादियों का समर्थन करना नहीं हो सकता| इस कारण सावली मित्रा और अन्य बुद्धिजीवियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मेरा भी आदिवासियों की शिकायतों को समर्थन है| क्यों नहीं सरकार मुझे गिरफ्तार करती? अंततः प्रधानमन्त्री जी ने माना कि लालगढ़ की स्थिति से निपटने की नीति के संबंध में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में आम सहमती नहीं है|

4) लालगढ़ में हिंसा रोकने के लिए माओवादियों ने तीन शर्तें रखी थीं–
   अ) जंगलमहाल क्षेत्र से(जिसमें लालगढ़ आता है) पुलिस बल और केन्द्रीय बल हटे|
   आ) आदिवासियों से सरकार माफी मांगे|
   इ) पुलिस का दमन और अत्याचार रुके|
5) मई 2009 के चुनाव के बाद, इस क्षेत्र में 53 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी थी|(मई 2010 तक यह संख्या काफी बढ चुकी थी| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को यहाँ से पूरी तरह खदेड़ा गया था| फॉ. ब्लॉक के भी दो कार्यकर्ता मारे गये| अनुज पांडेय और चांडी करण इन दो मार्क्सवादियों के घर जला डाले| वाम मोर्चा के अध्यक्ष कॉ. विमान बसु के अनुसार माओवादी, तृणमूल कॉंग्रेस और कुछ हिस्सों में कॉंग्रेस एकदूसरे के साथ हैं| कॉंग्रेस, लालगढ़ की हिंसा के लिए वाम मोर्चा सरकार की गलत नीतियों को उत्तरदायी मानती है|
6) लालगढ़ में आंदोलन दौरान कुल 700 व्यक्ति मारे गये और 1200 जेल में बंद हुए|
7) भारत में कुल 24 संगठन प्रतिबंधित हैं| सीपीआई(माओवादी) कई राज्यों में प्रतिबंधित है| लेकिन लालगढ़ की घटनाओं के समय प. बंगाल में यह प्रतिबंधित नहीं थी| 22-06-2009 को केंद्र सरकार ने, कुछ-कुछ भ्रम की स्थिति को देखते हुए फिर एक बार, भाकपा(माओवादी) संगठन को गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की धारा 02 की तहत् आतंकवादी संगठन की श्रेणी में डाल दिया और ऐसा ही करने की बंगाल राज्य सरकार को सलाह दी| लेकिन वाम मोर्चे के घटकों का यह मत था कि प्रतिबंध लगाना, समस्या का समाधान नहीं है|संबंधित संगठन नाम बदलकर या भूमिगत रूप से अपनी गतिविधियां शुरू रखते हैं| इस समस्या का राजनीतिक समाधान सोचा जाना चाहिए| लेकिन अंततः प. बंगाल सरकार ने इस कानून का क्रियान्वयन माओवादी प्रवक्ता चक्रवर्ती को कलकत्ता में गिरफ्तार करकें किया|

ऑपरेशन लालगढ़---

बंगाल पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ कोबरा बटालियन के जवानों ने इस क्षेत्र को फिर अपने नियंत्रण में लिया|

लालगढ़ के आदिवासियों की अन्य मांगे-----

स्थानीय आदिवासी अपनी मातृभाषा और उसकी लिपि ' ओलचिकी ' के लिए शासकीय मान्यता चाहते थे, चूंकि वह लुप्त होने की कगार पर थी| राज्य सरकार ने वर्षों तक इस ओर ध्यान नहीं दिया| लेकिन जब जन-आंदोलन हिंसक हो उठा तो पुलिस चेतावनी के पर्चे बंगाली के साथ-साथ ओलचिकी लिपि में भी छापकर हवाई जहाज से आदिवासी क्षेत्रों में डाले गये| यह एक उदाहरण है| उनकी अन्य मांगें भी थीं| मुख्य मुद्दा क्षेत्र के विकास का ही है| इसी क्षेत्र के करीब शालबोनी में एक लोह प्रकल्प प्रस्तावित था| इसकी लागत कुछ 35,000 करोड़ है| इस कारण संभावित विस्थापन का डर भी उनमें हो सकता था|

पुलिस संत्रास विरोधी समिती(पीसीपीए) : स्त्रियों की सक्रियता-----

इसमें पुरुष-स्त्रियों का अनुपात 50:50 है| लालगढ़ में संयुक्त बलों द्वारा कार्यवाही शुरू होने के बाद, अपने परिवार के पुरुषों और अन्य सदस्यों का बचाव करने में स्त्रियों और बच्चों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई| जब भी सुरक्षा बल गांवों की ओर पहुंचता था, ये महिलाएं और बच्चे चेतावनी के तौर पर सीटी जैसी तीखी आवाज़ पैदा करते थे तो सारा गांव सतर्क हो जाता| सिंगुर में इसी उद्देश्य से पुलिस को देखते ही महिलाएं शंख बजाने लगती थीं| संखरेल पुलिस थाने के प्रभारी अतिंद्रनाथ दत्ता के अपहरण की कारवाई की अगुवाई दो युवतियों ने ही की थी| बंगाल में जगोरी बास्के और रीना सरकार, पिपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की प्रसिद्ध महिलाएं हैं| दत्ता को छोड़ने के ऐवज में किसनजी ने मांग रखी थी कि ऑपरेशन लालगढ़ के शुरू में गिरफ्तार की गयी 14 महिलाओं को छोड़ा जाए| कोई ऐसी मांग नहीं रखी जिसें पूरी करना राज्य सरकार के लिए असंभव हो| बंधकों की अदला-बदली के साथ माओवादियों ने अपनी मांग मनवा ली| एक ढंग से रणनीतिक जीत हासिल कर ली|

पीसीपए की सशस्त्र शाखा----

कुछ सूत्रों के अनुसार इस संगठन की सशस्त्र शाखा है| उसका नाम रखा गया है, ' सिधु-कनु गण मिलिशिया ' | सिधु मुरुमु और कनु मुरुमु वे व्यक्ति थे, जिनके नेतृत्व में1857-58 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत हुई थी| बाद में उन्हें पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया था| पीसीपीए के प्रवक्ता असीत महतो के अनुसार उपरोक्त सशस्त्र गुट की पहली कार्यवाही, ऑपरेशन ग्रीन हंट के प्रत्युत्तर में होगी| उसे नाम भी दिया गया है, ' ऑपरेशन ' मरांग '| बताया जाता है कि झारग्राम के पास राजधानी एक्सप्रेस को रोकने में यही गुट उत्तरदायी था|

राजधानी एक्सप्रेस का अपहरण---

27-10-2009 को भुवनेश्वर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को प. बंगाल के जंगल से युक्त इलाके में, बासताला के पास, 300-400 आदिवासियों ने रोक लिया| इस घटना के दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि अब पूरा क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में है| छक्रधर महतो की गिरफ्तारी के बाद पीसीपीए की कमान ' संतोष पात्र ' के हाथों में है| घटना के दरम्यान पात्र ने कहा था कि रेल के दोनों चालक समूह के कब्जे में हैं| लेकिन उसने ट्रेन के अपहरण की बात से इन्कार किया था| उसने यह भी कहा था कि वे उनमें से किसी के विरुद्ध नहीं हैं और कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया जायेगा| उसके अनुसार संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरोध में उन्होंने जो रेल रोको अभियान आरंभ किया है, उसी के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है|

इससे यह स्पष्ट था कि 1) कुछ घंटे बाद वे रेल को मुक्त करनेवाले थे| 2) वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में केवल बाधाएं खड़ी की थीं, विस्फोटक नहीं लगाये थे जैसा कि आम तौर पर माओवादी करते हैं| 3) घात लगाकर हमला करने का भी यह प्रकार नहीं था| 4) किसी चालक या यात्री को नुकसान नहीं पहुँचा| 5) राजधानी एक्सप्रेस में निश्चित ही अमीर और उच्च वर्ग के लोग यात्रा करते हैं| रेल रोकनेवाले जो कोई भी थें, वे, सारे यात्रियों का कीमती सामान लूटकर ले जा सकते थे| लेकिन ऐसा नहीं हुआ|

इसका सीधा अर्थ है, इस घटना में संघर्ष करने का उनका कोई इरादा नहीं था| उनको एक विशेष संदेश देना था और शायद राजधानी एक्सप्रेस का चयन भी इसी कारण किया गया| उन्होंने रेल डिब्बों पर छक्रधर महतो की रिहाई की मांग लिखी| यह तनावपूर्ण घटना लगभग सात घंटों तक चलती रही| वहाँ कोई संघर्ष नहीं हुआ| लेकिन झारग्राम के एमडीओ ने बयान जारी कर दिया कि घटना की सूचना मिलते ही संयुक्त

बल वहाँ के लिए रवाना हुआ| उसकी माओवादियों के साथ गोलाबारी हुई और सुरक्षा बलों ने ट्रेन को मुक्त कराया| इस दावे में, लगता है, चाहिए उतना दम नहीं है|

लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृति कभी भी हो सकती है, यह आशंका हमेशा बनी रहेगी|

कुछ सूत्रों के अनुसार, पूरी घटना जिस तरह हुई, उससें लगता है कि घटना के दरम्यान भले ही उस इलाके में उपस्थित हो लेकिन घटना को पूरी तरह अंजाम माओवादियों ने नहीं दिया| जब सुरक्षा बल घटना स्थल की ओर बढ रहे थे, तब आंदोलनकारियों की सुरक्षित वापसी की दृष्टि से शायद शस्त्रधारकों ने कुछ गोलाबारी की हो|

बंगाल के बुद्धिजीवी-----

महान साहित्यकार महाश्वेतादेवी ने विश्लेषण किया है कि राजमद में चूर माकपाई, अब गरीब जनता के प्रतिनिधि नहीं रहे| सरकारी पैसों पर वे आलिशान जीवनशैली के आदि हो गये हैं| जनता से कट गये हैं|

कोलकाता के आठ बुद्धिजीवी लालगढ़ गये| इनमें फिल्म, साहित्य, रंगमंच, गैर सरकारी संस्थाएं, श्रमजीवी वर्ग आदि के प्रतिनिधी थे| इनमें फिल्मकार अपर्णा सेन, रंगकर्मी कौशिक सेन और सांवली मित्रा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि जय गोस्वामी शामिल थे| उन्होंने इस प्रवास के दरम्यान जन-साधारणेतर कमेटी के नेता छक्रधर महतो और गांववालों से मुलाकात की| इन लोगों ने सुरक्षा बलों और माओवादियों दोनों से अपील की थी कि वे टकराव का रास्ता छोड़ बातचीत के लिए आगे आये| लेकिन इस दौरे के लिए बुद्धिजीवियों के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया|

प.बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार है, लेकिन सिंगुर-नंदीग्राम, लालगढ़ में जो कुछ हुआ, उसमें और उसके बाद कईं वामपंथी बुदजीवियों ने सरकार की नीतियों का प्रतिरोध किया| इनमें बुजुर्ग लेखक अम्लान दत्त, रंगकर्मी अर्पिता घोष, चित्रकार शुभ प्रसन्न, गायक पतुल मुखोपाध्याय, नाटककार विभाग चक्रवर्ती आदि थे|

राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपिंदर सिंह ने लालगढ़ से गिरफ्तार छक्रधर महतो से मिली सूचना के आधार पर घोषित किया कि बुद्धिजीवियों ने लालगढ़ की पुलिस संत्रास विरोधी कमेटी के आंदोलन और उसके नेता छक्रधर महतों की मदद की है अतः गैर-कानूनी क्रियाकलाप निरोधक(संशोधन) कानून के अंतर्गत उनके विरुद्ध यथोचित कारवाई होगी|

कहा जाता है कि महाश्वेतादेवी समेत अन्य बुद्धिजीवियों के घर पर खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी भी शुरू हो गयी थी| विश्वस्थ सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इन बुद्धिजीवियों से पुछताछ की योजना भी बना ली थी| इसी बीच तृणमूल कॉंग्रेस सुप्रीमो ने इस मामले पर कडा रुख़ अपनाते हुए यह धमकी दी कि बुद्धिजीवियों को अगर नाहक हिरासत में लिया गया तो पूरा बंगाल जल उठेगा|

गृह सचिव अर्धेन्दु सेन ने बाद में कहा कि महाश्वेता देवी, अपर्णा सेन या अन्य बुद्धिजीवियों के माओवादियों से संबंध होने के कोई प्रमाण नहीं हैं, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जाता| सिंगुर से लेकर तो लालगढ़ के आंदोलनों को समर्थन देने के कारण, बंगाल शासन, बुद्धिजीवियों पर माओवादी समर्थक होने के आरोप लगाता रहा है| हर आंदोलन के पीछे माओवादी होने की बात भी करता रहा है| फोरम फॉर द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिझनर्स के महासचिव छोटन दास को पीसीपीए को समर्थन देने के कारण गिरफ्तार किया गया था| बाद में वे जमानत पर थे| प. बंगाल के तथा अन्य बुद्धिजीवी क्या कहते हैं---

सुश्री मेधा पाटकर–" महिनों तक, सालों तक एकदम ठोंस मांगें और मुद्दों के लिए लोग लडते रहते हैं| जैसा लालगढ़ का किस्सा| छक्रधर महतो के परिवार का कोई सदस्य माओवादी होगा भी| लेकिन छक्रधर ने खड़ा किया संघर्ष पूरी तरह सत्याग्रह के मार्ग से जब आगे बढ रहा था तो बंगाल के शासन ने उसे उत्तर देना तो दूर, सादी चर्चा के लिए भी आमंत्रित नहीं किया| आंदोलनकारी संख्या में हजारों होते हुए भी केवल ज्यूनियर पुलिस अधिकारियों के मार्फत और वह भी पुलिस थाने में बुलाकर ही आंदोलन को प्रत्युत्तर दिया गया| पुलिस हमेशा जो करती है, यहाँ पर भी वहीं हुआ, माओवादियों को पकड़ने के नाम पर| परिणाम सामने है|"

आज एक ऑपरेशन लालगढ़ हुआ| लेकिन स्थितियां ऐसी ही रहीं तो किसी और नामांतर्गत, कोई अन्य स्थान पर हो सकता है|"

आंदोलन में गिरफ्तार महिलाओं की रिहाई---

अपहृत पुलिस अधिकारी अतिंद्रनाथ दत्ता के बदले 26 महिला माओवादी समर्थक छोड़ी गयीं| इसके लिए प. बंगाल सरकार ने उनकी जमानत अर्जियों पर विरोध न करने का निर्णय लिया था| लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री जी की आलोचना भी हुई है|

भूतपूर्व नक्सली अब तृणमूल कॉंग्रेस के साथ---

ममता जी के अनुसार, प. बंगाल में नक्सलियों का एक घडा हिंसा त्याग चुका है| लोकतंत्र में विश्वास जताकर वे राजनीति की मुख्य धारा में आ चुके हैं और आज तृणमूल कॉंग्रेस के साथ हैं| उदा. पुर्णेंदु बोस, डोला सेन, प्रदीप बॅनर्जी आदि|

एक तरफ ममता जी कहतीं है कि प.बंगाल में माओवादी नहीं हैं तो दूसरी ओर वे माओवादियों को बंगाल से निकाल बाहर करने की वकालत भी करती है| इस पर किसनजी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि ममता ने सिंगुर, नंदीग्राम में मेरी मदद ली और अब हमें बंगाल से बाहर निकाल फेंकने की जुगत में है|

तेलुगु दीपक का खुलासा----

02 मार्च 2010 को गिरफ्तार किये गये किसनजी के करीबी साथी तेलुगु दीपक उर्फ वेंकटेश्वर रेड्डी ने किये खुलासे के अनुसार 02-11-2008 में प. बंगाल के मुख्यमंत्री के काफिले पर किये गये हमले का उद्देश्य उन्हें मारना नहीं था| अगर होता तो उसे पूरा करना हमारे लिए इतना कठिन नहीं था| हमारा उद्देश्य था पुलिस और प्रशासन उत्तेजित होकर वहाँ की जनता पर अत्याचार करे, जिससे सारी आबादी उसके विरुद्ध हो जाए| तेलुगु दीपक विस्फोटक तज्ञ है और उसके स्वीकारोक्ति के अनुसार, उसने यह तकनीक तमिलनाडु में लिट्टे के सदस्यों से सीखी|

झरग्राम के पास ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना : ता.28-05-2010 : 148 की मौत, 250 घायल|

कौन क्या कहता है–

1) <u>प. बंगाल प्रशासन</u> : माओवादियों द्वारा देश के नागरिकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला| दुर्घटना स्थल बांसताला, माओवादियों और उनके द्वारा समर्थित पीसीएपीए का प्रभाव क्षेत्र है| घटनास्थल से पीसीएपीए के दो पोस्टर्स भी बरामद हुए| इनमें इस घटना की जिम्मेदारी ली गयी है| मिडिया ने इसको व्यापक प्रचार दिया| बंगाल प्रशासन के अनुसार पीसीएपीए के दो सदस्यों-बापी महतो और उमाकांत महतो ने झारग्राम के मुराकाती गांव में संगठन के लोगों के साथ बैठक करके योजना बनाई| पुलिस के अनुसार, योजना बनी थी मालगाड़ी उतारने की| लेकिन एक ही समय दोनों पटरियों पर से गाड़ियों (एक मालगाड़ी और दूसरी यात्री ट्रेन) के गुजरने के कारण भ्रमवश माओवादियों ने यात्री गाड़ी की पटरी उड़ा दी| इससें यात्री डिब्बे दूसरी पटरी की ओर जा गिरे और मालगाड़ी से टकराते चले गये|

   दूसरी ओर वे कहते रहे कि विस्फोट हुआ या नहीं कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता| दोषी रेल प्रशासन ही है|

2) प्रश्न है कि बिना जांच-पडताल के बंगाल पुलिस तुरन्त इतने बड़े नतीजे पर कैसे पहुँची?
   अ) रेल मंत्री: पहले रेल मंत्री पटरी पर विस्फोट की बात कर रही थी और इसके लिए राज्य प्रशासन की अक्षमता की ओर इशारा कर रही थी| रेल्वे अधिकारी भी इसे वास्तव ठहराने के लिए टीएनटी और जिलेटिन छड़ें मिलने की बात उठाते रहे|
   आ) इस दुर्घटना के पीछे साजिश भी हो सकती है, जो प. बंगाल के स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर रची गयी हो| इशारा वामपंथी राज्य सरकार की ओर हो|

इ) अब ममता जी सीबीआई द्वारा जांच की मांग कर रही है|

केन्द्रीय गृहमंत्री----

यह कहना जल्दबाजी होगी कि दुर्घटना के पहले विस्फोट हुआ और यह काम नक्सलियों का ही है| हां, संदेह की सुई निश्चित उनकी ओर है| प्राथमिक तौर पर यह रेल पटरी से फिश प्लेट हटाने या तोडफोड की कारर्वाई भी हो सकती है| विस्फोट के कोई सबूत नहीं मिले|

माओवादी---

-माओवादी प्रवक्ता राकेश के अनुसार, इस दुर्घटना से माओवादी किसी भी तरह संबद्ध नहीं हैं} जिस किसी ने भी इसको अंजाम दिया उन्हें सबक सिखाया जायेगा| हम कभी भी ट्रेनों पर हमला नहीं करेंगे|

पीसीएपीए प्रवक्ता असित महतो : घटना स्थल पर मिले उनके संगठन के पोस्टर्स फर्जी हैं| इस रेल दुर्घटना में उनके संगठन का कोई हाथ नहीं है|

भूतपूर्व रेल्वे बोर्ड सदस्य श्री. शांतिनारायण के अनुसार, ऐसी पटरी से फिश प्लेट हटाना आसान नहीं, जिस पर से हर 30 मिनट में ट्रेन गुजरती हो (Hitwad : May 30)

तृणमूल और माओवादी संबंध---

माकपा सांसद और प्रवक्ता श्री. सीताराम येचूरी ने इस विषय पर ता. 10-01-2011 के अपने लेख में प्रस्तुत किये मुद्दे–

1) जादवपुर लोकसभा सीट से तृणमूल सांसद कबीर सुमन ने हाल ही में अपनी आत्मकथा का लोकार्पण किया जिसका शीर्षक है ' निशानेर नाम तापोशी मलिक ' (ध्वज का नाम तापोशी मलिक)| यह किताब प. बंगाल में सक्रिय भाकपा(माओवादी) के वरिष्ठ पॉलिट ब्यूरो सदस्य किसनजी को समर्पित है|
2) शालबनी और लालगढ़ के घटनाक्रमों के बाद भाकपा (माओवादी) ने' कुछ प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान " शीर्षक वाले दस्तावेज अपने सदस्यों के बीच बंटवाये थे| इनमें कहा गया था-' हमें सभी सत्तारूढ दलों के साथ मिलकर चलना होगा| तृणमूल कॉंग्रेस और रेलमंत्री ममता जी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होने चाहिए|'

जुलाई 2011 में ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे अभियानों में काफी कमी आयी लेकिन नक्सली गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई| सरकार ने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश भी की| साथ-साथ 46 राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव भी था|

1977 के पहले–

1977 में प.बंगाल में वामपंथी सरकार आने के पहले के दस सालों के दरम्यान प. बंगाल में 3000 नक्सली, 1500 वामपंथी मारे गये थे| 10,000 से ज्यादा जेलों में बंद हुए|

आंध्र में नक्सलवाद

आंध्र के सीपीएम नेताओं में कॉ.चंद्रपुल्ला रेड्डी, टी.नागी रेड्डी, देवुलपल्ली वेंकटेश्वर राव और कल्ला वेंकैया जैसे नेता, चारु मुजुमदार के सशस्त्र मार्ग से सत्ता हस्तगत करने के तत्व से खासे प्रभावित थे| और इसीमें से आंध्र में सीपीआय(एमएल) का उदय हुआ| लेकिन चारु के व्यक्तिगत संहार के सिद्धान्त से वे नेता शत-प्रतिशत सहमत नहीं थे|

व्यक्तिगत निःपात के सिद्धान्त को जिन्होंने गले लगाया वे थे, कॉ. कोंडापल्ली सीतारामय्या तथा कॉ. पिला वासुदेवराव| यह बात है सन् 1969 की|

आंध्र की ऐतिहासिक वामपंथी बगावत : तेलंगाना आंदोलन---

निजामशाही के तुरन्त बाद तेलंगाना की स्थिति इस प्रकार थी–35%जमीन, 34% गांव, 30% जनता जागिरदारी के आॉंचल के नीचे थी|

दिसम्बर 1945 में एक घटना हुई| पालकुर्ति नाम के गांव में, एक विधवा के खेत में पकी फसल पर एक स्थानीय भूपति ने जबरन अधिकार करने का प्रयत्न किया| ग्रामीणों ने इसका विरोध किया| डॉ. देऊलापल्ली वेंकटेश्वर राव ने इसका नेतृत्व करते हुए हर घर से एक पुरूष लेकर, आजुबाजु के गांवों को संगठित कर, रक्षा पथक बनाये|

04-07-1946 को विस्तुर रामचंद्र रेड्डी इस देशमुख के सहयोगी ने काण्डीवेण्डी गांव में, जुलूस के रूप में आ रहे ग्रामीणों पर बंदूक दागी| इसमें डूडी कोमारैय्या नाम का एक चरवाहा मारा गया| यहीं से तेलंगाना विद्रोह की शुरुआत हुई| काण्डीवेण्डी गाँव में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने देशमुख की 200 एकड़ जमीन कब्जे में ले ली| इसे खेत मजदूरों में वितरित किया| उच्च स्तरीय कम्युनिस्ट नेतृत्व के अनुसार ऐसी खेती की व्यवस्था के लिए ग्राम समिति स्थापित करनी चाहिए थी| यह आंदोलन लगभग 150 गांवों में फैला| वस्तुतः यह संघर्ष निजामशाही के अंमल के दरम्यान ही शुरू हुआ था| यह भारत में प्रथम सशस्त्र साम्यवादी आंदोलन था| वह 1951 तक चला| इसकी पार्श्वभूमी में भूमि सुधार ही थे| इस दरम्यान कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया था| पार्टी ने 21-10-1951 को अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी| आंदोलन के दरम्यान जमीन का भूमिहीनों में पुनर्वितरण किया गया| किसानों की बेदखली रुक गयी| वेट्टी चाकरी अर्थात् बंधुआ मजदूरी रुक गयी| सूद की मनमानी वसूली रुक गयी| कृषक मजदूरों की रोजी की दरें बढ़ा दी गयी|

वास्तविक यह सशस्त्र संघर्ष साम्यवादियों के नेतृत्व में न केवल जमीनदारों के विरुद्ध बल्कि खुद निझाम के विरुद्ध किसानों के विद्रोह का सबब बन गया|

उस समय आंध्र कम्युनिस्ट नेताओं में प्रमुख थे 1) कॉ.सुंदरय्या 2) देऊपल्ली व्यंकटेश राव 3) चंद्र राजेश्वरराव 4) मकिनेरी बसवपुनय्या 5) चंद्रशेखर राव 6) मोतुरी हनुमंत राव|

इस संघर्ष के विषय में बाद में, कॉ. बसवपुनय्या के विचार थे, " भारत की पुलिस ऐक्शन के बाद स्थिति एकदम बदल गयी थी| इस संघर्ष के बाद पं. नेहरू ने 50,000 की सेना तेलंगाना के चार जिलों में रखी थी| निजाम तीन दिनों में शरण आया| लेकिन कम्युनिस्ट दल, सेना को लगभग तीन सालों तक चकमा देते रहे| निजाम के पतन के बाद, नेहरू जी की सेना से संघर्ष जारी रखना एक गलती थी| इसके स्थान पर इस संघर्ष का रूपान्तर अगर जमीन के संघर्ष में किया होता तो हो सकता है यह संघर्ष सफल होता|"

1969 का श्रीकाकुलम आंदोलन---

1969 में, वामपंथी उग्रवाद उभरने के साथ आंध्र के कुछ हिस्सों में और खासकर श्रीकाकुलम में, दीवारों पर निम्न ढंग की घोषणाएं उभरने लगी थीं–

" China's Chairman is our Chairman "| " Political power flows from the barrel of the gun "|

श्रीकाकुलम के वास्तविक नेता थे डॉ. डी.वेंकटेश्वर राव| पार्टी के जिला सेक्रेटरी थें कॉ. रामलिंगाचारी| यह आंदोलन शुरू हुआ मार्च 1970 में| ' श्रीकाकुलम प्रतिरोध दिन ' 05 मार्च को माना जाता था| यह आंदोलन वास्तव में 10 जुलाई 1970 को समाप्त प्राय हो गया| इसी दिन इस संघर्ष के जमीनी नेता कॉ. व्हेम्पटप्पु सत्यनारायणा (स्थानीय स्तर पर इन्हें बारिडी मास्टर के तौर पर जाना जाता था|) अधिबटला कैलासम बोरी पहाड़ियों में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गये थे|

कोंडापल्ली सीतारामय्या---

इस कॉमरेड का व्यक्तिगत जीवन कुछ हद तक रहस्य में ही लिपटा है| वे मूलतः जोन्नापाडू गांव, जो कृष्णा जिले में है, के रहनेवाले थे| लेकिन आदिलाबाद जिले के जन्नाराम गांव में आ बसे| कोंडापल्ली की मॉ भी किसी समय क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी| उसी तरह उनकी पत्नी भी| पत्नी से बाद में उनका तलाक हो गया था| उनका एक हीं बेटा था, कोंडापल्ली चंद्रशेखर| जब वह 30 साल का था तो एक दिन उसे सवाल-जबाब के बहाने पुलिस उठाकर ले गयी| वह कभी वापस नहीं लौटा| कई हफ्तों बाद एक सडी-गली लाश की पहचान उसकी होने के तौर पर की गयी| उनकी एक बेटी भी है, डॉ. करुणाकुमारी, जो एक विधवा है| वे अपनी दो बेटियों और कोंडापल्ली की मॉ के साथ विजयवाड़ा में रहती थी|

यह क्रांतिकारी 1940 से ही ऐसी गतिविधियों में संलग्न था| तेलंगाना क्रांति में भी उसने सक्रिय हिस्सा लिया| 1969 में वे भूमिगत हो गये और उन्होंने ' पीपुल्स वॉर ग्रुप ' का गठन किया| इस ग्रुप की सशस्त्र और हिंसात्मक गतिविधियां शुरू हो गयीं|

इस व्यक्ति की पहली गिरफ्तारी नागपुर में 26-04-1977 को हुईं थी| उस समय उसके पास शस्त्र भी था| 19-10-1979 को उन्हें सशर्त मुचलके पर रिहा किया गया| लेकिन फिर उनकी वे ही गतिविधियां शुरू हो गयीं| दूसरी गिरफ्तारी 02-01-1982 को हैदराबाद के बेगमपेट के रेल्वे स्टेशन पर हुई| बाद में बड़े नाटकीय ढंग से वे फरार हो गये या कहो पीपुल्स वॉर ग्रुप के लोग उन्हें छुड़ा ले गये| उन्हें बीमारी के इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल के कैदी वॉर्ड में भर्ती किया गया था| इस वारदात की योजना तीन शीर्ष व्यक्तियों ने बनायी थी| वे थे 1) कॉ. आय. व्ही. सांबाशिवाराव 2) कॉ. मुकुक सुब्बा रेड्डी 3) कॉ.एन. सी. शिवाजी| दिन था 04-01-1984 और समय था सुबह चार बजे का| कॉ.शिवाजी, नारायण रेड्डी, आरटीसी सूरी और इन्नां रेड्डी इन्होंने खुले आम कोंडापल्ली को छुड़ा लिया और चलते बने| उनको रोकने की किसीकी हिम्मत नहीं हुई|

कोंडापल्ली को अति निश्चयी, संगठन कुशल और विचार को किसी भी परिस्थिति में मूर्त रूप में उतारने वाला माना जाता था|

पीपुल्स वॉर ग्रुप : स्थापना 20-04-1980

इस गुट के संस्थापक कॉ. सीतारामय्या का कॉ. चारु के सिद्धान्तों में पक्का विश्वास था| चारु के व्यक्तिगत प्रेरणा से ही यह ग्रुप स्थापित हुआ था| इसकी स्थापना में तामिलनाडु की कोंडारामन के नेतृत्ववाली इकाई भी शामिल थी| इन सिद्धान्तों का उल्लेख पहले किया जा चुका है| इस कारण यह ग्रुप जिन गतिविधियों में लिप्त रहता था वे संक्षिप्त में इस प्रकार थीं----

1) क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए छापामार युद्ध : हमला करो और भाग जाओ| हिंसा से परहेज नहीं|
2) वर्गशत्रुओं का सफाया : जोतदार, पुलिस, पुलिस के खबरी इनकी या तो हत्या करो या दंड के तौर पर उनके हाथ-पांव काट दो| इनमें शासकीय अधिकारी विशेषतः वन विभाग के अधिकारियों का भी समावेश है| आदिलाबाद विभाग में हुईं लगभग सभी हत्याएं इसी ग्रुप के खाते में जायेगीं|
3) पुलिस स्टेशन पर हमले तथा शस्त्र ले भागना| पेट्रोल पुलिस पार्टी पर हमले|

संगठनात्मक ढांचा : सर्वोच्च केन्द्रीय समिति : सचिव-कॉ. कोंडापल्ली सीतारामय्या |
सदस्य 1) कॉ.आय.व्ही.सांबाशिवा राव 2) कॉ. मुक्कु सुब्बा रेड्डी
भूमिगत संगठना ! 1) वनक्षेत्र की संघटना 2) मैदानी प्रदेश के लिए संघटना|
दोनों का संचालन प्रॉव्हिंशियल कमिटी द्वारा किया जाता था|
खुली संगठना : तीन सदस्यों की विभागीय समिति और इसका प्रमुख, सेक्रेटरी|
चार सदस्यीय जिला समितियां और उनका प्रमुख, सेक्रेटरी|

फ्रंट संगठनाएं :

वन क्षेत्र : जंगलों में कार्यरत दलम पर निगरानी रखने के लिए वन संपर्क समिति बनायी गयी थी| लेकिन उनके सदस्यों के प्रति भ्रष्टाचार का संशय आने पर उसे 1984 में ही भंग कर दिया गया था| बाद में चार वन विभागीय समितियां बनायी गयीं| वे अत्यंत महत्वपूर्ण थीं–1) मध्यप्रदेश(छत्तीसगढ़) : बस्तर के लिए 2) महाराष्ट्र : गढचिरोली जिले के लिए 3) आदिलाबाद : आंध्रप्रदेश के लिए 4) पूर्व गोदावरी(आंध्र)

इस ढांचे में 'दलम' का नेतृत्व करनेवाले चार केन्द्रीय संगठक तथा चार एरिया संगठक भी हैं|

<u>फ्रंट संघटनाएं :</u>

इनमें निम्न संघटनाओं का उल्लेख आवश्यक है–1) रॅडिकल स्टुडेंट यूनियन 2) रॅडिकल यूथ लीग 3) रिव्होल्युशनरी वूमन लीग 4) सिंगारेनी कार्मिक समाख्या(मजदूर संघटन) 5) रैतु कुली संघम(कृषक संगठन)

शिविर----

इस ग्रुप ने अपना पहला शिविर 1981 में महादेवपुर के पास लगाया था| यह 15 दिन का था| दूसरा जुलाई 1981 में पैडिपल्ली (कारिंग गुट्टलू के पास) लगा था| घने जंगलों में इनके शिविर चलते थे|

शिविर की दैनंदिनी---

दैनन्दिनी की शुरुआत सुबह 5.30 से होती है| शुरू का एक घंटा व्यायाम चलता है| फिर बौद्धिक वर्ग होते हैं, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन होता है| दोपहर में 12 बजे से 03 बजे तक आराम तथा दोपहर का भोजन| 03 से 04 तक सैनिकी इतिहास पर पाठ| इसके बाद शस्त्रों के साथ कवायद तथा बंदूक चलाने का अभ्यास| शाम 07 बजे रात का खाना| बाद में 10 बजे तक ग्रुप चर्चा| बाद में विश्राम|

शिविर में शस्त्रों का रखरखाव, शारीरिक तन्दुरुस्ती के लिए कार्यक्रम, बम बनाने की कला आदि के प्रात्यक्षिक होते थे| बौद्धिक में अर्थशास्त्र, दर्शन, सैनिकी इतिहास आदि विषय लिए जाते थे| इन बौद्धिकों में विशेष सहभाग कॉ. शिवाजी का होता था| यह रिजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वरंगल का छात्र था| बाद में वह पीडब्लुजी में शामिल हो गया| लेकिन कालांतर में आये मतभेदों के कारण इसे पार्टी से निकाल दिया गया|

क्षेत्र में गतिविधियां–

ये ग्रुप खुले प्रदेश में, छोटी संख्या में, स्थानीय वेशभूषा में घूमते थे| एक गाँव से दूसरे गाँव तक घूमते थे| जहाँ तक हो सके इनका घूमना रात में होता था | भोर होने से पहले गाँव में प्रवेश कर, किसी सहानुभूति रखनेवाले आश्रयदाता के घर में आश्रय लेतें थे| दिन के समय अधिकतर घर में ही रहते थे| हर गाँव में, इनसे सहानुभूति रखनेवाले कोई न कोई, इन्होंने जोडकर रखे थे|

बिखरे हुए एकक एकदूसरे के साथ संदेशवाहकों के माध्यम से संपर्क बनाएं रखते थे| यह एक विशेष प्रणाली है, जिसमें संदेशवाहक या एक दलम का सदस्य अन्य दलम के सदस्य के साथ परस्पर और आपस में जानकारी का आदान-प्रदान नहीं करता(A tight lipped system, with no mutual sharing of information)| इसका बड़ी कडाई से पालन होता है| परिणामतः कोई सदस्य पकड़ा जाने के बावज़ूद पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगती|

पीपुल्स वॉर ग्रुप की शक्ति---

ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप के पास 2000 से अधिक हायकोअर गुरिल्ले थे|

पीपुल्स वॉर ग्रुप का कार्यक्षेत्र–

1) मैदानी जिले अ) मेहबूबनगर 2) मेदक 3) नलगोंडा
2) वनक्षेत्र वाले जिले 1) आदिलाबाद 2) करीमनगर 3) वरंगल 4) खम्मम

इनके अड्डे घने जंगलों के अंदर तथा गोदावरी नदी के किनारे हैं| इनका कार्यक्षेत्र, महाराष्ट्र का गढचिरोली जिला और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला इनसे लगकर है|

आंध्र में आदिलाबाद जिले में संरक्षित वनक्षेत्र सबसे अधिक है| जिले का 44% हिस्सा जंगल है| आबादी में 17% आदिवासी है| इसके बाद आता है, विशाखापत्तनम जिला जिसका 40% हिस्सा जंगल है| जिन जिलों में जंगल ज्यादा है, वहाँ आदिवासियों का अनुपात भी अधिक है| इस तरह आदिवासी और जंगल इनमें केवल संख्यात्मक संबंध ही नहीं, उनमें भावनात्मक संबंध भी है| उनका जीवन, उनकी संस्कृति उसी जंगल से उभरी है, उसी में रची-बसी है| इतना ही नहीं उसीपर निर्भर है| इन सब बातों पर जब आक्रमण होता है तो उसीमें से उपजता है आदिवासियों में आक्रोश| उभरता है विरोध, संघर्ष| पीपुल्स वॉर ग्रुप का आधार आदिवासियों के जीवन से ही जुड़ा है|

इस गुट के पास अन्य ग्रुपों की तरह ही शस्त्र थे, देसी बंदूकें और ग्रेनेडस्| लेकिन इनके अतिरिक्त स्टेनगन, ॲसॉल्ट रायफल्स, लाईट मशीनगन जैसे परिष्कृत शस्त्र भी थे, ऐसा कहा जाता है| इनकी पोशाक ओलिव हरी थी| हर दलम का नियामक एक कमांडर होता था|

कॉ. सीतारामय्या की पीपुल्स वॉर ग्रुप के गुरिल्लों को नसीहत : छह बातों के लिए गुरिल्लों ने सतर्क रहना है-

1) औरतखोरी और संबंधित बातें 2) मितव्ययता 3) अन्य ताकतों के साथ अपवित्र गठबंधन 4) नौकरशाही की ज्यादतियां 5) कर्मकांडवाद 6) तांत्रिक गलतियॉं|

इस गुट में भी बगावत–

सबसे उग्रपंथी समझे जानेवाले इस गुट में भी बगावत हुई थी| इस गुट का एक उच्च स्तरीय व्यक्ति था कॉ. के.जी. सत्यमूर्ति| 1982 में जब कोंडापल्ली जेल में था, तब इसी व्यक्ति ने गुट का नेतृत्व संभाला था| लेकिन बाद में वह नरम पंथ की ओर मुड़ा और उसने कोंडापल्ली के विरुद्ध बगावत की| उसे गुट से 1985 में निकाल दिया गया| सत्यमुर्ति एक दलित परिवार से था|

इस गुट के कुछ महत्वपूर्ण कारनामे---

1) 1986 में पेददापल्ली में डॉ. बुच्ची रेड्डी की उसके कार्यालय में घुसकर हत्या की गयी| उपरोक्त घटना के छह घंटे के अंदर करीमनगर में नागरिक हक़ आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता लक्ष्मा रेड्डी की उनके घर में घूसकर हत्या की गयी| करीमनगर में तो कभी-कभी युद्ध जैसी स्थिति बन जाती थी| इसी लिए राजमार्ग पर बने पुलिस स्टेशनों में बंकर तक बनाये गये|
2) 27-12-1987 को इस ग्रुप ने 07 आयएएस अधिकारियों का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था| इन अफसरों में सेक्रेटरी जैसे दर्जे के अधिकारी थे| 08 उच्च स्तरीय नक्सली नेताओं की रिहाई के बदले में उन्हें मुक्त किया गया था| इनमें दो महिला नक्सली भी थीं| इन सबको 15-12-1987 को पूर्व गोदावरी जिले में पकड़ा गया था| इससे पहले भी नवम्बर 1984 में एक रेव्हेन्यू डिवीजनल ऑफिसर को इसी गुट ने अगवा किया था|
3) इतना ही नहीं, तिरुपति देवस्थान के मार्ग पर प्रत्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर बारुदी सुरंग विस्फोट से हमला किया गया और उसमें पुलिस का एक वाहन अंदर के जवानों सहित उड़ा दिया गया था|

आंध्र में सीपीआई(एमएल)----

कॉ. चंद्रपुल्ला रेड्डी तथा कॉ. पिला वासुदेव राव, शुरू में दोनों एकत्र थे| वे एस.एन. सिंह के नेतृत्व में गठित पार्टी से संलग्न थे| उनका आदिवासियों में काफी प्रभाव था| लेकिन 1983 में दोनों अलग हुए और उन्होंने अपने-अपने ग्रुप बनाये| प्रत्यक्ष शस्त्र नीचे न रखते हुए भी उन्होंने हिंसा के एकान्तवादी दर्शन को अंततः गलत कहा|

कॉ.चंद्रपुल्ला रेड्डी

शुरू में यह व्यक्ति कॉ.चारु का निकट सहयोगी था| लेकिन चारु के वर्ग शत्रुओं की हत्याओं के दर्शन से एकदम सहमत नहीं था| बाद में तो इस ग्रुप ने उपरोक्त विचार को त्याग दिया| इस गुट की पोशाक खाकी थी|

इस गुट ने प्रत्यक्ष चुनाव में हिस्सा लिया| लेकिन उनके अनुसार यह इसलिए किया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया की निरर्थकता को सिद्ध किया जा सके| उनके अनुसार उनका यह कृत्य प्रतीकात्मक था| 1985 में हुए प्रदेश विधानसभा के चुनावों में इस गुट ने अपने 45 उम्मीदवार खड़े किए थे| जबकि इसी चुनाव में भाकपा ने 15 और माकपा ने 12 उम्मीदवार ही खड़े किये थे| इस गुट ने येलाण्डु विधानसभा की सीट लगातार जीती| विजयी व्यक्ति थें कॉ. गुम्माडी नरसैया|

इस गुट का प्रभाव प.गोदावरी, वरंगल, खम्मम जिलों में तथा करीमगंज और विशाखापटनम जिलों के कुछ हिस्सों में था| यह सभवतः सबसे व्यवस्थित संगठन वाला गुट था| उसका आंध्र की सबसे बड़े वामपंथी विद्यार्थी सगठन, प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रेटिक स्टुडेंट्स यूनियन पर नियंत्रण था|

कॉ.चंद्रपुल्ला लगभग 10 साल तक कार्यरत् रहे लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आए| उनपर आंध पुलिस का उस समय एक लाख रुपये का ईनाम था| उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से 1984 में कलकत्ता में हुई| उनके बाद इस ग्रुप का नेतृत्व उनकी पत्नी कॉ. निर्मला ने संभाला| यह आंध्र की एक अकेली नक्सली महिला नेत्री थी जिसने किसी ग्रुप का नेतृत्व किया|

कॉ.पिला वासुदेव राव---

जैसा कि ऊपर बताया गया है, कॉ.पिला, कॉ. चंद्रपुल्ला से 1983 में अलग हुए| अलग होने का निश्चित कारण तो ज्ञात नहीं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कॉ. चंदपुल्ला की पत्नी कॉ. निर्मला का पार्टी कार्य में अति हस्तक्षेप, संभवतः अलग होने का कारण होना चाहिए|

इस ग्रुप की पोशाक भी खाकी ही थी|

कॉ. पिला वासुदेव राव मूलतः एक स्कूल शिक्षक थे| कॉ. चंद्रपुल्ला के साथ यह व्यक्ति भी शुरू में(1969 में)कॉ. चारु के तत्वों का जोरदार समर्थक था| लेकिन बाद में इन्होंने हत्याओं के विचार का त्याग किया और कहा कि व्यक्तिगत हत्याओं से व्यवस्था नहीं बदल सकती| यह व्यक्ति आंदोलन के 17 सालों के दरम्यान कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा| इतना ही क्यों, पुलिस के पास उसका निश्चित हुलिया भी नहीं था|

(अन्य ग्रुप---

उपरोक्त तीन प्रमुख गुरिल्ला ग्रुपों के अतिरिक्त छोटे-छोटे गुट भी आंध्र में कार्यरत् थे| उदा. कॉ. एम.ए.रॉफ का सेंटर फॉर रिव्होलूशनरी कम्युनिस्ट| कॉ. डी. वेंकटेश राव का युनिटी सेंटर ऑफ कम्युनिस्ट रिव्होलुशनरीज ऑफ इंडिया| यह ग्रुप भी 1985 में दो गुटों में विभक्त हो गया| ऐसा समझा जाता है कि आंध्र में नक्सलियों के कुल 14 गुट कार्यरत् थे| ये गुट एकत्र आते थे और विभक्त हो जाते थे| वे एकदूसरे पर सुधारवादी होने का आरोप मढते हुए, एकदूसरे से खूनी संघर्ष में उलझ जाते थे| एकदूसरे को जानी दुष्मन मानते हुए|

कॉ. वेंकटेश्वर राव के अनुसार आंदोलन असफल होने का प्रमुख कारण था, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी में बार-बार होनेवाला विभाजन|)

आदिवासी रैतुकूली संघम-----

करीमनगर, आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम इन जिलों में इस संगठन का अछा प्रभाव था| रैतु का अर्थ है किसान और कुली यानि श्रमिक| इस तरह यह आदिवासियों, किसानों और श्रमिकों का संगठन था| इस संगठन के सदस्यों को आमतौर पर नक्सलवादी माना जाता था| संगठन की सदस्य संख्या 02 लाख होने का अंदाजा था| इनमें से 30,000 को पुलिस अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न समय पर पकड़ चुकी थी| 10,000 पर मुकदमे भी चले| करीमनगर की वेमुलावाडा तहसील में ही 1977 और 1984 के बीच 27 सदस्य पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे| (नवभारत टाइम्स : 08-04-84)

आंध्र की जननाट्य मंडली तथा तेलुगु के कवि गदर, आंध्र (तेलंगाना) में रॅडिकल स्टुडेंट यूनियन, रॅडिकल यूथ लीग(सदस्य संख्या 2000) जैसे संगठन भी जनजागृति में व्यस्त थे| इन्हें क्रांतिकारी विचारों वाले माना जाता था| काकतिया विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर, नक्सलवादी प्रभाववाली विद्यार्थी यूनियन ने, चुनाव के माध्यम से सालों तक नियंत्रण रखा|

आंध्र में भूमिगत क्रांतिकारी को ' अण्णा ' से संबोधित किया जाता था| सशस्त्र गुरिल्ला पथक को ' दलम्' कहते थे| (बिहार में इसे दस्ता कहते थे)| नक्सलवाद का जन्म भले ही बंगाल में हुआ हो और अपने शुरुआती दौर में वह अपने उग्रतम स्वरूप में बंगाल और केरल में फला-फुला हो लेकिन वहाँ लम्बे समय तक क्रियाशील नहीं रह सका| वहाँ शुरू में जो भी चारु के दर्शन को माननेवाले थें वे बाद में वर्गशत्रुओं की हत्या के समर्थक नहीं रहे| यह आंध्र ही था, जहाँ उग्रवादी कम्युनिस्ट लम्बे समय तक वर्तमान सत्ता से, चारु के दर्शन के आधार पर टकराते रहें| यही बात बिहार के लिए भी कही जा सकती है|

अमीर जमीनदारों के विरुद्ध आंध्र में जो जनजागरण उभरा उसे नेतृत्व देने का काम निश्चित ही कम्युनिस्ट ग्रुपों ने किया| लेकिन 1970 के दरम्यान विद्यमान सत्ता ने उसे दबा दिया| बाद में आपातकाल के दरम्यान आंध्र में भी यह आंदोलन सुप्तावस्था में ही रहा| 1977 के बाद वह नई ऊर्जा के साथ आंध्र में ही नहीं तो आंध्र से जुड़े महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के हिस्सों में भी अपनी जड़ें जमाने लगा| 1983 में आंध्र में तेलुगु देशम् का शासन आने के बाद इन गुटों द्वारा आयोजित हिंसक गतिविधियों में एकाएक वृद्धि हुई| आंध्र में नक्सली गुरिल्लों की कुल संख्या दस हजार तक पहुँच गयी थी ऐसा अनुमान है| वनों की बहुतायत वाले सात जिलों में, वस्तुतः नक्सलियों का समांतर शासन है, ऐसी स्थिति बनी रहती थी| वे खास जिले थे- आदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, निजामाबाद, खम्मम, नलगोंडा, करीमनगर और वरंगल| वे वहाँ टॅक्स वसूल करते थे| जन-न्यायालयों के माध्यम से लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करते थे|

ऐसा माना जाता है कि सत्ताधारियों के विरुद्ध, उन्हें परेशान करने के लिए, विरोधी दल नक्सलियों का सहारा लेते हैं| चुनाव से पहले श्री. चंद्रबाबू नायडू और राजशेखर रेड्डी, दोनों ने नक्सलियों और माओवादियों के प्रति नरम रुख अपनाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की| लेकिन सत्ता में आते ही दोनों के शासनकाल में नक्सलियों को निशाना बनाया गया| सत्ता में पहुँचते ही हर पार्टी का उनके प्रति रुख़ बदल जाता है|

2006 में आंध्र में नक्सलवादी आंदोलन में 94 नक्सली मारे गये| नक्सलियों को सबसे बड़ा धक्का 23 जुलाई को लगा| प्रकाशम जिले के नल्लामल्ला घने जंगल में नक्सलियों की उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी| इस बैठक पर आंध्र के नक्सल विरोधी कमांडो स्कॉट ' ग्रे हाउंड ' ने अचानक हमला किया| जबरदस्त मुठभेड़ में आठ नक्सली मारे गये| इनमें पांच महिला नक्सली थीं| लेकिन सबसे बड़ा नक्सली सीपीआई(माओवादी) आंध्र का राज्य सचिव बर्रा चिन्नैय्या उर्फ माधव भी था| ऐसा कहा जाता है कि श्री चंद्रबाबू नायडू पर हुए हमले के पीछे इसीका दिमाग था| राज्य के पूर्व गृहमंत्री माधव रेड्डी और कॉंग्रेसी विधायक सी. नरसी रेड्डी की हत्याओं के पीछे भी यही माधव था|

आंध्र के अन्य मारे गये नेता–प्रसाद और चंद्रमौली

आंध्र पुलिस ने माओवादियों के केन्द्रीय नेताओं में ' प्रसाद ' जो पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी का प्रमुख था तथा एक अन्य वरिष्ठ नेता चंद्रमौली को मुठभेड़ों में मार गिराया था| प्रसाद ने ही आंध्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के.श्रीपाद राव की हत्या की थी, ऐसा दावा किया जाता है| उसके विरोध में चार प्रांतों में अन्य 120 हत्याओं के

मामले दर्ज थे| उसपर 15 लाख रुपये का ईनाम था| अन्य का नाम नंदीराजमौली उर्फ जगन्ना भी था| वह करीमनगर जिले के पोदेक्कापल्ली का निवासी था| उसका भाई ' अशोक ' छत्तीसगढ़ में नक्सली था| आंध्र पुलिस के अनुसार उसकी पत्नी का नाम सुजाता था जिसकी मौत छत्तीसगढ़ में हुयी| तो महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार उसकी पत्नी का नाम नीलगुंडा रजिता है|

गजेरिया रवि उर्फ गणेश–

यह उत्तर तेलंगाना विशेष झोनल कमेटी का सदस्य था| लेकिन बस्तर के बिजापुर जिले में एक मुठभेड़ में मारा गया|

आंध्र में नक्सलियों का आत्मसमर्पण ; पीछले तीन वर्षों में--

वर्ष 2006–282, 2007–172, 2008–197 = कुल 641

नक्सली वारदातों में भी कमी आती रही जो इन आकड़ों से स्पष्ट है| वर्ष वारदातें माओवादी / पुलिस मौतें

2005	576	211	/	25
2009	62	17	/	0

ग्रे हाउंड

' ग्रे हाउंड ' विशेष दल की स्थापना 1989 में नक्सलियों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस के प्रतिबद्ध आयपीएस् पुलिस अफसर श्री.के.एस.व्यास् ने की थी| लेकिन बाद में उग्रवादियों ने उन्हें ही करीब से गोली मार दी थी| आंध्र जैसे बड़े राज्य के लिए 3000 ग्रे हाउंड कम हैं| लेकिन उनका प्रशिक्षण एनएसजी जैसा होता है| उन्हें सामान्य सिपाही से 60% अधिक वेतन मिलता है| इसकी शुरुआत 500 जवानों के साथ की गयी थी| बाद में उनकी संख्या 2500 तक बढायी गयी| यह इस उद्देश्य से बनायी गयी देश की प्रथम इकाई है| आंध्र के साथ-साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे पडोसी राज्यों में भी माओवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने इनकी सेवाएँ ली जाती हैं| इसे आदर्श फोर्स माना जाता है| इसके गठन से लेकर 2008 तक अर्थात् 20 वर्षों में इसे केवल 20 कमांडों की क्षति उठानी पड़ी थी| तेज-तर्रार युवा जवान को, कमांडो के तौर पर तीन साल की नियुक्ति मिलने के पूर्व उसे हैदराबाद के प्रशिक्षण स्कूल तथा हरियाणा के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा बल स्कूल में तीन महीने की सख्त ट्रेनिंग लेनी होती है| एक जवान को कमांडो बनाने 12 लाख रुपये खर्च आता है| एक जानकारी के अनुसार नियमित ड्युटी के दरम्यान महीने में 15 दिन उन्हें जंगलों में बिताने पडते है, वह भी साथ लिये हुए इकट्ठे भोजन के सहारे| उन्हें उनके मूल वेतन का 60%, प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाता है|

29-06-2008 को 55 कमांडों की एक टीम, उड़ीसा के मल्कानगिरि जिले के एक दूरदराज इलाके में हुए अभियान के बाद मोटर बोट से लौट रही थी| उसके साथ पुलिस के दो सब इन्सपेक्टर, तीन होमगार्ड, उड़ीसा पुलिस के दो सिपाही और मोटर बोट चालक दल के तीन लोग थे| घटना आलमपेट्टा गाँव के पास हुई| वे बोट से चित्रकोडी जा रहे थें| सिलतु नदी पर बने बालिमेला जलाशय के इर्द-गिर्द बड़ी मात्रा में पेड़-पोधों से ढंकीं छोटी पहाड़ियों की आड का फायदा उठाकर हथियारों से लैस माओवादियों ने कमांडो पर रॉकेटों, लाईट मशीनगन और ए-के-47 से गोलियां बरसायीं| कुछ कमांडों ने प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न किया लेकिन गोलियों से छलनी नौका जल्दी ही डूब गयी| जलाशय की गहराई 40 मीटर है| 29 लोग तैरकर किसी तरह किनारे लगे| 35 डूब गये| आंध्र और उड़ीसा की सीमा पर माओवादी सम्मेलन कर रहे हैं यह गुप्त सूचना मिलने पर उन्हें खदेड़ने, कमांडों गये थे| नक्सलियों को मालूम था कि बड़ी संख्या में कमाडों कार्यवाही करने आयेंगें| बोट से लौटते समय वे सतर्क नहीं होंगे| उस समय उनपर आसानी से हमला किया जा सकेगा| वे जलाशय के बीच में होंगे और ज्यादा कुछ कर नहीं पायेंगें| जहाँ घटना हुई, उस क्षेत्र में पहुंचना आसान नहीं| मौके पर पहुँचने के लिए कई कि.मी. पैदल् चलना पड़ता है| एक तरह से, माओवादियों ने बिछाये जाल में कमांडों फस गये|

वारदातें---

24-05-2009 : इस दिन आंध्र-उड़ीसा सीमा पर हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गये| उनमें एक की पहचान पटेल सुधाकर रेड्डी के तौर पर की गयी| यह 12 लाख रु. का इनामी, आंध्र का शीर्ष माओवादी नेता था और आंध्र में माओवादी गतिविधियों का प्रमुख सूत्रधार था| कहा जाता है, श्री.चंद्रबाबू नायडू पर 2003 में हुए हमले में, 01-02-2009 को गढचिरोली जिले में हुई वारदात में, जिसमें 15 पुलिसकर्मी मारे गये थे, 90 के दशक में हुई वरिष्ठ पुलिस अफसर श्री.के.एस.व्यास् की हत्या में, 2000 में तत्कालीन गृहमंत्री ए. माधव रेड्डी की हत्या में इसी का हाथ था| यह 1980 से ही उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त था| उस समय यह उस्मानिया यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर पढ़ाई कर रहा था| वह एम.ए.,एलएलबी.था| वह कर्नाटक में पार्टी गतिविधियों का भी प्रभारी था| वह मूलतः मेहबूबनगर जिले के गढतीराव चेरूवु गाँव का रहनेवाला था| उसकी मृत्यु के दूसरे दिन उसकी दो पत्नियों ने (पद्मा और करुणा) मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की कि उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा गया|

दूसरा व्यक्ति था वेंकटय्या उर्फ प्रणय| यह जिला समिति सदस्य था|

<u>12-03-2010</u>

इस दिन पुलिस के साथ तथाकथित मुठभेड़ में निम्न दो कट्टर नक्सली मारे गये|

1) सरवामुरी आप्पाराव उर्फ वेंकन्ना : सीपीआई(माओवादी) राज्य कमेटी सदस्य| वह सीपीआई(माओवादी) के सहयोगी संगठन स्टेट मिलिटरी कमिशन का सदस्य और प्रमुख रणनीतिकार था| पुलिस के अनुसार वह 40 हिंसक वारदातों में लिप्त था, जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों हुए हमले भी शामिल हैं| वह प्रकाशम जिले के नल्लामला के जंगल में मारा गया|
2) कोंडल रेड्डी उर्फ टेक रामन्ना: वरंगल जिले के, तडवाई मंडल के जंगल में मारा गया| यह भी सीपीआई माओवादी राज्य कमेटी का सदस्य था

मुठभेड़ों की थियरी पर मानवाधिकार कार्यकर्ता सवाल उठाते रहे हैं|

बिहार

बिहार में अशांति, हिंसा के उभार के पीछे सबसे मुख्य कारण रहा है भूमि समस्या| कृषि मजदूरी का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है| बिहार देश का एक ऐसा राज्य है, जहाँ भूमि सुधार के प्रयत्न बहुत पहले शुरू हुए| इन सुधारों का सबसे अधिक विरोध भी यहीं हुआ| क्योंकि सत्ता में वही प्रभावशाली लोग थे, जिनके हितों को इन सुधारों के कारण चोट पहुँचनेवाली थी| हमेशा ये सुधार कागज़ी शेर बने हुए रहे| इसी कारण बिहार ने, आंध्र को छोड़कर, भूमि सुधारों से संबन्धित बड़े आंदोलन देखे हैं| इनमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया| सैकड़ों मारे गये| सन 1960 के बाद इस तरह के कईं आंदोलन उभरे| उनका नेतृत्व कम्युनिस्ट, समाजवादियों और नक्सलियों ने किया|

जमीनदारी उन्मूलन की घोषणा के दौरान बिहार में 2,59,077 सामन्त थे| उनका बिहार की 90% जमीन पर कब्जा था| साथ में वे राजस्व वसूली भी करते थे| इनमें 20,000 एकड़ तक स्वामित्व वाले भूस्वामी थे| छोटे, मंझोले कुछ किसानों को मालिकाना हक तो मिले लेकिन मालगुजारी वसुली का अधिकार खोने के बावजूद बड़े जमींदारों के हाथों में सैकड़ों/हजारों एकड़ जमीन बनी रही| सत्ता में उन्हीं का दबदबा था| इस कारण उनपर हाथ डालने की किसीकी हिम्मत नहीं होती थी| वे कानून को धत्ता बताते रहे| श्री.के.बी.सहाय ने अपने मुख्यमंत्रीत्व के दरम्यान भूमि सुधार लागू करने की जबरदस्त कोशिश की लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे|

दरम्यान बिहार की समस्त जोत का 50% हिस्सा एक एकड़ से भी कम आकार का था| कृषि क्षेत्र में दिये गये समस्त ऋणों का 70% हिस्सा गैर-सरकारी था| यह सुदखोरों का धंधा था, जिसमें कृषकों की पीढियॉं डूबी हईं थीं| ये सूदखोर 8% होकर भी 50% भूमि पर कब्जा जमाये बैठे थे|

भूदान आंदोलन

यह गैर-सरकारी प्रयास था| 32 लाख एकड़ भूमि बांटने का दावा किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष में 03 लाख 11हज़ार 37 एकड़ भूमि ही वितरण के लिए प्राप्त हुई| यह प्रयास आचार्य विनोबा जी का था|

निजी सेनाएं

सन् 1971 के बाद तो ग्रामीण अंचलों में भूस्वामियों ने निजी सेनाएं ही बनाना शुरू किया| वे अधिकतर जातीय आधार पर बनायी गयीं|

ब्रह्मर्षि सेना : भूमिहार जाति की : विधायकों का एक गुट ही इसका नियंत्रक माना जाता है|
कुंवर सेना : राजपूतों की(ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार बिहार की सवर्ण जातियां हैं)
भूमि सेना ; कूर्मि भूस्वामियों की|
लोरिक सेना : यादव भूस्वामियों की: नालंदा जिले में|

नक्सलवाद का उदय

बिहार में सन् 1967 के बाद नक्सली विचारधारा और उसकी सक्रियता की नींव रखनेवाले थे सर्वश्री सत्यनारायण सिंह, जौहर, तूफानचंद्र जोश और उमाधर सिंह|

बिहार में चारु के विचारों पर आधारित उभरे छोटे ग्रुप थे–

1) श्री. उमाधर सिंह के नेतृत्ववाला नक्सली संगठन|
2) श्री. सत्यनारायण सिंह के नेतृत्ववाला नक्सली संगठन| सीसीसीपीआई के सत्यनारायण सिंह और सीपीआई यूनिट कमेटी के ऑस्कर नंदी ने 1977 में पीपुल्स सेंट्रल कमेटी सीपीआई(माले) की स्थापना की|
3) सुशीतलराय चौधरी ग्रुप
4) बिहार प्रदेश किसान सभा| यह राज्य के लगभग सभी जिलों में कार्यरत थी| यह गरीब और भूमिहीन किसानों का एक बड़ा संगठन था, सीपीआईएमएल से सहानुभूति रखने वाला| इसके अध्यक्ष थे कॉ. रमेशचंद्र पांडेय| इस संगठन की मांग थी कि बडे जमीनदारों की जमीन जब्त कर छोटे, गरीब और

भूमिहीन किसानों में बांट दी जाएं| लेकिन इसने अपनी मांगों के समर्थन में लोकतांत्रिक ढंग से ही आंदोलन चलाये|

5) कॉ. सुब्रातो दत्ता का ग्रुप: यह भोजपुर जिले में कार्यरत था| इसे चारु समर्थक लेकिन लिन विरोधी के तौर पर पहचान मिली| सुब्रातो 1975 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया|

6) मजदूर-किसान संग्राम समिति : यह गया, जहानाबाद, पलामू जिले में सक्रिय थी| यह प्रतिबंधित संगठन, डॉ, विनयन द्वारा बनाया गया था| डॉ.विनयन के सिर पर एक लाख रु. का इनाम घोषित हुआ था| विनयन ने स्व. जयप्रकाश जी के साथ भी काम किया था| लेकिन बाद में उन्होंने हिंसक दर्शन कों त्याग दिया| अब वे लोकतांत्रिक ढंग से किसान संघर्ष की वकालत करते है|

7) संतोष राणा ग्रुप: एकांतिक वामपंथी घोषणाओं के साथ कृषकों में जागृति लाने के उद्देश्य से बंगाल में शुरू किया संघर्ष अन्त में चुनाव में हिस्सा लेने में परिवर्तित हुआ और वह भी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके| राणा चुनाव हार गया| फिर उसने झारखंड के कुछ हिस्से में अपनी गतिविधियां चलायीं|

8) विनोद मिश्रा ग्रुप : सीपीआईएमएल से एक ग्रुप अलग हुआ| उसने अपना नाम रख लिया लिबरेशन ग्रुप| उसका प्रमुख था बंगाल का कॉ. महादेव मुखर्जी| अगले मत-मतांतर के समय वह बंगाल निकल गया| इस कारण बिहार ग्रुप का नेतृत्व संभाला कॉ. जौहर नाम के व्यक्ति ने| आगे सन 1970 में उसकी विरासत संभाली कॉ. विनोद मिश्रा ने| यह दुर्गापुर रिजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था| सन 1980 में उसने दो संगठन बनाये|

   अ) बिहार प्रदेश किसान सभा: 1988 के शुरू में इस सभा ने वर्गशत्रु निर्दालन का सिद्धांत बिलकुल ही छोड़ दिया| लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ सहयोग शुरू किया लेकिन सशस्त्र दस्तें विसर्जित नहीं किये| इस कारण जमीनी कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हुए|

   आ) इंडियन पीपुल्स फ्रंट

इस फ्रंट ने एक विधानसभा चुनाव में 64 उम्मीदवार खडे किये थें| लेकिन एक भी विजयी नहीं हुआ| जहाँ तक सशस्त्र संघर्ष का सवाल है, यह एक बड़ा ग्रुप बना| इसके कार्यक्षेत्र के जिले थे जहानाबाद, गया, पटना, नालंदा, रोहतास, हजारीबाग तथा भोजपुर| इतना ही नहीं तो मिश्रा के नेतृत्व में ग्रुप का विस्तार पश्चिम और मध्य बिहार, बंगाल और त्रिपुरा तक हुआ|

9) लिबरेशन ग्रुप i : किसी समय नक्सलवादी गुटों में यह सबसे बड़ा और प्रभावशाली गुट था| शुरू में 14 प्रदेशों में इसकी इकाइयां स्थापित हुई थीं| इस गुट का लिबरेशन नाम का समाचार पत्र भी निकलता था| पुलिस मुठभेड़ों में इस ग्रुप के काफी लोग मारे गये| शुरू में यह ग्रुप काफी उग्र था| लेकिन इसका प्रभाव कम होता गया|

10) सीपीआईएमएल पार्टी यूनिट गुट या लिबरेशन ग्रुप 2 : इस ग्रुप का नेता था, चारु का अत्यंत करीबी कॉ.कनाई चॅटर्जी| शुरू में यह ग्रुप काफी लोकप्रिय था| बाद में नेतृत्व गया नारायण सन्याल के पास| इसका कार्यक्रम था पैसे की छिना-झपटी, पुलिसों से हथियार छिनना, अपहरण आदि|

11) इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स, धनबाद : यह एक अत्यंत छोटा ग्रुप था| उसकी अगुवाई करने वाले थे, कॉ.अर्जुन सिंह और भाई जी नाम का व्यक्ति|

माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.)

भिन्न ग्रुपों द्वारा फिर एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न हुआ लेकिन वह असफल रहा| इनमें से ही कुछ लोगों ने एमसीसी का निर्माण किया| अमूल्य सेन को नेता चुना गया| उसकी 1980 में मौत हो गयी तो नेतृत्व की डोर कनाई चॅटर्जी के हाथों में आयी| लेकिन एक साल के अंदर ही उसकी भी मृत्यु हो गयी|

सन 1981 में उपरोक्त संगठन उभरकर आया| वास्तव में इसे बनाया गया बंगाल में लेकिन इसकी गतिविधियां चलीं बिहार में| यह अन्ततक चारु मुजुमदार के विचारों से चिपका रहा| कम्युनिस्ट दर्शन वास्तव में वर्ग धारणा पर आधारित हो, यह अपेक्षा रहेगी| लेकिन ' जाति ' राजनीति से प्रभावित बिहार ने कुछ अतिवादी कम्युनिस्ट ग्रुपों को भी अपने रंग में रंग लिया| उपरोक्त संगठन में यादवों की अधिकता थी|

शुरू में औरंगाबाद संभाग में, इस ग्रुप की गतिविधियों में बढोत्तरी हुई, जहाँ अधिकतर भूस्वामी राजपूत थे| इस ग्रुप का एक नेता था कॉ. रामधर सिंह| इसने ग्रुप इसलिए छोड़ दिया था कि ग्रुप जातिगत विचारों के प्रभाव में है| इस व्यक्ति ने व्यक्तिगत हत्याओं का विरोध किया था|

यादवों के बहुमत वाले इस ग्रुप ने दालेचक और भगूरा गाँव में 41 राजपूतों की बड़ी निर्दयता से हत्याएं की थीं| इनमें औरतें और बच्चे भी थे| इन मारे गये व्यक्तियों में कोई भी भूस्वामी नहीं था| वे केवल राजपूत थे, इस कारण मारे गये थें| यह उस घटना का बदला था जिसमें एक महीना पूर्व, राजपूतों ने 07 यादवों की हत्या की थी| इनमें छह एमसीसी के सदस्य थे| यानी प्रतिशोध का आधार केवल जाति थी| यह घटना भी, हत्याओं की कड़ियाँ में एक पूर्व कड़ी का बदला था| इसमें एमसीसी ने एक राजपूत को मारा था| इस तरह तात्विक आधार की जगह, वह आधार था, जातियों की, एक-दूसरे से जाति आधार पर बदला लेने की रणनीति|

इस ग्रुप ने शुरू के दौर में औरंगाबाद, हज़ारीबाग, पलामू जिलों में कुछ जमीन मुक्त कर अपने अनुयायियों में बांटी थी| इसका नेतृत्व शुरू में प्रमोद मिश्रा और संजय दूसाध ने किया था| इसमें हरिओम शास्त्री नाम का एक स्वयंघोषित कमांडर भी था जिसे दस साल पहले मरा हुआ घोषित किया गया था|

अन्य ग्रुप

यहाँ भी कहानी कुछ अलग नहीं थी| बढते-बढते बिहार में नक्सली ग्रुपों की संख्या 27 तक पहुँच गयी थी|

इक्कीसवीं सदी के बिहार तथा झारखंड में नक्सली आंदोलन

जहानाबाद : पहले जहानाबाद, गया जिले का हिस्सा था| उसे राज्य का 39 वॉ जिला नक्सलवाद से निपटने के नाम पर ही बनाया गया| सन् 1986 में जब पुलिस की गोली से, गांधी में सभा कर रहे दर्जनों श्रमिक मारे गये, तब अरवल को जहानाबाद से अलग जिला बना दिया गया| इस तरह नक्सलियों को घेरने के उद्देश्य से जिला जहानाबाद को छोटा करते गये| लेकिन प्रत्यक्ष में क्या हुआ? पुलिस की जगह कमांडों भी आये, फिर भी नक्सलियों की तादाद और ताकद बढती ही गयी| हत्याओं के भी कितने ही दौर चले|

13-11-2005 को जहानाबाद जैसी छोटी जगह, 700 के करीब नक्सली एकाएक एकत्र होते हैं| जेल पर हमला करते हैं| जेल में बंद सभी नक्सलियों को छुडा लेते हैं| विरोधी रणवीर सेना के कुछ कैदियों का अपहरण कर लेते हैं| इस अभियान में एक नक्सली नेता भी मारा गया था| निश्चित ही इस हमले की तैयारी महिनों से होनी चाहिए| लेकिन पुलिसी तंत्र को उसकी भनक तक नहीं लगी| घटना से संबंधित साक्ष देनेवाला एक भी व्यक्ति पुलिस को नहीं मिला| क्या स्थानीय आम लोगों के नैतिक ही नहीं सक्रिय समर्थन के बिना यह अभियान संभव था?

यहाँ एक प्रसंग की याद अपने आप ही उभर आती है| क्रांति की जननी माने जाने वाले फ्रांस में ' बास्तिल ' जेल के पतन के बाद ही 1789 की क्रांति में लुई राजशाही का अन्त हुआ था|

जहानाबाद में भूस्वामी अधिकतर भूमिहार जाति के हैं| वास्तव में जहानाबाद में मजदूरी और भूमि विवाद सबसे ऊपरी मुद्दे नहीं थे| जहानाबाद में नरसंहार दलितों के होते रहे और पुलिस संरक्षण भूस्वामियों को मिलता रहा| उनमें अंधाधूंद शस्त्र बांटे गये| लेकिन वे दलितों और गरिबों में तो निश्चित ही नहीं, क्योंकि उन्हें इस लायक ही नहीं समझा गया| ऐसा देखा गया है कि, जहाँ दलितों के नरसंहार की घटना हुई, वहाँ तो न्याय व्यवस्था की गति कछुए की है, जबकि सवर्णों की हत्याओं में जहाँ दलित आरोपी थे, वह खरगोश की है| दलितों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती| वास्तव में प्रश्न था प्रशासनिक उत्पिडन और केवल शक्तिशालियों को पुलिस संरक्षण का| इसीने नक्सलियों को शक्ति दी|

मार्च 2006 की एक और घटना

इस घटना में एक दिन ट्रेन नंबर 628 बरकाना-डाल्टनगंज-मुगलसराय पॅसेंजर शाम को सात बजे लगभग 300 यात्रियों के साथ झारखंड के लाटेहार जिले में जंगल के इलाके में दाखिल हुई| लगभग 50 नक्सलियों ने उसे अगुआ कर लिया| रातभर ट्रेन अपहृत स्थिति में खड़ी थी| इस रूट पर सारी ट्रेनों का आवागमन रुका रहा| सुबह छह बजे लाटेहार जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट एक बड़ी पुलिस टुकडी के साथ वहाँ पहुंचे, तो तीन घंटे पहले ही नक्सली ट्रेन छोड़कर जा चुके थे| ट्रेन में सवार यात्री रातभर नक्सलियों के दयापर थे| थोड़े नहीं 300 यात्री| लेकिन पुलिस दिन निकलने से पहले कुछ नहीं कर सकी| इस संबंधी प्रश्न पुछने पर एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार सफाई दी–" पुलिस का घटना स्थल पर देरी से पहुँचना, एक सोचीं-समझी रणनीति के तहत था| उनको पता था कि यह वारदात पुलिस को फंसाने के लिए की गयी थी| नक्सलियों ने पुलिस के आने के रास्ते पर बारुदी सुरंगें बिछायी थीं| सुबह होने से पहले नक्सली सारीं लॅंडमाइनें निकाल कर ले गये| इस तरह पुलिस घटना स्थल तक सुरक्षित पहुँच पायी|

वाह! बारुदी सुरंगें केवल गाड़ियों के रास्ते पर बिछायी होगीं| क्या पुलिस के पास गाड़ी तक पहुँचने का और कोई विकल्प नहीं था| और नक्सली रातों-रात अंधेरे में, बिछायी हुईं सुरंगें निकालकर भी ले गये तो उनकी कुशलता, तकनीकी ज्ञान और कार्यक्षमता की तो जितनी तारीफ की जाय उतनी कम होगी|

विद्रोही, जनता के मन में यही बात तो बिठाना चाहते हैं कि विद्यमान शासन और उसका प्रशासन विकलांग बन चुका है| वह तुम्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता|, केवल परेशान कर सकता है| असली ताकत हमारे हाथों में है| तो जनता उनके आदेश मानने लगती है| अब नक्सलियों की गतिविधियां जमीनदारों को गोलियां मारने तक सीमित नहीं रहीं|

नक्सलियों का फरमान लोगों के नाम(जुलाई 2006)

हर घर से कम से कम एक बच्चे का नक्सली दस्ते में शामिल होना अनिवार्य है| विशेषतः उन घरों से जहाँ बच्चों की संख्या दो से अधिक है| इसका पालन न करने वालों के घर से बच्चों को उठा लिया जायेगा|

मई 2008 की घटना

मई 2008 में माओवादियों ने गया जिले के डूमरिया प्रखंडों से सत्तारुढ गठबंधन के 37 कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया| धमकी दी गयी कि यदि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिये तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जायेगा| इस आदेश का पालन करने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं था| सत्तारुढ जनता दल यू. और भाजपा के 64 कार्यकर्ताओं ने चार मई को पदों तथा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये|

बिहार और बड़े नरसंहार

बिहार में बड़े नरसंहारों की घटनाएँ होने का समय 1977 से लेकर तो 2002, इन 25 सालों का है| पहली घटना पटना जिले के बेलछी गाँव में 1977 में हुई थी| इसमें 12 दलितों को हाथ-पांव बांधकर जिंदा जला दिया गया था| यहाँ की जमीन पर बड़े जमीनदारों का स्वामित्व था| जो जमीनें बहुत दुर्गम इलाकों में थीं, उनके मालिक जमीन से दूर के इलाकों में रहते थे| इस कारण समय के साथ उनकी जमीन पर पकड़ ढीली पडती गयी| कम्युनिस्ट आंदोलनों के कारण कृषि श्रमिकों ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया| मालिकों ने कुछ जमीनें स्थानीय लोगों को बेच दी| सर्वोदयी आंदोलन के दरम्यान दान में मिली जमीन भी पूरी तरह बांटी नहीं गयी| वैसी ही पड़ी रही|

इधर सरकारी रिकार्ड व्यवस्थित न होने से, कुछ जगह यह पता ही नहीं चलता था कि, जमीन सरकारी है, निजी है या भूदान आंदोलन में मिली दान की है| कुछ निजी जमीन पर, दर्ज स्वामित्व एक का तो प्रत्यक्ष कब्जा किसी और का, ऐसी भी स्थिति थी| इस तरह सारा घालमेल था| जमीन से जुड़े तीन वर्ग थे| जमीनदार, स्वामी या किसान और कृषि मजदूर| इस कारण वहाँ हमेशा, इन वर्गों में जमीन से संबंधित संघर्ष होते रहते थे| सरकारी स्तर पर कानूनी ढंग से भूमि विवादों का निपटारा होने में असफलताओं ने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी शक्ति के आधार पर हल ढूंढे| वहीं शक्ति जुटाने के लिए अक्सर जाति का सहारा लिया जाता है| इस तरह जमीन का विवाद अंततः जाति के विवाद का रूप ले लेता है, वह भी बर्बर तरीके से| कुछ विवादों में नक्सली ग्रुप भी शामिल हो जाते हैं|

वर्ष 2011

14-03-2011 : चंपारण जिले में केसरिया थाना अंतर्गत दरमाहा गांव में हुई मुठभेड़ में छह माओवादी मारे गये और तीन महिलाओं सहित दस गिरफ्तार किये गये|

नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी----,1) विजयकुमार आर्य : कहते हैं यह कुल 36 लाख का ईनामी माओवादी नेता था| जसपालजी, अमर इसीके अन्य नाम हैं| इसे कटिहार के पास पकड़ा गया| यह भाकपा-माओवादी-केन्द्रीय कमेटी का सदस्य था|

1) वाराणसी: सुब्रमण्यम उर्फ श्रीकांत उर्फ विमल उर्फ सुकांत|
2) पुलेंदू शेखर मुखर्जी उर्फ साहेब उर्फ झंटू|
3) उमेश यादव उर्फ राजेन्द्र उर्फ अभिमन्यु (उ.बिहार+ उत्तर प्रदेश)
4) श्यामजी ऋषि
5) नोखेलाल चौधरी उर्फ बक्राफ
6) अनिरुद्ध रविदास

नक्सलियों को फांसी----

चार नक्सलियों को फांसी की सज़ा सुनायी गयी| यह सज़ा सुनानेवाले जमई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रदेव मिश्रा को नक्सलीयों द्वारा जन-अदालत में फांसी पर चढ़ाने का फरमान सुनाया गया(17-07-2011)| मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेली गांव पर नक्सलियों ने अचानक हमला कर 07 लोगों की हत्या कर दी और 12 का अपहरण कर लिया|(02-07-2011)| हो सकता है यह उपरोक्त बात का बदला हो|

झारखंड

15-11-2000 को झारखंड, बिहार से अलग हुआ| इस कारण शुरुआती दौर के नक्सलवादी आंदोलन का इतिहास बिहार के अंतर्गत ही आया है| लेकिन, पिछले सालों में हुईं कुछ घटनाओं को याद किया जा सकता है| झारखंड में पिछले तीन सालों में नक्सली हिंसा में हो रहीं मौतों की संख्या बढती ही जा रही है–2006–124, 2007–157, 2008– 207| झारखंड के 24 में से 20 जिले नक्सल प्रभावित हैं| नक्सलियों के अनुसार झारखंड का 2/3 क्षेत्र ' मुक्त क्षेत्र ' है|

झारखंड के पकड़े गये नक्सली-----

1) चंद्रभूषण यादव : झारखंड के इस माओवादी नेता को 02-10-2009 को प. बंगाल के हुगली जिले के चिनसुराह में गिरफ्तार किया गया| वह पेट के बिमारी के इलाज के लिए बंगाल आया था|
2) माओवादी केन्द्रीय समिति का सदस्य रवि वर्मा और उसकी पत्नी को हजारीबाग में 10-10-2009 को गिरफ्तार किया गया| पुलिस के अनुसार ये दोनों 1999 से झारखंड-बिहार के नक्सली आंदोलन में शामिल थे| दोनों मूलतः आंध्र के रहनेवाले थे| रवि वर्मा कृषि वैज्ञानिक है| उसके अन्य नाम हैं अर्जुन उर्फ महेश उर्फ अशोक| पत्नी है अनुराधा उर्फ रंजिता|

फ्रांसिस इदुवार की हत्या

37 वर्षीय इंदुवार झारखंड पुलिस के खुफ़िया विभाग के कर्मचारी थे| 30-09-2009 को हेमब्रम बझार, जो रांची से 70 कि.मी. दूर है, से उनका अपहरण कर लिया गया था| उनके बदले तीन माओवादी नेताओं की रिहाई की मांग की गयी थी| वे थे कोबाड गांधी, छत्रधर महतो और चंद्रभूषण| अर्थात् उन्हें छोड़ा नहीं गया| अंततः फ्रांसिस की सिर कटी लाश और अलग किया हुआ सिर, रांची से 12 कि.मी. दूर रईसा घाटी के पास 06-10 को सड़क पर फेंका हुआ पाया गया| ये जनवरी 2003 और 06-10-2009 के बीच झारखंड में मारे गये पुलिस के 339 वे व्यक्ति थे| इंदुवार की हत्या का शक, माओवादी झारखंड क्षेत्रीय कमेटी का प्रमुख कुन्दन पहान पर है| जदयू विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के पीछे भी इसे ही संदिग्ध माना जाता है|

मधु कोडा

श्री. मधु कोडा देश के इतिहास में पहले व्यक्ति है, जो निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर आये और राज्य के मुख्यमंत्री बन गये| यह बात फरवरी 2005 की है| उस समय अल्पमत सरकार को समर्थन देकर उसके ऐवज में पहले मंत्री बने| फिर फरवरी 2006 से अगस्त 2008 तक मुख्यमंत्री रहे| विधायक बनने के पहले उनकी सम्पत्ति मामूली थी| लेकिन आज आरोप है कि, इन चार वर्षों से भी कम समय में उन्होंने 4000 से 5000 करोड़ इतनी भारी सम्पत्ति एकत्र की| इसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है| यह झारखंड जैसे पिछड़े और गरीब राज्य के बजट की 20% रकम है| शायद यह भ्रष्टाचार का ज्ञात रिकार्ड है| ऐसे में राज्य का भविष्य क्या होगा?

2011 का झारखंड

03-05-2011 : लोहदरगा जिले में नक्सली हमले में 11 जवानों की मौत हो गयी| 25-30 घायल हो गये| नक्सलियों ने बिछाकर रखीं सुरंगों का एक के बाद विस्फोट होता गया|

11-05-2011: नक्सली नेता से सांसद बने कामेश्वर बैठा के पैतृक मकान को लगभग 25 नक्सलियों ने डिटोनेटर से उड़ा दिया| खपरैल के इस घर में उनकी माँ अकेली रहती थी| 2009 के सांसदीय चुनाव में झामुमो के टिकट पर श्री.बैठा, पलामू सीट से जेल में रहते हुए चुनाव जीत गये थे| लगभग ढाई साल जेल में बिताने के बाद वे 07-05-2011 को जमानत पर छुटे| इसके बाद उन्होंने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने कहा|

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद

विनायक सेन

ता. 08-02-2011 को 12 देशों के 40 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने अपील की कि विनायकं सेन की जमानत अर्जी पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाये| लेकिन 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ हायकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी| देश के जानेमाने अधिवक्ता श्री, राम जेठमलानी ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में पैरवी करने के पूर्व ही कहा था कि डॉ. सेन को वे सुप्रीम कोर्ट से तुरन्त जमानत दिलवा देंगे| इसी दरम्यान असम के उल्फा नेता अरविन्द राजखोवा को सत्ता (सरकार) ने जमानत पर रिहा कर दिया| जबकि उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप है| उल्फा का आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही इतिहास रहा है| 09-12-2010 को कश्मीर विश्वविद्यालय के लेक्चरर नीर मोहम्मद बट्ट को गिरफ्तार किया गया था| उनपर राजद्रोह का मुकदमा था| लेकिन 01-01-2011 को सरकार ने उन्हें जमानत मिलने दी|

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रायपुर के मॅजिस्ट्रेट द्वारा देशद्रोह के आरोप में श्री. सेन को दी गयी आजीवन कारावास की सजा के पार्श्व में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया| साथ ही यह भी टिप्पणी की कि देशद्रोह का आरोप उनपर बनता ही नहीं| सर्वोच्च न्यायालय का तो यहाँ तक कहना है कि नक्सल समर्थक होने का अर्थ देशद्रोह नहीं है|

विनायक सेन के विरुद्ध केवल इतना ही मामला आया था कि उन्होंने किसी माओवादी कार्यकर्ता के किन्हीं पत्रों के लेन-देन का काम किया था| केवल इसे ही आजीवन कारावास के लिए योग्य गुनाह नहीं माना जा सकता| मई 2009 में भी उन्हें बिना शर्त जमानत इसलिए मिली थी कि पर्याप्त सबूत नहीं थे| लेकिन उन्हीं सबूतों के आधार पर निचले कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी| तो दूसरी ओर श्री. सेन को केन्द्रीय योजना आयोग की स्वास्थ्य संचालन समिती में शामिल किया गया| सेन ने लम्बे समय तक लोक स्वास्थ्य विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यावहारिक कार्य किया है| लेकिन किसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार उनसे नाराज थी|)

बस्तर में नक्सली गतिविधियों की शुरुआत

1) 1969 में पहली बार नक्सलियों के समर्थन में कोंटा में एक जुलूस निकला जिसका नेतृत्व करीमनगर का मोहम्मद रशीद कर रहा था|
2) 1969 में ही मूर्ति नामक व्यक्ति जगदलपुर में नक्सलवादी पोस्टर चिपकाते हुए पकड़ा गया था| जेल से छुटने के बाद जब उसनें आंध्र में जाकर सामान्य नागरिक का जीवन जीना चाहा, तो उसके पूर्व साथियों ने उसकी हत्या कर दी|
3) 1970 में पंखाजूर नामक गाँव में दो बंगाली युवक विजयपाल और निर्मल पकड़े गये|
4) 1975 में पुलिस को पता चला कि भोपालपटनम में निजी चिकित्सक के तौर पर कार्यरत् डॉ. विजयकुमार इन गतिविधियों का केंद्र है| लेकिन पुलिस पहुँचने तक वह फरार हुआ और कभी पकड़ा नहीं गया|
5) 1983 में डिंडोरी में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी|
6) आगे वहाँ बालन्ना, विरन्ना, गोपन्ना, रंगन्ना दलम नाम के कईं ग्रुप कार्यरत् हुए|
7) 1985 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गणपति नाम का नक्सली मारा गया| ये गतिविधियां छत्तीसगढ़ इलाके में बढती ही गयीं|

छत्तीसगढ़

राज्य के क्षेत्र का 44% जंगल है| जो भारत के वनक्षेत्र का 12% है|

वार्षिक खनिज उत्पादन 4000 करोड़ का है जो भारत के इसी उत्पादन का 13% है|

लौह खनिज का हिस्सा 23% है| (भिलाई स्टील प्लांट देश में सबसे बड़ा स्टिल प्लॅट है|)

अन्य खनिजों की हिस्सेदारीं है–स्टिल और सिमेन्ट-20%, डोलोमाइट-14%, लाईमस्टोन-6.6%, कोयला18%
(झारखंड और उड़ीसा के बाद तीसरे क्रमांक पर)

तथाकथित ' सुपरकॉप ' और भूतपूर्व पंजाब पुलिस महानिदेशक श्री.के.पी.एस.गिल की कमान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्रीय पुलिस बल की 12 से अधिक बटालियन्स के साथ नक्सलियों के विरुद्ध बहुत बड़ी सैनिक कारवाई करने की योजना बनायी| कहा जाता है कि इसमें हेलिकॉप्टरों का उपयोग भी शामिल था| सीआरपीएफ की सहायता के लिए मिझोरम तथा नागालैंड से विशेष कमांडों भी रहनेवाले थे| उन्हें अमेरिकी सैनिकों ने विशेष ट्रेनिंग दिया, ऐसा भी कहा जाता है|

श्री.गिल की रणनीति के अनुसार खुफिया तंत्रों के सहारे माओवादियों की गतिविधियों की और उनके छिपने के स्थानों की जानकारी एकत्र करना तथा उनपर बड़े पैमाने पर हमला करना ताकि उन्हें संभलने का मौका ही न मिले| इस योजना के अंतर्गत दक्षिणी बस्तर के जंगलों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को निकालना होगा और बड़ी संख्या में पेडों को कांटना होगा| यह निश्चित है कि इससे गरीब जनता ही अधिक परेशान होगी| श्री.गिल को पंजाब से आतंकवाद मिटाने का श्रेय दिया जाता है| लेकिन पंजाब से खाडकुओं के खात्मे का मूल कारण, रणनीति से अधिक पूरी जनता ने खाडकुओं से नाता तोड़ लेना था| जहाँ तक मानवीय अधिकारों के हनन का प्रश्न है, श्री. गिल का रिकार्ड सामान्य नहीं है|

सलवा जुडूम (शांति आंदोलन)

इसकी नींव श्री महेन्द्र वर्मा जी ने रखी थी| यह नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा आंदोलन है| इस संदर्भ में यह प्रचार किया जाता है कि यह आदिवासियों का स्वयंभू आंदोलन है| लेकिन वास्तव में यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन है| इसे सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त है| इस आंदोलन के विषय में ' इंडिपेंडेंट सिटिजन्स इनिशिएटिव (आईसीआईआई) ' नामक समूह ने एक रिपोर्ट पेश की है| इस समूह के निम्न सदस्य थें| 1) केंद्र सरकार के एक पूर्व सचिव श्री.ई.एस.एस. सरमा 2) पत्रकार श्री.बी.जी.वर्घीस 3) दिल्ली की समाजशास्त्र की प्रोफेसर सुश्री नंदिनी सुंदर 4) इतिहासकार श्री. रामचन्द्र गुहा 5) प्रभात खबर (रांची) के संपादक श्री हरिवंश 6) सामाजिक कार्यकर्ता श्री. फरहा नकवी|

इसकी रिपोर्ट के अनुसार सलवा जुडूम नक्सलियों के विरुद्ध जनता का स्वयंस्फूर्त विरोध या विद्रोह नहीं है, जैसा कि इसके विषय में दावा किया जाता है| इसमें 3200 विशेष पुलिस अधिकारी शामिल हैं| संक्षेप में छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून और व्यवस्था संबंधित कार्य, एक गैर-जबाबदेय और अव्यवस्थित समूह को सौंप रखे हैं| वे जनता से नक्सल विरोधी अभियान में शामिल होने की जबरदस्ती करते हैं| परिणामतः उसे माओवादियों के जबाबी हमले का भी शिकार होना पड़ता है, तो कुछ प्रत्यक्ष नक्सलियों से ही जाकर मिलते हैं|

यहाँ एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है| घटना है ता.28-02-2006 की| छत्तीसगढ़ का एक जिला है दंतेवाड़ा| इसका 64.24% हिस्सा जंगल है| समाचार के अनुसार इस दिन कोंटा क्षेत्र के सलवा जुडूम अभियान में शामिल करीब 300 ग्रामीणों का एक जत्था 06 ट्रकों पर सवार होकर दोरनापार से कोंटा के लिए रवाना हुआ था| करीब 11.30 बजे ट्रकों का काफिला दरभगुज से गुजर रहा था कि सड़क किनारे के जंगल में 150 मीटर पर घात लगाये बैठे नक्सलियों ने जोरदार विस्फोट कर दिया| काफिले में दूसरे क्रमांक पर चल रहे ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह उड़ गया| 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी| 08 घायलों और अन्यों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया| 04 की बाद में मृत्यु हो गयी| इस तरह कुल 28 लोग मारे गये| घायलों को पानी पिला रहे सौयम पापय्या नाम के आदिवासी को चाकू से गोदकर मार डाला गया| नक्सलियों ने मडकम शंकर नाम के व्यक्ति को अगुवा कर लिया| काफिले में शामिल अन्य चार ट्रकों को आग लगा दी| विस्फोट के लिए सड़क पर 22-22 कि.ग्राम जिलेटिन विस्फोटक, स्टिल के बर्तनों में, दो मीटर की दूरी पर गाड दिये थे| लेकिन विस्फोट केवल एक ही हुआ था|

घटना स्थली से उड़ीसा की सीमा 03 कि,मी. तो आंध्र की सीमा 18 कि.मी. दूर है| हादसे में बचे ग्रामीणों के अनुसार इस वारदात को कोंटा एरिया कमेटी के कमांडर संतोष की अगुआई में अंजाम दिया गया|

नक्सली उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे इस अभियान के पहले एक वर्ष में (मईः 2006 तक) 240 निर्दोष आदिवासी जांन गंवा चुके हैं| मरनेवाले पुलिसों की संख्या 68 थी| सलवा जुडूम कारवाई ने बस्तर के पूरें आदिवासी क्षेत्र को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था| सरकारी आकड़ों के अनुसार 46,000 लोगों को मजबूरन राजमार्गों और सड़कों के किनारे लगे तथाकथित राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी| लेकिन वास्तव में यह संख्या 70,000 तक हो सकती है| इससे 60 गाँव खाली हो चुके थे, जो संभवतः तब नक्सली कब्जे में चले गये थे| सरकार की योजना 581 नये गाँव बसाने की थी|

अधिकांश मुडिया जनजाति सलवा जुडूम से जुड़ी है तो राज्य की ' गुट्टी कोया ' जनजाति द्वारा राज्य के कुछ हिस्सों में माओवादियों का समर्थन किया जा रहा था|

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री, अजित जोगी ने भी सलवा जुडूम को तत्काल रोकने की मांग की है चूंकि उससे आम जनता की परेशानियॉ बढ रही थीं|

छापामार युद्ध सरकारी प्रशिक्षण केंद्र

सरकार ने जंगल युद्ध का एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया है| यह केंद्र राज्य की राजधानी रायपुर से 155 कि.मी. दूर दक्षिण में कांकेर में अगस्त 2005 में शुरू किया था| यह ब्रिगेडियर वि.के.पोनवार की निगरानी में था| वे छापामार युद्ध के विशेषज्ञ समझे जाते है| उन्होंने नागालैण्ड में काम किया था| यह केंद्र 40 एकड में फैला है| इमारत के स्थान पर यह केंद्र तंबुओं में था| वहाँ पुलिसों को पांच हफ्तों तक छापामार युद्ध का कडा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी| वहाँ सितम्बर 2006 तक, 09 महिला पुलिसकर्मियों सहित 2016 पुलिस जनों को प्रशिक्षित किया गया था| इनमें छत्तीसगढ़ के 1779, उड़ीसा के 60, झारखंड के 200 है| महाराष्ट्र के कर्मियों ने भी यहाँ ट्रेनिंग ली है| गृह मंत्रालय भी नक्सलियों से लड़ने के लिए 14,000 जवानों वाला एक बल बना रहा है| कांकेर में संचालित एंटी इमर्जेंसी स्कूल में 52 कंपनियों को नक्सल-विरोधी ट्रेनिंग दी जाएगी| यह केंद्र शुरू होने के पहले 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 120 कर्मियों को मिज़ोरम में वैरेंगटे के जंगल में युद्ध प्रशिक्षण स्कूल भेजा था|

डॉ. विनायकं सेन

दिल्ली के प्रेस क्लब में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजिन्दर सच्चर, वकील प्रशान्त भूषण, लेखिका अरुंधति रॉय, जे.पी.आंदोलन के नेता अख्तर हुसैन, विधायक डॉ.सुनिलम और अन्य कई लोगों ने छत्तीसगढ़ में पीपुल्स यूनियन फॉर सीव्हिल लिबर्टीज के उपाध्यक्ष डॉ.विनायक सेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध आवाज उठायी| उन्हें 14 मई, 2007 को बिलासपुर में जनसुरक्षा विशेष कानून 2005 और गैरकानूनी गतिविधि रोधक कानून 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था| उनके विरुद्ध प्रमुख आरोप यह है कि कुछ ही महीनों की अवधि में वे रायपुर केन्द्रीय जेल में वरिष्ठ माओवादी नेता नारायण सान्याल से तीस से भी अधिक बार मिले| मिलने की वजह सान्याल की स्वास्थ्य समस्याएं होने का कारण बताया जाता है| वास्तव में ये मुलाकातें जेल अधिकारियों की अनुमति से तथा उनकी उपस्थिति में और विधिवत ढंग से ही हुई थीं| फिर संख्या का क्या महत्व है? अर्थात् आरोप अपने आप ही हास्यास्पद हो जाता है| लेकिन विद्यमान व्यवस्था में आपको ऐसे हास्यास्पद आरोप के लिए भी सालों जेल में गुजारने पड़ सकते हैं| उन्हें छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सिक्यूरिटी कानून के अंतर्गत पकड़ा गया था| इसमें जमानत नहीं मिलती और आपको अमर्यादित अवधि के लिए सिखचों के पीछे रखा जा सकता है| डॉ. सेन वेल्लोर मेडिकल कॉलेज के गोल्ड मेडल प्राप्त करनेवाले छात्र है| डॉ. सेन पहले दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर थे| लेकिन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता शंकर गुहा

नियोगी के आंदोलन के प्रभाव में आकर वे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच काम करने लगे| कामगारों द्वारा चलाया जानेवाला शहीद अस्पताल खड़ा किया| ' रूपांतर ' यह उन्होंने शुरू किया संगठन है| इसके द्वारा चलाया जानेवाला क्लिनिक, 40 वर्ग कि.मी. दायरे में ऐसे आदिवासियों को सेवाएँ देता है जहाँ और कोई वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध नहीं है| इस तरह वे, लोक स्वास्थ्य आंदोलन से जुड़े व्यक्ति है|

वे अपनी निःस्वार्थ सेवा के कारण पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रादेशिक सचिव तथा अखिल भारतीय स्तर पर उपाध्यक्ष बने| उन्हें गरीबों की विशेष सेवा के लिए पॉल हॅरिसन अवॉर्ड, इंडियन ॲकॅडमी ऑफ सोशल सायंस की ओर से कैथॉन सुवर्ण पदक आदि मिले हैं| इतना ही नहीं, वे पहिले एशियाई व्यक्ति है, जिन्हें सम्मानजनक जोनाथन मान्ह अवॉर्ड मिला है| यह उनके द्वारा किये गये विश्व स्वास्थ्य तथा मानवाधिकारों के प्रति किये गये कार्यों के लिए है| वह भी ' नक्सलाइट ' के तौर पर उनकी गिरफ्तारी और जेल में एक साल गुजारने के बाद| राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेडिकल और मानवाधिकार संगठनों ने, उन्हें बिना शर्त रिहा करने के लिये आवाज़ उठायी है| लेकिन शासन को उससे क्या ? वास्तव में उन्होंने मानवाधिकारों की अनदेखी के लिए नक्सलवादी आंदोलन की भी तीखी आलोचना की है| लेकिन जब उन्होंने झूठी मुठभेड़ों और सलवा जुडूम की भी आलोचना की तो वे शासन के दुष्मन बन गये|

अलग-अलग देशों के 22 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने श्री. सेन की नजरबंदी के विरोध में पुरज़ोर बयान जारी किया है| अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिकाओं ने, जिनमें ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी शामिल है, सख्त संपादकीय लिखे| एमेनिस्टी इंटरनेशनल ने उन्हें ' अंतःकरण ' का बंदी बताया| सारी दुनिया से, उनके समर्थन में, एक विशिष्ट वेबसाईट पर हजारों संदेश प्राप्त होते हैं| स्वयं प्रधानमन्त्री जी ने अपिल की थी कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जायें| लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ| दो साल जेल में रखने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार को उन्हें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जमानत पर रिहा करना पड़ा|

विनायक सेन को आजीवन कारावास–

रायपुर के द्वितीय अतिरिक्त सेशन जज श्री.बी.पी.वर्मा ने अंततः 24-12-2010 को उनपर चलाये जा रहे मुकदमे का निर्णय सुनाया| यह मुकदमा 30 महीनों तक चला और 16-12-2010 को समाप्त हुआ| इसमें 97 गवाह पेश किये गये| सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि यह मुकदमा जनवरी 2011 तक अपने अंतिम षरिणति तक पहुंचना चाहिए| फैसले के अनुसार विनायक सेन(तत्कालीन आयु 58 वर्ष) नक्सल विचारक तथा सीपीआई(माओवादी) पॉलिट ब्यूरों के सदस्य नारायण सान्याल(त. आयु 74 वर्ष) तथा कोलकाता के एक व्यवसायी पियूष गुहा(त. आयु 40 वर्ष) को राजद्रोह और राज्य के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के लिए माओवादियों के साथ नेटवर्क कायम करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी| श्री. सेन पर आरोप था कि उन्होंने जेल में बंद माओवादी सान्याल के पत्रवाहक के रूप में काम किया| उनके पास, सान्याल ने उनके नाम लिखा हुआ पोस्टकार्ड, नक्सल कमांडर मदन बारकोड का उनको कॉमरेड के तौर पर संबोधित करते हुए लिखा पत्र तथा अन्य नक्सल आंदोलन से जुड़ा साहित्य मिला| श्री. पियूष उर्फ बुबून गुहा, मूर्सिदाबाद जिले के इस व्यवसायी को मई 2007 में, जब वह रायपुर की ओर यात्रा कर रहा था, पकड़ा गया था| अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके पास तीन पत्र तथा नक्सली साहित्य मिला था| ये पत्र नारायण सान्याल से विनायक सेन के मार्फत उसे प्राप्त हुए जिन्हें नक्सली नेताओं को देना था| श्री. सेन कॉ 14-05-2007 को बिलासपुर से पकड़ा गया था| दो साल जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 01 लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया था| सान्याल तो पहले से ही जेल में है ही|

ये सज़ाएं छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून (विशेष) 2005 तथा गैरकानूनी गतिविधि रोधक कानून1967 की धाराओं के अंतर्गत दी गयीं| इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध स्तंभकार द्वारा उद्धृत की गयी बात विशेष ध्यान देने लायक है| स्तंभलेखक 2007 में एक वक्ता के रूप में बिलासपुर गये थे| उस कार्यक्रम में बिलासपुर जेल के

अधिक्षक भी उपस्थित थे| उनके आमंत्रण पर स्तंभलेखक दूसरे दिन जेल देखने गये| जेल में नारायण सान्याल भी बंद थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई| जेल से निकलने के पहले स्तंभलेखक को एक तस्वीर दिखाई गयी| उसमें विनायक सेन को नारायण सान्याल से मिलते हुए और दोनों को मुस्कुराते हुए दिखाया गया था| जेल में किसी मुलाकाती की किसी बंदी के साथ तस्वीर नहीं खींची जाती| लेकिन शायद किसी ऊपरी आदेश से ऐसा किया गया| स्तंभकार को खास तौर पर बताया गया कि यह तस्वीर दोनों की अंतरंगता दिखाती है| उन्होंने कहा भी कि यह तस्वीर तो किसी बड़े साजिश के हिस्से के रूप में उतारी गयी, ऐसा दिखता है| अर्थात् स्तंभकार के अनुसार श्री. सेन की सजा पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं थी तो पूर्वनिर्धारित थी| न्यायिक निर्णय के बाद सेन को गिरफ्तार करके रायपुर में सेंट्रल जेल में अन्य दो अभियुक्तों के साथ भेज दिया गया|

प्रतिक्रियाएं–

1) कॉंग्रेस वरिष्ठ नेता श्री. दिग्विजयसिंह(ता.28-12-2010) : ' मानवाधिकार कार्यकर्ता विनायक सेन को देशद्रोह के आरोप मे निचली अदालत द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा के फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए| मैं महसूस करता हूं कि श्री.सेन काफी बढ़िया इन्सान है|
2) सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील श्री. राम जेठमलानी : अगर श्री सेन ने चाहा तो उनकी पैरवी करने में मुझे खुशी होगी|
3) नोबेल पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ अर्थशास्त्री श्री. अमर्त्य सेन : श्री. विनायक सेन को देशद्रोह के आरोप में दी गयी सजा कायदे का Rediculas उपयोग है|

रायपुर की जिस अदालत ने सेन को उम्रकैद की सजा सुनाई, उसने भी छत्तीसगढ़ राज्य के इस आरोप को निरस्त कर दिया कि विनायक सेन ने भारतीय राज्य के विरुद्ध युद छेड़ा है या कि वह देशद्रोही है| लेकिन अदालत ने यह माना कि वे राजद्रोह के अपराधी है| कानून के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाना राजद्रोह है| अब अगर सरकार संवेदनशील है तो जनता की परेशानियों में अपने आप ही कमी आयेगी| अगर जनता के दुख-दर्दों के प्रति सत्ता को चिंता नहीं है, तो उन्हें सरकार के सम्मुख, दुनिया के सम्मुख किसी को तो उधृत करना ही होगा, और ऐसे व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं| अगर सत्ता संवेदनशील होती तो नक्सलवाद फलता-फुलता ही क्यों? सरकार की गलतियों को अगर अनावृत करना ही नहीं है तो लोकतंत्र में विरोधी राजनीति का स्थान ही शून्य हो जाएगा| फिर अधिनायकवाद और लोकतंत्र में अंतर ही क्या रह जायेगा? फिर लोकतंत्र का गुणगान किस आधार पर किया जा सकेगा? नक्सलियों के नाम से उंगलियां चटकाने की भी क्या जरूरत है?

पुनश्च सलवा जुडूम---

यह आंदोलन 2005 में परवान चढ़ा| लेकिन वह आगे निष्प्राण सा होता गया| दंतेवाड़ा जिले में

इससे जुड़े 09 शिविर थे| दोरनापाल शिविर + पोलमपल्ली शिविर में 14,570 आदिवासी शरण लिये हुये थे| बिजापुर जिले के 14 शिविरों में 50,000| 2008 मध्य तक नक्सलियों ने सलवा जुडूम के 18 नेताओं की हत्या कर दी थी| शिकार पुलिस 211 | जनवरी 2006 और जून 2007 के बीच छत्तीसगढ़ में 529 लोगों की मौतें हुई थीं| इस सशस्त्र संघर्ष के विषय में अध्ययन करने के लिए योजना आयोग ने एक उच्च स्तरीय ग्रुप का गठन किया था| उसने भी इस आंदोलन के विषय में बहुमत से तीखी टिप्पणियाँ की हैं| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करनेवाली रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश की| उसमें भी नक्सलियों द्वारा किये जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के साथ, वहीं आरोप सलवा जुडूम पर भी लगाये गये|

ऐसे आंदोलन पर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर राज्य किसी स्थिति से निपटने के लिए अशासकीय व्यक्तियों को शस्त्रों से लैस करता है और ये लोग अगर अन्यों की हत्या करते है तो हत्या के अपराध के लिए शासन भी उतना ही दोषी है जितना कि एक व्यक्ति|

राज्य सरकार, सलवा जुडूम प्रकोष्ठ के हर सदस्य को 1,500 रु. देती है| इसके सदस्यों को पुलिस ने रायफल और मशीनगन चलाने का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया है|

05-07-2011 : अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाईं गयी व्यवस्था, सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिया|

साथ में यह टिप्पणी भी की कि युवा आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का चारा बनाया जा रहा है| इस व्यवस्था के अंतर्गत मामूली प्रशिक्षित युवाओं को अत्याधुनिक हथियार दिये गये| ऐसा भी हो सकता है कि भिन्न-भिन्न कारणों से यही हथियार अंततः नक्सलियों के हाथ पड़ जाए| न्यायाधीश बी.सुदर्शन रेड्डी, सामाजिक वैज्ञानिक नन्दिनी सुंदर और अन्योंने 2007 में दायर किये एक पिटीशन पर निर्णय दे रहे थे, जिसमें इस व्यवस्था की वैधता को चुनौती दी गयी थी| कोर्ट ने इस प्रकरण को तुरन्त रोकने को कहा|

दंतेवाड़ा जिला–

दंतेवाड़ा, पहले के बस्तर जिले को विभाजित कर बनाएं तीन जिलों में से एक है| यह आदिवासी बहुल है| ऐसे जिलों में कुपोषण, भूखमरी, शिशु-मौतें, व्यापक निरक्षरता होती ही है| ये स्वास्थ्य सुविधाओं की और सुरक्षित पेयजल की जबरदस्त कमी के लिए भी पहचाने जाते हैं| दंतेवाड़ा की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत के एक तिहाई है| पुरुषों के लिए यह 29% तो महिलाओं के लिए मात्र 14% है| इसके1200 गावों में से 214 में प्रायमरी स्कूल भी नहीं है| 1161 गांवों में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है| (यह सांख्यिकी 2010 की है, जब यह लेख मूलतः लिखा गया था)| ऐसी जगह नक्सलवाद फला-फुला था| यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी द्वारा चलाया जा रहा रचनात्मक आंदोलन, उनकी हत्या के कारण जब निष्क्रिय हो गया तभी नक्सलवाद फला-फुला| वह भी किस भयानकता के साथ यह निम्न घटना से साफ़ हो जाएगा|

दंतेवाड़ा जिले के एर्गबोर थाने के अंतर्गत मरियमगुडा के मध्य जंगल की पहाडियों में नक्सलियों द्वारा शिविर लगाने की सूचना मिलने के बाद 115 सुरक्षाकर्मी अभियान पर निकले| वे घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने आसानी से शिविर पर अधिकार भी कर लिया| लेकिन वे इस बात से बेखबर थें कि वे एक जाल में फसने जा रहे हैं| सुरक्षाकर्मी जैसे ही आगे बढें, लगभग 400 नक्सलियों ने उनपर हमला कर दिया| रातभर मुठभेड़ चली| परिणामतः 24 पुलिस और 20 नक्सलियों की मौत|

अंबिकापुर जेल में नक्सली

इस जेल में 70 नक्सली बंदी थे| उनमें से निम्नों को हार्ड कोअर नक्सली माना जाता था| कमांडर मंदीप सिंह, सचिन, बालेश्वर उर्फ बड़ा विकास, बंजारी, गौतम उर्फ नोर, संजय चक्रधारी, संतोष जंगली, तुलसीराम, फिलीप उर्फ कामेश्वर, सन्तो यादव, राजजतन, इकबाल| महिलाओं में कौलेश्वरी(इकबाल की पत्नी), इंदुदेवी|

अपहृत जवान नक्सलियों द्वारा रिहा---

19-09-2010 को नक्सलियों ने सात पुलिसकर्मियों को अगुवा किया था| दूसरे दिन नंदलाल कोसले, आवेदेम तीर्की और एसपीओ तिरपा कृष्णा के शव बरामद हुए| इस घटना के बाद मुख्यमंत्री श्री. रमण सिंह ने अगुवा कर्मियों को मानवता के नाते निःशर्त रिहा करने की अपील की थी| बाद में बचे चारों को नक्सलियों ने सुरक्शित छोड़ दिया|

09-10-2010

इस दिन महासमुंद जिले के पडसीपाली, वमीदादर और छोटे लोरमगांव के करीब के जंगल में पुलिस ने एक मुठभेड़ में आठ नक्सलियों को ढेर कर दिया| शायद काफी नक्सली घायल भी हुए थे|

2009 की स्थिति : हिंसा

राजनांदगांव जिले में 12-07-2009 को नक्सलियों ने पुलिस दलों पर तीन अलग-अलग जगहों पर किये हमलों में राजनांदगाँव एसपी श्री. विनोद चौबे सहित 39 पुलिसकर्मी मारे गये|

1) छत्तीसगढ़ के कुछ जिले 18
2) छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले 12
3) छत्तीसगढ़ में कट्टर माओवादियों की संख्या 3000
4) छत्तीसगढ़ में ; जन मिलिशिया ' 40,000
5) छत्तीसगढ़ में नक्सल कंपनियॉं 05
6) छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बनाएं संगठन 09
7) छत्तीसगढ़ में मारे गये व्यक्ति :

2006	2007	2008	2009 (अगस्त)	
388	369	242	109	(715 वारदातें)

नक्सली आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय महिला संगठन की प्रमुख माओवादी जेज्जेरी सम्मक्का(तत्कालीन आयु 32 वर्ष) ने 24-07-2008 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था| यह प्रमुख नक्सली थापा नारायण उर्फ हरिभूषण की पत्नी है| छत्तीसगढ़ में महिलाओं का उपरोक्त माओवादी संगठन बनाने में उसकी मुख्य भूमिका थी| वह आयु के 16 वे वर्ष से ही इस प्रवाह से जुड़ी थी| वह1998 से ही छत्तीसगढ़ मे सक्रिय थी|

अबुझमाड़ : नक्सली मुख्यालय

छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में 4000 वर्ग कि.मी. दुरूह और किलेबंद क्षेत्र में नक्सल मुख्यालय है| ऐसा ज्ञात हुआ है कि शासन के पास इस क्षेत्र का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं है| कहते हैं आजादी के बाद उस क्षेत्र का कभी सर्वे ही नहीं हुआ| वर्षों से इस क्षेत्र में कोई शासकीय प्रतिनिधि भी नहीं गया| मुख्यालय की चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं|

आज जो तीन जिलों में विभाजित है वह सन् 2001 के पहले केवल बस्तर जिला था| यह संभवतः देश का सबसे बड़ा जिला था और स्वतन्त्रता पूर्व बस्तर संस्थान था| बस्तर संस्थान में बहुत अधिक जमीन जंगल से व्याप्त थी| इस कारण सन् 1900 में ब्रिटिश शासन ने इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया| इस कारण वहाँ के लोगों की कृषि, शिकार, जंगल उत्पादनों का संचय इन गतिविधियों पर बंधन आए| जमीन पर कर बढ गये| आरक्षित हिस्से से गांव हटा दिये गये| इस क्षेत्र से सरकारी, पुलिस, वन अधिकारी और मालगुजारी से संबंधित लोगों का प्रवेश हुआ| इसके विरोध में 1910 में वहाँ की आदिवासी जनता ने बगावत की| सरकारी अधिकारी, व्यापारी आदि के घर, पुलिस थाने, सरकार से संबंधित जो कुछ भी था, उसे जला डाला गया| लुटा हुआ धान्य आदिवासी और गरीब जनता में बांट दिया गया| ब्रिटिश, कई महीनों बाद इस बगावत पर नियंत्रण कर सके| ब्रिटिश ने बगावत को ' भूमकाल ' कहा था|

आजादी मिलने के बाद इस क्षेत्र में दो बडे प्रकल्प अस्तित्व में आये| एक दण्डकारण्य पुनर्वसाहत प्रकल्प और दूसरा बैलाडीला लोह खनिज प्रकल्प| बैलाडीला की खदानों से कच्चा लोहा 1966 से ही जपान को

निर्यात हो रहा है| इससे अरबों रुपये जहाँ जाने थे, वे तो वहाँ जा ही रहे हैं| लेकिन इन प्रकल्पों के कारण जिनका जीवन उजड़ा, उन्हें न जमीन मिली न रोजगार| इस पूरी स्थिति के विरुद्ध 1960 में बस्तर के भूतपूर्व राजा प्रवीरचंद्र भंजदेव ने आंदोलन चलाया| उनके नेतृत्व में जनता ने मांगें रखीं-जमीन, जंगल प्रवेश और सस्ता चावल| लेकिन 1966 में राजा भंजदेव मारे गये| इस रूप में सत्ता ने आंदोलन को ठंडा किया|

फिर छत्तीसगढ़ का ही किस्सा है, वंचितों के हकों के लिए लड़नेवाले नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या का|

दंतेवाड़ा के करीबी परिसर में एस्सार कंपनी अपने पोलाद प्रकल्प के लिए 900 हेक्टर जमीन प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील थी| बैलाडीला और विशाखापत्तनम को जोड़नेवाली और खनिज ढोकर ले जानेवाली एस्सार की पाइपलाइन जंगल से होते हुए जाने के लिए 8.4 मीटर चौड़े पट्टे के अधिग्रहण की अनुमति थी| फिर भी कंपनी ने 20 मी. चौड़ा पट्टा मुक्त कर लिया| लोहंडीगुडा के टाटा पोलाद प्रकल्प के लिए आवश्यकता थी 4,500 एकड जमीन की| ऐसे ही प्रकल्पों के लिए वनों की कटाई तथा वहाँ के निवासियो का विस्थापन तय है| इसके विरोध में, प्रभावित लोग जन-संघर्ष के लिए एकजुट होगे ही चूंकि भारत में विस्थापितों के पुनर्वसन प्रकल्पों के कियान्वयन का अनुभव बड़ा बुरा है|

बस्तर यह 40,000 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ क्षेत्र है| यहाँ देश का 20% कोयला है| यह क्षेत्र लौह अयस्क की दृष्टि से भी समृद्ध है|

सुश्री मेधा पाटकर कहती है, " छत्तीसगढ़ में जिन्दाल, टाटा ऐसे कइयों की खदानें फैलती गईं और आदिवासी क्षेत्र सिकुड़ता गया| जहाँ गांव-गांव में प्राथमिक शाला और उनमें ठीक ढंग का ब्लैक बोर्ड पहुंचते-पहुचते जीवन बीत जाते हैं, वहां आदिवासियों की जमीनें, उसके नीचे का पानी और खनिज हडपने के लिए, करोड़ों का लाभ लूटने के लिये धनकुबेर और सरकार दोनों सहज पहुँच जाते हैं| "

दी न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार निजी क्षेत्र में 18,000 करोड़ डॉलर्स के निवेश के लिए प्रयत्नशील है| लेकिन बागियों की कारवाँइयां उसमें प्रमुख अडंगा है| इस प्रदेश में खनिजों अर्थात् इस्पात, चूने के पत्थर, बॉक्साइट के भारी भंडार हैं|

प्रकाशित हुई सांख्यिकी के अनुसार छत्तीसगढ़ में राज्य तथा केंद्र सरकार के सुरक्षाकर्मियों की संख्या 34,000 के करीब थी| उनमें से 80% केवल बस्तर विभाग में तैनात हैं|

बस्तर से बाहर नक्सली---

नक्सलियों ने बस्तर जैसे पहाड़ी और दुर्गम इलाके से निकल कर धीरे-धीरे अपना विस्तार रायपुर और आसपास के मैदानी इलाकों तक और शुरू में अच्छुते रहे धमतरी जिले तक कर लिया था| 2006 के दरम्यान नक्सली नेता गोपन्ना, मैदानी इलाके से ही गिरफ्तार हुआ था|

2011 की हिंसक तथा अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ---

छत्तीसगढ़–

25-01-2011 को नक्सलियों ने पांच सीएफ जवानों को अगुआ कर लिया था| 18 दिनों तक चले प्रयत्नों के बाद पूर्व घोषणा के अनुसार माओवादियों ने इन जवानों को मध्यस्थता कर रहे स्वामी अग्निवेश जी के हाथों अबुझमाड़ के करियामेटा गाँव में सौंप दिया| समाचार के अनुसार एक जन-अदालत आयोजित की गयी थी| इसमें 2000 लोगों के अलावा कुछ कट्टर नक्सली उपस्थित थे| यह अदालत पूर्व डिवीजन कमेटी प्रवक्ता नीथी के नेतृत्व में हुई| इस अदालत के बाद जवानों को छोड़ा गया| उनके अनुसार उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया| इस दरम्यान स्वामी जी के साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री. गौतम नवलखा, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के राष्ट्रीय सचिव वी.सुरेश, राजस्थान पीयूसीएल की सदस्या कविता श्रीवास्तव, प्रो. हरिश धवन और धर्म संसद् देहली के श्री. मन्नु सिंग थे| इस दरम्यान मुख्यमंत्री ठॉ. रमण सिंह के आदेश से नक्सलियों विरुद्ध चल रहा अभियान रोक दिया गया था| इस पर माओवादी कमांडर प्रभात ने कहा भी कि ये गरीब जवान हैं| इनकी

चिंता कोई नहीं करेगा| अगर कोई मंत्री या आयएएस अधिकारी हमारे कब्जे में होता तो मामला अलग होता| नक्सलियों की 11 मांगों की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था| इन जवानों को नक्सलियों ने बिना शर्त रिहा किया था| लेकिन उपरोक्त बात सही सिद्ध हुई जब मलकाजगिरी के कलेक्टर को अगुआ किया गया|

14-03-2011 : दंतेवाड़ा जिले के चिंतननार थाना क्षेत्र सरपनगुंडा गाँव में तलाशी अभियान पर निकले पुलिस दल पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया| इसमें तीन जवान मारे गये| जबाबी कारवाई के दौरान पुलिस दल ने नक्सलियों को गोली लगते और गिरते देखा| पुलिस के अनुमान के अनुसार 30 से 36 नक्सली मारे जाने या घायल होने चाहिए| लेकिन घटनास्थल पर न कोई शव मिला न कोई घायल| पुलिस के अनुसार जब नक्सलियों ने हमला किया तो तब उन्होंने तीर-धनुष से लैस ग्रामीणों को आगे कर दिया था||

23-05-2011 : गरियाबंद जिले के आमामोरा जंगल में दस पुलिसकर्मियों के दल पर हमला|

08-06-2011 : दंतेवाड़ा जिला : दस पुलिसकर्मियों की हत्या|

09-06-2011 : नारायणपुर जिले में (रायपुर से 300 कि.मी. दूर) झाराघाटी पुलिस शिविर पर घात लगाकर हमला| छत्तीसगढ़ सशस्त्र दल के पांच जवानों की मृत्यु|

10-06-2011 : दंतेवाड़ा जिला : पुलिस कॅंप पर जबरदस्त हमला| सीआरपीएफ के तीन जवान मारे गये| नक्सलियों की संख्या 250 के करीब थी| मुठभेड़ में दस नक्सली भी मारे गये| सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों से अर्धसैनिक बलों को हटाने और उनके लिए अलग से शिविर बनाने के दरम्यान यह हमला हुआ|

13-06-2011 : दंतेवाड़ा जिले में इस दिन भी नक्सली और पुलिस के बीच एक घंटे तक जबरदस्त मुठभेड़ चली| किसी के हताहत होने का समाचार नहीं|

बस्तर लोकसभा उपचुनाव 2011--: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पामेड में 06 मतदान केन्द्रों पर मत डालनेवालों की संख्या 5646 थी| लेकिन केवल 2.23% यानी 126 मतदाताओं ने ही मतदान किया|

20-06-2011 : बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र के सीतापुर के पास पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 06 नक्सली मारे गये| दंतेवाड़ा और कांकेर में 05 पुलिसकर्मी और एक नक्सली मारे गये|

20-07-2011 : बस्तर प्रदेश के बाहर नक्सलियों ने पहली बार कॉंग्रेसजनों के काफिले पर हमला किया| इसमें अधिकृत रूप से की गयी घोषणा के अनुसार चार व्यक्ति मारे गये| यह घटना रायपुर से 175 कि.मी.दूर उदन्तीनगर के पास हुई|

नक्सली निर्दोष के तौर पर बरी

धमतरी जिले के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सिहावा में खल्लारी स्थित वन विभाग के विश्राम गृह को बम से उड़ाने के आरोप से सभी 14 आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया| पुलिस ने इन्हें नक्सली बताया था|

हिंसक 2010

माओवादी आंदोलन से संबंधित घटनाओं में सन् 2010 में 1169 लोग मारे गये| पूरें 45 सालों के नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास में किसी एक वर्ष में इतनी मनुष्य हानि नहीं हुई| इसमें 277 जवान, 275 नक्सली और बाकी 617 नागरिक थे| एक सांख्यिकी के अनुसार आतंकवाद विरोधी संघर्ष में, एक सुरक्षाकर्मी जवान मारे जाने के बदले में 04 से 05 आतंकवादी मारे जाते हैं| लेकिन नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में यह अनुपात औसतन 2:1 है| अर्थात् अनुपात नक्सलियों के पक्ष में है| यहाँ ध्यान देने लायक बात यह कि इस सभ्य, शांतिप्रिय और धर्मपरायण देश में हर साल औसतन 32000 हत्याएं होती हैं|

2010 में माओवादियों ने 93 गहन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये थे| एक अनुमान के अनुसार 2008 में माओवादियों के पास 4000 कट्टर कार्यकर्ता थे| 2011 तक यह संख्या 15,000 हो गयी| इतने कम समय में इतने कट्टर अनुयायी उन्हें कैसे और क्यों मिल गये? और भविष्य में यह वृद्धि कहा तक हो सकती है?

सीआरपीएफ के जवान, नक्सल इलाकों में स्थानीय पुलिस के अधीन और उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं| वास्तव में सीआरपीएफ के जवानों की तुलना में स्थानीय पुलिस अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि वे स्थानीय स्थिति से परिचित होते हैं|

एक और कठिनाई यह है कि अलग-अलग राज्य भिन्न-भिन्न नीति अपनाते हैं|

महाराष्ट्र

1) रिकार्ड के अनुसार महाराष्ट्र में नक्सलवादी नेताओं अर्थात् चारु मुजुमदार और कनु सन्याल के प्रभाव में आनेवाली पहली व्यक्ति थी मुंबई से संबंधित सुश्री सुंदर नवलकर| इस महिला को पुलिस ने शक के आधार पर कुछ समय के लिए गिरफ्तार भी किया था| बाद में वह एस.एन.सिंह के सीपीआई(मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ग्रुप में शामिल हुई थी|

इसी दरम्यान इसी तरह गिरफ्तार हुए अन्य व्यक्ति थे सुनील दिघे और लक्ष्मण पगार|

2) सीमा हिरानी: इसके बाद की गिरफ्तारी हुई 11-11-1997 को सीमा हिरानी की| वह विष्णु उर्फ श्रीनिवास की पत्नी है|

लेकिन प्रत्यक्ष में बड़े पैमाने पर जहाँ नक्सली गतिविधियां हैं उस गढचिरोली जिले की ओर हम मुडेंगे|

गढचिरोली जिला : पेद्दीशंकरम की मौत

गढचिरोली जिले के जिस क्षेत्र में नक्सलियों का जोर है वह सिरोंचा की जमीनी पट्टी ऐसी है, जिसकी दक्षिणी सीमा आंध्रप्रदेश के नक्सल प्रभावित आदिलाबाद जिले से तो पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर से लगी हुई है| यहाँ पर भी नक्सली गतिविधियां जोरों पर हैं| यह जिला घने वनों से व्याप्त है| वह आदिवासियों की सांस्कृतिक स्थली भी है| सिरोंचा सिरा चंद्रपुर-बल्लारपुर से 240 कि.मी. दूर है|

महाराष्ट्र में नक्सलवादी गतिविधियों का शोर पेद्दीशंकरम नाम के व्यक्ति को मार गिराने के बाद ही हुआ| मोयाविनपेट्टा में पेद्दीशंकरम मारा गया था| पुलिस का कहना है कि उसके साथ और चार नक्सलवादी थे और उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलायी थीं| उसी दिन पेद्दिशंकरम का सरकारी जन-स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाया गया और लाश दफना दी गयी| सिरोंचा के तीन स्मशानों में से किस स्मशान में लाश दफनाई, किसीको पता नहीं| मोयाबिनपेट्टा सिरोंचा से 40-50 कि.मी. दूर है| वह लगभग 100 घरों का एक वनग्राम है| उसके आसपास सिरकुडा, अमरादी, अंकिसा, असरअली जैसे छोटे-छोटे गाँव हैं| इन गांवों में गोंडी अथवा माडिया नहीं तो तेलुगू बोली जाती है| इन हिस्सों में घूमने के बाद आपको नक्सली गतिविधियों की कुछ जानकारी जरूर मिलेगी|

इस घटना से संबंधित जो रिपोर्ट श्री. विजय तेंडुलकर जी की अध्यक्षता वाली कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइटस इस संस्था ने जनता के सामने रखी वह इस प्रकार थी–

02-11-1980 को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के मोइनाविनपेट्टा गाँव में पीपुल्स वॉर ग्रुप के नौजवान पेद्दीशंकर की पुलिस ने हत्या कर दी| वह एक खदान मजदूर का बेटा था| एक खदान मजदूर की पत्नी के साथ बलात्कार करनेवालों के विरुद्ध पेद्दीशंकर ने, मजदूरों को आंदोलन करने के लिए संगठित किया था| उसके खिलाफ कई झूठे मुकदमे लगा दिये गये थे| इस कारण वह आंध्र की सीमा पार कर चंद्रपुर जिले में आ गया था| पुलिस से बचने की कोशिश में उसने भागने का प्रयत्न किया| पुलिस ने उसपर गोली चला दी जो उसके पीठ में लगी|' (नवभारत टाइम्स : 08-04-1984)

इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के चंदपुर-गढचिरोली क्षेत्र में नक्सली आंदोलन का प्रवेश 1980 में हुआ| नक्सलियों का पेद्दीशंकरम की हत्या के तीन-चार महीने पहिले से ही इन गाँवों में आना-जाना था| तेलुगु जुबान में लोकगीत तथा लोकसंगीत से उन्होंने आदिवासियों को, उनपर पीढियों से हो रहे आत्याचारों के प्रति सचेत करना शुरू कर दिया था| पहले वे जंगल में स्वयं ही खाना बनाया करते थे| लेकिन बाद में वे आदिवासियों में लोकप्रिय होने लगे| उनकी व्यवस्था गाँव वाले करने लगे| वैसे भी बिना किसी गंभीर वजह (जिसमें पुलिस मुखबिर होना सबसे गंभीर), उनके द्वारा गांववालों पर अत्याचार करने की कोई बात सामने नहीं आयी| बेहद गरीब और अनपढ़ वनवासी, ये क्या जाने कि मार्क्सवाद, लेनिनग्राद, माओवाद क्या होता है? नक्सलवाद क्या है? नक्सलवादी, आदिवासी जीवन के सांस्कृतिक पक्ष और देवी-देवताओं पर कोई टिप्पणी नहीं करते| (उनमें सामाजिक चेतना

आने पर अपने आप ही इन बातोँ पर चिंतन करने की बौद्धिक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी| उससें पहले इन विषयों पर उनसे बहस अप्रस्तुत होगी|) लेकिन आदिवासियों को, नक्सलियों द्वारा उनके दुख-दर्दों का किया गया विश्लेषण भाता है और वे उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं|

बीच-बीच में यहाँ हिंसक नक्सली वारदातें होती रहती हैं, विशेषतः पुलिस की गाड़ियों को बारुदी सुरंग से उड़ा देना आदि या फिर पुलिस मुखबिरों की हत्या| जिमालगुट्टा, एटापल्ली, अहेरी आदि हिस्सों में इनका जोर है|

जनशक्ति और प्रतिघटना ग्रुप

गढचिरोली जिले में नक्सली आंदोलन का प्रवेश आंध्र से हुआ, ऐसा हम कह चुके हैं| लेकिन गहराई में जाने पर ऐसा दिखेगा कि आंध का नक्सली आंदोलन पीपुल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) का गढ होने पर भी, जिस दक्षिणीगढ के सिरोंचा तहसील से इस आंदोलन का प्रवेश हुआ वहाँ पीडब्ल्यूजी नदारद था| वहॉं ' रामचंद्रन ' के नेतृत्ववाले ' जनशक्ति ' नामक ग्रुप का वर्चस्व था| जो एक अन्य ग्रुप कार्यरत् था उनका नाम था ' प्रतिघटना '| 2005 में बाली उर्फ बालन्ना के नेतृत्व में 25 सदस्यों ने शस्त्रों के साथ हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया था तब इस ग्रुप का समाप्त होना मान लिया गया था| लेकिन 2006 के शुरू में ' अनील ' नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में यह पुनर्जीवित हुआ ऐसा लगा| इसका एक 'सागर' नाम का कमांडर भी था जो गढचिरोली क्षेत्र में कार्यरत था| शुरू में प्रतिघटना और जनशक्ति एकदूसरे के कट्टर विरोधी थे| लेकिन पुलिस दबाव के कारण बाद में उन्होंने हाथ मिला लिये थे| पीडब्ल्यूजी भी यहाँ अपने पांव जमाने के प्रयत्न में था|

महाराष्ट्र में आंदोलन से जुड़े प्रमुख नक्सली–

सत्यन्ना : 1980 के दशक में महाराष्ट्र में नक्सली आंदोलन शुरू करने वाला सत्यन्ना उर्फ मलाराजी रेड्डी था| 1980 में गढचिरोली जिले के सिरोंचा में स्थापित पहिले दलम की कमान सत्यन्ना को सौपी गयी थी| 1985 में गढचिरोली डिवीजन की स्थापना हुई| सत्यन्ना प्रथम सचिव बना| 1987 में दण्डकारण्य समिती बनी| 1995 में सत्यन्ना केन्द्रीय समिती का सदस्य बना| उसकी पत्नी कोरची दलम् की कमांडर थी| इन दोनों को 23-12-2007 को आंध्र पुलिस ने गिरफ्तार किया| उस समय वह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल रहा था|

शिवन्ना : गढचिरोली डिवीजन

नक्सलियों की रणनीति के तहत भारत में पहला विमुक्त क्षेत्र होगा दण्डकारण्य| उनके इस झोन में अबुझमाड़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत इलाका गढचिरोली डिवीजन है| इस डिवीजन का सचिव शिवन्ना सितम्बर 2006 में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया| दण्डकारण्य इलाके में अबतक किसी भी डिवीजन कमेटी के सचिव स्तर का कोई खूंखार नक्सली पुलिस की गोली का शिकार नहीं हुआ था| शिवन्ना उर्फ विकास अन्ना 21 सालों तक गढचिरोली जिले में सक्रिय था| वह मूलतः आंध्र के वरंगल जिले में निरीगुडा का निवासी था| उसका मूल नाम श्रीनिवास वेंकैया उराडी था| 1985 वह आंध्र से गढचिरोली आया| 03-05-1989 को बल्लारपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था| 1991 में नक्सलियों ने गढचिरोली जिले के पालकमंत्री श्री धर्मराव बाबा आत्राम का अपहरण किया| उन्हें छोड़ने के ऐवज में शिवन्ना को मुक्त करने की मांग रखी गयी| 1991 में वह जेल से छुटा| नक्सली संगठनात्मक ढांचे में उसका ओहदा बढता ही रहा| 2001 में गढचिरोली डिविज़न कमेटी के सचिव ' करन ' द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर उसे डिविजन सचिव बनाया गया|

उसके बाद उस पद पर ' नर्मदा अक्का ' चुनी गयी| वह भी गढचिरोली जिले की गतिविधियों से लम्बे समय से जुड़ी रही||

भूपति : वरंगल रीजनल कॉलेज से निकला इंजिनियर| उसकी पत्नी तारक्का भी सक्रिय नक्सली थी|

अनुराधा शानबाग गांधी (नर्मदा अक्का उर्फ उल्हास)

एलफिंस्टन कॉलेज मुंबई से सोशियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, विल्सन कॉलेज में प्राध्यापक ऐसा एक व्यक्तित्व था, अनुराधा शानबाग| मानवाधिकार संगठन तथा मुंबई के बौद्धिक क्षेत्र में जबरदस्त छाप छोड़नेवाली सक्रिय वक्ता थी वह| उसका संबंध Committee for the protection of Democratic Rights जैसे संगठन की स्थापना से रहा| इसी संगठन के अध्यक्ष बने प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर तथा उपाध्यक्ष बने असग़र अली इंजीनियर| अनु के पिता भी वामपंथियों को कानूनी मदद करने हमेशा आगे रहते थे| विवाह के पश्चात वह बनी अनुराधा गांधी| पति श्री कोबाड गांधी देहरादून स्कूल के उत्पाद थे| अर्थात् दोनों कितने संभ्रान्त परिवारों से थे यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं| लेकिन अपने वामपंथी सिद्धान्तों के लिये और प्रत्यक्ष कृति करने की दृष्टि से 1982 में वे मुंबई का संभ्रान्त जीवन त्यागकर नागपुर आयी| यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के ठेका मजदूरों की स्थिति सुधार के कार्य में रत् रही| सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धान्तों प्रति समर्पित जीवन में कोई व्यवधान न आये इसलिए बच्चे न होने देने का कठोर निर्णय लिया| चंद्रपुर में आदिवासियों के लिए काफी कुछ किया| बस्तर की आदिवासी महिलाओं के दलम से जुड़ी रही| नागपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक का कार्य भी किया| कुछ समय के लिए सीपीआई(माओवादी)महाराष्ट्र राज्य सचिव रही| वे एक वरिष्ठ माओवादी नेता थी और महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख भी| केन्द्रीय समिती की सदस्य भी| लेकिन अंतिम कुछ साल उन्होंने भूमिगत अवस्था में बिताये| उनके पति भी सीपीआई (माओवादी) के पॉलित ब्यूरों सदस्य थे|

इस नेत्री की 12-04-2008 को सेलेब्रल मलेरिया से आयु की 54 वर्ष की अवस्था में मुंबई में मृत्यु हो गयी| मृत्यु से पहले वह ऐसे जंगल में रह रही थी जहाँ ऐसी बिमारी का होना आम बात है| लेकिन मृत्यु से पहले वह कभी पुलिस के हाथ नहीं लगी| हो सकता है कुछ लोगों की दृष्टि में उसने अपना उज्वल भविष्य और संभ्रान्त जीवन यूंही गंवाया| लेकिन दूसरों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता रहती है, भले ही आप उनके कुछ मतों सहमत न हो| उनकी स्मृति को इतिहास में दर्ज तो किया ही जा सकता है|

तुषारकांत भट्टाचार्य

व्यक्ति का मूल गाँव कागजनगर, सिरपुर, आंध्रप्रदेश है| इसने प्रत्यक्ष सीतारामय्या कोंडापल्ली तथा माओवादी पार्टी के सचिव गणपति के साथ काम किया है| यह इस आंदोलन से 1975 से जुड़ा था| यह मुंबई, ठाणे, अमरावती, नागपुर में भी कार्यरत् था| 1980 के दशक से संगठन के महाराष्ट्र प्रदेश इकाई का सदस्य था| फिर 'ट्रिपल यू ' (उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर बिहार) नामक संगठन का प्रमुख, सीपीआई(माओवादी) की तांत्रिक इकाई का प्रमुख, नक्सली संगठनों के दक्षिण एशिया फोरम का सदस्य रहा| इसके कईं नाम प्रचलित थे– ए.क.त., श्रीकांत, भरद्वाज जी, सरकार जी, श्याम, रघु, जयन्त राणा साहू, प्रशान्त, सतीश आदि| उसे 19-09-2007 को पटना में गिरफ्तार किया गया|

व्हर्नन गोसाल्वेज उर्फ विक्रम

2011 में इसकी आयु 50 साल थी| यह1986 से इस आंदोलन से जुड़ा है| कहते हैं इसकी पत्नी वकील है| इसकी गिरफ्तारी मुंबई में हुई|

विष्णु उर्फ श्रीनिवासन

यह राज्य सचिव तथा केन्द्रीय समिती का सदस्य था| दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय ब्यूरों के तीन सदस्यों में से एक था| केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र इन राज्यों में चल रहे आंदोलनों पर निरीक्षक था| 1993 से आंदोलन से जुड़ा था| इसकी पत्नी के भी कई नाम हैं-सीमा, मंजू, यामिनी, कविता आदि| वह कुछ समय तक सुरत में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही|

अरुण परेरा

देशभक्ति युवा मंच का संस्थापक| छात्रों और युवाओं को माओवादी आंदोलन की ओर आकृष्ट करने का दायित्व संभाल रहा था| मंच ' कॉलेज कट्टा ' नामक पत्रिका भी प्रकाशित करता था| इसका एक संपादकीय बोर्ड भी था| वह चंद्रपुर, गढचिरोली दोनों जिलों में कार्यरत था| वह 08-05-2007 को नागपुर में दिक्षा भूमि के निकट गिरफ्तार हुआ| यह उच्च शिक्षाधारी, तांत्रिक सलाहकार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बड़ा जानकार है|

मल्लेश

इसपर भंडारा-गोंदिया में 11 मामले दर्ज थे| 10 में वह निर्दोष बरी हुआ| एक में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी| उस आधार पर वह अप्रैल 2008 में नागपुर जेल से बाहर आ गया| लेकिन बाहर आते ही पुलिस ने उसे फिर दबोच लिया|

मिलिंद तेलतुंबडे

यह मराठी के एक दलित लेखक का भाई है| मूल गाँव वणी(यवतमाल जिला)| कई नामों से ज्ञात है-दीपक, बालू, अरुण आदि| कहते हैं, इसकी पत्नी एस्करा भी इसी आंदोलन से जुड़ी है|

मनोज सोनुले

06-01-2008 को गिरफ्तार हुआ| चंदपुर जिले के राजुरा में छात्र संगठन चला रहा था| परेरा की गिरफ्तारी के बाद देशभक्ति युवा मंच की कमान संभाल रहा था|

विनायक सोनुले

इसे मनोज सोनुले के साथ ही पकड़ा था लेकिन दो महीने हिरासत में रखने के बाद भी पुलिस को इसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला| अतः इसे अमरावती कारागृह से 31-03-2008 को मुक्त किया गया| उसके चंद्रपुर रामनगर के कमरे में, गिरफ्तारी के एक दिन पहले ही, मनोज सोनुले एक बड़ा सा थैला लेकर आया था और उसके यहाँ रुका था| वहीं उसकी गिरफ्तारी हुई थी|

अरुण भेलके

यह भरती इकाई का प्रमुख था| देशभक्ति युवा मंच का अध्यक्ष भी था| इसके अन्य नाम थे आनंद उर्फ प्रेमचंद| इसकी पत्नी कंचन नन्नावरे के दिल में छेद है, ऐसा सुनने में आया है| इन लोगों ने अपनी गतिविधियों का केन्द्र बल्लारशाह को बनाया था| यहाँ ' ओपन रिव्होल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ' इस नाम से नक्सली नेटवर्क काम कर रहा था| इससे संबंधित गिरफ्तारी का अभियान 20 दिन तक चला| 30 लोगों को पकड़ा गया| उनमें से 08 को कट्टर नक्सली घोषित किया गया| वे थे-अरुण भेलके, उसकी पत्नी कंचन, बल्लारपुर का तथा कॉलेज कट्टा का प्रकाशक रमण पुणेकर, नागपुर के जोगीनगर का सुदर्शन उर्फ पुष्कर रामटेके, राजुकमेटीरा का रविन्द्र उर्फ विनय उर्फ विकास गहार कुरवाडकर, गजानन अंगलवार, किशोर वरखडे, और शक्ति गडमलवार| नागपुर में जो अन्य कट्टर नक्सली पकड़े गये उनमें मुरली उर्फ अशोक सत्यम रेड्डी प्रमुख है| वह भी नलगोंडा से है| वह सीपीआई(माओवादी) की महाराष्ट्र राज्य कमेटी का महत्वपूर्ण सदस्य तथा उत्तर गढचिरोली, गोंदिया, बालाघाट कमेटी का सचिव था|

महाराष्ट्र राज्य कमेटी का एक सदस्य आजाद नलगोंडा (आंध्र) की झडप में मारा गया|

मदनलाल, भानू उर्फ भीमराव भोवते, वेणू, पद्मा आदि कुछ अन्य नाम हैं, जो महाराष्ट्र के नक्सली आंदोलन से जुडे हैं| लेकिन इनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी|

महाराष्ट्र में नक्सली गतिविधियां तथा घटनाएँ

इन गतिविधियों तथा घटनाओं से नक्सली कार्यशैली को अच्छी तरह जाना जा सकता है| इसलिए उन्हें यहाँ कुछ विस्तार से दिया जा रहा है|

शस्त्रों की कार्यशाला

2005 में नागपुर के गिट्टीखदान क्षेत्र के बोरगांव भाग में रायफलें बनाने का कारखाना पुलिस के हाथ लगा था| यह कारखाना चलानेवाला प्रकाश अण्णा कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा|

शस्त्र संपादन

31-01-2008 को एटापल्ली में पुलिस अधिक्षक श्री. राजेश प्रधान ने बताया था कि अगले दो वर्षों में 60 करोड़ के हथियार खरिदने की योजना नक्सली बना रहे हैं| इसमें से 20% की वसुली महाराष्ट्र से होनी थी| मुख्य हिस्सा तेंदू पत्तों से सम्पन्नःदक्षिण गढचिरोली का था|

हिंसा–नक्सली हिंसा का प्रथम शिकार

03-10-1982, अमरादी गाँव में हमला कर, नक्सलियों ने राजू मास्टर उर्फ रुद्र राजे का एक हाथ काट डाला था| यह गढचिरोली जिले और महाराष्ट्र में नक्सली हिंसा की प्रथम वारदात थी| बाद में 08-10-2007 को इस व्यक्ति की बिमारी से मृत्यु हो गयी|

राज्य में प्रमुख हिंसात्मक वारदातें

1) 04-04-1993 को, 09 पुलिस तथा 07 नागरिक, गोंदिया जिले में देवरी गाँव के पास सुरंग विस्फोट में मारे गये|
2) 03-06-2000- लगभग 100 नक्सली आंध्र से महाराष्ट्र में घुस आये, असर अली पुलिस स्टेशन पर हमला किया और शस्त्रों के साथ चम्पत हो गये|
3) 2002 में जिला परिषद् चुनाव के दरम्यान कॉंग्रेस के गढचिरोली जिला प्रमुख श्री. बालू कोपा बोगामी मारे गये|
4) 13-03-2006–दो सुरंगरोधी गाड़ियों में यात्रा कर रहे पुलिस ग्रुप पर लगगभ 50 नक्सलियों ने हमला कर दिया| यह घटना गढचिरोली जिले के पंधेरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई| 13 पुलिसकर्मी घायल हो गये|
5) 19-04-2006 : गढचिरोली जिला, धानोरा ग्राम के पास 15 पुलिसकर्मी, एक अफसर तथा एक नागरिक, बिछायी सुरंग के फटने से घायल हो गये| वे एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे| इस घटना में एक पुलिस तथा एक अफसर मारे गये|

इस दरम्यान पुलिस हिरासत में हुई सामान्य व्यक्तियों की मौतों पर नजर डालना भी तुलनात्मक दृष्टि से व्यर्थ नहीं होगा|

पूरे भारत में ---अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक 851 (2007-08 में 188)

महाराष्ट्र में ----2007-08----25, 06-07----21, 05-06-----20, 04-05----23

पंचायतों पर नक्सली कब्जा

2007 में गढचिरोली जिले की 24 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव हुए| जानकारी के अनुसार नक्सली संगठनों द्वारा पंचायत चुनाव में अपने समर्थक खड़े कर, संबंधित गाँव के मतदाताओं को उन्हें ही चुनने का आदेश दिया जाता था, अन्यथा जान गंवाने का डर होता था| परिणामतः अन्य कोई चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेता था|

नक्सली समर्थक

संगम, क्षेत्र रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल जैसे दलों के सदस्य, सशस्त्र नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं| वे नक्सलियों के पास पुलिस और प्रशासन से संबंधित जानकारी मुफ़्त में पहुँचाते हैं| रास्तों पर अडंगे खड़े करते हैं| सशस्त्र शिविरों की पहचान छुपाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं| उनके खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं| आवश्यकता पडने पर उनके छिपने की भी व्यवस्था करते हैं| सशस्त्र नक्सलियों की तुलना में इनकी संख्या ही अधिक है| जिसके कारण पुलिस, नक्सलियों का पूरी तरह सफाया नहीं कर सकती| वैसे दलम में तो केवल 12-13 सदस्य ही होते हैं| इनको नक्सलियों से विरत करने के लिए, शासन जन-जागरण सम्मेलन आयोजित करता है| ग्राम भेंट, पथनाट्य, पोस्टर्स, पॅम्पलेट्स आदि द्वारा प्रचार किया जाता है|

भू-भाग मापन

देश का सबसे पुराना, अर्थात् सन् 1802 से कार्यरत् सरकारी विभाग-' सर्वे ऑफ इंडिया ' है| वह 200 से अधिक सालों से भूमि के नक्शे बनाता है| हर पांच से दस सालों में उन्हें अद्यतन करता है| यह कालावधि निर्भर है, उस भूभाग में हुए विकास या बदलाव पर| लेकिन इक्कीसवीं सदी के पहले अद्यतन नक्शों में गढचिरोली जिले के कुछ हिस्से का अद्यतन रूप आप नहीं पाएंगे| भले ही आज आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, लेकिन नक्शों को अद्यतन बनाने के लिए परंपरागत तरीका अर्थात् मनुष्य द्वारा उस हिस्से की यात्रा द्वारा सर्वेक्षण, सबसे कारगर पद्धति समझी जाती है| लेकिन नक्सली धमकियों के कारण यह संभव नहीं हुआ था| श्री.एन.एस.सिकखार सुपरिंटेंडेंट सर्वेअर, सर्वे ऑफ इंडिया, नागपुर ने ' टाइम्स ऑफ इंडिया को दी मुलाकात में यह बात स्पष्ट की|

जिले के औद्योगीकरण में बाधा

एम.आय.डी.सी.गढचिरोली ने वहाँ उद्योगों के लिए 81 हेक्टर जमीन पर 130 प्लॉट्स विकसित किये हैं| 2008 के शुरू तक एक एकड़ प्लॉट 01 रु. लीज पर उपलब्ध कराने का एमआयढीसी ने पूरा प्रयत्न किया| (फिर 2008 में दर 01 रु. प्रति वर्गफूट कर दी गयी)| 80 प्लॉट वितरित भी हुए| लेकिन नक्सली माहौल के कारण, उस समय बड़ी कठिनाई से 16 भूखंडों पर केवल 05 करोड़ की लागत से उद्योग शुरू हो सके थे| नागपुर के बुटीबोरी में उस समय यही दर रु. 300 प्रति वर्ग मीटर था| ऐसी स्थिति में इस अविकसित जिले के विकास का क्या होगा?

क्र.	बाब	महाराष्ट्र	गढचिरोली जिला
1)	कुल आय में औद्योगिक हिस्सा	30.11%	4%
2)	रजिस्टर्ड उद्योग संख्या	35,699	51
3)	औद्योगिक कर्मी संख्या	12,58,000	899
		(2001)	(2006-07)
अ)	कार्यरत् एस्टॅब्लिशयेंट	109	45
आ)	राज्य की तुलना में	(1990-91)	(2005-06)
	उत्पन्न का प्रतिशत	4.64%	2.64%

गढचिरोली जिले में रेल्वे संपर्क रेखा केवल 18 कि.मी., चंद्रपुर-अहेरी के बीच|

जनता की सरकार---

गढचिरोली जिले में एटापल्ली तहसील के 11 गांवों के 28 लोग थे| उनका मुखिया था जोगन्ना| लेकिन 2008 के शुरू में आत्मसमर्पण करनेवालों में ये लोग भी शामिल थे| अब जोगन्ना फरार है|

नक्सलियों का पायलट प्रोजेक्ट–

गढचिरोली जिले के गांवों में अलग-अलग नामों से कमेंटियां बनाकर हर गाँव नक्सली आंदोलन से जोड़ने के एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम हुआ है| भामरागढ तहसील के छह गांवों को मिलाकर एक क्रांतिकारी जन-परिषद् का गठन किया गया था| इसके अंतर्गत आठ कमेटियां गठित थीं–1) विकास कमेटी (अध्यक्ष+तीन सदस्य), 2) वन रक्षक कमेटी. 3) पंच-न्याय कमेटी (अध्यक्ष+दो सदस्य), 4) महिला कमेटी, 5) चेतना-नाट्य कमेटी(अध्यक्ष+तीन सदस्य), 6) आर्थिक-सहकारी कमेटी, 7) वैद्यकीय कमेटी(अध्यक्ष+चार सदस्य), 8) ग्राम रक्षा कमेटी-10 सदस्य|

अगस्त 2007 : इस जन-परिषद् की जिम्मेदारी पेरामिली एरिया सचिव विजयाक्का, दक्षिण गढचिरोली डिविजन कमेटी सचिव नर्मदाक्का तथा कमांडर करपा इन्हें सौंपी गयी थी|

नक्सलियों के संगठन

राज्य भर में फैले निम्न 37 संगठनों को, पुलिस नक्सलियों के करीब मान रही है-

रिव्होल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी मंच, कबीर मंच, विद्रोही सास्कृतिक चळवळ, बहुजन संघर्ष समिति, ऑल इंडिया रेजिस्टेंस फोरम, महाराष्ट्र जन-आंदोलन, आह्वान नाट्य मंच, इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपुल्स एम्प्लॉयर्स, आदिवासी बाल संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, दण्डकारण्य आदिवासी किसान-मजदूर संघ, विद्यार्थी प्रगति संगठन, नौजवान भारत सभा, अखिल महाराष्ट्र कामगार यूनियन, कोन्ट्रॅक्ट लघु उद्योग कामगार यूनियन, ऑल इंडिया लीग फॉर रिव्होल्यूशनरी कल्चर, गरीबांचे संगठन, लोकशाही हक़्क संरक्षण समिति, महाराष्ट्र शेतकरी-शेतमजूर संगठन, कष्टकरी संगठन, फोरम अगेन्स्ट ऑपरेशन ऑन वूमेन्स, स्त्री चेतना मंच, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, क्रांतिकारी कामगार संगठना, पुरोगामी महिला मंच, लोकशाहीवादी महिला संघ, कमेटी अगेन्स्ट वायलेन्स ऑन वूमेन, देशभक्ति युवा मंच, जन-संघर्ष मंच, प्रहार सांस्कृतिक मंच, लेबर फ्रन्ट, आदिवासी शेतकरी-शेतमजूर संगठन, खैरलांजी हत्याकांड-पुलिस-विरोधी कृति समिति, चेतना नाट्य मंच, पीपुल्स यूनिटी ऑन सिव्हिल लिबर्टिज|

लेकिन अन्याय का विरोध करनेवाली हर गतिविधि और संगठन को नक्सलवादी करार देनेवाली पुलिसी प्रवृत्ति का विरोध भी हो रहा है| नागपुर में 06-04-2008 को एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया था| विषय था, ' परिवर्तनवादी आंदोलन, शासन-प्रशासन की विरोधी भूमिका '| इसमें श्री. बाबा आढाव जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन-प्रशासन को आगाह किया कि सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयासरत कार्यकर्ताओं को नक्सलवादी न ठहराये| इसमें चंद्रपुर के' देशभक्ति तरुण मंच के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कटु आलोचना की गयी|

नक्सलियों का अनशन---

नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में निम्न 14 नक्सलियों ने 07-04-2008 से 27 दिनों का अनशन किया था ----1)अरुण थॉमस परेरा, 2) सत्या रेड्डी, 3) लता प्रकाश गौडा, 4) नरेश बनसोडे, 5) धनेन्द्र भुरले, 6) भगुलाल टेकास, 7) दयाराम मडावी, 8) अनील मक्हाणे, 9) बाबासाहेब सायमोते,10) संजय मडावी,11) चेकापल्ली निगरुइय्या 12) श्यामलाल सलामे,13) राजप्पा 14) विश्वनाथ कुडमेथे| इनकी मांगें थीं–

1) किसी मामले में निर्दोष, या जमानत पर रिहा होने के बाद, जेल से बाहर आते ही तुरन्त फिर गिरफ्तार किया जाता है| उदा. 21-03-2008 को रिहा हो चुकी जयाक्का, 01-04 को रिहा हो चुका महेश सामलू| यह बंद हो|
2) वकीलों को सीधा मिलने दिया जाए|
3) मुलाकात का समय आधा घंटा हो|
4) सामाजिक कार्यकर्ताओं को नक्सली घोषित न किया जाए|

5) अंडा सेल में न रखा जाए|
6) टी.वी., टेलिफोन सुविधा उपलब्ध की जाए|
7) मुलाक़ातियों से खाद्य पदार्थ स्वीकार करने की अनुमति हो|

आत्मसमर्पण

गढचिरोली जिले में 2006-07-08-09 इन चार वर्षों में 319 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है| सबसे बड़ा समर्पण 12-01-2008 को हुआ, जिसमें 55 नक्सली सम्मिलित थे| ये एटापल्ली तहसील के 17 गाँवों से थे| पुलिस के अनुसार और कई आत्मसमर्पण के लिए उत्सुक थे| आत्समर्पण योजना (सरकार द्वारा घोषित) का यह तीसरा चरण था| इनके पुनर्वास के लिए सरकार रु. 21.45 करोड़ देनेवाली थी| उसके अनुसार-

1) आत्मसमर्पण करनेवाले दलम सदस्य को मिलेंगे- रु. 85,000|
2) आत्मसमर्पण करनेवाले ग्राम रक्षा दल आदि के सदस्य को-50,000|
3) संगम सदस्य को 15,000|
4) हथियार के साथ आत्मसमर्पण–रु. 10,000 अतिरिक्त|

पुनर्वास का दायित्व सरकार का होगा---

आत्मसमर्पण का रुझान बढने का एक कारण यह भी था कि पदोन्नति के समय स्थानीय नक्सलियों की अनदेखी की जाती थी| आंध्र कॅडर को वरियता दी जाती थी| इस कारण स्थानीय सदस्यों में असंतोष पैदा होना ही था| स्थानीय कॅडर और आंध्र कॅडर में मतभेद उभरे थे|

सुरेश उर्फ जयराम हरामी, डिवीजनल कमेटी सदस्य था| एक जेष्ठ नक्सली था| ऐसी अपेक्षा थी कि मुरली (गिरफ्तारी नागपुर में मईः 2007) को, सत्या रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर गढचिरोली-गोंदिया-बालाघाट डिवीजन का सचिव बनाया जायेगा| लेकिन उसकी ही नहीं तो गोंदिया के एक जेष्ठ नक्सली सूरज मखराम की भी अनदेखी की गयी| इतना ही नहीं तो दक्षिण गढचिरोली डिवीजन की कमान भी आंध्र के ही एक व्यक्ति को सौपी गयी| परिणामतः सुरेश ने अन्य चार व्यक्तियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया|

सुखलाल उर्फ रावजी अटाला ने नक्सली आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ 15 साल गुजारें| वह चंटगांव दलम् का कमांडर था तथा उसकी पत्नी रेणुका उर्फ लक्ष्मी पाटेगांव दलम् की उप कमांडर थीं| लेकिन अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया|

गढचिरोली में नक्सली उपस्थिति

पुलिस के तत्कालीन अद्यतन आंकडों के अनुसार गढचिरोली जिले के घने जंगलों में मार्च 2008 के अन्ततक 273 हथियारबंद नक्सली शेष बचे थे| ये जिले की 12 तहसीलों में, दो नक्सल झोन, दो डिवीजन कमेटियों और 21 दलम् में विभक्त थे| इन दलम् के कमांडरों में 60% कमांडर महिलाएं थीं| इनमें रेणु, विजयाक्का, इंदिराक्का भारती, सगुणा, सुजाता और रंजिता जैसी खुंखार नक्सली थीं|

दो झोन्स में एक था महाराष्ट्र झोन| इसमें उत्तर गढचिरोली, गोंदिया, बालाघाट हैं| दूसरा है दण्डकारण्य झोन| इसमें शेष गढचिरोली तथा छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ हिस्सा है| गढचिरोली प्लॅटून 01, गढचिरोली प्लॅटून 02, अहेरी, जिमालगट्टा, सिरोंचा, पेरमिलो, कसनसूर, सुरजागढ, बड़ी पाटेगांव, गुट्टा, भामराहगढ, चानगांव,, टिप्पागढ दलम् इनमें बड़ी संख्या में महिला गुरिल्ला हैं|

शासन की दृष्टि और कार्यपद्धति : 04-11-2006 का एक समाचार

धानोरा तहसील की स्वच्छ ग्राम स्पर्धा में पुरस्कार प्राप्त चव्हेला ग्राम पंचायत,जो धानोरा से केवल 09 किमी. दूर है, के सरपंच श्री. हनुमंत नरोटे को नक्सल विरोधी विशेष अभियान दल सी-60 के कमांडर मून्नासिंह द्वारा उठा लिये जाने के 17 दिन बाद भी वे घर नहीं लौटे| कहा जाता है कि उन्हें पुलिस अधिक्षक ने बुलाने का बहाना बनाकर दल के जवान, घर से पकड़कर ले गये|| कोई जानकारी उनके परिवार को नहीं दी गयी|| नरोटे को तुरन्त लौटाने, मुन्ना ठाकुर पर कारवाई करने की मांग 62 ग्राम सरपंचों ने की| यह मांगपत्र, धानोरा दौरे पर आये जिले के पालकमंत्री श्री. धर्माराव बाबा आत्राम को सौपा गया|| उसमें यह भी चेतावनी दी गयी थी कि ऐसा नहीं हुआ तो सभी सरपंच इस्तीफे दे देंगे|| ऐसे कृत्य से नक्सल विरोधी दल की क्या छबि बनेगी?

खैरलांजी प्रकरण

किसी भी उग्र प्रतिक्रिया को ' नक्सली गतिविधि ' का नाम बड़ी आसानी से चिपकाया जा सकता है|, यह मध्यप्रदेश में नवम्बर शुरू में हुई घटनाओं के संदर्भ में सहज ही कहा गया था| लेकिन उसकी प्रतीति आने में लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी|| एक सप्ताह में ही महाराष्ट्र के मा. उप-मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य आया| इसमें खैरलांजी दलित हत्याकांड के विरोध में पूरें विदर्भ में जो जन-आक्रोश उमड़ा था, उसके पीछे नक्सली हाथ होने की बात कही गयी थी| इस वक्तव्य पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक तौर पर क्षोभ व्यक्त किया गया| जिसमें श्रीमती तिस्ता सेटलवाड जैसी माानवाधिकार कार्यकर्ता भी है| (10-11-2006 को नागपुर से प्रकाशित कोई भी समाचार पत्र)) | एक और समाचार -Hitwad : City line page–

" Rediculing Dy.C.M. Shri R.R.Patil's remarks that the Naxalites are behind the recent Public out cry, Planning Commission Member and as an emissary of P.M .Dr. Manmohan Sing, Dr. Bhalchandra Mungekar, questioned the source of Patil's disclosures."

खैरलांजी भंडारा जिले में 700 की आबादी वाला एक गांव है|| उस गांव में 164 परिवार कुणबी और कलार जाति के थे| बौद्ध परिवार केवल तीन| इनमें एक परिवार था पीड़ित भैयालाल भोतमांगे का| परिवार में अन्य सदस्य थे पत्नी सुरेखा(44 वर्ष), बेटी प्रियंका(18वर्ष, बारहवीं की मेरीट छात्रा), अंधा बेटा रोशन(23), दूसरा स्नातक बेटा सुधीर(21)| पूरी कहानी भोतमांगे परिवार की पांच एकड़ जमीन पर केन्द्रित है| मौके का मुआयना करने के बाद श्री. मुणगेकर ने भी कहा," सवर्ण, दलितों की समृद्धि को अब भी सहन नहीं कर पाते हैं|" ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, हम 29 सितंबर को हुई घटना का ब्यौरा ही देखेंगे|| शाम के समय उच्च वर्गीय गांववालों ने भोतमांगे परिवार पर हमला किया| बहुत कुछ करने की बात कही जाती है, जिसमें महिलाओं पर बलात्कार भी शामिल है| अंततः चारों को मार डाला गया| उस समय भैय्यालाल घर में नहीं थें इस कारण बच गये| आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी की गयी| आयजी (नक्सल ऑपरेशन) श्री. पंकज गुप्ता की रिपोर्ट ने पूरे कांड के लिए पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए कारवाई नहीं की| (लोकमत समाचार : दखल : 18-11-2006)

यहाँ और किसी टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है|

अब लोगों को लगा कि सारे मामले में पुलिस, प्रशासन लिपापोती कर रहा है तो धीरे-धीरे बढता गुस्सा सवा महीने बाद हिंसा और तोडफोड़ की शक्ल में महाराष्ट्र के 11 जिलों में फूट पड़ा| उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ की सभी मांगे मान लीं| इसमें सीबीआई जांच तथा शीघ्र सुनवाई करनेवाली अदालत के सुपुर्द, केस करना भी शामिल है| क्या घटना इतनी जघन्य नहीं थी कि इस तरह की कारवाई के विषय में सरकार तुरन्त और अपने आप ही सोचती?

ईमानदारी से सोचने पर और भी कई प्रश्न मन में उभरते हैं|

1) इस तरह की घिनौनी वारदात के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए दलित समाज के संगठनों को आगे आने की नौबत क्यों आयी? क्या पूरे समाज का यह कर्तव्य नहीं था कि उसकी भर्त्सना करे और उचित कारवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाये? इस ढंग का अपराध, समर्थों द्वारा किसी

भी असहाय, निर्बल व्यक्ति या परिवार पर हो सकता है। यह जरुरी नहीं कि वह विशिष्ट जाति का ही हो।

2) इस तरह के अत्याचार या वारदातें इससे पहले भी हुईं। सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से उनके संदर्भ में कोई उग्र आंदोलन नहीं हुआ। क्या केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय इस विषय पर श्वेतपत्र जारी कर कितने पीड़ितों को न्याय दिला पाया है, यह बात देश के सामने रखेगा?

3) इस मामले में भी अगर यह आंदोलन न होता तो क्या कोई अपने सदविवेक बुद्धि को साक्षी रखकर यह दावा कर सकता है कि पीड़ित भैयालाल को न्याय निश्चित मिलता? हिंसा किसी भी मामले का हल नहीं है, यह सत्य स्वीकार करते हुए भी कईं प्रश्न अन्त तक अनुत्तरित ही रह जाएंगे। और अगर ऐसे माहौल को आप ही नक्सलवादी वारदात नाम देते है, तो आप ही जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत् करते है। ऐसी स्थिति का उपयोग अपने दर्शन के प्रसार के लिए किया जा सकता है, ऐसा नक्सलियों को भी लगे तो क्या आश्चर्य।

इस वारदात के लिए न्यायालय ने 06 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है।

08–10–2010

सुबह 11.30 बजे के करीब नईं बनायी जा रही पुलिस चौकी पर नक्सलियों ने हमला किया और 2" मॉर्टर के गोले दागे। इनमें से एक गोला, पुलिस चौकी के स्थान पर महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सावरगांव आश्रम शाला के ऊपर गिरा। सुनील हरामी और मंगलूराम मडावी इन दो छात्रों की मौत हो गयी। तीसरा एक छात्र बाद में चल बसा। 10 छात्र घायल हो गये। साथ ही आश्रमशाला में भोजन बनानेवाली महिला दमयंती गावड़े और पास ही खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गयी।

नागपुर

नागपुर की भौगोलिक दृष्टि से विशेष स्थिति के कारण इस स्थान का माओवादी तत्व, आवागमन और चिकित्सा केंद्र के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। अनेक माओवादी नेता अक्सर नागपुर और इसके आसपास के इलाकों में शरण लेते रहे है। काफी पहले कोंडापल्ली सीतारामय्या की पहली गिरफ्तारी यहीं से हुईं थी।। अनुराधा गांधी का भी कईं सालों तक यहीं वास्तव्य रहा है। आजाद की विवादास्पद मौत के पार्श्व में कहा जाता है, उसे नागपुर में ही पकड़ा गया था।

अल्फा हॉक्स

नक्सलियों से लोहा लेने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर परिक्षेत्र में स्पेशल ॲक्शन ग्रुप(एसएजी), यह हथियारबंद कमांडो दस्ता बनाया था। गढचिरोली के जंगलों में नक्सलियों से निपटने के लिए सी–60 नामक कमांडो दस्ता था।

इस दस्तें मे विशेष कार्य करने वाले 250 जवानों का विशेष कमांडो उपदस्ता था ' अल्फा हॉक्स '। इन्हें आंध्र के ग्रे हाउंड कमांडोज ने प्रशिक्षण दिया था।।

महाराष्ट्र से 2011 के शुरू के समाचार

गढचिरोली जिले से संबंधित, एक ही दिन के एक ही समाचार पत्र में निम्न दो समाचार प्रकाशित हुए। उनपर कोई विशेष टिप्पणी न करते हुए, उनका केवल उल्लेख काफी कुछ कह जाएगा।

१) 28–12–2010 को माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी पहली बार गढचिरोली आये थे। इस दौरे पर गढचिरोली के ही प्रभारी अतिरिक्त जिलाधिकारी राजेन्द्र कानफोड़ का कहना था कि गृहमंत्री के हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाने और वातानुकूलित कक्ष में बैठक कर लेने मात्र से नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। उन्होंने अर्धसैनिक बल को सफेद हाथी तथा सरकार के नक्सल विरोधी अभियान को बेकार बताया। इस कारण उनपर, राज्य सरकार की ओरसे कड़ी कारवाई होने के संकेत भी मिल रहे हैं।

२) गढचिरोली 29–12–2010 (लो.समाचार, नागपुर)

गढचिरोली जिले में, नक्सली हिंसा और अविकास के चलते कोई भी सरकारी अधिकारी स्वेच्छा से आना नहीं चाहता। हाल में सरकार को यहाँ तैनात पीएसआई का बाहर तबादला करने के लिए उनके रिलिवर ही नहीं मिले थें। काफी फजीहत झेलने के बाद सरकार ने कड़ा रुख़ अपनाकर नये पीएसआई के तबादले यहाँ कर दिये। लेकिन सात अधिकारियों ने गढचिरोली का प्रभार संभालनें से इन्कार कर दिया। अंततः सरकार को कडा रुख अपनाते हुए इन पीएसआई को चेतावनी देनी पड़ी। लेकिन तीन पीएसआई ने गढचिरोली झोन के बदले इस्तीफा

देना पसंद किया और इस्तीफे सरकार को सौप दिये| तो अन्य चारों को सरकार ने निलंबित कर दिया| इस तरह सरकार की मंशा को बड़ा झटका लगा|

गिरफ्तारी

दिसंम्बर 2010 के अंतिम सप्ताह में सीपीआई(माओवादी) के महाराष्ट्र राज्य कमेटी के सदस्य भानू उर्फ भीमराव उर्फ भाष्कर मंगल भोवते (47 वर्ष) को छत्तीसगढ़ से नक्सली साहित्य ले जाते हुए, ' मूल ' में डुग्गीपार पुलिस ने उसकी पत्नी सुनन्दा भोवते के साथ गिरफ्तार किया| बाद में पता चला कि उसका पिछले 24 सालों से अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है| वह सन् 1987 से नक्सली आंदोलन में सक्रिय है तथा उसकी पत्नी सन् 2001 से|

गढचिरोली 2011 : हत्याएं

जनवरी 2011 से 10–07–2011 के बीच पुलिस के मुखबिर बताकर नक्सलियों ने 28 आदिवासी युवाओं की हत्या कर दी| इसमें मई की 13 और जून की 09 शामिल हैं|| जुलाई की 07 हैं|

जबकि जिले में कोबरा बटालियन के 300, सी–60 के 320,, सीआरपीएफ के 1800, एसएजी के 200 और गढचिरोली पुलिस के 4000 जवान तैनात थे|| गढचिरोली को परिक्षेत्र का दर्जा देकर उप-महानिरीक्षक की नियुक्ति वहाँ है|

नक्सलियों का मारा जाना

पुलिस के अनुसार 2011 में जुलाई तक, 10 नक्सली मारे गये| पुलिस के हाथ केवल दो शव लगे थे| और दो मारे जाने की अधिकृत पुष्टि हुई थी| 2010 में भी 10 नक्सली मारे गये थे| 05 शव हाथ लगे थें|

अमेरिकी शोध छात्रा बंधक ?

न्यूयार्क स्थित स्टोनी ब्रुक् यूनिवर्सिटी की शोध छात्रा जो मूलतः बंगलोर वासी है, 19 जून 2011 को गढचिरोली जिले में आयी थी|| वह अपने रिसर्च से संबंधित चर्चा, नक्सलियों के साथ करना चाहती थी| एक विश्वसनीय समाचार के अनुसार उसे नक्सलियों द्वारा खैरा के जंगल में बंदी बना लिया गया|

नक्सली आरोप से बरी

अक्टूबर 2007 में नागपुर रेल्वे पुलिस द्वारा कोल्हापुर और सांगली के चार लोगों को नागपुर में, नक्सली होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनपर मुकदमा दायर किया था| नागपुर के अतिरिक्त न्यायालय ने जुलाई 2011 में उन्हें निर्दोष करार देते हुए, बाइज्जत रिहा कर दिया| ये चार व्यक्ति थे सर्वश्री बाबासाहब सायमोथे, बापू पाटील, दिनकर कांबले, अनील तम्हाणे|

: पुनश गढचिरोली जिला : हिंसा में एकाएक वृद्धि : 01-02-2009

गश्त लगा रहे ग्यारापत्ति पुलिस मदद केंद्र के एक दल पर झाड़ियों में छिपे नक्सली गुट ने हमला किया| इसमें एक उप-निरीक्षक समेत 15 जवान मारे गये| अब तक का सबसे बड़ा हमला था| (इससे पहले नवम्बर1991 में ताडगांव के पास किए विस्फोट में 10 पुलिसकर्मी मारे गये थे)| यहाँ पुलिस के शवों को क्रूरता से काटा गया था| चेहरे पत्थरों से कुचल डाले गये थे, ऐसा पुलिस का दावा है| एक दिन पहले माओवादियों ने मारकेगांव देहात के पास एक रोड़ रोलर को आग लगा दी थी| उपरोक्त 15 पुलिसकर्मियों की पार्टी, उसका मौके पर पंचनामा करने पहुंची थी| वास्तव में यह नक्सलियों का जाल था, जिसमें पुलिस दल बलि चढ गया|

21-05-2009 :

गश्ति दल पर सैकड़ों नक्सलियों ने हमला किया| एक पुलिस निरीक्षक, उप-निरीक्षक समेत 16 जवान मारे गये, जिनमें पांच महिला पुलिसकर्मी थीं| महिला पुलिसकर्मी मारे जाने की यह पहली घटना थी| हमला हाथीगोटा इलाके में हुआ| इस वारदात के पहले मुंगनेर में 03 पुलिसकर्मियों की हत्या हुईं थी| नक्सलियों ने कसनसूर मार्ग पर बारुदी सुरंग से एक बारात का वाहन उड़ा दिया था| 12 बारातियों की मौत हुईं थी|

08-10-2009 :

01 सब-इन्सपेक्टर, 10 कमांडो, 06 सिपाही, इस तरह कुल 17 सुरक्षा कर्मचारियों की मृत्यु हुई| दो गंभीर रूप से घायल हुए| 400 के करीब, पुलिस वर्दी पहने, माओवादियों ने भामरागढ तहसील के लाहेरी में पुलिस मदद केंद्र पर हमला किया| इसके अतिरिक्त, इसी दरम्यान लाहेरी पुलिस मदद केंद्र के नक्सल विरोधी विशेष अभियान दल सी-60 पर, तलाशी के दौरान सुबह हमला हुआ था| दोनों स्थान आधा कि.मी.अंतर पर हैं| 17 पुलिसकर्मियों में, पुलिस केंद्र के प्रभारी सब-इन्सपेक्टर चंद्रशेखर देशमुख(वाई-सातारा जिला), एक चंद्रपुर जिले से, एक यवतमाल जिले से, छोड़कर बाकी 14 जवान गढचिरोली जिले से ही थे| अर्थात् लगभग सभी आदिवासी और गरीब परिवारों से ही थे| दि. 07-10-2009 को ही महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक ने नागपुर खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए, बड़े हमले की आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि इससें

निपटने पुलिस पूरी तरह सक्षम है| दूसरे ही दिन हमला हुआ| उसे पुलिस टाल नहीं सकी| एक सप्ताह के भीतर ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना था| इस कारण वहाँ पहले से ही भारी संख्या में अर्धसैनिक बल उपस्थित थे|

सीपीआई(माओवादी) ने धमकी दी थी कि अगर देहली में पकड़े गये कोबाड गांधी को बिना शर्त छोड़ा नहीं गया तो वह राज्य यंत्रणा के विरुद्ध आक्रामक कारवाई करेगी| यह कारवाई कोबाड की हिरासत बढ़ाने की कोर्ट की कारवाई के तुरन्त बाद और झारखंड में इंदुवार के शिरच्छेद के दो दिन बाद ही हुईं|

सरकारी निर्णय : 2009

1) महाराष्ट्र में पीएसआई(सीधी भर्ती द्वारा लिए गये) की प्रथम नियुक्ति अब गढचिरोली परिक्षेत्र में की जाएगी| नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ढाई वर्ष की सेवा के उपरांत ही पदोन्नति मिलेगी|
2) राज्य के गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील स्वयं गढचिरोली जिले के पालक मंत्री होगे|
3) गढचिरोली जिले में ही अहेरी को अलग पुलिस जिले का दर्जा दिया गया| अब गढचिरोली में 2355 और अहेरी में 646 पुलिसकर्मी तैनात होगे| इनपर 45.41 करोड़ खर्चा अनुमानित है|
4) नक्सलियों द्वारा मारे गये मुखबिरों के परिजनों को पांच लाख एवं घायलों को तीन लाख रु. की मदद दी जाएगी| 2009 के चुनावों के दरम्यान महाराष्ट्र सरकार ने या गृह विभाग ने मुखबिरों पर आठ करोड़ का खर्चा किया और उसके लिए सिक्रेट सर्विस फंड के शीर्षकांतर्गत विधानसभा के समक्षं पूरकं मांग रखी| यह प्रशासनिक न्याय के अंतर्गत 13 क्रमांक पर प्रस्तुत है|
5) पुलिस भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी|
6) नक्सलवाद के कारण शहीद हुए पुलिसकर्मियों को, मुंबई पर हुए आतंकी हमले के शहिदों के समान ही माना जायेगा और उनके परिजनों को मुआवजा और सुविधाएं दी जाएगीं|
7) श्री.पाटील के अनुसार 2009 में चार नक्सली मारे गये जबकि 12 ने समर्पण किया| 2007 में 39 ने समर्पण किया था, 2006 में 67 ने| 2006 में 93 गिरफ्तार हुए, 2007 में 138 |
8) 10-12-2009 को माननीय राज्यपाल के भाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बताया कि नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार अगले 05 सालों में 1,386 करोड़ रु. खर्च करेगी|

पिछली सरकार के कार्यकाल में 1,000 करोड़ खर्च किए गये| महाराष्ट्र के जिन छह जिलों का नक्सल प्रभावित जिलों के तौर पर उल्लेख किया जाता है उनमें गढचिरोली जिला ही सबसे प्रभावित है| बाकी जिलों का बहुत थोड़ा हिस्सा इसमें अंतर्भुत होता है| अगर इतनी बड़ी राशि खर्च की गयी है, तो उस जिले का काफी विकास हो जाना चाहिए था| लेकिन कुल स्थिति ऐसा आभास नहीं देती| फिर इतना पैसा गया कहां?

मानवाधिकार का मामला

चिन्ना मतामी नाम का एक आदिवासी, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता, गढचिरोली पुलिस के हाथों मारा गया| पुलिस के अनुसार वह नक्सली मुठभेड़ में मारा गया| इस मामले को परोमिता गोस्वामी, यह सामाजिक कार्यकर्ता हायकोर्ट तक ले गयी| यह आरोप लगाया गया कि सरकार और उसके कार्यपालन विभाग ने एक बेकसूर व्यक्ति की झूठी मूठभेड में हत्या कर दी है| अंततः सरकार को चिन्ना की मां को, भरपाई के तौर पर, दो लाख का भूगतान करना पड़ा|

नक्सली आंदोलन और राजकीय पक्ष

ऐसा कहा जाता है कि नागपुर में 08-05-2007 को गिरफ्तार संदिग्ध नक्सली अरुण परेरा ने, उसपर किए गये नार्को टेस्ट के दरम्यान, शिवसेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संदर्भ में लिया था| शिवसेना ने तुरन्त इसका खंडन किया था और कहा था कि विदर्भ में नक्सलियों के पनपने का कारण गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हैं| ये कारण तो हर कोई गिनाता है| लेकिन ये शिवसेना की सरकार बनने के पहले भी थे, उनकी सरकार के दरम्यान भी थे और आज भी हैं|

हिंसा की सांख्यिकी

1980 से लेकर अक्टूबर 2009 तक-1) कुल वारदातें-2188, 2) प्राणहानि-648, नागरिक-371, सुरक्षाकर्मी-167, नक्सली-110 3) सम्पत्ति की हानि–19.07 करोड़ रु., सरकारी-10.41 करोड़, निजी-8.66 करोड़ | 4) प्रथम नक्सली प्राणहानि-1980, प्रथम नागरिक प्राणहानि-1985, प्रथम सुरक्षाकर्मों प्राणहानि-1988| 5) शुरू की कालावधि में(1991-93) पीडब्लूजी द्वारा की गयी प्राणहानि

--नागरिक-61, पुलिस–35, नक्सली–33, कुल–129
एक वर्ष में सर्वाधिक प्राणहानि---अ) ग्रामीण-आदिवासी-41(2006), आ) नक्सली–22 (2006), इ)–वित्तहानि–3.33करोड़ (2009)
2009 की सांख्यिकी----वारदातें----145, प्राणहानि(पुलिसकर्मी)–52

कंपनी दलम् का निर्माण

जून-जुलाई 2008 में तीन प्लाटून दलम को एकसाथ मिलाकर, एक कंपनी दलम् बनाया गया| इस कंपनी दलम में एक कमांडर के अलावा 70 से 72 लोग होते हैं| उनमें रसोइए से लेकर तो सफाई कर्मी तक होते हैं| अर्थात् इसका गठन पूरी तरह फौजी ढंग का होता है| प्लॅटून दलम में एक कमांडर के अलावा करीब 24 लोग होते हैं| लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार गढचिरोली जिले में इनकी संख्या 18 है| वे घातक हथियारों से सज्जित और वर्दीधारी हैं| इनके पास परंपरागत लैंड माइन्स, बम, हथगोले, कम से कम एक लाइट मशीन गन, 2-3 एके-47 रायफल्स, 7-8 सेल्फ लोडिंग रायफल्स, थ्री नॉट थ्री और बारह बोअर की बंदूकें होती हैं| ऐसा अनुमान है कि इस कंपनी दलम् ने अपना पहला हमला 20 अक्टूबर को अहेरी तहसील के राजाराम खांदला उप-पुलिस थाना क्षेत्र के कोरेपल्ली जंगलों में किया, जिसमें चार पुलिस मारे गये थे|

साथ-साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा आंध्र प्रदेश में भी एक-एक कंपनी दलम् का गठन किया गया था ताकि जो भी वारदात करनी है वह बड़े पैमाने पर की जा सके|

महिला नक्सली

गढचिरोली में कार्यरत् दलों में 74 सशस्त्र महिलाएं थीं| ऐसा अनुमान निरीक्षणों के आधार पर किया गया था| इनमें 03 डिवीजनल कमेटी मेंबर्स, 09 कमांडर्स, 03 एरिया कमांडर्स, दो उप कमांडर्स थीं| डिविजनल कमेटी मेंबर्स में नर्मदाक्का और तारक्का उर्फ विमला सिदाम दक्षिण गढचिरोली में तो सुजानाक्का उत्तर में कार्यरत् थीं| नर्मदाक्का को सबसे बड़े हत्याकांडों (जिसमें 17 पुलिस मारे गये) के ऑपरेशन का सूत्रधार माना जाता है| लेकिन ऐसा भी अनुमान व्यक्त किया गया था कि इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गये जिसमें नर्मदाक्का भी हो सकती है| लेकिन कोई भी शव पुलिस के हाथ नहीं लगा| ऐसा लगता है 60% कमांडर महिलाएं ही हैं| गढचिरोली प्लॅटून-1, गढचिरोली प्लॅटून-2, अहेरी, जिमालगट्टा, सिरोंचा, पेरमिली, कसनसूर, पाटेगांव, सूरजगढ़, गट्टा, भामरागढ, चांतगांव, टिप्पागढ इन दलम् में बड़ी संख्या में महिला गुरिल्ला हैं|

कंपनी दलम् की नियंत्रक : गिरजा और बट्टे (सेक्शनल कमांडर्स के रूप में)

दलम् की कमांडर्स–

टिप्पागढ : ज्योति (दण्डकारण्य विशेष झोन कमेटी सदस्य दिवाकर की पत्नी|
मारकेगांव: 15 पुलिसों की हत्या की वारदात में शामिल होने का संदेह|
पेरीमिल्ली : विजयाक्का, दरेकसा : अलिदा चटगांव : रनीता मलजखंड :सगुना उर्फ जमुना|
कसनसूर : धानी
सूरजगढ़ : रूसी हिच्यामी उर्फ रंजिता | कोरची : सुजाता उर्फ कान्ता टेकण्डि
अरुणा(से.कमांडर), रेणु, इंदिराक्का, भारती, सजिता उर्फ सुकरी मडावी अन्य कमांडर्स भी हैं| उनमें कुछ बहुत खूंखार हैं| कइयों के पति भी कमांडर्स हैं|

गढचिरोली के दलम् में शुरू में आंध्र से आयें कार्यकर्ता अधिक होते थे| लेकिन धीरे-धीरे स्थानीय आदिवासियों की संख्या बढती गयी| इसका एक कारण यह हो सकता है कि शुरू में स्थानीय लोग उतने प्रशिक्षित नहीं थे| शायद यह आंध्र का ही प्रभाव है कि यहाँ भी नक्सलियों को ' अण्णा ' अथवा ' भाई ' के तौर पर संबोधा जाता है|

17 सितम्बर 2009 का निर्णय

पांचवें ॲडहॉक डिस्ट्रिक्ट ॲंड ॲडिशनल सेशन जज श्री आर.बी ने मुरली उर्फ अशोक सत्यम रेड्डी, अरुण फरेरा, धनेन्द्र भुरले और नरेन्द्र बन्सोड, चारों को, नक्सली होने के, पुलिस द्वारा लगाये गये सभी आरोपों से बरी कर दिया| इस केस

में सभी नागरी साक्षिदार अपनी पहली साक्ष से मुकर गये| मुंबई में अभियुक्तों पर जो नार्को परीक्षण किया गया था, उसके परिणाम के विषय में पुलिस शायद पहले से ही आशंकित थी|

उपरोक्त व्यक्तियों की बिनाशर्त रिहाई के लिए सीपीआई(माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल झोन कमेटी ने 24-05-2007 को बंद का आवाहन भी किया था|

महाराष्ट्र : 2011 में पकड़े गये माओवादी

अंजली सोनटक्के(तत्कालीन वय 42 वर्ष) उर्फ सुनीता पाटिल उर्फ कविता उर्फ सविता उर्फ इस्कारा उर्फ अंजेला :

यह मूलतः बल्लारपुर की एक शिक्षिका की कन्या है| उसनें 1994 में घर छोडा| वह एमएससी(प्राणिशास्त्र), एमए(समाजशास्त्र), बीएससी(मायक्रोबायॉलॉजी) है| वह मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, गोंडी, माडिया की अच्छी जानकार है| उसने 1996 में मिलिंद तेलतुंबडे के साथ प्रेमविवाह किया था| तेलतुंबडे केन्द्रीय माओवादी नेता है| अंजली फरवरी 2008 में माओवादियों द्वारा बनायी गयी गोल्डन कॉरिडॉर कमेटी की सचिव तथा माओवादी केन्द्रीय कमेटी की सदस्य रही है| उपरोक्त कमेटी का काम माओवादी आंदोलन का नागरी क्षेत्र में प्रसार करना है| उसका मुख्यालय पुना में था| अंजली बम तयार कर सकती है तथा शस्त्र चलाने में माहिर है| लेकिन अंततः वह 26-04-2011 को ठाणे में पुलिस की गिरफ्त में आ गयी|

इसके अतिरिक्त 29-04-2011 को पुलिस ने पश्चिम विभागीय समिति के चार सदस्यों को भी पकड़ लिया| वे हैं 1) मयुरी भगत(एमए, मूलतः चंद्रपुर से, न्योति चोरघे(भोर से), अनुराधा सोनके(चंद्रपुर से पदवीधर), सिद्धार्थ भोसले उर्फ जीवा(एमए-अर्थशास्त्र-पुना से)| पुना से एक और गिरफ्तारी हुई- सुषमा रामटेके उर्फ श्रद्धा गुरव उर्फ भारती (शिक्षा नागपुर में)

26-12 और 06-01-2011 के बीच और 09 शीर्ष माओवादी कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये|

गढचिरोली जिला और वारदातें

05-05-2011 को गढचिरोली पुलिस के कमांडों का वाहन समझकर, नक्सलियों ने, टविटोला गांव के पास एक बारात ले जा रहे निजी वाहन को सुरंग विस्फोट से उड़ा दिया| इस घटना मैं 06 बाराती मारे गये थे और चार घायल हुए थें| प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद वाहन करीबन 80 फीट हवा में उछला था|

गढचिरोली जिले में भामरागढ तहसील के नारगुंडा तथा बेजूर पहाड़ी के करीब हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे जाने का दावा पुलिस द्वारा किया गया| लेकिन पुलिस के हाथ केवल दो ही शव लगे थे| इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी हताहत हुये थे| मृतकों में दो एसपीओं (विशेष पुलिस अधिकारी) भी थे|

मानधन पर एसपीओ

महाराष्ट्र राज्य ने छत्तीसगढ़ की देखादेखी गढचिरोली में नक्सलियों से लड़ने के लिए एसपीओं की भर्ती की| शुरू की लगभग 100 एसपीओं की भर्ती विवाद का कारण बन गयी| इस एसपीओं को मासिक 3000 रु. केवल मानधन के तौर पर दिया जाता था| ये एक ढंग से केवल ठेका कर्मी ही थे| यदि नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या होती है, तो आम नागरिक के समान उन्हें केवल 04 लाख रु. मुआवजा दिया जाएगा| यानी उनके जान की कीमत कितनी सस्ती हो गयी| वे हैं तो सामान्य नागरिक लेकिन उन्हें मुठभेड़ के समय नियमित सशस्त्र दलों की ढाल के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा| जबकि न्यायालय के न्यायाधीश बी.सुदर्शन रेड्डी और एस.एस.निजार की बेंच ने छत्तीसगढ़ के समय ही, इस ढंग की भर्ती पर सवाल उठाया था कि आखिर इस ढंग की नियुक्तियों की आवश्यकता ही क्या है?

12-06-2011 को समाप्त हुए सप्ताह में नक्सलियों ने जिले में पांच ग्रामीणों की हत्या कर दी| जिले में 1980 से अबतक 376 नागरिक अपने प्राण गंवा चुके हैं|

15-06-2011 सूरजगढ पहाड़ी पर लौह अयस्क की खुदाई करनेवाले 40 श्रमिकों को ठेकेदार के साथ नक्सलियों ने 13 घंटों तक बंधक बनाये रखा था| नक्सलियों की संख्या 150-200 के लगभग थी| नक्सलियों ने शाम को परिसर के लोगों को बुलाया| रात 09 बजे से 11 बजे तक बैठक की| पहाड़ी पर चल रहे काम का विरोध किया| बाद में बंधकों को छोड़ दिया|

फीर मामला चिन्ना मटामी की मॉं को मुआवजा देने का----

नक्सली होने के आरोप में तथाकथित पुलिस मुठभेड़ का शिकार, चिन्ना मटामी नामक आदिवासी युवक का उल्लेख इससे पहले हो चुका है| दस वर्षों की अदालती लड़ाई के बाद, चिन्ना की मॉं को शायद यह राशि प्राप्त हो| अहेरी के चिन्ना की हत्या 2001 में ही हुई थी| चिन्ना की मॉं की ओर से एक स्वयंसेवी संगठन ' एल्गार ' ने मुंबई हायकोर्ट के नागपुर बेंच में, चिन्ना को निर्दोष बताते हुए यह लड़ाई लड़ी थी| हायकोर्ट ने उसकी मॉं को, राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर दो लाख रु. देने का निर्णय दिया था| अर्थात् उसकी निर्दोषता कोर्ट ने मान ली थी| फिर भी राज्य सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी| गढचिरोली के देहात की एक गरीब आदिवासी मॉं न्याय की लड़ाई क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकती है? फिर भी राज्य सरकार वहाँ भी हार गयी| इसके बावज़ूद राज्य सरकार ने न्यायालयों के निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया| अन्त में कोर्ट की नागपुर बेंच ने 20-06-2011 को आदेश दिया कि यह राशि तुरन्त सत्र न्यायालय में जमा की जाये| पता नहीं राज्य सरकार की मंशा आगे क्या है?

उड़ीसा

उड़ीसा से संबंधित एक समाचार से स्थिति कुछ स्पष्ट हो जाएगी|

ता. 10-06-2006 को भाकपा (माओवादी) तथा उससे संबंधित, 06 संगठनों पर उड़ीसा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया| वे हैं : 1) दमन प्रतिरोध मंच 2) चाषि मुलिआ संगठन 3) कुई लबग संगठन 4) क्रांतिकारी संगठन 5) बाल संगठन

यह घोषित करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी ने उड़ीसा विधानसभा में बताया कि 80 के दशक के मध्य से दक्षिण उड़ीसा के जिलों में शुरू हुई पीपुल्स वॉर ग्रुप की नक्सलवादी गतिविधियां अब राज्य के 30 जिलों में से 14 जिलों में फैल गयी हैं| 2001 से उड़ीसा में इन गतिविधियों के कारण 59 लोग मारे गये हैं| इनमें 33 सुरक्षाकर्मी तथा 26 आम नागरिक है| इसके साथ ही आत्मसमर्पण करनेवाले नक्सलवादियों के पुनर्वास के लिए एक पॅकेज भी घोषित किया गया|

1) उनके नाम दर्ज छोटे-मोटे मामले उठा लिये जाएंगे|
2) बड़े अपराधिक मामलों के लिए उन्हें विचार-विभाग की कारवाई से गुजरना होगा|
3) आत्मसमर्पण करनेवालों को रु. 10,000 की सहायता दी जाएगी|
4) अस्त्र-शस्त्र के साथ समर्पण की स्थिति में सहायता 20,000 रु.|
5) गृह-निर्माण के लिए सहायता 20,000 रु.|
6) शादी-विवाह के लिए रु. 15,000 |
7) अन्य मामलों में रु. 50,000 तक की रियायत दी जाएगी|
8) स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठायेगी|

06-05-2006 की वारदात–

इस दिन सुबह लगभग 500 माओवादियों ने गजपथी जिले के उदयगिरि शहर को एक ढंग से अपने कब्जे में ले लिया| बॅंक, पुलिस स्टेशन, जेल तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किये| 03 पुलिसकर्मियों की हत्या की| दो पुलिस अफसरों को अगुआ किया| अपने 40 साथियों को छुडवा लिया| शस्त्रों की भारी लूट की|

इससें पहले, मई 2004 में, संसद् के आम चुनावों के दौरान, कोरापुट में भी जेल तोड़ने की वारदात, नक्सली कर चुके थे|

राज्य में स्थिति

राज्य के 30 जिलों में से 16 में माओवादियों की उपस्थिति है| एक अनुमान के अनुसार भविष्य में इनकी संख्या बढ़ सकती है| राज्य की 22% जनता आदिवासी है| अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले जिले ये-

दक्षिण में–रायगढ, गजपथी, कोरापुट, नवरंगपुर|

उत्तर में–मयुरभंज, सुंदरगढ|

और ये ही माओवादियों के प्रभाव उत्पत्ति के लिए प्रवेश बिंदु हैं|

2008 का उड़ीसा

विश्व हिंदू परिषद् नेता लक्ष्मणानंद सरस्वती की 23-08-2008 को हत्या कर दी गयी थी| उस हत्या की जिम्मेदारी माओवादियों ने ली थी| इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप कंधमाल जिले में ईसाइयो के घर और गिरजाघर बड़ी संख्या में जला डाले गयें थे| बलात्कार और हत्याएं भी हुई थीं| यह सब हिंदू सांप्रदायिक संगठनों ने किया था| भय, आतंक का माहौल था| सैकड़ों ईसाई आदिवासी सरकारी कैम्पों में रहने को मजबूर थे| लेकिन माओवादी और इन सांप्रदायिक शक्तियों की आमने-सामने मुठभेड़ होने का कहीं रेकॉर्ड नहीं है|

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार : 04-10-2009

उड़ीसा में नक्सलियों का भय पुलिसकर्मियों को बुरी तरह सताता था| उग्रवादियों से अपनी जान बचाने के लिए राउरकेला में पुलिसकर्मियों ने थाना और पांच पुलिस चौकियों पर ताले लगा दिये थे| चौकियाँ थीं–चांदीपोस, जराईकेला, कलूंगा, काल्टा और टेनसा| समी पुलिसकर्मी थाना और चौकियां छोढ़कर चले गये थें|

उड़ीसा में हिंसा : फुलबनी : 28-11-2010

उड़ीसा के कंधमाल में माओवादियों द्वारा बारुदी सुरंग में विस्फोट कर एक एंब्युलन्स को उड़ा देने से महिलाओं और एक तीन वर्षीय बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गयी| मृतकों में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी, एक गर्भवती महिला और ॲब्युलन्स चालक शामिल था| पुलिस महानिदेशक श्री. प्रहराज ने इसकी पुष्टि की| लेकिन यह तो इस आंदोलन पर एक नकारात्मक बहुत बड़ा धब्बा है|

16-02-2011 को मलकांगिरि के कलेक्टर आर.विनील कृष्णा और ज्यूनियर इंजीनियर पवित्र मोहन माझी को माओवादियों ने अगुआ कर लिया था| उनको मुक्त करने के बदले में 14 मांगें रखी गयी थीं| जिनमें से कुछ इस प्रकार थीं–

1) माओवादियों के विरुद्ध, सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा अभियान रोका जाए|
2) सभी राजकीय कैदियों को रिहा किया जाए| उस समय उड़ीसा के विभिन्न जेलों में ऐसे 629 व्यक्ति थे| कहा गया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया| उन्हें गलत या झूठे आरोप लगाकर हिरासत में लिया गया|
3) पुलिस कस्टडी में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए|
4) माओवादी नेताओं को रिहा किया जाए|

माओवादियों ने तीन नाम, बातचीत के लिए मध्यस्थ के तौर पर प्रस्तावित किये थे| वे थे सर्वश्री. दण्डपाणी मोहन्ती, सोमेश्वर राव और व्यवस्थापन से जी.हरगोपाल|

सरकार ने सभी मांगें मान लीं | घोषित किया गया कि गणपति प्रसादम् और शीर्ष नक्सली नेता रामकृष्णा की पत्नी पद्मा सहित पांच माओवादियों के विरुद्ध चल रहे मामले वापस लिये जायेंगे| सरकार ने इस बात पर भी सहमती जताई कि जबतक माओवादी गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे, उनके खिलाफ कारवाई नहीं की जाएगी| उन्होंने भाकपा(माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी के आशुतोष सेन, श्रीरामुलू श्रीनिवासुलू, गणेशन पात्र, जीवन बोस आदि की रिहाई की मांग पर कहा कि इस मामले को गुणदोषों के आधार पर देखा जाएगा|

सरकार ने यह भी हामी भरी थी कि आदिवासी इलाकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किये गये भूमि हस्तांतरण समझौतों को रद्द किया जायेगा| लेकिन उड़ीसा सरकार की इस भूमिका से केन्द्रीय गृह विभाग शायद खुश नहीं था|

03-05-2011 : कंधमाल के जंगलों में हुई मुठभेड़ में दो जवान तथा चार नक्सली मारे गये|

माओवादियों की नारी-सेना -: एक सूचना के अनुसार, माओवादियों की नारी-सेना की नेता चमेली उर्फ रेखा झारखंड-उड़ीसा अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जंगलों के अंदरूनी हिस्से में महिला कैडरों को प्रशिक्षण देने में व्यस्त थी|

केरल में नक्सलवाद

केरल को इसलिए याद किया जाता है कि दुनिया में सर्वप्रथम, चुनाव के माध्यम से, कम्युनिस्ट सत्ता में आये| 1957 में, कॉ. ई.एम.एस. नम्ब्रुद्रिपाद की अगुवाई में कम्युनिस्ट सरकार बनी| अर्थात् उस दरम्यान देश में सबसे अधिक कम्युनिस्ट प्रभाव वाला प्रान्त केरल ही था| लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होता गया और अधिक उग्र वामपंथ की ओर रुझान वाले ग्रुप अलग होते गये| उसका असर केरल में भी होना ही था|

चारु मुजुमदार की सीपीआई(एमएल) बनने के बाद, केरल में भी उसकी राज्य इकाई बनी| शुरू में इसका नेतृत्व अंबाडी संकरन कुट्टी मेनन ने किया| लेकिन जल्दी ही आंदोलन कई ग्रुपों में विभक्त हो गया| जैसे त्रिचूर का ग्रुप, कालिकत ग्रुप आदि| त्रिवेंद्रम ग्रुप, जिसका नेतृत्व भूतपूर्व मेयर कोसल रामदास कर रहे थे| एक ग्रुप, के. पी. आर. गोपालन का भी था| कुन्नीकस नारायणन ग्रुप प्रत्यक्ष कारवाई पर जोर देता था|

नक्सली गतिविधियां–

अ) पुलिस स्टेशनों पर हमले

1) 20-11-1968 : पुल्पल्ली(वायनाड जिला)

पुल्पल्ली यह कुछ अंदरुनी हिस्से में स्थित जगह थी| वहाँ के वन विभाग ने लिए निर्णय के अनुसार, 7000 कृषकों को विस्थापित करना था| ये 27, 000 एकड़ जमीन पर पीढ़ियों से खेती कर रहे थे| इस निर्णय के विरुद्ध वे आंदोलन कर रहे थे| उनके दमन के लिए, मलाबार पुलिस बल लाया गया और उसका वहाँ कॅम्प लगाया गया| यहाँ के आदिवासियों की स्थिति बंधुआ मजदूरों से अलग नहीं थी| इस जबरदस्ती ने उन्हें नक्सली बना दिया था|

नक्सली ग्रुप ने इस कॅम्प पर हमला करने का प्लॅन बनाया| जंगल से होती हुई लम्बी यात्रा के बाद वे पुल्पल्ली पहुँचे| 100के करीब लोगों ने कॅम्प पर हमला किया| वहाँ के वायरलेस ऑपरेटर और कॅम्प नियंत्रक सब-इन्सपेक्टर ऐसे दो कर्मचारी, नक्सलियों के हाथो मारे गये| बाद में दो जमीनदारों के घरों पर हमले किये गये| वहाँ संग्रहित धान्य आदिवासियों में बांट दिया गया|

2) थलासेरी पुलिस स्टेशन : कन्नूर जिला : 1968

यहाँ गणेश एंड भारत बीड़ी फॅक्टरी में ठेका श्रमिकों के तौर पर लगभग 20,000 श्रमिक काम करते थे| फॅक्टरी मालिक मंगलूर से था| ई.एम.एस. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कानून लागू किया तो मालिक ने बीडी फॅक्टरी मंगलूर स्थानांतरित कर दी| इस कारण ये श्रमिक बेकार हो गये और उन पर भूखे मरने की नौबत आ गयी| इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक कृषि की ओर मुड़े| इस कारण कृषि मजदूरी की दर भी एकदम नीचे आ गयी| परिणामतः वे नक्सलवाद की ओर मूड गये|

यह हमला कॉ.कुन्नीकल नारायणन के नेतृत्व में होना था, लेकिन वह असफल हुआ| इन हमलों से और खासकर पुल्पल्ली के हमले से निम्न कॉमरेड्स जुडे थे-1) कुन्नीकल नारायणन 2) वर्घिस 3) थट्टेमला कृष्णन कुट्टी 4) किसन थम्मन 5) फिलिप्स प्रसाद 6) कुरिचियन कुंजीरमन 7) टी.व्ही.अप्पु 8) मंदाकिनीं नारायणन 9) अजिता| इनमें से अधिकतर 1968 के अन्ततक पकड़ लिये गये|

3) कुट्टीयाडी पुलिस स्टेशन पर हमला : 1969

यह पहले दो हमलों के एक साल बाद किया गया हमला था| इसमें हमलावर ग्रुप का नेतृत्व कर रहे कॉ. वेलाायुधन मारे गये|

4) थिरुनेल्ली हमला (1970)

5) कायन्ना पुलिस स्टेशन पर हमला(1976)

केरल की नक्सलवादी गतिविधियों के विषय में उल्लेखनीय बातें---

1) केरल में इस आंदोलन का अस्तित्व 1968 से लेकर तो 1976 तक था| इसी दरम्यान हिंसक वारदातें हुईं|
2) गतिविधियों का स्वरूप मुख्यतः पुलिस स्टेशनों पर हमले, जमीनदारों की हत्याएं, उनकी सम्पत्ति की लूट यही था| वायनाडू जिला(1970 से 1975 तक), कन्नूर(1970), कोल्लम(1970), कसारगोडे(1970), कोट्टायम(1970), तिरुवनंतपुरम(1970)|
3) लेकिन ऐसी गतिविधियों के लिए आवश्यक सैनिकी अनुभवों से, आंदोलन पूरी तरह अनभिज्ञ था|

4) नक्सली गतिविधियां मुख्यतः पहाड़ी, वन और दूरदराज के कृषि क्षेत्र में मर्यादित थीं| अन्य हिस्सों में आम नागरिकों की हिस्सेदारी उसमें नहीं थी|

5) आंदोलन संगठित नहीं था| छितरे स्वरूप का था| उसका स्वरूप काफी कुछ तात्विक था|

6) शुरू का नक्सली आंदोलन मुख्यतः जमीनदारों और भूमिहीन किसानों के मध्य संघर्ष था| लेकिन केरल में साम्यवादी सरकार आने के बाद, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार और भूमिहीनों में भूमि वितरण किया गया| इस कारण नक्सली आंदोलन यहाँ अपनी जड़ें नहीं जमा सका|

साम्यवादी सरकार सत्ता में आने से पूर्व भूमि स्वामित्व की् स्थिति इस प्रकार थी–

केरल की आबादी के 76.3% आबादी के पास प्रति परिवार 00-0.99 एकड़ जमीन थी और यह कुल उपलब्ध जमीन का केवल 21% था| जबकि 9.3% आबादी 54.2% जमीन की मालिक थी| भूमि सुधारों के बाद स्थिति काफी बदल गयी| (37 वे नॅशनल सॅपल सर्वे की सांख्यिकी से)

7) अच्यूत मेनन सरकार के कार्यकाल में श्री के. करुणाकरन गृहमंत्री थें| उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी सक्ती से दबा दिया|

इन सब बातों के कारण केरल में यह आंदोलन काफी पहले समाप्त हो गया| शुरू के हमलों के बाद जल्दी ही इसके नेता या तो मारे गये या जेल में बंद कर दिये गये|

नक्सली विचारों वाले नेता---

1) के. वेणु : लेकिन 9वे दशक के बाद वे क्रियाशील साम्यवादी भी नहीं रहे|

2) कॉ. गीथानंदन : यह नक्सलवादी पृष्ठभूमि से आये नेता थें| वे शिक्षा की दृष्टि से ' मरीन्स बायॉलॉजिस्ट ' थे| लेकिन बाद में भूमिहीन आदिवासियों के लिए संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया|

3) अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थें कॉ. किसन थम्मन, कॉ. सुकुमारन, कॉ. कुंजमन, कॉ. जोसेफ़, कॉ. संकरन मास्टर, कॉ. थेतमला कृष्णन कुट्टी, कॉ. मारल, कॉ. चोमन मुछन आदि जो नक्सली विचारों से प्रेरित थे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत् थे|

4) फिलिप्स एम. प्रसाद : यह पुल्पल्ली कॅंप पर हुए हमले में हिस्सा लेनेवाली एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी| उस समय इनकी आयु 24 वर्ष थी| पकड़े जाने के बाद पांच वर्ष की जेल हुई| बाद मे इन्होंने व्यक्त किये विचारों के अनुसार " पुल्पल्ली कॅंप पर हमला यह एक निहायत ही मूर्खतापूर्ण कृत्य था| " और समय की विडंबना देखिये कि यह क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति आज सत्य साईंबाबा का भक्त है और वकालत में व्यस्त है|

5) मंदाकिनी नारायणन और कुन्निकल नारायणन :
यह ' मॉं ' इस संबोधन से विख्यात हुई| वे नवीनचंद्र ओसा और उर्वशी ओसा इस गुजराती दम्पति की बेटी थी| उनकी शिक्षा मुंबई में हुई| उन्होंने साम्यवादी नेता और बाद में नक्सलवादी नेता बनें कुन्नीकल से विवाह किया| कोझीकोडे में कुछ समय तक स्कूल की मुख्याध्यापिका रही| लेकिन बाद में अपने पति और बेटी अजिता के साथ केरल के नक्सली आंदोलन का नेतृत्व भी किया| पुल्पल्ली और थलासेरी पुलिस स्टेशनों पर हुए हमलों के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया| और ढाई साल की सजा हुई| 16-12-2006 को आयु की 82 की अवस्था में मृत्यु हुई|

राजन हत्याकांड

उस दरम्यान यह आम बात थी कि नक्सली होने के संदेह में पुलिस द्वारा किसे भी उठा लिया जाता था| यही बात कोझीकोड रिजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ' राजन 'के साथ हुई| पुलिस कस्टडी में, पुलिस द्वारा दी गयी यंत्रणा के कारण उसकी मृत्यु हुई, ऐसा आरोप लगाया गया| इस घटना पर भारी बवाल मचा| पुलिस ने उसकी लाश उसके घरवालों को कभी नहीं सौपी| यानि उसकी हालत क्या होगी|

राजमौली

राजमौली को 23-06-2007 के दिन धर्मावरम रेल्वे स्टेशन पर तथाकथित मुठभेड़ में पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था| लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसे वास्तव में केरल के कोलम बस स्टॅंड के पास एक पब्लिक फोन सेंटर से, फोन करते हुए पुलिस के द्वारा उठा लिया गया था| अर्थात् पुलिस द्वारा इसका खंडन होना ही था|

अजिता

अजिता यह मंदाकिनी और कुन्निकल नारायणन की बेटी थी| लेकिन वह केरल के नक्सलवाद के प्रतीक के रूप में विख्यात हो गयी| वह पुल्पल्ली में नवम्बर 1968 में किये गये हमले का हिस्सा थी| उस समय उसकी आयु 18 वर्ष थी| लेकिन इस हमले से संबंधित काफी सारे सदस्य पकड़ लिये गये, पुलिस द्वारा प्रताडित किये गये या मारे गये| वे जंगलों में अत्यंत भीषण स्थिति में छिपते रहे| अजिता भी पकडी गयी| उसे सजा हुईं| 09 साल जेल में बिताने के बाद, 27 साल की आयु में, अर्थात् 1977 में जेल से बाहर आयी तो सब कुछ बदल गया था| साथी मारे गये थें या जेल में बंद थे| आंदोलन मृतप्राय हो गया था और केरल में उसके दोबारा उभरने की कोई संभावना नहीं थी| बाद में अजीता ने विवाह किया| उनकी एक बेटी भी है, गार्गी| 1987 में उसने स्त्रियों के उद्बोधन के लिए एक ' बोधन ' नाम का संगठन बनाया| बाद में 1993 में ' अन्वेषी ' बनाया और जीवन भर के लिए उससे जुड गयी| इसी संगठन ने केरल के उस यौन कांड को उजागर किया था, जिसके साथ एक मंत्री भी जुड़े हुए थे| यह कांड भी काफी चर्चित रहा था| वे कालिकत में बस गयी, और मानवाधिकार तथा सामाजिक सुधार की गतिविधियों से जुड़ी रही|

ए.वर्घिस

यह, केरल कम्युनिस्ट आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था| कॉ. वर्घिस ने वहाँ के आदिवासी समूहों में चेतना जगाने का, और उनकी स्थिति सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया| इन आदिवासियों की स्थिति बंधुआ श्रमिकों से अलग नहीं थी| इतिहास के पन्ने पलटने से, यह भी पता चलता है कि इनका हाट भी लगता था, जिसमें कुछ मदिरों की भी भूमिका होती थी|

नक्सलवादी आंदोलन उभरने के साथ वर्घिस इसके महत्वपूर्ण नेता बन गये| आंदोलन का विश्वास वर्ग शत्रुओं की हत्याओं में था| 18-02-1970 को पुलिस ने वर्घिस को पकड़ लिया| पुलिस थेयरी के अनुसार वर्घिस की मृत्यु पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हुईं| लेकिन इसपर स्थानीय लोगों में से किसको भी विश्वास नहीं है| उत्तरी केरल के वायनाड जिले के जंगल में उनकी हत्या की गयी| हत्या के 28 सालों बाद इस बात ने फिर एक बार तुल पकड़ा, जब रामचंद्रन नायर् नामक एक सेवानिवृत्त पुलिस सेवा के व्यक्ति ने 1998 में हायकोर्ट में, अपने सद्सद्विवेक बुद्धि के आधार पर, यह प्रतिज्ञापन दायर किया कि उसीने गोली मारकर वर्घिस की हत्या की थी| लेकिन यह, तत्कालीन डेप्युटी एस.पी. कोझीकोड, श्री. लक्ष्मण के आदेश से की गयी थी| उस समय घटना स्थल पर तत्कालीन डीआयजी श्री. विजयन भी उपस्थित थे| उस समय वर्घिस की आंखों पर पट्टी बांधी गयी थी और झाड़ से बांधा गया था| ऐसी स्थिति में उसने श्री. लक्ष्मण के आदेश से गोली मारी| एक ही गोली में वर्घिस मृत हो गये| उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए| वास्तव में रामचंद्र नायर् ने घटना के तुरन्त बाद एक टिप्पणी श्री. वर्घिस के साथी ए. वासु को दी थी| लेकिन वासु की शुरू की गिरफ्तारी आदि के कारण यह टिप्पणी दो दशकों तक धूल के नीचे दबी रही| बाद में श्री.वासु ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर कार्यरत् रहे| रामचंद्रन की स्विकारोक्ति के बाद जांच की मांग होने लगी| केरल हायकोर्ट ने सीबीआई को 1999 में जांच के आदेश दिये| रामचंद्रन की 2006 में मृत्यु हो गयी| कोर्ट में मामले की सुनवाई 06-04-2010 से शुरू हुई| श्री. विजयन और श्री. लक्ष्मण पर आरोप रखे गये| दोनों की आयु उस समय 80 वर्षो से अधिक थी|

विशेष सीबीआई न्यायालय के न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर पिल्लै महोदय ने 27-10-2010 को केस का निर्णय घोषित करते हुए लक्ष्मण को वर्घिस की हत्या का दोषी पाया| सबुतों के अभाव में श्री. विजयन को बरी कर दिया गया| यह निर्णय प्रत्यक्ष हत्या के 40 सालों बाद आया|

अन्य संगठन

भले ही केरल में शुरू के उभार के बाद नक्सल आंदोलन लुप्त हो गया हो लेकिन वैचारिक दृष्टि से नक्सली विचारों से व्यक्तियों द्वारा या ग्रुपों द्वारा भिन्न-भिन्न नामों से नये संगठन बनाएं गये| इनमें से कुछ का अस्तित्व आगे भी रहा|

1) जिनका विश्वास वर्ग शत्रुओं के निःपात में है, ऐसे ग्रुपों में सीपीआई(एमएल-नक्सलबारी)| प्रत्यक्ष गुप्त कारवाई करने वाला उसका दस्ता था ' अय्यनकालीपद ' | वैचारिक और खुली कारवाई करने वाला दस्ता था ' पोराट्टम '

2) कुछ कम उग्र ग्रुप:

अ) सीपीआई-एमएल-रेड फ्लॅग ग्रुप-उन्नीचेकन ग्रुप|

आ) सीपीआई-एमएल-के.एन.रामचंद्रन ग्रुप|

इसने बाद में सीपीआई-एमएल-कनु सन्याल ग्रुप के साथ संयुक्त दल बनाया| इसका प्रमुख था सलीम कुमार| स्थानिक निकायों के चुनावों में इसने अपने प्रत्याशी भी खड़े किये| इसकी कृषकों, श्रमिकों और जन-जातियों में गतिविधियां चलती थीं|

इ) जेवीएम ; जनकीय विमोचन मुन्नानी | ऐसा संदेह था कि इसका संबंध सीपीआई-माओवादी से था|

ई)आदिवासी समर संघम

ए)विप्लव स्त्रीवादी प्रस्थनम

ऐ)आदिवासी विमोचन मुन्नानि आदि

गुजरात में नक्सलवाद

दक्षिण गुजरात में अविनाश कुळकर्णी नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सीपीआई-एमएल-जनशक्ति नाम का संगठन अस्तित्व में होने का संकेत मिलता है|

2011 ; उत्तरार्ध्द : नक्सलवादी घटनाएँ

जुलाई 2011

नेपाल में प्रशिक्षण

जुलाई 2011 में प्राप्त एक सूचना के अनुसार नेपाल के ताप्तिजिंग जिले के चेमूंग जंगलों में एकसाथ पांच सौ भारतीय माओवादियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है और हाल ही में छह माह का प्रशिक्षण लेकर, पांच सौ भारतीय माओवादियों का एक दस्ता भारत में प्रवेश कर चुका था| गुरिल्ला युद्ध में माहिर, चार कमांडर प्रशिक्षण का दायित्व संभाले हुये थे| इनमें पश्चिम बंगाल का एरिया कमांडर रहा नक्सली ' सुब्रतो ' तथा झारखंड का एरिया कमांडर ' हरिमोहन मरांडी ' है| दो अन्य, नेपाली कमांडर हैं ' स्वयंलम्बू ' और शेरबहादुर कमचून ' |

05-07-2011 को उपलब्ध हुई सांख्यिकी इसके अनुसार

1) देश में जिलों की संख्या---626|
2) नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या----83 | इनमें और 20 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था| अर्थात् ऐसे जिलों की संख्या सौ को पार कर जाएगी| नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 09 राज्यों के करीब 400 थानों का, दो करोड़ प्रति थाना व्यय करके, सशक्तिकरण किया जाएगा|
3) सशस्त्र नक्सली कॅडर---20,000
4) नियमित नक्सली कॅडर---50,000

अगस्त 2011

19-08-2011 : छत्तीसगढ़ : बीजापुर जिला : पुलिस दल पर घात लगाकर हमला| 11 जवान और 04 नक्सलियों की मौत|

20-08-2011 : गढचिरोली जिला : पोटेगांव पुलिस केंद्र परिसर में तीन जवान और तीन माओवादी मारे गये| मृत नक्सलियों में रनिता नाम की महिला थी| वह सन् 2000 में इस आंदोलन से जुड़ी थी| उसका पति ' सुनील ' और भाई ' भास्कर ' भी आंदोलन में सक्रिय थे|

नक्सलियों के विरुद्ध सेना नहीं

03 अगस्त को रक्षा मंत्री श्री.ए.के.एंटोनी ने राज्य सभा को सूचित किया कि नक्सली और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सेना तैनात करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है|

सितंबर 2011

नक्सलियों पर घोषित इनाम ;

1) गणपति उर्फ लक्ष्मण राव : 24 लाख(12 लाख आंध्र + 12 लाख छत्तीसगढ़) अन्य छद्म नाम मुपल्ला, रामन्ना, श्रीनिवास, दयानन्द, चंद्रशेखर, गुइसेद्दा, जी.एस. मल्लन्ना, राजन्ना, बाल रेड्डी, राधाकिशन. जी.पी., सी.एस.शेखर| माओवादी नेता क्र. एक|
2) नम्बल्ला केशव राव : 19 लाख
3) मल्लोजुला कोटेश्वर राव : 19 लाख
4) कट्टम सुदर्शन आनंद : 19 लाख
5) मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति : 19 लाख
6) मिशिर बिसरा : 07 लाख
7) किसन दा उर्फ प्रशांत बोस : 07 लाख
8) मल्लारोजी रेड्डी ; 07 लाख

उपरोक्त सभी पॉलिट ब्यूरों के सदस्य थे|

अब केन्द्रीय कमेटी के सदस्य----(प्रत्येकी रकम-आंध+ छत्तीसगढ़)

1) शिप्पारी तिरुपति उर्फ देवजी : 19 लाख
2) जिग्गू नरसिंहा रेड्डी : 19 लाख
3) अक्की राजू हरगोपाल : 19 लाख
4) पुल्लूरी प्रसाद राव : 19 लाख
5) रामचंद्रा रेड्डी : 19 लाख
6) मोडेम बाला कृष्णा : 19 लाख

उपरोक्त तथा अन्य नौ केन्द्रीय कमेटी सदस्य ऐसे कुल 23 लोगों पर घोषित इनामों की कुल रकम 03 करोड़ 03 लाख रु. थी|

नक्सली नेता परेरा

नागपुर के धंतोली पुलिस थाना की पुलिस ने, मूलतः मुंबई निवासी अरुण परेरा को 07-05-2007 को दीक्षाभूमि से अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था| 2009 में इस मामले में अदालत ने सभी को निर्दोष घोषित किया था| फिर परेरा पर चंद्रपुर अदालत में मुकदमा चलाया गया| चंद्रपुर मामले में भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एल.ढाले की अदालत ने 24-09-2011 को सभी को निर्दोष घोषित किया|

29-09-2011 को नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आते ही परेरा को फिर एक बार गिरफ्तार किया गया और गढचिरोली जिले के पुराडा थाने लाया गया|

सारे मामले में अब कौन सही और दोषी, यह निश्चित करते समय सिर तो चकरा ही जायेगा| इस गिरफ्तारी के विरोध में नागपुर सेंट्रल जेल के 115 कैदियों ने अनशन किया था|

गढचिरोली : जतिन दास का जिक्र

नक्सली संगठनों ने, गढचिरोली जिले के कुछ हिस्सों में पर्चे बांटे, जिसमें 13-09-2011 को भूख हड़ताल दिवस मनाने का आवाहन किया था| पर्चे में उन्होंने जतिन दास का उल्लेख किया था| क्रांतिकारी जतिन दास को बम बनाने के आरोप में लाहौर जेल में रखा गया था| उन्होंने राजनैतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में भूल हड़ताल छेड़ रखी थी| इस भूख हड़ताल के 63 वे दिन यानी 13-09-1929 को वे शहीद हो गये थे|

24-09-2011–उड़ीसा–विधायक की हत्या

उड़ीसा के नवरंगपुर जिले में, एक जनसभा के दौरान, संदिग्ध माओवादियों ने, बीजद के विधायक श्री. जगबंधु माझी और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी पिंकू पात्रो की, गोली मारकर हत्या कर दी| 39 वर्षीय माझी, भूमि के पट्टे वितरित करने के लिए नक्सल प्रभावित रायगढ इलाके के बोला गांव गये थे|

केन्द्रीय गृहमंत्री की सलाह

इस सलाह के अनुसार जिन राज्यों में नक्सलवाद की समस्या गंभीर है, वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रभावित क्षेत्रों में, कम से कम एक रात अवश्य गुजारे| क्या यह कल्पना की जा सकती है कि बिना लम्बी-चौड़ी पुलिस फौज लिए, नक्सल प्रभावित इलाके में कोई मुख्यमंत्री रात बिता सकता है?

अक्टूबर 2011 : 07-10-2011 : छत्तीसगढ़

सशस्त्र सीमा दल के 02 जवानों की, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 16, जो जगदलपुर और दंतेवाड़ा को जोड़ता है, पर हत्या की गयी|

18-10-2011 : 18वीं बी.एस.एफ. हेलीकाप्टर की रांची के पास हुई दुर्घटना का दायित्व माओवादी कमांडर कुंदन पहान ने लिया था| इसमें दो विमानचालक तथा एक तांत्रिक कर्मचारी की मृत्यु हुई थी|

21-10-2011 : छत्तीसगढ़ : बस्तर के प्रमुख शहर जगदलपुर से 40 कि.मी. दूर नेतानर देहात के पास 06 पुलिसकर्मी मार डाले गये|

24-10-2011 : महाराष्ट्र : केन्द्रीय कारागृह में कैदियों का अनशन

माओवादी नेता मिलिंद तेलतुंबडे की पत्नी एंजेला तेलतुंबडे के साथ नागपुर सेंट्रल जेल में की गयी कथित मारपीट के विरोध में इस जेल में बंद संशयित 130 नक्सली बंदियों ने 24-10-2011 को एक दिन का अनशन रखा| एंजेला स्वयं माओवादी नेता है| कथित मारपीट 17-10-2011 को जेल अधिकारियों द्वारा की गयी थी| यह जानकारी एंजिला के देवर बिप्लव तेलतुंबडे ने प्रेस को दी थी|

उड़ीसा

फिलहाल वहाँ तैनात केन्द्रीय सशस्त्र बल के जवानों की संख्या 10,000 से अधिक थी| वहाँ अक्टूबर 2011 तक नक्सली हिंसा में 48 लोग मारे गये थे| इनमें नागरिक और जवान दोनों थे|

नवम्बर 2011 : महाराष्ट्र

15-11-2011 तक गढचिरोली और गोंदिया जिलों में 372 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था|

09-11-2011 : बिहार : गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र गुरुपा बाज़ार से कट्टर माओवादी विनोद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया|

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त कारवाई

14-11-2011 : इस कारवाई में शस्त्रों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया| लेकिन इस कारवाई के उपरांत गढचिरोली के जिला पुलिस अधिक्षक ने बताया कि सारे शस्त्र छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव परिसर से पकड़े गये| उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पुलिस महानिदेशक के बयान के अनुसार यह सारे शस्त्र महाराष्ट्र राज्य के ग्यारापत्ति, कोटगुल इलाके से बरामद हुएं| नक्सलवाद से लडते समय भी दो राज्यों के पुलिस विभागों में इस तरह समन्वय का अभाव क्यों?

2005 से 20-11-2011 के बीच की स्थिति : देश में हत्याएं

नागरिक	2271
सुरक्षा बल	1415
नक्सली	1802

पुनश्च प. बंगाल : किसनजी का मारा जाना

1) नक्सलवाद प.बंगाल की ही देन है|
2) नक्सलवाद के उभार के शुरू के दशक में(1967-1977) लगभग 3000 कट्टर नक्सली मारे गये| इनमें उच्चतम स्तर तक पढ़े-लिखे, चिन्तक, कलाकार आदि भी थे| 10,000 के करीब जेल में ठूँस दिए गये| राजनीतिक हिंसा में मरने वालों में 1500 मार्क्सवादी तथा 500 अन्य व्यक्ति थे|
3) 1977 में प.बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनीं| उसने लगातार 34 साल तक शासन किया| लेकिन यह सरकार स्थिर होने तक प. बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन काफी कमजोर हो चुका था| 1971-72 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. सिद्धार्थशंकर रॉय ने इसे बेरहमी और कडाई से दबा दिया था| मार्क्सवादी सरकार ने भूमि सुधार तथा अन्य जनताभिमुख नीतियों से अपना आधार मजबूत कर लिया था|
4) पिछले दशक में 21-09-2004 को एमसीसी(बिहार-झारखंड) और पीडब्लूजी(आंध्र) इन दो बड़े तथा अन्य छोटे उग्रवादी वामपंथी ग्रुपों का विलय होकर सीपीआई(माओवादी) अस्तित्व में आ चुकी थी| मूलतः आंध्रप्रदेश में

कार्यरत् पीडब्ल्यूजी के वरिष्ठ नेता किसनजी आंध्र-बिहार से होते हुए प. बंगाल के जंगल महल क्षेत्र तक पार्टी का प्रभाव फैलाने में सफल हो गये थे।(एमसीसी के मूल नेतृत्व में झन्तु मुखर्जी काफी प्रभावशाली था)

5) 2007 में नंदीग्राम में केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसान एकजुट हुए। मजदूर-आदिवासियों के प्रश्न तो थे ही। संघर्ष को नेतृत्व माओवादियों ने दिया। सुश्री ममता बॅनर्जी ने भी अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ा। नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में 14 किसान मारे गये। फिर आया सिंगुर में टाटा की नानो कार उत्पादन के लिए जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध संघर्ष।

बदले माहौल से लाभ तो मिलना ही था। 03-05-2011 को ममता जी सत्ता में आयी। लेकिन 2007 और मई 2011 के बीच संघर्ष में एक हजार से अधिक मौतें हुईं। इनमें 550 माओवादी, 358 तृणमूल कार्यकर्ता तथा सौ से अधिक सामान्य ग्रामीण थे। अकेले जंगल महल से 1200 से अधिक आदिवासी-ग्रामीण जेल में बंद कर दिये गये।

चाहे 1977 का मार्क्सवादियों का सत्ता में आना हो या 2011 में तृणमूल कॉंग्रेस का, सत्तांतर के लिए अनुकूल जो स्थिति बनी, उस संघर्ष में सबसे अधिक हानि झेली नक्सलवादियों ने ही। यह उपरोक्त आंकडों से स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया किसी और के लिए, सत्ता में आने हेतू। जहाँ तक प. बंगाल का प्रश्न है, साफ़ यही दिखता है। 2011 में पहली बार सीपीएम हारी और पहली ही बार उसके मुख्यमंत्री भी हारे। बुद्धदेव भट्टाचार्यजी को, उन्हीं के दौर में मुख्य सचिव रहे, श्री. मनीष गुप्ता ने हराया।

सत्ता में आने के बाद ममताजी ने माओवादियों से हथियार डालने की अपील की। वार्ता के लिए मध्यस्थ लोगों की एक समिति भी बनायी गयी। इसके प्रमुख थें श्री. सुजात भद्र। हांलाकि अलग-अलग माध्यमों से अगस्त 2011 के दरम्यान समाचार मिलते रहे कि माओवादी वार्ता के लिए तैयार थें। लेकिन शीर्ष नेताओं से संपर्क करने में अडचनें आ रही थी। सोमप, कंचन और पतीतपावन हलदर जैसे शीर्ष माओवादी जेल में बंद थे। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नही था।

एक अन्य वार्ताकार दंडपाणी मोहन्ती के अनुसार, उड़ीसा सरकार ने वहाँ के मलकानगिरी जिले के कलेक्टर विनित कृष्णा की रिहाई के लिए माओवादियों की सभी मांगें तो स्वीकार कर ली थी। लेकिन रिहाई के बाद कोई मांग पूरी नहीं की गयी। इस कारण माओवादियों में विश्वास निर्मिति का भी प्रश्न है। आजाद की मौत की घटना भी कोई बहुत पुरानी नहीं थी। माओवादियों ने मध्यस्थों के नाम खुला पत्र जारी कर कहा कि शांति वार्ता के लिए हथियार नहीं डाले जाएंगे। पत्र में माओवादियों की बंगाल इकाई के सचिव आकाश ने 13 शर्तें रखीं थीं। उसके साथ प्रकाश जैसे कट्टरपंथी माओवादी भी थे।

माओवादियों द्वारा हथियार डालने का कोई संकेत न मिलने के बाद प. बंगाल सरकार ने माओवादियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने की योजना बनायी। राज्य सरकार ने अक्टूबर में ही स्पष्ट संकेत दिये थे कि वह नक्सलियों की किसी भी ढंग की हिंसा बिल्कुल सहन नहीं करेगी। उसने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों के 2000 जवान भी मांगे।

और फिर 24-11 को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के जंगल में संयुक्त बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता मोलाजुला कोटेश्वर राव मारा गया। यही किसनजी के नाम से जाना जाता था। (यही1982-1986 के दरम्यान गढचिरोली में सक्रिय था तब रामजी के तौर पर जाना जाता था। उसकी पत्नी झांसी उर्फ पद्मा तथा भाई भूपति भी गढचिरोली जिले में खूंखार माओवादियों की सूची में शामिल था।) मौत के समय किसनजी की आयु 58 वर्ष थी। किसनजी की योजना झारखंड के मालाबल जंगल में भाग जाने की थी, जो अधुरी रही।

मुठभेड़ के समय अन्य महत्वपूर्ण नक्सली सुचित्रा महतो, किसनजी के साथ थी। ऐसा अनुमान है कि वह मुठभेड़ में घायल हुई थी। लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगी।

किसनजी के पोस्टमार्टम से ऐसा स्पष्ट हुआ कि उसे छह गोलियां लगीं। ठुड्डी, माथा, सीना तथा शरीर के अन्य अगों पर। इसके अतिरिक्त छर्रे के दो घाव भी थे। शव की पहचान, किसनजी की भतीजी दीपा राय ने की। यह आंध्र में करीमनगर जिले के पेद्दापल्ली गांव की वासी है। वे क्रांतिकारी कवि वरवर राव के साथ शिनाख़्त के लिए कलकत्ता पहुंची थी। किसनजी का शव अन्त्य संस्कार के लिए, कोलकाता से उनके गृहनगर पेद्दापल्ली लाया गया था।

किसनजी की मौत माओवादियों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। सीपीआई(माओवादी) के पांच शीर्ष नेताओं में से दो किसनजी और आजाद मारे जा चुके थें। खास तौर पर जंगल महल की गतिविधियां किसनजी द्वारा ही नियंत्रित की जाती थीं। क्रमांक एक पर आसीन गणपति, चतुर्थ क्रमांक का रंगन्ना और पांचवे स्थान वाला भूपति(किसनजी का भाई) बचे थे। 10-03 -2011 को किसनजी का दाहिना हाथ शशधर महतो भी, झारग्राम के बिनपुर में हुईं मुठभेड़ में मारा गया। यह पुलिस

अत्याचार विरोधी जन-संघर्ष समिती के संयोजक छत्रधर महतो का भाई था| कहा जाता है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसे हादसों में इसीका हाथ था\

किसनजी की हत्या के विरोध में सीपीआई(माओवादी) पार्टी ने 29-11-2011 से विरोध सप्ताह तथा 04 और 05 दिसंबर को भारत बंद का आवाहन भी किया था| इस मुठभेड़ पर भी, वह फर्जी हो सकती है, ऐसा संदेह निम्न संघटनों तथा व्यक्तियों ने व्यक्त किया था और जांच की मांग की थी|

1) मानवाधिकार संगठन : असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स|
2) सीपीआई के वरिष्ठ सांसद गुरुदास दासगुप्त| सीपीएम ने भी यही मांग की है|
3) क्रांतिकारी कवि वरवर राव|
4) स्वामी अग्निवेश
5) किसनजी का परिवार आदि|

(विकल्प) : उपसंहार

नक्सलवाद से संबंधित कई पहलुओं पर हम चर्चा करते आ रहे हैं| यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का संक्षेप में पुनः स्मरण करना अनुपयोगी नहीं होगा-

1) 1967 में प. बंगाल के दूरदराज के एक गांव नक्सलबाडी में भूमिहीन आदिवासी और जमींदार के बीच छिडे संघर्ष ने एक विचारधारा के नामकरण का रूप ले लिया| बाद में संघर्ष का दायरा विस्तृत होता रहा|
2) उपरोक्त संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान किया कॉ. चारु मुजुमदार ने| आरंभ में नेतृत्व दिया कॉ. कनु सान्याल ने| शुरू में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) से अलग होकर दल बना सीपीआई(मार्क्सवादी-लेनिनवादी)| यही बाद में सीपीआई (माओवादी) हो गया| अर्थात् इस विचारधारा के पीछे की प्रेरणा माओ-त्से-तुंग के विचार रहे हैं| नाम से ही यह स्पष्ट है|

बीसवीं सदी में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जैसे नेता के कारण अनुसूचित जातियों में एक प्रेरणा जाग उठी और वे अच्छी तरह संगठित हो गये| लेकिन यहाँ की जनजातियों के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं हुई| उनमें जागृति का तथा संगठित होने का अभाव स्वतंत्रता के बाद भी बना रहा| उनका जीवन पीढियों से जंगल के साथ जुड़ा रहा| वे दूर जंगलों में ही बसे रहे| परिणामतः शिक्षा का अभाव और गरीबी में ही पिसते रहे| ब्रिटिशों के जमाने में फॉरेस्ट विभाग और उसके कर्मचारियों द्वारा शोषित होते ही रहे| लेकिन आजादी के बाद मी उनके शोषण में कोई कमी नहीं आई| उलटा विभिन्न प्रकल्पों (विशेषतः खनिज उत्खनन) के कारण वे बड़ी संख्या में विस्थापित होते रहे| और विस्थापितों के पुनर्वसन प्रकल्पों की स्थिति भारत में क्या है, यह तो जगजाहिर है| विकास के नाम पर उन्हें शासन की तरफ से केवल प्रतारणा ही मिलीं| किसी राजनीतिक पार्टी ने उनकी सुध नहीं ली| उनका संघर्ष जल, जंगल और जमीन का संघर्ष हो गया| इन बातों का फायदा नक्सलियों को मिला| क्योंकि यह रिक्ति किसी के द्वारा तो भरी जानी ही थी|

दूसरी बात यह थी कि अपना छापामार युद्ध चलाने के लिए नक्सलियों को सुदूर जंगल के इलाकों की आवश्यकता थी| ऐसी स्थिति में नक्सली आंदोलन ऐसे स्थानों पर फलता-फुलता था| उन्होंने न केवल छापामार युद्ध में महारत हासिल कर ली, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक, शस्त्र भी प्राप्त कर लिए| शुरू से ही उच्च शिक्षित युवा भी इस आंदोलन से जुडते रहे|

यह तो सभी मानते हैं कि नक्सलियों के कारण जनजातियों के शोषण में काफी कमी आयी| आदिवासी, मार्क्स-माओ का दर्शन समझे न समझे लेकिन शुरू में उनकी सहानुभूति नक्सलियों को मिल गयी| बाद में नक्सली हिंसा में वृद्धि हुई| आज यह कहना मुश्किल है कि नक्सलियों का अस्तित्व बने रहने में उस सहानुभूति का हिस्सा कितना है और उनके द्वारा फैलायी जा रही दहशत का कितना| लेकिन यह तो वस्तुतः स्पष्ट है कि भारत में 14.4 लाख पुलिस कार्यरत होने पर भी पिछले की 40-50 वर्षों में कुछ हज़ार नक्सलियों का सफाया नहीं किया जा सका| साथ में प्रशासन की संवेदनहीनता का, इनका अस्तित्व कायम रहने में, बहुत बड़ा हाथ है| या हो सकता है, प्रशासन का ही कोई तबका, यह चाहता हो कि यह समस्या हमेशा बनी रहे|

लेकिन नक्सलियों के विरोध में लिए जाने वाले आक्षेप भी हैं जैसे–

1) नक्सली गतिविधियों की बात तो छोड़ दिजिये, नक्सली अपने विचारों का प्रभाव भारत के व्यापक समाज पर नहीं डाल पाये| चालीस-पचास वर्षों के बाद भी उनका दायरा काफी मर्यादित है|
2) नक्सली, समय के साथ, कितने ग्रुपों में विभक्त होते गये, इसका हिसाब रखना मुश्किल है| इसका कारण या तो वैचारिक उलझाव हो सकता है या फिर व्यक्तिगत अहं का टकराव| दोनों बातें क्रांति के अंतिम लक्ष के लिए बहुत ही हानिकारक है|
3) नक्सली, आदिवासियों का हिमायती होने का दावा करते हैं| लेकिन उनकी गतिविधियां आदिवासियों के विकास, जो कुछ भी थोड़ा होता है, में सबसे बड़ा रोडा बनकर खडी हैं| यह भविष्य की किसी अमूर्त क्रांति के नाम पर किया जा रहा है|
4) क्रांति की परिभाषा में, विद्यमान प्रणाली में, परिवर्तन की अपेक्षा होती है| लेकिन नक्सली उसी व्यवस्था से हप्ते वसूल कर, उसके रक्षक बने हुए है| प्रतिबंध के बावजुद 40% हिस्से में उनका दखल है|
5) नक्सली गतिविधियों के कारण जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वे सभी, चाहे नक्सली अनुयायी हो या उनसें लोहा लेने वाले पुलिस या अर्धसैनिक जवान, सभी एक जैसे ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके हितैषी होने का दावा नक्सली भी करते हैं और शासन भी|

हिंसा और क्रांति

सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका हिंसा का दर्शन| माओवादी खुलेआम कहते हैं कि समाज परिवर्तन के लिए, उनका हिंसक क्रांति पर विश्वास है| हिंसक क्रांति का दर्शन कहता है, परिवर्तन का एकमात्र रास्ता है, सत्ता पर कब्जा करना और सत्ता अपने नियंत्रण में लेना संभव है केवल बंदूक की नली से| इस रास्ते में जिसें भी अवरोध समझा जायेगा उसे रास्ते से, जिस भी मार्ग से हो, हटा देने में ही क्रांति की सफलता की गॅरंटी है| अपने इस दर्शन को वे प्रत्यक्ष में उतारते भी हैं|

' क्रांति ' एक रोमांचक कल्पना है| ' इन्कलाब जिंदाबाद ' का नारा, व्यक्ति को रोमांच से भर देता है| मनुष्य जाति के इतिहास में, समाज एक आकार ग्रहण करता आ रहा है| केवल कुछ अपवाद छोड़कर मनुष्य के लिए यह असंभव है कि समाज का पूरी तरह त्याग कर वह अपना अस्तित्व बनाये रखे| किसी भी अस्तित्व को बनाये रखने के लिए, एक व्यवस्था होती है| कोई भी सामाजिक व्यवस्था, समाज के कुछ घटकों के लिए अधिक सुविधाजनक होती है और कुछ के लिए कम| शत-प्रतिशत आदर्श समाज यह एक ' यूटोपिया ' है, केवल कल्पना| लेकिन समय के साथ व्यवस्थाएं जब बहुसंख्य घटकों के लिए तकलीफ़देह बन जाती हैं, तब उन व्यवस्थाओं के प्रति विरोध उभरने लगता है| संघर्ष की स्थिति उभरने लगती है| अधिक मानवीय व्यवस्था के लिए मांग उठने लगती है| संघर्ष का स्वरूप कई ढंग का हो सकता है| ऐसे संघर्ष के दरम्यान ' क्रांति ' का उद्घोष भी किया जाता है| व्यवस्था परिवर्तन की मंशा के पीछे ' सामान्य ' मनुष्य ही रहा है| आदर्श व्यवस्था में यही अपेक्षा होगी कि समाज के हर घटक की जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो| वह स्वाभिमान के साथ जी सके| किसी के सामने हाथ फैलाने की, एक याचक बनने की लाचारी उसके लिए न आये| समाज या सामाजिक व्यवस्था उसके किसी पीड़ा का कारण न बनें| लेकिन जिन्हें क्रांतियों के तौर पर याद किया जाता है, उनमें से किसी ने भी, अपनी अंतिम परिणति में यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया| इस कारण यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इतिहास में कोई वास्तव क्रांति हुई ही नहीं| जो कुछ भी होता रहा है, वह आदर्श व्यवस्था प्राप्ति की यात्रा में, पडाव ही रहे हैं| जो हुईं वे उत्क्रांतियों के भिन्न-भिन्न स्तर ही थे| आज हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, वह भी इसी श्रृंखला की कड़ियाँ ही हैं|

विकास

विकास यह प्रकृति का नियम है| ऐसा न होता तो निर्जीव से सजीव और आगे मनुष्य अस्तित्व में न आता| व्यक्ति की बात हो, समाज की हो या फिर किसी प्रणाली की, उसमें अंतर्निहित उर्जा या उर्जाएं उसे विकास की ओर ठेलती है| विकास की दिशा, पहुँचाती है उस अवस्था में, जो विद्यमान अवस्था से अधिक परिष्कृत अवस्था है| उस प्रक्रिया को आप द्वंद्वात्मक विकास कहे, या कुछ और नाम दे| और विकास की यह यात्रा होती है, परिवर्तन के माध्यम से| परिवर्तन जब विकास की दिशा में होता है तो उसे ' प्रगतिशील ' कहते हैं| जब उसकी दिशा उलटी होती है, तो वह अराजकता पैदा करता है या प्राकृतिक विकास प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है, तब उसे ' विरोधी ' या ' प्रतिक्रियावादी ' कहा जाता है| जहाँतक सामाजिक विकास का प्रश्न हैं, वहाँ समाज को ही सोचना है कि किस स्वरूप का परिवर्तन उसके लिए उपादेय है, और उसके लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाएं, आज की स्थिति में और आज के संदर्भ में| प्रकृति अनंत रूपी है| यह क्रमप्राप्त ही है की परिवर्तन भी अनंत रूपी ही होना चाहिए| विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया अनंत है| वह किसी भी बिंदु पर रुकने वाली नहीं है|

हिंसक क्रांति की ग्राह्यता

आज, परिवर्तन की बहुआयामिता, क्रान्तियों की वास्तविकता के पार्श्व में हिंसक क्रांति की ग्राह्यता पर सोचा जा सकता है

मनुष्य समाज को तीन तरह की मुक्ति की कामना है| सामाजिक दासता से मुक्ति, आर्थिक दासता से मुक्ति और बौद्धिक दासता से मुक्ति| हो सकता है इतिहास के किसी दौर में हिंसक क्रांति ही मुक्ति का सबसे कारगर हथियार रहा हो| लेकिन बदलली परिस्थितियों ने मुक्ति-संघर्ष के लिए अन्य रास्तों की खोज करने, मनुष्य को विवश किया| इनमें नये-नये विध्वंसक हथियारों की खोज, मुक्ति संघर्ष का व्यापक होता दायरा, समाज के बुद्धिजीवियों की चिंतन क्षमता का विस्तारित होना, ये कुछ कारण हो सकते हैं|

नक्सली जिस परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, उसे हम ' सुधार ' का नाम दे सकते हैं| केरल और प. बंगाल में वामपंथी, चुनाव के माध्यम से, सत्ता में आए और उन्होंने ईमानदारी से भूमि सुधार किया| यहाँ नक्सलवाद नहीं पनप सका| अर्थात् उचित परिवर्तन के लिए हिंसात्मक क्रांति यही केवल एक मार्ग है, यह सिद्धान्त स्थापित नहीं होता|

जो नक्सली आज मुखबिरी के नाम पर, आदिवासियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं करते जा रहे हैं, वे अगर सत्ता में आ गये तो क्या उनके तौर-तरिकों को भारतीय समाज झेल पाएगा?

कहते हैं कि क्रांति अपने ही बच्चों को खा जाती है| यही बात इतिहास बताता है| चाहे वह फ्रेंच क्रांति हो, रूसी क्रांति का ट्राटस्की हो या चीनी क्रांति का लिओ शाओ ची|

क्रांति पर क्रांतिकारियों के विचार

यहाँ क्रांति के एक महानायकः ' चे गुएवारा ' के शब्दों को दोबारा उधृत किया जा सकता है," मनुष्य को जबतक अपनी समस्याओं का कोई भी शांतिपूर्ण उपाय सुझता है, तबतक वह रक्तपात पर उतारुं नहीं होता और यही कारण है कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में आजतक रक्तिम क्रांति नहीं हो पायी| रक्तिम क्रांति का इतिहास तानाशाहों के साथ जुड़ा रहा है| इसी कारण भोलेभाले मासूम लोग एक आतंक से मुक्ति पाने के लिए दूसरे आतंक के चंगुल में फसते रहे हैं|"

भारतीय संदर्भ में क्रांति के महानायक भगतसिंह को निचली अदालत में पुछा गया था कि क्रांति से तुम्हारा क्या मतलब है? भगतसिंग का उत्तर था, " क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं हैं और ना ही उसमें व्यक्तिगत प्रति-हिंसा के लिए कोई स्थान है| हमारा बम और पिस्तौल का सम्प्रदाय नहीं है| क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन|"

एक अन्य जगह उन्होंने लिखा है, " बम हमारी आस्था नहीं है, बम हमारा एक विचार है|"

इसी कारण शुरू के दौर के अधिकतर नक्सली नेताओं ने बाद में, इस मार्ग को गलत ही कहा|

इस सारी पार्श्वभूमि में आज हिंसक क्रांति का दर्शन अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं करता| इसीलिए आग्रह किया जाता है कि नक्सली हिंसक गतिविधियां छोड़े, बातचीत के लिए आगे आये, और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने| लेकिन नक्सलवाद का भी इतने दशकों में अपना एक सत्ता केन्द्र बन चुका है| क्या वे इसे त्यागने, इतनी आसानी से तैयार होगें?

दुनिया ने चुना विकल्प

आज दुनिया के करोड़ों-अरबों लोगों ने अपने आपको लोकतंत्र के साथ जोड लिया है|

आज सारी दुनिया में परिवर्तन की आकांक्षा जाग उठी है| अरब जगत में सत्ता परिवर्तन की अभिलाषा, तो कहीं व्यवस्था परिवर्तन की प्रतीक्षा| अरब जगत में अधिकतर अधिनायकवादी सत्ताएं अस्तित्व में हैं| कईं दशकों से वहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है| सत्ता परिवर्तन के लिए जनता लालयित है| अर्थात् जनता अपनी अवस्था से असंतुष्ट है और इसके लिए वर्तमान सत्ता को उत्तरदायी मानती है| लेकिन लीबिया, सीरिया जैसे इने-गिने अपवाद छोड़े तो बाकी जगह लोगों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए अहिंसात्मक तरिका ही अपनाया है| मानो खून-खराबे से दुनिया उकता गयी है| ट्यूनीशिया, मिश्र जैसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि उससे जनता ने सफलता भी पायी है|

हां, यहाँ की जनता को लोकतांत्रिक आंदोलनों का अनुभव न होने से कुछ जगह अराजकता जैसी स्थिति दिख सकती है| लेकिन लोग व्यवस्था भी सीख ही लेंगे| लोकतंत्र को आकार लेने में कुछ तो समय लगेगा ही| इसका अर्थ यह नहीं कि इस नये आशादायक रास्ते को ही त्याग दे| आज लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और अपना रहे हैं अहिंसक तरिकों को ही|

आम तौर पर भारतीय समाज मध्यम मार्ग से जुड़ा रहा है| किसी भी तरह के उग्रवाद का समर्थन उसने शायद ही किया हो| अब तो पिछले आठ दशकों में लोकतंत्र की जडें यहाँ काफ़ी गहराई तक पहुँच चुकी हैं| यहाँ सत्ता हस्तांतरण कईं बार हुआ लेकिन कभी कोई रक्त की बुंद गिरे बिना|

भारत ने आजादी के तुरन्त बाद लोकतंत्र को अपनाने का निर्णय लिया| जिसे हम मानवता का नाम देते हैं, उस कल्पना की दृष्टि से, इतिहास ने जो सर्वोत्तम विचार मनुष्य को दिये हैं, उनको आधार मानकर हमारे मनिषियों ने भारत का संविधान बनाया| इस समाज को संचालित करने के लिए एक सर्वोत्तम संहिता दी| इसके माध्यम से, सभी दृष्टि से विकसित एक मनुष्य का सपना देखा गया| लेकिन उनके दिमाग में भी यह बात नहीं आयी होगी कि इस संविधान के आधार पर बनी

विधि-पालिकाएं, एक दूसरे पर जूते-चप्पल फेंकने के स्थान बन जाएंगे और देश की जनता को विवश होकर यह सारा दृश्य दूरदर्शन के पर्दे पर देखना पडेगा। और क्या-क्या उल्लेख किया जाये इसकी आज की खामियों का।

इसी कारण हमने जो यह रास्ता चुना है, वह बड़ा लम्बा है। लेकिन हमें उसीपर चलना है क्योंकि इतिहास उसके किसी ऐसे वैकल्पिक रास्ते की शाश्वति नहीं देता जो हमें हमखास लक्ष तक पहुंचाएगा। सत्ता का ही यह स्वभाव है कि वह वहाँ आसीन व्यक्ति में दंभ और मगरूरी भर देता है। फिर वह, सत्ता तक चाहे लोकतंत्र के रास्ते ही क्यों न पहुँचा हो। इसीलिए ट्रॉट्स्की का कथन है कि क्रांति यह अविरत चलनेवाली प्रक्रिया है। और साथ-साथ यह बात भी सत्य है कि, चुहे को पकडवाना लक्ष्य है, बिल्ली किस रंग की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम भी हमारी बिल्ली का रंग बदलने की बात क्यों सोचें? फिर ऐसा रास्ता क्यों न चुनें जो न्यूनतम अमानवीय हो? उसे अपने आपको सफल या असफल सिद्ध करने का मौका क्यों न दे? आज इस व्यवस्था में अमानवीयता कम नहीं है। फिर भी हमें इसे ही परिष्कृत करते हुए चलना है।

भारत में हाल ही में जो घटनाएँ हुई हैं वे आश्वस्त करती है कि हम इसी राह पर आगे बढ सकते हैं। हमें पछतावा नहीं होगा। अभी-अभी देश में एक हवा चली। तथाकथित संविधान बचाने की। 2024 के लोकसभा चुनाव के दरम्यान। और उसे मिला लोगों का प्रतिसाद। यही आश्वस्त करनेवाली बात है। इस आंदोलन के सहभागी आत्मनियंत्रित थे। लाख पैतरेबाजी के बावज़ूद जनता ने सत्ता को यह अहसास दिला दिया कि वह जन-चैतन्य की इस राह में जनता को एकदम ही अनदेखा नहीं कर सकती। बाकी किन्हीं बातों की चर्चा यहाँ अप्रस्तुत होगी। लेकिन इसने परिवर्तन के लिए हिंसा की अपरिहार्यता को नकार दिया। नईं आशा जगायी, भले रास्ता लम्बा ही नहीं टेढ़ा-मेढ़ा भी क्यों न हो। हमें जागरूकता के साथ इस बात को भी देखते रहना होगा कि इस रास्ते पर, इस तरह् की कोई और उस हद तक की कोई घटना न हो जो हमें हताशा में झोंक दे।

फिर भी ---
किसी जंगली जानवर का शिकार को नोंचना भी।
इतना आसान नहीं होता, केवल साक्षी होना भी॥
होता, तो समय न फिरता पीड़ा की गहरी रेखाएं।
अंकित हुआ अपना चेहरा लिये॥
डरावना बना देता है, आॉखें बंद कर लेना भी।
अगतिकता और पीड़ा को शब्द न देना भी॥
समाप्त

परिशिष्ट
वर्ष 2024

फिलहाल जो कुछ नक्सली हिंसक वारदातें हो रही हैं वे अधिकतर या तो छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र के गढचिरोली में| पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में मृत हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है-

वर्ष	2021	2022	2024(अगस्त तक)
नक्सली	188	246	201
सुरक्षा कर्मी	45	10	-
नागरिक	56	51	-
			गिरफ्तार 669
			समर्पित 656

2024 शुरू होने के पहले ही नक्सलियों के कब्जे वाला क्षेत्र 14000 वर्ग कि. मी. से सिमटकर 5000 वर्ग कि.मी. रह गया था| मई-जून 2024 में अबुझमाड़ के केंद्रालय को सुरक्षा प्रदान करनेवाले गढचिरोली के पेरिमिली दलम को उध्वस्त करने के बाद, सुरक्षा दल केंद्रालय के मुहाने पर पहुँचने की स्थिति में आ गये| पिपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के इस दलम के कमांडर और डिवीजन कमेटी मेंबर वासु कोरचा को मार गिराया गया| अब--

गढचिरोली जिले में 17-07-2024 को सूरजागढ इस्पात प्रकल्प का भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री जी के हाथों सम्पन्न हुआ| उनके अनुसार इस योजना से अस्सी लाख टन तथा एक अन्य प्रकल्प लॉइड स्टिल से चालीस लाख टन पोलाद उत्पादन गढचिरोली जिले में होगा जो देश के उत्पादन का 30% होगा| उपरोक्त प्रकल्प की लागत 100,00 करोड़ होगी| 80% रोजगार स्थानीय लोगों को दिये जाएंगे| उद्योग मंत्री के अनुसार जिले में डेढ लाख करोड़ के प्रकल्प प्रस्तावित हैं|

- जी.एन. साईबाबा-

प्राव्यापक गोकलकोंडा नागा साईबाबा 2004 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढाई कर रहे थे तभी वे आंध्र सरकार द्वारा गैरकानूनी घोषित रिव्होल्युशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट के सदस्य ही नहीं तो 2009 तक उसके नेता रहे है| नक्सलवाद के विरुद्ध चलायें जा रहे ' गीन हंट ' आंदोलन के विरुद्ध आदिवासी विद्यार्थियों को भडकाते थे| बाद में देहली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक की नौकरी के दरम्यान प्रतिबंधित सीपीएम(माओवादी) के लगभग थिंक टॅंक ही थे| इन आरोपों के साथ उन्हें 22-08-2013 को अहेरी बस स्थानक पर गिरफ्तार किया गया| उनके साथ निम्न सहआरोपी भी थे–

1) महेश तिर्की(29 वर्ष, मुरेवाडा, एटापल्ली तहसील, गढचिरोली जिला)
2) विजय तिर्की (36 वर्ष, धरमपुर,जिला कांकेर, छत्तीस गढ़)
3) हेम मिश्रा (38 वर्ष, कुंजबारगल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड)
4) प्रशांत राही सांगलीकर (60 वर्ष, देहरादून)
5) पांडु नरोटे (मुरेवाडा, गढचिरोली, 25-08-2022 को बिमारी से मृत्यु)

अधिक गहराई में न जाते हुए इतना ही बताना काफी होगा कि 07-03-2017 को गढचिरोली जिला और सत्र न्यायालय ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाईं थी| लेकिन इसे मुंबई हायकोर्ट ने एक बार नहीं तो दो-दो बार खारिज करते हुए सबको निर्दोश घोषित किया| पहली बार 14-10-2022 को और दूसरी बार मार्च 2024 में| लेकिन यह निर्णय आया उनके 10 साल जेल में बिताने के बाद|

- भीमा कोरेगांव / एल्गार परिषद केस

इ.स. 1818 यह भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है| इस वर्ष पुना की पेशवाई समाप्त हुई थी| लड़ाई ब्रिटिश और पेशवा इनकी सेनाओं में भीमा कोरेगांव इस स्थान पर हुई थी| लड़ाई में कुछ भारतीय, ब्रिटिशों की ओरसे लडें थे| ब्रिटिशों ने उनकी स्मृति में एक स्तंभ खड़ा किया है| उसपर 49 सैनिकों के नाम हैं| भारत में एक वर्ग इसे ब्राह्मण वर्चस्व से मुक्ति की घटना मानता है| और इसलिये जिन्होंने प्राण दिये थे उन्हें आदरांजलि देने के लिये एक जनवरी 2018 को जाति विरोधी एकता दिन या शौर्य दिन मनाने की दृष्टि से पूना में 31-12-2017 को एक सभा का आयोजन किया गया था| इस दिन इस घटना को हुए 200 साल पूरे हो रहे थे| इसे 'एल्गार परिषद्' नाम दिया गया| इसमें प्रक्षोभक भाषण देने के और देश विरोधी भाषण देने का आरोप लगाकर 16 लोगों को जून 2018 के दरम्यान गिरफ्तार किया गया था| उनपर 'शहरी नक्सली' होने का भी आरोप लगाया गया| 2014 के बाद ' शहरी नक्सली ' यह एक संकल्पना खड़ी की गयी है|

मॅसेच्युसेट्स स्थित आर्सेनल कंन्सल्टिंग इस गुनाह अन्वेषक संस्था की 'वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लपेटने के लिये झूठे सबूत गढे गये| इन्हें उनके संगणकों में हॅकिंग से प्लॅट किया गया| उनपर लगाये गये आरोप–

1) जिसपर बंदी लगायी गयी है ऐसे सीपीएम (माओवादी) संगठन के सदस्य|
2) पंतप्रधान मोदी की हत्या की साजिश| लेकिन इसका आगे कहीं पुनरुच्चार नहीं है|

आरोपों का आधार उनके संगणकों में मिला कुछ डाटा है| लेकिन सभी ने उनपर लगाये गये आरोपों को नकारा है| इन्हें अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है जिसमें जमानत नहीं मिलती|

भारत में 2244 ऐसी केसेस लंबित हैं| अर्थात् उन्हें न्याय कब मिलेगा यह भी अनिश्चित है| (टाइम्स ऑफ इंडिया : 07-07-2021)| --आरोपी--

1) आनन्द तेलतुंबडे : पेट्रोनेट इंडिया इस सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और नैसर्गिक वायु उत्पादक कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और व्यवसथापन संचालक रहे है| निवृत्त होने के पूर्व उन्होंने साठ वर्ष की आयु में व्यवस्थापन विषय में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की| बाद में खरगपुर और गोवा में व्यवस्थापन महाविद्यालय में प्राध्यापकी की| गोवा में ही वे गिरफ्तार हुए| उपलब्ध विदा के आधार पर यह प्रस्थापित करना कि आज भी अनुसुचित जाति और जनजाति, भारतीय समाज में सर्वाधिक गरीब, वंचित और अन्यायग्रस्त समुदाय है| यह उनका मिशन था|
2) फादर स्टॅन : तामिलनाडु के एक सम्पन्न परिवार से जेसूईट धर्मगुरु थे| आदिवासियों के हक की लड़ाई वाले| झारखंड की ' हो ' जनजाति के लोग उनकी जमीन से खनिज उत्खनन करने के विरोध में संघर्ष कर रहे थे| उन्हें प्रेरणा दे रहे थे फादर| इस कारण जिन उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा था उनमें अदानी ग्रुप भी था| गिरफ्तारी के बाद फादर ने एक साल जेल में बिताया और आयु के 84 वे साल में वहीं उनकी मृत्यु हो गयी|

यह व्यक्ति इस अवस्था में कंपवात के कारण ठीक ढंग पानी भी नहीं पी सकता था| ऐसा कहा जाता है कि मांगने पर भी उन्हें पीने के लिये स्ट्रा तक नहीं दिया जाता था|

तो दूसरी ओर उनके निधन के बाद, जमानत याचिका पर सुनवाईं में मुंबई हायकोर्ट कहती है, " वे शानदार व्यक्ति थें और अदालत को उनके काम के प्रति बहुत सम्मान है|"

3) सुधा भरद्वाज : आदिवासियों के हकों की लड़ाई लडनेवाली व्यक्ति| इनका जन्म अमेरिका में हुआ था| लेकिन उन्होंने अमेरिका पासपोर्ट का त्याग कर भारत में आदिवासियों के लिए काम करना शुरू किया| वे आयआयटी कानपुर की छात्रा भी रही है| उन्होंने भीमा-कोरेगांव केस में तीन साल जेल में बिताये हैं| बाद में मुंबई न्यायालय ने उन्हें मुक्त किया| उन्होंने उन आदिवासियों की लड़ाई लडी जिनकी जमीनें छीन ली गयी थी|
4) शोमा सेन : इस अंग्रेज़ी भाषा की नागपुर यूनिवर्सिटी की 66 वर्षीय प्राध्यापिका महोदया को 05-04-2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी| उन्हें 06-06-2018 को गिरफ्तार किया गया था और वे भायखला मुंबई कारागृह में बंद थी|
5) गौतम नवलखा : मानवाधिकार कार्यकर्ता|
6) सबा हुसैन : नवलखा की सहकारी और महिला अधिकार कार्यकर्ता|
7) रोना विल्सन : केरल से|
8) हानी बाबू : केरल से मुस्लिम व्यक्ति|
9) अरुण परेरा : मुंबई से
10) वर्नन गोन्साल्विस : मुंबई से
11) सुरेन्द्र गडलिंग : दलित हक़्क कार्यकर्ता
12) कबीर ढवळे + रमेश गायचोर और कबीर कला मंच से जुड़े कलाकार
13) रमा : आनंद तेलतुंबडे की पत्नी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की नातीन
14) कवि वरवर राव : हैदराबाद से वामपंथी जनकवि
15) महेश राऊत : गढचिरोली वन हक्क कार्यकर्ता
16) सुधीर धावडे

शहरी नक्सली के विरुद्ध कड़ी कारवाई के लिए महाराष्ट्र सरकार एक विधेयक ला रही है जिसमें 03 लाख जुर्माना और सात साल सजा का प्रावधान होगा|

- असीम दास ऊर्फ़ अर्णव दास ऊर्फे विक्रम : बरद्वान यूनिवर्सिटी में 26-06-2024 को लिये गये पीएचडी इंटरव्यू (इतिहास) में, 250 छात्रों में यह पूर्व माओवादी नेता प्रथम आया| पश्चिम मिदनापुर के शिलदाह ईएफआर कॅंप पर हुए हमले का प्रमुख अभियुक्त के तौर पर फिलहाल जेल में बंद है|
- कोबाड गांधी की किताब ' फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम ' का लेखिका अनघा लेले द्वारा किये गये मराठी अनुवाद को ' यशवंतराव चव्हाण राज्य साहित्य पुरस्कार घोषित किया गया था| लेकिन बाद में अचानक उसे रद्द किया गया| इसके चलते साहित्यिक क्षेत्र में भारी नाराजी फैल गयी| इसपर राज्य के मराठी भाषा विभाग के मंत्री श्री. दीपक केसरकर ने आश्वासन दिया कि पुस्तक के साथ जल्दी ही न्याय किया जाएगा|

<u>समाप्त</u>